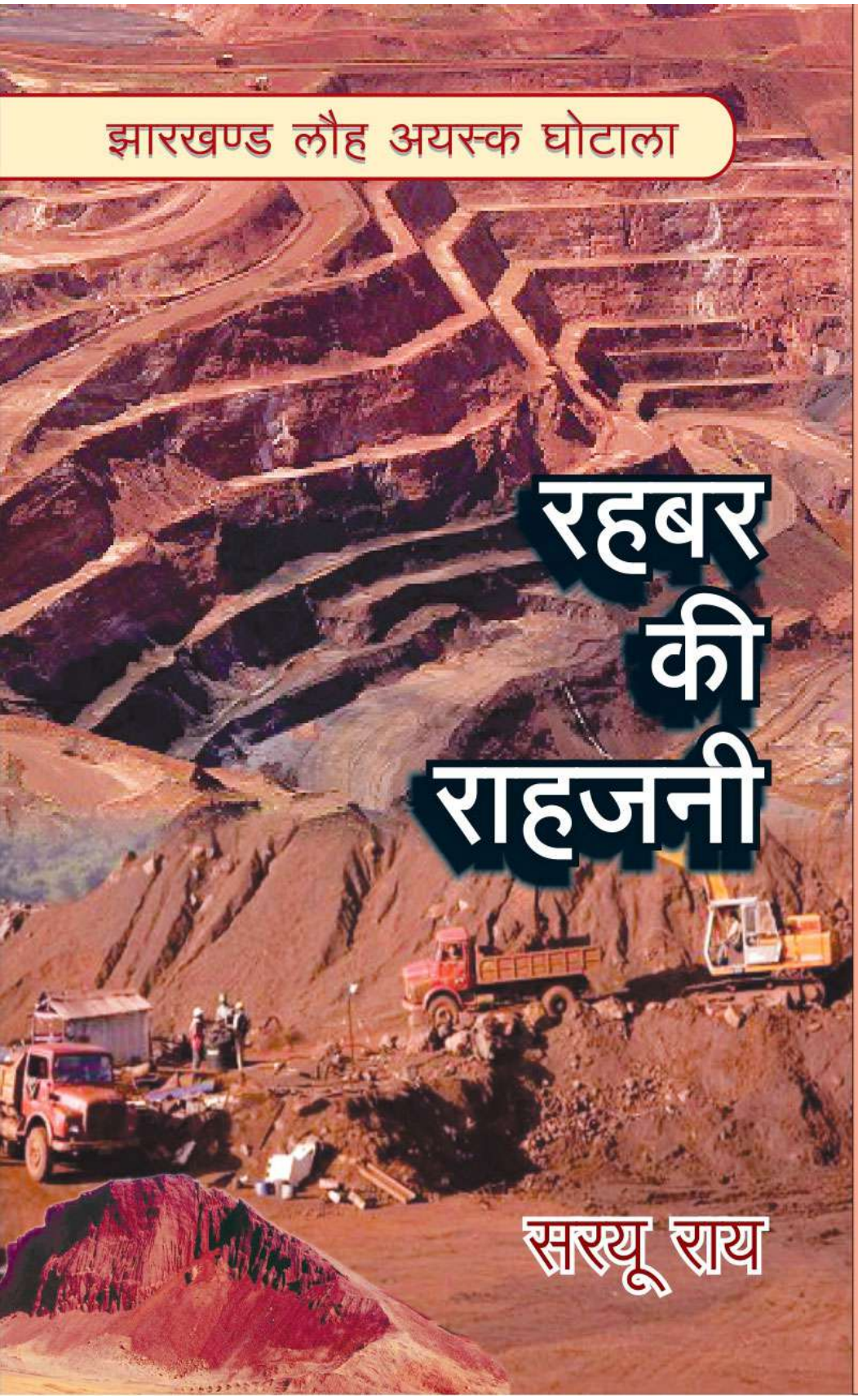

झारखण्ड लौह अयस्क घोटाला

रहबर की राहजनी

सरयू राय

ga`y am`

- 11 जुलाई 1949 को बिहार के शाहाबाद (वर्तमान में बक्सर) जिला के ग्राम खनीता के मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्म.
- प्राथमिक शिक्षा गाँव के स्कूल में, हाईस्कूल तक की शिक्षा प्रखण्ड मुख्यालय इटाढ़ी के मध्य एवं उच्चविद्यालय में.
- स्नातक (भौतिकी ऑनर्स) पटना साइंस कॉलेज से एवं स्नातकोत्तर (भौतिकी) पटना विश्वविद्यालय से.
- विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्पर्क. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् एवं बिहार छात्र-जनआंदोलन (1974) में सक्रियता, आपातकाल (1975) के दौरान भूमिगत कार्य एवं भूमिगत पत्रिका लोकवाणी के संपादन एवं प्रसार में सहयोग.
- 1977 में संगठन मंत्री, जनता युवामोर्चा, बिहार के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में कार्य आरम्भ.
- 1979 – 'अफगनिस्तान पर रूस का हमला विरोधी समिति' का बिहार प्रदेश संयोजक.
- 1980 से 1984 के बीच बिहार प्रदेश जनता पार्टी का महामंत्री.
- 1985 – तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा गठित सात सदस्यीय चुनाव सुधार समिति का सदस्य.
- 1984 से 1992 तक सक्रिय राजनीति से अलग जे.पी. विचारमंच, खेतिहर मंच, सोन अंचल किसान संघर्ष समिति, जनमोर्चा आदि संगठनों के माध्यम से सामाजिक कार्य एवं स्वतंत्र पत्रकारिता, पटना के आयकर गोलंबर पर स्थापित जे.पी. प्रतिमा निर्माण समिति का संयोजक. सहकारिता नीति निर्धारण के लिये बनी राष्ट्रीय समिति का सदस्य.

झारखण्ड लौह अयस्क घोटाला

रहबर की राहजनी

सरयू राय

प्रकाशक

नेचर फाउंडेशन

लेखक :
सरयू राय
सदस्य, झारखंड विधानसभा
जमशेदपुर पूर्व

प्रथम संस्करण
रामनवमी, 21 अप्रैल 2021

© प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :
नेचर फाउंडेशन
सिदरौल, नामकुम, राँची

सहयोग राशि : ₹ 200

मुद्रक :
झारखंड प्रिंटर्स प्रा. लि.
6 'ए' गुरूनानक नगर
साकची, जमशेदपुर–831001

समर्पण

यह पुस्तक प्रशासनिक व्यवस्था की फिसलन भरी राह पर जल के बीच कमल सदृश पारदर्शी व्यक्तित्व वाले मेरे आत्मीय **श्री एच.एन. राम** को.
साथ ही समर्पित है समय–समय पर समाज परिवर्तन में उनकी तरह संवेदनशील भूमिका निभाने का प्रयास करते रहने वाले असंख्य मित्रों को.

कदम–कदम बढ़ाए जा
खनिज बेच खाए जा...!

अनुक्रमणिका

खण्ड	विषय सूची		पृष्ठ संख्या
●	पुस्तक के बारे में	....	7
●	प्रस्तावना	....	13
1.	झारखंड में लौह अयस्क का अवैध खनन	....	23
2.	शाह आयोग का गठन	....	28
3.	शाह आयोग की जाँच एवं अनुशंसायें	....	31
4.	पाँच सदस्यीय जाँच समिति का प्रतिवेदन	....	40
5.	उपायुक्त की जाँच समिति का प्रतिवेदन	....	49
6.	चार सदस्यीय जाँच समिति का प्रतिवेदन	....	53
7.	जिला खनन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन	....	64
8.	अंतर्विभागीय जाँच समिति का निष्कर्ष	....	67
9.	महाधिवक्ता संदेह के घेरे में	....	71
10	अपर मुख्य सचिव, खान का अपमान	....	74
11	चालान दे दिया जाय : मुख्यमंत्री	....	79
12	चालान नहीं दे सकता : खनन पदाधिकारी	....	86
13	मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अवैध खनन	....	92
14.	चतुर्वेदी समिति के सामने चुप्पी	....	97
15.	महाधिवक्ता की नैतिकता !	....	102
16.	बाबूलाल जी ने किया विरोध	....	107
17.	अवैध खनन का जुर्माना	....	113
18.	जुर्माना गणना में हेराफेरी	....	117
19.	उपायुक्त का गड़बड़ झाला	....	123
20.	लौह अयस्क की चोरी	....	128
21.	सारंडा पर संकट	....	135

खण्ड	विषय		पृष्ठ संख्या
●	उपसंहार	....	142
परिशिष्ट			
1.	मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को प्रेषित पत्र	....	154
2.	खनन पट्टा रद्द करने संबंधी आदेश	....	162
3.	अपर मुख्य सचिव, खान का पत्र	....	165
4.	जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा का पत्र	....	168
5.	अपर महाधिवक्ता का पत्र खान विभाग को	....	170
6.	शाह ब्रदर्स का वचन पत्र	....	172
7.	20 किश्तों में प्रस्तावित भुगतान विवरण	....	173
8.	अपर सचिव, खान विभाग का पत्र	....	174
9.	जुर्माना का ब्याज सहित माँग पत्र	....	175
10.	जुर्माना का ब्याज रहित मांग पत्र	....	176
11.	जुर्माना भुगतान संबंधी निर्देश पत्र	....	177
12.	श्री कमलेश्वरी दास का पत्र	....	178
13.	विधानसभा में तारांकित प्रश्न का उत्तर	....	180
14.	वन महानिदेशक, भारत सरकार का पत्र	....	183
15.	उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम का पत्र	....	184
16.	सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित पत्र	....	186
17.	तत्कालीन मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र	....	187
18.	सचिव, झारखंड राज्य बार काउंसिल का पत्र	....	192

❖❖❖

पुस्तक के बारे में

यह पुस्तक झारखंड के लौह अयस्क घोटाला के प्रभावशाली किरदारों के भ्रष्ट आचरण और इससे राज्यहित को हुये नुकसान पर केन्द्रित है. लौह अयस्क खनन में अनियमितताओं की अति हो गई, तब केन्द्र सरकार सक्रिय हुई और लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच करने के लिये 2010 में एक जाँच आयोग गठित किया. सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री एम.बी. शाह इस आयोग के अध्यक्ष बनाये गये. आयोग ने देश के लौह अयस्क धारित राज्यों में 1993–94 से 2011–12 तक की अवधि में हुये अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की जाँच किया.

झारखंड में हुये अवैध खनन का जाँच प्रतिवेदन शाह आयोग ने 14 अक्टूबर 2013 को सौंप दिया. जाँच प्रतिवेदन में आयोग ने अवैध खनन को परिभाषित किया, अवैध खनन करने वालों को चिन्हित किया, अवैध खननकर्ताओं ने जिन खनन नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन किया था उनका पता लगाया, अवैध खनन की मात्रा और मूल्य की गणना किया और अवैध खनन के शत प्रतिशत मूल्य पर सालाना 12 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़कर अवैध खननकर्ताओं पर जुर्माना लगाया. ओड़िसा के खनन पट्टाधारी आयोग की अनुशंसा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गये तो सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध खनन पर से ब्याज हटाकर उन्हें राहत दिया, मगर जुर्माना का भुगतान किश्तों में करने की इनकी माँग नहीं माना और कहा कि जुर्माना का भुगतान एकमुश्त करना होगा.

तत्कालीन झारखंड सरकार ने शाह आयोग द्वारा प्रतिवेदित अनियमितताओं की जाँच के लिये खान विभाग के 5 वरीय अधिकारियों की एक समिति 09.06.2014 को गठित किया। इस समिति ने 20.09.2014 को अपना प्रतिवेदन झारखण्ड सरकार को सौंप दिया. उस समय झारखण्ड में श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युपीए की सरकार थी. इसके तुरंत बाद झारखंड में विधान सभा चुनाव की घोषणा हो गई. नवम्बर–दिसम्बर, 2014 में हुये आम चुनाव में श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली युपीए सरकार बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी. फलत: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में श्री रघुवर दास के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ। इस सरकार को ''पूर्ण बहुमत और डबल इंजन'' वाली सरकार कहा गया.

अब शाह आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने, पूर्व में सरकार द्वारा की गई गणना के अनुरूप जुर्माना राशि को अवैध खननकर्ताओं से वसूलने, चिन्हित किये गये अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने, उनके खनन पट्टों को रद्द करने या बरकरार रखने के बारे में ठोस निर्णय करने आदि की जिम्मेदारी ''पूर्ण बहुमत और डबल इंजन'' वाली सरकार और इसके मुखिया के उपर थी. मुख्यमंत्री

के साथ–साथ वे खान मंत्री भी थे, इसलिये उनसे राज्यहित और जनहित में अवैध खनन के विरूद्ध ठोस कदम उठाने की उम्मीद थी. परन्तु ''पूर्ण बहुमत और डबल इंजन'' की इस सरकार, जिसमें मैं भी एक विभाग का मंत्री था, ने अवैध खनन का जुर्माना वसूलने के बदले इसमें पेंच लगाया, अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की राह में कठिनाइयाँ उत्पन्न किया, शाह आयोग की अनुशंसाओं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करने/कराने में हीला–हवाला किया तथा गत विधान सभा चुनाव में खुद बुरी तरह पराजित होने, प्रदेश में सरकार गंवाने तथा पार्टी के जनाधार का बंटाधार करने के पहले तक तत्कालीन सरकार और सरकार के खान मंत्री–सह–मुख्यमंत्री ने अवैध खननकर्ताओं को संरक्षण देने के लिये क्या–क्या उपक्रम किया, इसका यथा उपलब्ध तथा तथ्य आधारित ब्यौरा इस पुस्तक में संकलित है.

अब यह जिम्मेदारी वर्तमान सरकार और इस सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन पर है कि शाह आयोग की अनुशंसाओं को मूर्त रूप देने के लिये 9 जून 2014 को एक पाँच सदस्यीय जाँच समिति बनाकर उन्होंने जो पहल किया था वह पहल अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुँची तो इसका क्या कारण है ? इसे अंजाम तक नहीं पहुँचने देने के लिये विगत 5 वर्षो में किसने क्या भूमिका निभाया? किसने कौन सा पेंच लगाया ? किसने इसकी राह में पलीता लगाया ? किसने अवैध खनन को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया ? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाकर निर्णय करने की साजिश किसने किया ? किस प्रकार किया ? किसके कारण अपना राज्य अवैध खनन करनेवालों से कई सौ अरब रूपयों का जुर्माना नहीं वसूल सका ? इसकी एक झलक हम पुस्तक के विभिन्न खंडों में है । इन सवालों और ऐसे ही कतिपय अन्य सवालों का जवाब ढूँढने की महती जिम्मेदारी अब वर्तमान मुख्यमंत्री पर है, जिन्होंने 6 वर्ष पहले इस दिशा में एक सार्थक पहल किया था. इस संदर्भ में 12 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को मैंने एक पत्र लिखा. यह पत्र इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट–1 के रुप मे संलग्न किया गया है ताकि सनद रहे.

विगत 09 जनवरी, 2021 को विधान सभा की 'सामान्य प्रयोजन समिति' के दो दिवसीय दौरा के अंतिम दिन लौह अयस्क बहुल सारंडा सघन वन के सुरम्य स्थान पर अवस्थित स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के किरीबुरू अतिथि गृह के सामने लॉन में टहलते समय असावधानी बरतने के कारण मेरे दाहिने पैर के तलवा की छोटी उँगली की हड्डी में डबल फ्रैक्चर हो गया. जमशेदपुर के टीएमएच में प्लास्टर लगने के बाद चिकित्सकों ने कहा कि इसे ठीक होने में एक माह से अधिक समय लगेगा. एक सप्ताह तक जमशेदपुर में रहा. वहाँ सुबह से देर शाम तक मिलनेवाले

साथियों, शुभचिंतकों का तांता लगा रहता था. चिकित्सकों ने पैर को आराम देने के लिए राँची जाने का सुझाव दिया. प्लास्टर युक्त पैर के साथ राँची आया तो जबरिया आराम के क्षणों में लगा कि विगत पाँच वर्षों से अपनी सरकार में रहते समय मैं लौह अयस्क के अवैध खनन और व्यवसाय के बारे में जो चेतावनी/सलाह तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिया करता था, उसे लिपिबद्ध कर दूँ. प्रस्तुत पुस्तक इसी का परिणाम है.

इस पुस्तक में कुल–21 खंड हैं. इसके अतिरिक्त प्रस्तावना, उपसंहार एवं परिशिष्ट के रूप में भी अवलोकनीय सामग्रियाँ पुस्तक में रक्षित है, जो तथ्यों पर आधारित है. पुस्तक के खंड–1 में झारखंड में हुए लौह अयस्क के अवैध खनन की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन है. खंड–2 और खंड–3 में लौह अयस्क की अवैध खनन की जाँच करने के लिये भारत सरकार द्वारा गठित जस्टिस एम. बी. शाह आयोग के गठन तथा जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं का वर्णन है. खंड–4 से खंड–7 के बीच शाह आयोग की अनुशंसाओं तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम–2015 के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की तीन जाँच समितियों तथा जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम के जाँच प्रतिवेदनों एवं अन्य शिकायतों पर की गई जाँच का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है. खण्ड–8 में झारखण्ड सरकार द्वारा गठित अंतर्विभागीय जाँच समिति के विस्तृत प्रतिवेदन का अत्यंत संक्षिप्त ब्यौरा अंकित है.

झारखण्ड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा गठित अंतर्विभागीय जाँच समिति के निष्कर्षों के आधार पर झारखण्ड सरकार द्वारा रद्द किये गये 23 खननपट्टाधारियों में से एक खनन पट्टाधारी ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता द्वारा खान विभाग के हितों के विपरीत बहस किये जाने का उल्लेख खंड–9 में है. अपर महाधिवक्ता के संदिग्ध आचरण का विरोध अपर मुख्य सचिव, खान द्वारा लिखित रूप में किये जाने तथा इसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा अपमानित किये जाने की घटना का वर्णन खंड–10 में है. तत्कालीन महाधिवक्ता के अधूरा मंतव्य के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा एक अवैध खननकर्ता को माईनिंग चालान देने का गलत आदेश करने तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला के खनन पदाधिकारी द्वारा इस आदेश को अनुचित बताते हुये चालान देने से इन्कार करने का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः खंड–11 एवं खंड–12 में है. खंड–13 में मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में अवैध खनन की गतिविधि को चलने देते रहने का उल्लेख किया गया है. खंड–14 में तत्कालीन सदस्य, राजस्व पर्षद की समिति के सामने जानबूझकर अवैध खनन के प्रमाण को खान विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं करने का घटनाक्रम दिया हुआ है। खंड–15 में

महाधिवक्ता द्वारा अपने क्लाईंट खान विभाग से पूछे बिना और उसे जानकारी दिये बिना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने खान विभाग के हितों के विपरीत जानकारी देकर अवैध खनन के लिये लगे करोड़ों रूपये के जुर्माना का भुगतान एकमुश्त करने के बदले 20 किश्तों में करने की सहुलियत देने की तिकड़म का उल्लेख है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है ।

पुस्तक के खंड–16 में झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा अवैध खनन का विरोध करने एवं सांठगांठ कर एक अवैध खननकर्ता को लाभ पहुँचाने की साजिश में शामिल होने के बारे में तत्कालीन मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र और प्रेसवार्ता में दिया गया उनका लिखित वक्तव्य शामिल किया गया है. खंड–17 में अवैध खनन के जुर्माना की गणना करने और खंड–18 में जुर्माना की गणना में हेरफेर करने का वस्तुपरक विश्लेषण दिया हुआ है. खंड–19 में ओडिसा मिनरल एण्ड मैंगनीज लिमिटेड के अवैध खनन पर तत्कालीन उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा पर्दा डालने तथा खंड–20 में नोवामुंडी के बोकारो साईडिंग से 7,000 टन लौह अयस्क चोरी होने की घटना और पुलिस द्वारा अब तक इसका अनुसंधान नहीं करने का ब्यौरा दिया हुआ है. खंड–21 में अवैध खनन की गतिविधियों के कारण सारंडा सघन वन पर मंडरा रहे संकट तथा पर्यावरण संरक्षण के हिमायतियों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले निहित स्वार्थी गिरोहों की भूमिका का उल्लेख है. इसके अतिरिक्त पुस्तक में कुल 18 परिशिष्ट हैं, जिनमें कतिपय अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं सूचनाएँ संकलित हैं, जो प्रामाणिक हैं.

प्रस्तुत पुस्तक का प्रारूप मैंने महाशिवरात्रि दिनांक 11 मार्च 2021 के दिन अपने वेबसाइट saryuroy.in पर डाल दिया और इसकी सूचना सार्वजनिक कर दिया ताकि पुस्तक में कहीं कोई त्रुटि हो या कोई प्रसंग अनुचित हो तो प्रबुद्ध जन अपनी प्रतिक्रिया देंगे जिसके आलोक में पुस्तक के विषयवस्तु का परिमार्जन कर इसे अधिकतम त्रुटिहीन बनाया जा सके. कई महानुभावों ने, जिनमें कतिपय विधि के जानकार भी शामिल हैं, पुस्तक के विषयवस्तु पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये. क़ानून के जानकार एकाधिक व्यक्तियों से मैंने मिलकर भी परामर्श किया ताकि पुस्तक में कुछ भी ऐसा नहीं रहे जो विधि के विरूद्ध हो और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायिक निर्णय पर आक्षेप प्रतीत हो. ऐसे सुझावों के आलोक में पुस्तक प्रारूप को यथासंभव परिमार्जित किया गया, सुझावों को समायोजित किया गया, तदनुरूप कतिपय शब्दों, वाक्यों एवं खंडों के शीर्षकों में परिवर्तन किया गया.

इसी संदर्भ में पुस्तक प्रारूप के बारे में झारखंड सरकार के तत्कालीन महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार की प्रतिक्रिया डाक से प्राप्त हुई. प्रतिक्रिया काफ़ी तल्ख़ है, सोच स्तरीय नहीं है, भाषा अभद्रता भरी है, वाक्य विन्यास पर अशिष्टता

हावी है, नकारात्मक संप्रेषण अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से भरपूर है. यह प्रतिक्रिया महाधिवक्ता पद की मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप नहीं है. इसमें वस्तुपरक संप्रेषण कम और एक योजना के बेपर्द हो जाने की खीजभरी व्यक्तिपरक भड़ास की दमित अभिव्यक्ति अधिक प्रतीत होती है. माननीय न्यायालय की अवमानना एवं उनकी अपनी मानहानि/चरित्र हनन की धमकी भरी चेतावनी का पुट भी इसमें है. संवैधानिक पद धारण करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त राज्य के तत्कालीन प्रथम विधि अधिकारी की ऐसी सतही एवं स्तरहीन अभिव्यक्ति कल्पना से परे है. प्रासंगिक संदर्भ में इसके सटीक सार्वजनिक प्रत्युत्तर से व्यक्ति विशेष की मानसिकता पर असर पड़े न पड़े परंतु महाधिवक्ता पद की गरिमा एवं मर्यादा अवश्य दाग़दार हो जायेगी, इसपर ठेस पहुँचेगी. इसलिये तत्कालीन महाधिवक्ता की यह तल्ख़ प्रतिक्रिया प्रथम दृष्टया उपेक्षा योग्य प्रतीत होती है. इसके लिये पुस्तक के प्रकाशनोपरांत सही समय की प्रतीक्षा करना उचित रहेगा.

यह भ्रम नहीं उत्पन्न किया जाना चाहिये कि समसामयिक कालक्रम में संयोगवश महाधिवक्ता के गरिमायुक्त पद पर नियुक्त हो जाने वाला कोई व्यक्ति इस पुस्तक का केन्द्र बिन्दु है. वस्तुत: यह पुस्तक राज्य की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की संविधान सम्मत कार्यप्रणाली का मनोनुकूल उपयोग करने की जुगत में सत्ता के गलियारों में चहलक़दमी करते रहने वाले निहित स्वार्थी समूहों की साजिश का जाने–अनजाने हिस्सा बन जाने वाले सत्ता के किरदारों और राज्य के विधिक मार्गदर्शकों की भूमिका पर प्रकाश डालने का एक लघु प्रयास है. यह प्रयास जिसे नागवार लगता है उसके लिये पुस्तक की विषयवस्तु पर भड़ास निकालने के बदले उस कालखंड में अपनी भूमिका की विवेचना करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा.

प्रासंगिक कालखंडों में किसी महाधिवक्ता के कार्यों का चित्रण करते समय व्यापकता में उनके द्वारा विभिन्न मामलों में सरकार को दिये गये परामर्शों की गुणवत्ता, एक ही मामले में उनके द्वारा अलग अलग समय में दिये गये परामर्शों में एकरूपता अथवा विरोधाभास, उनके द्वारा दिये गये परामर्शों पर विधि सचिव की विवेचना, महाधिवक्ता पद पर आसीन होने के पूर्व उनके द्वारा सरकार के किसी अंग अथवा सरकारी उपक्रमों के विधिक सलाहकार के रूप में किये गये कार्य की गुणवत्ता, कार्य निष्पादन के दौरान हितों का टकराव, न्यायालय में दायर किसी वाद में संलग्न दस्तावेज़ों में उनकी भूमिका का उल्लेख आदि अनेक बिन्दु हैं जिन्हें आधार बनाया जा सकता है. परन्तु यह चित्रण महाधिवक्ता पद धारण करने वाले व्यक्ति विशेष का होगा न कि महाधिवक्ता पद का. ऐसा करना इस पुस्तक का ध्येय नहीं है. कोई इस पुस्तक का रूख इस दिशा में मोड़ना चाहे और आधारहीन विवाद पैदा करना चाहे तो यह उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक एवं उनकी अपनी सोच का

प्रतिबिम्ब हो सकता है. पुस्तक की विषयवस्तु का इससे कोई लेना देना नहीं है. ऐसे सवाल कभी भी उठ सकते हैं और किसके भी द्वारा उठाये जा सकते हैं.

पुस्तक सामग्री का संकलन मेरे निजी कार्यालय में संग्रहित अभिलेखों, न्यायालय के निर्णयों, न्यायालय में दायर शपथ/ प्रति शपथ पत्रों एवं प्रत्युत्तरों, सरकारी संचिकाओं अंकित टिप्पणियों एवं रक्षित पत्राचारों, मंत्रिपरिषद के संलेखों, मुख्यमंत्री सह खान मंत्री एवं खान सचिव को प्रेषित मेरे पत्रों, केन्द्र सरकार के अधिनियमों, नियमावलियों से किया गया है. इनके चयन एवं विश्लेषण की ज़िम्मेदारी पूरी तरह मेरी है. पुस्तक में पात्रों का स्थान उनकी भूमिका के अनुरूप है. उनके चरित्र चित्रण से परहेज़ किया गया है. मैंने पूरा प्रयास किया है कि पुस्तक सामग्री का चयन एवं विश्लेषण अधिकतम वस्तुपरक हो. पुस्तक का विषय ऐसा है जिसपर एक समग्र ग्रंथ की रचना हो सकती है. पर इसमें न्यूनतम एक साल का समय लगेगा. पुस्तक में इसके केवल एक पहलू का स्पर्श किया गया है. इसलिये संभव है कि विषयवस्तु के जानकारों, विशेषज्ञों, कानून मर्मज्ञों, सुधीजनों को संतुष्टि नहीं होगी. इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ.

पुस्तक की सामग्रियों को बंद फाईलों से निकालकर सामने लाने और इसका टंकण करने में मेरे निजी सहायक राजेश कुमार सिन्हा और प्रतीक शर्मा ने काफी परिश्रम किया. मेरी अस्वस्थता के समय राँची में अंशुल एवं आकांक्षा तथा जमशेदपुर में आशुतोष एवं अयांशी तथा मेरे वाहन चालक उदय मंडल एवं सेवक अरुण प्रमाणिक ने मेरी उचित देख–रेख एवं सुविधा–असुविधा पर ध्यान दिया, जिस कारण यह पुस्तक तैयार करने में मुझे काफी मदद मिली. ये सभी स्नेहसिक्त धन्यवाद के पात्र हैं.

झारखण्ड प्रिंटर्स और नेचर फाउंडेशन के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने काफी कम समय में इस पुस्तक का मुद्रण और प्रकाशन सुनिश्चित किया. झारखंड प्रिंटर्स के श्री बाला कुमार सिंह और श्री दीपक पारधे को विशेष धन्यवाद है. बालाजी ने धैर्यपूर्वक पुस्तक प्रारुप की त्रुटियों का बारीकी से निराकरण किया एवं पुस्तक प्रारूप को टंकित एवं पुनः पुनः टंकित किया तथा श्री दीपक पारधे ने पुस्तक का मुख–पृष्ठ सुसज्जित किया ।

– सरयू राय

प्रस्तावना

झारखंड एक खनिज बहुल प्रांत है. यहाँ की रत्नगर्भा धरती में अनेक प्रकार के खनिजों एवं खनिज अयस्कों की भरमार है. इन्हीं में से एक लौह अयस्क भी है. देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में कमोबेश लौह अयस्क पाया जाता है. झारखंड भी इनमें से एक है. झारखंड, ओड़िसा और गोवा में लौह अयस्क की बहुतायत है. कर्नाटक और मध्यप्रदेश में भी इसकी खासी उपलब्धता है. झारखंड के लौह अयस्क धारित इलाकों में लौह अयस्क के साथ–साथ मैंगनीज अयस्क की खासी मात्रा भी उपलब्ध है.

हालांकि झारखंड की गिनती देश के लौह अयस्क बहुल राज्यों में होती है, परंतु लौह अयस्क की उपलब्धता इस राज्य के केवल एक जिला, पश्चिम सिंहभूम, तक ही सीमित है. पश्चिम सिंहभूम जिला में भी लौह अयस्क की उपलब्धता मात्र दो प्रखंडों– मनोहरपुर और जगन्नाथपुर– में ही है. यहाँ का लौह अयस्क धारित अधिकांश भू–भाग सारंडा सघन वन क्षेत्र में अवस्थित है. विडम्बना है कि सात सौ पहाड़ियों वाले सारंडा की धरती की कोख में बहुमूल्य लौह अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क धारित हैं तो उसकी गोद में मूल्यवान साल वृक्षों का सघन वन है, जो प्रकृति का अद्‌भुत नयनाभिराम नजारा प्रस्तुत करता है. यहाँ नाना प्रकार के वन्यजीवों का पर्यावास स्थल भी है. समृद्ध जैव–विविधता की उपस्थिति यहाँ की विशेषता है.

''साल वृक्ष, वन्यजीव, जैव–विविधता और लौह अयस्क का भंडार'' प्रकृति के अनुपम उपहार हैं. ये विकास के मूलभूत प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका संतुलित उपयोग अक्षय विकास की दिशा निर्धारित कर सकता है, एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है. परंतु लोभ–लाभ आधारित विवेकशून्य विकास की गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने इन प्राकृतिक संसाधनों का सत्यानाश कर दिया है. ये संसाधन मानव निर्मित नहीं हैं. ये सभी के सभी प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति के अनुपम उपहार हैं. विडम्बना है कि मनुष्य अक्सर उन्हीं पदार्थों को मूल्यवान समझता है और उनके संरक्षण के प्रति सजग एवं सचेष्ट स्वयं रहता है, जिन्हें उसने स्वयं बनाया है. जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है, जो उसे प्र.ति से अनुपम उपहार के रूप में मुफ्त मिली हुई हैं. उनकी कीमत वह नहीं समझता है, उनका दुरूपयोग करने में संकोच नहीं करता है, उनकी उपेक्षा करता है. सारंडा के ये प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की इसी मनोवृत्ति का शिकार हो रहे हैं.

इस्को (इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) और टिस्को (टाटा आयरन एवंस्टील कम्पनी) के लोहा कारखाने खुलने के पहले से इन इलाकों के लौह अयस्क का उपयोग गुणवत्तापूर्ण इस्पात और लौह उपकरण बनाने के लिये होता रहा है. ये कारखाने खुले तो यह क्षेत्र औद्योगीकरण की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अंग बन गया. उत्पादन बढ़ा, लौह अयस्क की खपत बढ़ी, इसका सुगठित बाजार विकसित हुआ तो वन क्षेत्रों के कटने की रफ्तार भी बढ़ी. वनों के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा वन्यजीवों के पर्यावास का संरक्षण करने तथा औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये नियम–कानून बनने लगे. विकास के आरंभिक दौर में ही भारत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन की वैश्विक मुहिम से जुड़ गया. 1971 का स्टॉकहोम कांफ्रेंस इस दिशा में मील का पत्थर बना. भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस कांफ्रेंस में शामिल हुईं और पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक समझौता पर हस्ताक्षर किया.

भारत में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957, खनिज समनुदान नियमावली– 1960, भारतीय वन अधिनियम–1927 आदि कानून तो पहले से मौजूद थे. इसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण अधिनियम–1981, वन संरक्षण अधिनियम–1980, प्रदूषण संरक्षण अधिनियम–1986, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली–1988, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना–2006 आदि अनेक अधिनियम, नियम, परिनियम इस संदर्भ में अस्तित्व में आये. इसके बावजूद सारंडा में लौह अयस्क का अवैध खनन एवं व्यवसाय तथा वृक्षों की कटाई एवं वन्यजीवों के पर्यावास का संकट कम होने की बजाय बढ़ता ही गया. कारण कि इन अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं का क्रियान्वयन पूर्ववर्ती बिहार और वर्तमान झारखंड में विवेकपूर्ण तरीके से नहीं हुआ. एकीकृत बिहार के समय लौह अयस्क के खनन में खास तेजी नहीं आई थी. पर्यावरण स्वीकृति की अवधारणा भी 1993–94 के बाद ही आईं.

वर्ष 2000 में 15 नवम्बर को भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 27वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय हुआ. इसके तुरन्त बाद वर्ष 2002 में भारत सरकार ने खनिज नीति में बड़ा परिवर्तन किया. संयोगवश इसी समय चीन में लौह अयस्क की माँग बढ़ी, साथ ही झारखंड में लौह अयस्क के खनन में अनियमिततायें बढ़ीं, तेजी से अवैध खनन बढ़ा. देखते–देखते लौह अयस्क खनन माफिया ने जड़ जमा लिया. राजनेताओं, अधिकारियों और लौह अयस्क व्यवसायियों के सिंडिकेट के सहारे

बेरोकटोक अवैध खनन परवान चढ़ने लगा. 2006 में झारखंड में बनी अल्पमत की साझा सरकार में तो अवैध खनन बेलगाम हो गया. केवल झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी लौह अयस्क धारित राज्यों में कमोबेश ऐसी ही स्थिति बन गई.

जब पानी नाक के उपर से गुजरने लगा तो भारत सरकार ने लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश एम.बी. शाह की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग गठित किया. यह जाँच आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट–1952 के अधीन 22 दिसंबर 2010 को गठित हुआ. इसने पहला अंतरिम प्रतिवेदन गोवा में अवैध खनन के बारे में और अगला प्रतिवेदन ओड़िसा में अवैध खनन के बारे में भारत सरकार को सौंपा, जिसे संसद में रखा गया. गोवा और ओड़िसा की सरकारों ने अवैध खनन के बारे में शाह आयोग की अनुशंसाओं को गंभीरता से लिया, तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुये ऐसी खदानों का परिचालन बंद कर दिया और इनका उत्खनित स्टॉक जब्त कर लिया. इनकी अनुशंसा पर भारत सरकार ने इन खदानों की पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर दिया. परंतु झारखंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ. झारखंड में अवैध खनन का जाँच प्रतिवेदन शाह आयोग ने 4 खंडों में दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को सौंपा. तत्कालीन सरकार ने गोवा और ओड़िसा की तरह त्वरित कार्रवाई नहीं किया.

शाह आयोग की सभी अनुशंसाओं पर झारखंड सरकार का मंतव्य एक ही तरह का था कि जाँच की जायेगी, समीक्षा की जायेगी, विचार किया जायेगा, विश्लेषण किया जायेगा, तदनुसार कारवाई की जायेगी आदि आदि. जाँच तो कई बार हुई. पर जाँच की अनुशंसाओं पर त्वरित कारवाई नहीं हुई. कारवाई हुई भी तो आधे मन से.

शाह आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लौह अयस्क के अवैध खनन की मात्रा और मूल्य का निर्धारण तत्कालीन झारखंड सरकार ने 2013 में किया और नियमों का उलंघन कर अवैध खनन करने वाले विभिन्न पट्टाधारियों पर उनके द्वारा किये गये अवैध खनन की शत प्रतिशत मात्रा के आई.बी.एम. निर्धारित मूल्य के बराबर अर्थदंड यानी जुर्माना उन पर लगाया. जुर्माना की रक़म पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगाया. झारखंड सरकार ने पहली बार 5.2.2013 को अवैध खनन करने वाले पट्टाधारियों से अवैध खनन का जुर्माना वसूलने के लिये उन्हें माँग पत्र भेजा. इसके विरूद्ध खननकर्ता केन्द्रीय खान न्यायाधिकरण में चले गये. वहाँ से उन्हें राहत मिल गई. न्यायाधिकरण ने जुर्माना वसूली के सरकार के आदेश

पर पहले अंतरिम रोक लगाया बाद में सरकार के दावा को ख़ारिज कर दिया. परंतु पता नहीं क्यों झारखंड सरकार ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं किया.

इसके बाद झारखंड सरकार ने 2014 के मई माह में पट्टाधारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करने वालों की विधिवत पहचान करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित किया. इस 5 सदस्यीय जाँच समिति की अनुशंसा के आलोक में अवैध खनन करने वालों से जुर्माना वसूल करने के लिये सरकार ने 2.5.2015 को एक नया माँग पत्र भेजा. टाटा स्टील, रुंगटा माईन्स सहित कइयों ने मॉग के अनुरूप भुगतान कर दिया परंतु कतिपय अन्य पट्टाधारी खननकर्ता इस मांग के विरोध में पुन: केन्द्रीय न्यायाधिकरण चले गये और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया. इस बीच झारखंड में विधान सभा के चुनाव हुये, सरकार बदल गई. नई राज्य सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रही. न्यायाधिकरण के इस निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं किया.

जनवरी 2015 में भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया. इसके मुताबिक़ खनन पट्टों का पहला नवीकरण स्वत: हो जायेगा. परंतु इसके साथ यह शर्त भी लगा दिया कि जिन खनन पट्टधारियों ने नियमों का उलंघन कर खनन किया है उनके पट्टों का नवीकरण या अवधि विस्तार नहीं होगा. यानी नियमों का उलंघन कर किया गया खनन अवैध खनन की श्रेणी में रखा जायेगा. एक महत्वपूर्ण संशोधन यह भी हुआ कि जिन खनन पट्टाधारियों का अपना उद्योग नहीं है और जो उत्खनित लौह अयस्क का व्यापार करते हैं उनका खनन पट्टा 31.3.2020 को स्वत: समाप्त हो जायेगा. जो उत्खनित लौह अयस्क का उपयोग अपने उद्योग में करते हैं, यानी जिनकी खदान कैप्टिव है, उनका खनन पट्टा 31.3.2030 तक चलेगा.

इस संशोधन के आलोक में झारखंड सरकार ने पूर्वी सिहभूम के उपायुक्त की जाँच समिति यह जानने के लिये बना दिया कि झारखंड के किन पट्टाधारियों ने खनन के दौरान किन किन नियमों का उल्लंघन किया है. कौन पट्टाधारी अवधि विस्तार की पात्रता रखता है और कौन नहीं रखता है. इस समिति ने जांच में राज्य के 22 लौह अयस्क पट्टाधारियों को विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर खनन करने का दोषी पाया और अनुशंसा किया कि इनके खनन पट्टे 31. 3. 2020 तक अवधि विस्तार का पात्रता नहीं रखते. इस समिति की अनुशंसा पर विचार करने के लिये खान विभाग

ने एक और उच्चस्तरीय जाँच समिति गठित कर दिया. इस समिति ने जाँच के बाद वही निष्कर्ष दिया जो उपायुक्त ने दिया था. यानी खनन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के कारण कोई भी पट्टाधारी इस योग्य नहीं है कि उसके लौह अयस्क खनन पट्टों का अवधि विस्तार 31.3.2020 तक किया जा सके. यह जाँच रिपोर्ट भी धरी की धरी रह गई. इस पर कारवाई नहीं हुई.

इसी दरम्यान झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय समिति बना दिया. इस समिति ने भी पाया कि लौह अयस्क पट्टाधारियों ने नियमों, शर्तों एवं बंधेजों का उलंघन कर अवैध खनन किया है. समिति की अनुशंसा पर सरकार ने विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमों का उल्लंघन कर खनन करने के दोषी पाये गये । 23 लौह अयस्क खनन पट्टों को रद्द कर दिया. इस निर्णय पर पहुँचने में सरकार ने महत्वपूर्ण ढाई साल लगा दिया. सरकार के इस निर्णय के विरोध में तीन पट्टाधारियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया, बाक़ी पट्टाधारियों ने पुन: केन्द्रीय न्यायाधिकरण का दरवाज़ा खटखटाया.

इसके बाद खेल आरम्भ हुआ. रिट याचिका की स्वीकृति की सुनवाई के समय उच्च न्यायालय ने सरकार का पक्ष रखने के लिये नियुक्त तत्कालीन अपर महाधिवक्ता ने अपने क्लाईंट खान विभाग से परामर्श नहीं किया. न्यायालय के सामने स्वतः प्रेरणां से उन्होंने इस मुकदमा में बहस किया. इनकी बहस उनके क्लाइंट खान विभाग के हितों के अनुकूल नहीं थे. उन्होंने कह दिया कि संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2015 के अनुसार इन खनन पट्टों का नवीकरण अवधि विस्तार नहीं करना मुनासिब नहीं है. अपर महाधिवक्ता ने बहस के दौरान इस पर ज़ोर नहीं दिया कि इन पट्टाधारियों ने खनन के दौरान विभिन्न नियमों का उलंघन किया है, अवैध खनन किया है. इसलिये सरकार ने इनका पट्टा रद्द किया है. सुनवाई के उपरांत 21.4.2016 को माननीय न्यायालय ने इन पट्टों को रद्द करने के सरकार के 1.4.2016 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया. सरकार ने एकल पीठ के इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील नहीं किया, इसे मान लिया. जब कि पश्चिम सिंहभूम के जिला पदाधिकारी ने अपील करने की गुजारिश की थी. और अपील करने के बिन्दुओं से सरकार को अवगत कराया था. बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने 6.10.2016 को अंतिम फ़ैसला सुनाया. अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन पट्टाधारियों ने उनके

समक्ष रिट याचिका दायर किया है वे दो माह के भीतर यह साबित करें कि उन्होंने किसी भी खनन नियम का उलंघन नहीं किया है, तभी वे खनन कर सकेंगे. जिन पट्टाधारियों ने उच्चन्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं किया था उन्हें यह सिद्ध करने के लिये न्यायालय ने 6 माह का समय दिया. स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किये बिना कोई पट्टाधारी खनन नहीं कर सकता. यानी जिसने नियमों का उलंघन किया है और/या उसे खनन के लिये आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं है वह खनन करता है तो यह अवैध खनन है. ऐसा पट्टा कार्यरत नहीं माना जायेगा. विद्वान महाधिवक्ता ने यह तथ्य 21.4.2016 को न्यायालय के समक्ष तार्किक ढंग से नहीं रखा.

अपर महाधिवक्ता ने रिट याचिका की स्वीकृति पर बहस के समय न्यायालय के सामने यह बात दृढ़ता से नहीं रखा. इसलिये खान विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, खान ने इनके विरूद्ध महाधिवक्ता से लिखित शिकायत किया. इस कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव, खान पर बेहद खफा हुए. आधा दर्जन वरीय/कनीय अधिकारियों के समक्ष उन्हें अपमानित किया. बेआबरू होकर वे राज्य छोड़कर केन्द्र की सेवा में जाने के लिये विवश हो गये. कहावत सही सिद्ध हुई कि 'खेत खाया गदहा और मार खाया वहाँ जो रहा'.

इस प्रसंग में आगे ताल–तिकड़म, साजिश एवं अनियमितता का नंगा नाच सरकार और प्रशासन के शीर्ष स्तर पर शुरु हुआ. मुख्यमंत्री एवं महाधिवक्ता की नैतिकता तार–तार हो गयी. ऐसे कई मामले आये जिनसे लगा कि कार्यपालिका के शीर्ष पर बैठे ज़िम्मेदार एवं क़ानूनी ताक़त से लैस शख़्स राज्यहित एवं जनहित की क़ीमत पर अवैध खनन, विशेषकर लौह अयस्क के अवैध खनन, की अवैध गतिविधियों को संरक्षण देते रहे, जानबूझकर इन्हें प्रोत्साहित करते रहे. मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के परिवहन के लिए चालान देने का आदेश दिया और जिला खनन पदाधिकारी ने इसे गलत करार कर मानने से इंकार कर दिया. कहा कि जिस पट्टाधारी को चालान देने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, उसकी खदान को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन की सहमति (Consent to Operate) नहीं मिली है. यह पट्टाधारी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन कर रहा है. 1.4.2017 से 31.12.2017 तक एक लौह अयस्क खनन पट्टाधारी ने केन्द्र सरकार ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेशानुसार बन्द होने का एन.पी.वी. जमा नहीं किये बिना खनन करते रहा. यह अवैध खनन मुख्यमंत्री सह खान मंत्री की

नाक के नीचे उनकी पूरी जानकारी में 9 माह तक चलते रहा. इस अवधि में इस अवैध खनन को रोकने के लिए कोशिश सरकार ने किया–आखिर क्यों?

ऐसा करने में वे न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक़ रखकर चलाने से भी नहीं चुके. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरित निर्णय होते रहे, फैसले होते रहे पर सरकार ने इन्हें रोका नहीं और न ही इन्हें अदालत ने चुनौती दिया, इनकी विरुद्ध अपील नहीं किया. सरकार कहती रही कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उड़िसा राज्य में दायर मुकदमों के बारे में है.

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि अवैध खनन का जुर्माना लौह अयस्क पट्टाधारियों को एकमुश्त चुकाना है परन्तु महाधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने यह प्रस्ताव दे दिया कि जुर्माना का भुगतान एक मुश्त नहीं कर 20 किश्तों में करने पर राज्य सरकार का खान विभाग और जुर्माना भुगतान करने वाले दोनों अवैध खननकर्ता सहमत हैं. माननीय उच्चन्यायालय ने परस्पर सहमति के आधार पर ऐसा करने का आदेश दे दिया. जब यह आदेश खान विभाग में पहुँचा तो विभागीय सचिव ने इसके विरोध में स्वर उठाया. उन्होंने महाधिवक्ता को पत्र लिखा कि विभाग ने ऐसी सहमति नहीं दी है.

इसके अतिरिक्त जमशेदपुर के एक जमीन विवाद के मामले में महाधिवक्ता ने राजस्व सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने मौखिक आदेश दिया है कि इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार नियमानुसार कारवाई कर सके. यह बात ध्यान में लायी गई तो माननीय न्यायधीश ने नाराजगी व्यक्त की और महाधिवक्ता को इस बारे में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसके बाद महाधिवक्ता ने पलटी मार ली और राजस्व सचिव को एक दूसरा पत्र लिखा और सूचित किया कि वे अपने पहले पत्र को वापस ले रहें हैं.

पहले भी कतिपय मामलों में ऐसा होता रहा है कि झारखंड राज्य बिजली बोर्ड या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की ओर से बहस करने वाले किसी अधिवक्ता या महाधिवक्ता ने कोई अनियमितता कर दी हो, एक ही मामले में कोई अधिवक्ता सरकार की तरफ से खड़ा हो रहा हो और उसकी न्यायायिक फर्म विरोध पक्ष की ओर से खड़ा हो रही हो. ऐसा भी हुआ है कि किसी न्यायायिक अधिकारी ने एक ही विषय से संबंधित संचिका में एक मंतव्य दिया हो और दो–तीन साल बाद उसी संचिका में उसी विषय के संबंध में पहले वाले मंतव्य के ठीक विपरीत मंतव्य

दिया हो. ऐसा भी हुआ है कि किसी सरकार के किसी न्यायिक अधिकारी ने संचिका पर ऐसा मंतव्य दिया हो, जो तथ्यों से मेल नहीं खाता हो और इस कारण विधि सचिव ने इसे अस्वीकार कर दिया हो या इस पर प्रतिकुल टिप्पणी कर दिया हो परन्तु मेरी अधिकतम जानकारी में ऐसा पहली बार हुआ प्रतीत होता है कि एक महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश से सरकार के एक विभाग को लिखित रूप में सूचित कर दिया है, जो निर्देश वास्तव में हुआ ही नही. यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रासंगिक महाधिवक्ता ने अपनी इच्छा को माननीय उच्चन्यायालय के मुँह से सरकार के सामने अभिव्यक्त कर दिया. किसी महाधिवक्ता के ऐसे आचरण के लिये कौन सी उपमा उपयुक्त होगी, इसका निर्णय सुधि पाठकों पर ही छोड़ देना उचित होगा.

उनकी ऐसी नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिये नौकरशाही ही नहीं बल्कि महाधिवक्ता सदृश विधि विधान के सर्वोच्च पद पर मनोनीत अधिकारी ने भी उनके सुर में सुर मिलाने से परहेज़ नहीं किया. विधायिका तो मूकदर्शक एवं बेबस बनकर रह गई. कार्यपालिका न्यस्त स्वार्थों का प्रोत्साहन और पृष्ठपोषण करने में इस कदर मशगूल हो गई कि उसे उचित–अनुचित का भान ही नहीं रहा. सरकारी अधिकारियों ने न केवल अवैध खनन के विरुद्ध कारवाई में अड़ंगा लगाया बल्कि अवैध खननकर्ता पर लगाये गये जुर्माना की गणना में भी हेराफेरी कर राज्य को बरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया.

जिस समय शाह आयोग का भ्रमण झारखंड में हहो रहा था उस समय के दो प्रकरण उल्लेख योग्य हैं. एक प्रकरण पश्चिम सिंहभूम जिला के उपायुक्त द्वारा अनधिकृत रूप से करीब 12.50 लाख मैट्रिक टन लौह अयस्क समायोजन करने का आदेश जिला खनन पदाधिकारी को दिये जाने का है । कायदे से लौह आयस्क की यह मात्रा अवैध खनन से सृजित है जिसे ओड़िसा मैंगनीज एवं मिनरल कॉरपोरेशन (ओ.एम.एम.) ने 2010–11 और 2011–12 में पर्यावरण स्वीकृति की मात्रा से अधिक खनन करके किया था. नियमानुसार इस अवैध खनन के लिए ओ.एम.एम. पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था और जुमानना राशि की वसूली की जानी चाहिये थी. इसे शाह आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था. परन्तु शाह आयोग के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका निभा रहे पश्चिम सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त ने इसे छुपा लिया और ओ.एम.एम. द्वारा 2012–13 और 2023–14 में किये जाने वाले खनन के मात्रा से इसका समायोजन कर दिया, जिसका अधिकार उपायुक्त को नहीं

है. ऐसा कर उपायुक्त ने राजकोष पर करीब चार अरब रुपये की चपत लगाया मगर शाह आयोग का प्रतिवेदन आ जाने के बाद जिस सरकार पर अवैध खनन का जुर्माना निर्धारित करने और वसूलने का दायित्व था वह सरकार भी और उसके पहले वाली सरकार ने भी इस पर कोई कारवाई नहीं किया.

दूसरा प्रकरण 2011 में पश्चिम सिंहभूम जिला के नोवामुंडी स्थित बोकारो रेलवे साइडिंग से 7000 मैट्रिक टन लौह अयस्क के चोरी हो जाने का है. पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त ने 50,700 मैट्रिक टन लौह अयस्क जब्त करने का आदेश दिया था. इसमें से 7000 टन लौह अयस्क चोरी हो जाने की प्राथमिकि नोवामुंडी थाना में दर्ज करायी गयी. आज तक इसका अनुसंधान एक मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा है, यह मामला विधानसभा में उठा, सभा अध्यक्ष में जाँच के लिए झारखंड विधानसभा की विशेष समिति बना दी. इस समिति ने जांचोपरांत सूचित किया कि वहाँ पर लौह अयस्क की चोरी एवं हेराफेरी की मात्रा इससे काफी अधिक है, 2013–14 में समिति ने जाँच प्रतिवेदन दिया जिस पर सरकार ने कोई कारवाई अब तक नहीं किया है. विधानसभा के सामान्य प्रयोजन समिति ने इस मामले में विशेष समिति के जाँच प्रतिवेदन के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के लिये खान सचिव को बुलाया. वे एक बार समिति की बैठक में आये. जवाब देने के लिए उन्होंने समिति से 15 दिन का समय माँगा. समिति ने उन्हें एक महीना का समय दे दिया. इसके बाद उन्होंने समिति के सामने आना ही छोड़ दिया. उनके बदले खान निदेशक और विभाग के संयुक्त सचिव दो बार आये समिति द्वारा सवाल पूछते ही उन्हें साँप सूँघ जाता है, वे मौन धारण कर लेते हैं. उनको मौन तो सरकार ही तोड़ सकती है।

संक्षेप में कहा जाय तो देश के लौह अयस्क बहुल राज्यों में अवैध खनन की जाँच के लिये भारत सरकार ने जस्टिस एम.बी. शाह समिति बनाया. समिति के जाँच प्रतिवेदन पर भारत सरकार के मंत्रिपरिषद ने विचार किया. तदुपरांत इसे संसद में रखा. गोवा और ओड़िसा की सरकारों ने चिन्हित अवैध खननकर्ताओं पर त्वरित कार्रवाई की, इनकी खदानों का पट्टा रद्द किया, इनसे जुर्माना वसूला, इन खदानों की नीलामी किया और अधिक बोली लगाने वालों को खदान देकर खनन गतिविधियाँ चालू कराया. इसके उलट झारखंड में सरकारी महकमे ने अवैध खनन को संरक्षण दिया, प्रोत्साहित किया. सत्ताषीर्श पर आसीन अधिकारियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की जानकारी में अवैध खनन होने दिया. मुख्यमंत्री ने इसमें संरक्षक की भूमिका निभाया. महाधिवक्ता को साजिश का अंग बनाया गया. जो निर्णय लेने का साहस

सरकार नहीं कर सकी, उसे भ्रामक तथ्य परोसकर न्यायपालिका से कराने की तिकड़म रची गई. अवैध खनन का जुर्माना कम कराया गया. सरकार ने जुर्माना वसूली में रुचि नहीं दिखाया. राजकीय खजाना का नुकसान किया. यह कहा जाय कि एक सुनियोजित साजिश के तहत सत्ताधारी समूह द्वारा सरकारी खजाना पर बेशर्मी से चपत लगायी गयी, राज्य की और जनता की हकमारी की गई तो अतिशयोक्ति नहीं होगी.

इस दरम्यान राज्य को हुए वित्तीय नुकसान की एवज में किसने, किस तरह, कितना फायदा उठाया, किसने कितनी दलाली खाई, इसका पता तो इस अभूतपूर्व खनन घोटाला की जाँच किसी बाह्य एजेंसी से कराने के बाद ही चलेगा परंतु इतना निश्चित है कि यह सब हुआ तथा डबल इंजन और पूर्ण बहुमत की उस सरकार में, जिसमें मैं भी एक मंत्री था, समय–समय पर मैंने आवाज उठाया, पर मेरी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज साबित हुई. मुख्यमंत्री एवं सचिव को चिट्ठियाँ लिखते–लिखते ऊँगलियाँ घिस गयी, पर जो हो रहा था वह होते ही रहा, रुका नहीं, धड़ल्ले से हुआ, खूँटा ठोक कर हुआ, बेशर्मी से हुआ. इस सरकार के मुख्यमंत्री के जानकारी में हुआ, जो हुआ उसके बारे में यही कहा जा सकता है– न भूतो न भविष्यति.

किसी राज्य में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब संविधान के नैतिक एवं सैद्धांतिक धरातल पर तन कर खड़ा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का त्रिकोण असंतुलित हो जाता है, भ्रष्ट आचरण के दबाव में डगमगाने लगता है, तन कर खड़ा होने वाले रेंगने लगते हैं. राज्य का प्राकृतिक संसाधन इसका पहला शिकार होता है. इसका खामियाजा अंततः मध्यम वर्ग के आम आदमी को भुगतना पड़ता है. कारण कि व्यवस्था तेजी से पंगु होने लगती है. विगत पाँच–छः वर्षों के काल खंड में झारखंड में ऐसा ही होते रहा है. मेड़ ही खेत को खाते रही है, रखवाले चोरों के साथ सांठ–गांठ की भूमिका निभाते रहे हैं. ऐसी प्रवृति और नमोवृति संसाधन संपन्न झारखंड के पैरों की जंजीर बन गयी है जीत और अहंकार का खामियाजा राज्य ने, जनता ने, व्यवस्था ने किस भाँति भोगता है इसकी चर्चा फिर कभी. इस संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त है कि–

माँझी जब नाव डुबोये, तो उसे कौन बचाये !

– सरयू राय

खण्ड–1

झारखंड में लौह अयस्क का अवैध खनन

सोये हुये को जगाना आसान होता है.
परंतु जो सोया नहीं है, जगा हुआ है,
सोने का स्वाँग कर रहा है,
उसे जगा पाना मुश्किल होता है.

झारखंड में 2003 और 2019 के बीच हुये लौह अयस्क खनन घोटाला पर और घोटाला के साजिशकर्ताओं पर यह कहावत सटीक बैठती है.

ऐसा नहीं कि 2003 के पहले लौह अयस्क खनन के क्षेत्र में अनियमिततायें नहीं होती थीं. खनन करने और खनन को नियंत्रित करने वाले नियम–कानून तो वही थे. एमएमडीआर एक्ट–1957, एमसी रूल्स–1960, एमसीडीआर–1988 आदि. लौह अयस्क का खनन और व्यापार करने वाले 2003 के पहले भी इन नियमों को तोड़–मरोड़कर अवैध खनन करने की यथासंभव कोशिश करते थे. 1993–94 के पहले तो पर्यावरण स्वीकृति का प्रावधान भी नहीं था. परन्तु उस समय अवैध खनन की मात्रा और अवैध खनन करनेवालों का प्रभाव काफी कम था, कारण कि केन्द्र सरकार की संस्था एमएमटीसी का इस क्षेत्र पर एकाधिकार था. इस्पात की माँग कम थी, घरेलू बाजार में भी और विदेश बाजार में भी. नतीजतन अधिकांश लौह अयस्क खनन पट्टाधारी उस समय खनन और खनिज व्यापार से पिंड छुड़ाना चाहते थे. लौह अयस्क खनन क्षेत्र में त्राहिमाम् की स्थिति थी. झारखंड में लौह अयस्क खदानों के लीजधारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी. सरकारी उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और निजी क्षेत्र के टिस्को, रुंगटा माईन्स आदि कतिपय लीजधारियों को छोड़कर बाकियों के लिये खनन क्षेत्र का लीज रेंट दे पाना मुश्किल हो रहा था. लीजधारी औने–पौने दाम में अपनी खदानों का सौदा करने के लिए तैयार थे. मगर 2002 में खनिज नीति में परिवर्तन होते ही अचानक इनके अच्छे दिन आ गये.

2002–03 में इस क्षेत्र में अचानक बड़ा बदलाव आया. भारत सरकार ने खनिज व्यापार की नीति में संशोधन कर दिया. सरकारी क्षेत्र की संस्था 'एमएमटीसी' का इस क्षेत्र के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया. खनन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के व्यवसायियों के लिये भी खोल दिया. 2002 तक लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा

केवल सरकारी लोक उपक्रमों तक ही सीमित थी. इसके बाद ''निर्यात नीति'' में संशोधन कर भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के उपक्रमों को भी निर्यात की अनुमति दे दी. नतीजा हुआ कि लौह अयस्क के खनन एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विविध प्रकार के व्यवसायिक संगठन आने लगे. इनमें ऐसे संस्थान भी थे जिनका इसके पहले लौह अयस्क के व्यवसाय से कोई लेना–देना नहीं था. नतीजतन झारखंड जैसे लौह अयस्क बहुल राज्य में लौह अयस्क के खनन एवं व्यवसाय के क्षेत्र में गलाकाट प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो गई.

संयोगवश इस क्षेत्र में अचानक बड़ा उछाल आया. पड़ोसी देश चीन में लौह अयस्क की माँग बेतहाशा बढ गई. वहाँ 8 अगस्त से 24 अगस्त, 2008 के बीच ओलम्पिक खेलों का आयोजन होने वाला था. इन खेलों के लिये महत्वाकांक्षी अधोसंरचनायें खड़ा करने के लिये इस्पात की जरूरत थी. चीन में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की मात्रा अधिक नहीं होने के कारण न्यून ग्रेड के लौह अयस्क से या लौह अयस्क धूल से इस्पात बनाने की तकनीक उन्होंने विकसित की हुई थी. भारत में यह तकनीक चलन में नहीं थी. इस्पात निर्माण के लिये उपयोग में लाई जा रही यहाँ की धमन भट्ठियाँ इस लायक नहीं थीं कि वे न्यून श्रेणी के लौह अयस्क से या लौह अयस्क धूल से इस्पात बना सकें. इस कारण चीन में उच्च एवं न्यून ग्रेड के लौह अयस्क तथा लौह अयस्क धूल की मांग पूरा करने के लिये भारत, खासकर झारखंड, के लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धा अचानक तेज हो गई. लौह अयस्क के नये क्षेत्रों पर खनन पट्टा लेने के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई.

पूंजी के अभाव में अपनी खदानों को चलाने में असमर्थ झारखंड के लौह अयस्क पट्टाधारी प्रचुर पूंजी वाले अन्य व्यवसायियों के साथ अनुबंध पत्र बनाकर अपनी खदानें उन्हें सौंपने की जुगत में लग गये. हालांकि खनिज अनुदान नियमावली–1960 के नियम–37 के अनुसार ऐसा करना गैरकानूनी था, खनन नियमों का खुला उल्लंघन था, अवैध खनन था, फिर भी सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इस ओर से आँख मूँद लिया. इनकी सांठ–गांठ से कई रसूखदार लोगों ने अपनी खदानों को सहमति/अनुबंध पत्र बनाकर दूसरों को संचालन के लिये दे दिया। लौह अयस्क का अवैध खनन एवं व्यापार धड़ल्ले से आरम्भ हो गया. सरकार न केवल इसके प्रति मूकदर्शक बनी रही बल्कि ऐसे लौह अयस्क क्षेत्रों में भी खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दिया जो या तो सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लिये आरक्षित थे या जहाँ पर सहज ही खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता था. कतिपय आवेदकों को तो ऐसे स्थानों

पर खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी गई जहाँ लौह अयस्क की मात्रा शून्य थी, वहाँ लौह अयस्क था ही नहीं. एक ऐसा उदाहरण भी सामने आया कि झारखंड सरकार ने एक व्यवसायी को ओड़िसा की भूमि पर खनन पट्टा दे दिया.

सरकार की खनिज व्यापार नीति में बदलाव के कारण विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों से जुडे. उद्यमियों ने वैध–अवैध कमाई के लिये लौह अयस्क के खनन और व्यापार क्षेत्र की ओर रूख किया. जिन्हें लौह अयस्क के खनन एवं व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, जो चमड़े का बेल्ट बनाते थे, खिलौने बनाते थे, कॉस्मेटिक्स बनाते थे या अन्य व्यवसाय करते थे उन्होंने अपनी पूंजी का मुँह इस ओर मोड़ दिया. लौह अयस्क के खनन पट्टाधारियों के पास उस समय पूंजी का घोर अभाव था. उन्होंने खनन नियमों को धत्ता बताते हुये अन्य क्षेत्रों के पूंजीधारियों के लिये पलक–पाँवड़े बिछा दिया. पूंजीविहीन खननपट्टाधारियों और अन्य क्षेत्रों के खनन अनुभवविहीन पर प्रचुर पूंजीधारी उद्यमियों के बीच साँठगाँठ का एक आकर्षक माहौल बन गया। सरकारी क्षेत्र के हुक्मरान और खनन एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के लिये इस आकर्षण के चमकीले मोहपाश से बहुत दिनों तक बचे रहना मुश्किल हो गया. बिचौलियों और परामर्शियों की बन आई. एक रूपया से तीन–चार अट्ठन्नियां बनाने का महत्वाकांक्षी फार्मूला बेचने की जुगत में कंधे से कम्प्युटर बैग लटकाये उनके एजेन्ट सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करने लगे और सरकारी हुक्मरानों को विकास की विविध एवं बहुआयामी अवधारणाओं के आलोक में खनन क्षेत्र की जरूरतों और विशेषताओं का सब्जबाग दिखाने लगे.

इस प्रक्रिया ने झारखंड की राजनीति और सरकार दोनों को प्रभावित किया. उल्लेखनीय है कि इस क्रम में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों की मजबूत उपस्थिति के बावजूद एक निर्दलीय विधायक श्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में झारखंड में साझा सरकार का गठन हुआ. इस सरकार में बड़े पैमाने पर बेलगाम भ्रष्टाचार और अनियमिततायें हुईं. गैर–संवैधानिक सत्ता के एक से अधिक केन्द्र स्थापित हो गये. इनके प्रभाव में हुये भ्रष्ट आचरण के बहुप्रचारित कारनामों के कारण झारखंड की प्रतिष्ठा देश–दुनिया में गिरी और इसकी छवि एक घोटाला वाले राज्य के रूप में बनी. झारखंड की पहचान घोटाला खंड के रूप में हो गई.

इस माहौल में झारखंड में खनन माफिया का एक सुगठित ठोस स्वरूप आकार लेने लगा. इसने खनन के नये क्षेत्र खोलने की आपाधापी को तेज गति दे दिया. बिना भूतात्विक अन्वेषण किये या फर्जी भूतात्विक अन्वेषण कराकर सारंडा

सघन वन के विभिन्न खंडों, उपखंडों में लौह अयस्क की उपलब्धता स्थापित करने की होड़ मच गई. देखते–देखते सारंडा क्षेत्र में लौह अयस्क खनन पट्टा के लिये आवेदनों की बाढ़ आ गई. स्थिति ऐसी हो गई कि इस क्षेत्र में खनन करने के लिये पड़े कुल आवेदनों के क्षेत्रफल का जोड़ सारंडा सघन वन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक हो गया.

उस समय श्री अर्जुन मुण्डा झारखंड के मुख्यमंत्री थे. इनकी साझा सरकार आकार ले रहे खनन माफिया का पहला शिकार हुई. उनके मंत्रिपरिषद में खान विभाग के मंत्री श्री मधु कोड़ा इसका सूत्रधार बने. वे लौह अयस्क बहुल क्षेत्र सारंडा के जगन्नाथपुर विधान सभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक थे. किसी कारणवश 2005 के विधान सभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया. वे निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की. झारखण्ड विधान सभा में भाजपा को बहुमत नहीं मिला. श्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में साझा सरकार बनी. श्री मधु कोड़ा ने इस साझा सरकार में खान मंत्री का पद लिया.

इस सरकार के खान विभाग ने करीब आधा दर्जन लौह अयस्क क्षेत्रों पर पट्टा देने के लिये पडे. आवेदनों को अनुशंसा के साथ भारत सरकार के खान विभाग को भेजा. ऐसा नवोदित खनन माफिया समूह के प्रभाव में हुआ. बाद में श्री मुंडा को जानकारी हुई कि इन आवेदनों पर पट्टा देने की अनुशंसा करना प्रासंगिक नियमों के अनुसार सही नहीं होगा तो जानकारी मिलते ही उन्होंने ऐसे खनन पट्टा आवेदनों की अनुशंसा को भारत सरकार से वापस मंगा लिया. यह सोये हुये को जगाने का एक सटीक उदाहरण था. गफलत और जानकारी के अभाव की नींद में सोई सरकार के मुख्यमंत्री को नियम कानून के प्रावधानों ने जगा दिया। वे जग गये. केन्द्र सरकार को प्रेषित लौह अयस्क खनन पट्टा देने के आवेदनों को उन्होंने वापस मंगा लिया. एक भारी गलती होने से बच गई. इसका खामियाजा आगे उन्हें सरकार गंवाकर भुगतनी पड़ी.

श्री अर्जुन मुंडा सरकार की यह कार्रवाई खनन माफिया को नागवार गुजरी. वे तख्ता पलट करने के लिये सक्रिय हो गये. लौह अयस्क खनन क्षेत्र की हाट गम्हरिया–बराईबुरू सड़क मुद्दा बना और मुंडा सरकार गिर गई. कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से निर्दलीय विधायक श्री मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गये. इसके बाद झारखंड सरकार के खान विभाग में मानो लूट की छूट मिल गई. झारखंड सरकार का खान विभाग लौह अयस्क का खनन और व्यापार करने वाले, खनन के

लिये काला धन का जुगाड़ करने वाले तथा काले कारनामों से पैदा हुये अवैध धन को हवाला के माध्यम से देश–विदेश के विकास बाजार में खपानेवाले माफिया समूह की गिरफ्त में आ गया. यह समूह खान विभाग की गतिविधियों में अति सक्रिय हो गया. इसका विस्तृत विवरण मेरी पुस्तक 'मधु कोड़ा लूटराज' में मौजूद है. यह पुस्तक 2012 में प्रकाशित हुई है. पुस्तक मेरे वेबसाईट www.saryuroy.in पर मौजूद है. वहाँ पर इसे देखा, पढ़ा और डाउनलोड किया जा सकता है.

❖❖❖

खण्ड – 2

शाह आयोग का गठन

2006 से 2011 के बीच खनन नियमों को ताक पर रखकर डंके की चोट पर धड़ल्ले से लौह अयस्क का अवैध खनन और व्यापार हुआ. अवैध खनन केवल झारखंड में ही नहीं हुआ. देश के अन्य लौह अयस्क बहुल राज्यों– ओड़िसा, गोवा और कर्नाटक में भी लौह अयस्क का ऐसा ही अवैध खनन हुआ. कर्नाटक, मध्यप्रदेश सहित भारत के जिन एकाध अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत कम लौह अयस्क की उपलब्धता है उन सभी राज्यों में कमोबेश एक ही पैटर्न पर अवैध खनन का सिलसिला चला. विविध सूत्रों से अवैध खनन की सूचनायें केन्द्र सरकार तक पहुँचते रही. विवेकशून्य अवैध खनन और इससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकुल प्रभाव के विरूद्ध जागरूक नागरिकों एवं पर्यावरण प्रेमियों ने आवाज उठाया. स्वयंसेवी संस्था 'युगांतर भारती' की पहल पर झारखंड में 'सारंडा संरक्षण अभियान' (Save Saranda Campaign) आरम्भ हुआ. अभियान की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई. अन्य राज्यों में भी स्वयंसेवी संगठनों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. गोवा की स्वयंसेवी संस्था 'गोवा फाउंडेशन' और ओडिसा की स्वयंसेवी संस्था 'कॉमन कॉज' जैसे जनसंगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिकायें दायर की.

केन्द्र सरकार ने अवैध खनन की जाँच कराने का निर्णय लिया और जाँच के लिये एक आयोग गठित कर दिया. यह जाँच आयोग कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट–1952 के अधीन गठित हुआ. भारत सरकार के पत्र संख्या– एस.ए. 2817 (ई.) के द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2010 को इसकी अधिसूचना जारी हुई. सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री एम. बी. शाह इस आयोग के अध्यक्ष बनाये गये. शाह आयोग ने अवैध खनन के मामलों की बारीकी से जाँच किया. आयोग को जाँचकर अनुशंसायें देने के लिये अपनी पहली बैठक के दिन से 18 माह का समय मिला था। इसकी पहली बैठक 17 जनवरी 2011 को हुई. इस प्रकार इसे 16 जुलाई 2012 तक अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देनी थी. एक बार इसकी अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई. आयोग को भारत के कतिपय राज्यों–झारखंड, ओड़िसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, और मध्य प्रदेश में अवैध खनन के आँकड़े इकट्ठा करना था, इनका विश्लेषण करना था, भारत सरकार को अवैध खनन के संबंध में

जानकारी देनी थी और कार्रवाई के बारे में सलाह देनी थी. आयोग की अवधि 16 जुलाई 2013 को समाप्त हो गई. इसने 1993–94 से 2011–12 के बीच हुये लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच किया. आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार आलोच्य अवधि में भारी पैमाना पर अवैध खनन हुआ है. इस अवधि में गोवा और ओड़िसा के लिये तो शाह आयोग ने अध्ययन एवं जाँच का विस्तृत कार्य पूरा कर दिया. परंतु झारखंड में हुये अवैध खनन की गहन जाँच करने के लिये आयोग को पूरा समय नहीं मिल पाया.

फिर भी आयोग ने अनेकों अनियमिततायें उजागर किया. शाह आयोग ने 12 अप्रैल 2012 से 15 अप्रैल 2012 तक झारखण्ड का दौरा किया और मुख्य सचिव, गृह सचिव, खान सचिव, राजस्व सचिव, वन एवं पर्यावरण सचिव आदि के साथ वार्ता किया। इसके अतिरिक्त आयोग ने जन सुनवाई भी किया और लीजधारियों के प्रतिनिधियों की बातें भी सुनी. लीजधारियों का आयोग के सामने एक ही तर्क था कि खनन से रोजगार मिलता है, इसलिये जो भी अनियमिततायें हो रही हैं उन्हें चलने देना चाहिए. आयोग ने यह सुझाव सिरे से नकार दिया और कहा कि इससे अराजकता फैल जायेगी. आयोग ने पश्चिमी सिंहभूम के कतिपय खनन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया. इसके बाद मई 2012 में आयोग ने लीजधारियों को पहली नोटिस जारी किया और अनियमितताओं के संबंध में जानकारी माँगा. इसके बाद आयोग ने अगस्त 2013 में लीजधारियों को दूसरा नोटिस भेजा और लीज की स्थिति, लीज नवीकरण की स्थिति, वन एवं पर्यावरण की शर्तों के अनुपालन की स्थिति, अतिक्रमण और अन्य अनियमितताओं की स्थिति के बारे में सवाल पूछा. इसके अतिरिक्त आयोग ने राज्य सरकार द्वारा गठित विषेशज्ञ समिति से भी प्रतिवेदन प्राप्त किया.

शिकायतों की सुनवाई और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद शाह आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि झारखंड सरकार द्वारा खनन पट्टों के नवीकरण में अप्रत्याशित विलम्ब के बावजूद लौह अयस्क एवं मैंगनीज के 26 लीजधारी खननकर्ताओं ने नियमों और शर्तों का बेतहाशा उल्लंघन किया है. झारखंड के बारे में शाह आयोग ने 4 खण्डों में अपनी जाँच रिपोर्ट 12 अक्टूबर 2013 को भारत सरकार को सौंप दिया. शाह आयोग ने अवैध खनन के उन समस्त आरोपों पर मुहर लगा दिया, जिन्हें हमलोग विगत सात वर्षों से लगातार दुहराते आ रहे थे और सरकार मौन साधे हुई थी.

शाह आयोग के प्रतिवेदन ने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह झारखंड सहित

देश के कतिपय राज्य लौह अयस्क के खनन एवं व्यापार के मामले में विधि द्वारा स्थापित नियमों का घोर उल्लंघन कर अराजकता फैला रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं मानो रखवाला ही चोर हो गया है, बाड़ ही खेत को खाने लगी है. शाह आयोग का कार्यकाल 16 जुलाई 2013 तक ही था. केन्द्र सरकार इसकी अवधि बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हुई. इसलिए आयोग पर इस दिन तक प्रतिवेदन तैयार कर काम सौंपने का बोझ था. नतीजा हुआ कि जितनी गहराई और फैलाव तक झारखण्ड में लौह अयस्क के अवैध खनन के विविध आयामों की जितनी जाँच शाह आयोग को करनी थी उतना वह नहीं कर सका. जाँच की आधी–अधूरी कार्रवाई के बीच ही उन्हें झारखण्ड में अवैध खनन के प्रतिवेदन तैयार करने पड़े. यह प्रतिवेदन उन्होंने नियत अवधि में झारखण्ड सरकार को सौंप दिया और निर्देश दिया कि प्रतिवेदन में संकेत किये गये बिन्दुओं पर राज्य की सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर ले.

शेष बचे काम को अंजाम तक पहुँचाने का निर्देश झारखंड सरकार को देकर आयोग ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया. 14 अक्तूबर 2013 को आयोग ने झारखंड में हुये अवैध खनन की जाँच संबंधी अपनी रिपोर्ट चार खंडों में दे दिया, जिस पर भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में 2 जनवरी 2014 को विचार हुआ. शाह आयोग की जाँच के निष्कर्षों पर भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार ने एक 'कृत–कार्य प्रतिवेदन' प्रस्तुत किया. भारत सरकार के खान तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने शाह आयोग के प्रतिवेदन पर गंभीर टिप्पणियां की. परन्तु झारखंड सरकार के कृत–कार्य प्रतिवेदन की भाषा टालने वाली थी. जैसे कर दिया जायेगा, विचार किया जायेगा, जाँच की जायेगी, देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, आदि–आदि. झारखंड सरकार ने कृत कार्य प्रतिवेदन के साथ न्याय नहीं किया.

❖❖❖

खण्ड–3

शाह आयोग की जाँच एवं अनुशंसायें

शाह आयोग का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तो गोवा सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया. इसने 10 सितंबर 2012 को राज्य के सभी लौह अयस्क खदानों में चल रहे खनन कार्य तत्काल निलंबित कर दिया. दो दिन बाद 12 सितंबर 2012 को गोवा के जिला दंडाधिकारी ने खदानों से निकाले गये लौह अयस्क भंडार को जब्त कर लिया. 14 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने इन खदानों को दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर दिया.

शाह आयोग ने झारखंड मे हुई लौह अयस्क खनन की अनियमितताओं की जाँच मार्च 2011 में शुरू किया था. आयोग ने मार्च 2011 में झारखंड सरकार के खान विभाग के सचिव को एक प्रश्नावली भेजा और खदानों की वैधानिक स्थिति, उत्पादन एवं निर्यात आदि से संबंधित 5 सूचनायें माँगा. 14 प्रश्नों की दूसरी प्रश्नावली विभागीय सचिव को पत्र के माध्यम से 24 अप्रैल 2011 को भेजा. इसके बाद 12 अप्रैल 2012 को आयोग की टीम राँची पहुँची. मुख्य सचिव, गृह, खान, वन एवं पर्यावरण, राजस्व आदि विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें की. तदुपरांत आयोग ने राँची और चाईबासा में जन सुनवाई किया और खननकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता किया. जाँच आयोग ने सबके समक्ष उन बिन्दुओं एवं गतिविधियों को स्पष्ट किया जो आयोग के गठन के लिये जारी अधिसूचना में अंकित थे और जिनके माध्यम से अवैध खनन को परिभाषित किया गया था. लीजधारी खननकर्ताओं ने आयोग के सामने एक ही तर्क जोरदार तरीका से रखा कि खनन से बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है. इसलिये खनन में जो भी अनियमिततायें हो रही हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जाय और चलने दिया जाय। आयोग ने उनका यह सुझाव सिरे से नकार दिया और कहा कि इससे अराजकता फैल जायेगी.

आयोग ने 12 अप्रैल 2012 से 15 अप्रैल 2012 तक पश्चिमी सिंहभूम जिला के कतिपय खनन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया. पश्चिमी सिंहभूम के जिलाधिकारी आयोग के सामने जानकारियाँ रखने के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त थे. आयोग के पास समय की कमी थी. आयोग का गठन 22 नवम्बर, 2010 को हुआ था. इसका कार्यकाल पहली बैठक से डेढ़ साल का था. बाद में इसका कार्यकाल एक वर्ष

और बढ़ा. इस हिसाब से इसका कार्यकाल 16 जुलाई 2013 को समाप्त हो रहा था. इसके पूर्व आयोग को झारखंड में लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच करनी थी तथा गोवा और ओडिशा के साथ ही झारखंड का जाँच प्रतिवेदन भी सौंप देना था. इस कारण शाह आयोग को जितने विस्तार और गहराई में जाकर झारखंड में लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच करनी थी वह नहीं हो सका. आयोग ने झारखण्ड में हुये अवैध खनन का प्रतिवेदन 14 अक्टूबर 2013 को दे दिया और जांच की कतिपय जिम्मेदारियाँ झारखंड सरकार पर छोड़ दिया. फिर भी झारखंड में अवैध खनन के संदर्भ मे शाह आयोग की अनुशंसायें आँखें खोलने वाली है. इसने झारखंड में लौह अयस्क के अवैध खनन का पूरी तस्वीर अपने प्रतिवेदन में उकेर कर रख दिया है.

14 अक्टूबर 2013 को सौंपी गई झारखंड के अवैध खनन के बारे में शाह आयोग की रिपोर्ट 4 खंडों में है. पहले खंड में अवैध खनन के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि झारखंड में अवैध खनन करने के लिये कौन–कौन तरीके अपनाये गये हैं. ये तरीके निम्नांकित हैं :–

1. बिना खनन पट्टा के खनन करना,
2. जितना क्षेत्र पर खनन पट्टा मिला है उससे अधिक क्षेत्र पर खनन करना,
3. किसी पट्टा क्षेत्र पर राज्य सरकार से खनिज समानुदान हस्तांतरण की अनुमति लिये बिना खनन करना,
4. बिना किसी वैधानिक अधिकार के खनन करना,
5. खनिज की मात्रा और श्रेणी के अनुरूप रायल्टी दिये बिना खनन करना,
6. खनन प्लान के विपरीत खनन करना,
7. वैध दस्तावेज यानी खनन चालान के बिना खनिज की ढुलाई करना,
8. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कानूनों का उलंघन कर खनन करना एवं खनिज का अवैध परिवहन करना,
9. खनिज का स्रोत बताये बिना बार बार उसे खरीदना–बेचना,
10. खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन करना और इसे छुपाने के लिये दस्तावेजों में हेराफेरी करना,
11. खनिज के खनन, परिवहन, व्यापार और निर्यात के लिये जाली कागजातों का प्रयोग करना,

12. वैध कागजातों का एक से अधिक बार दुरूपयोग करना, चालान एवं अन्य दस्तावेजों में जालसाजी करना.

इस संबंध में आयोग ने राज्य सरकार द्वारा 27 अगस्त 2011 को अधिसूचित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण किया और सारंडा सघन वन क्षेत्र में दिये गये खनन पट्टों का प्रतिकुल प्रभाव, सघन वनों में वृक्षों की कटाई, इसका पर्यावरण पर असर, वन्यजीवों के मुद्दे, जैवविविधता पर प्रतिकुल प्रभाव, नदियों पर कुप्रभाव, जल प्रदूषण आदि पर भी विचार किया. राज्य सरकार, पट्टाधारियों, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय खनन ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त सैटेलाइट तस्वीरों से प्राप्त जानकारियों का उपयोग भी आयोग ने किया और इनका विश्लेषण कर अवैध खनन का पता लगाया. खनन क्षेत्रों में, खासकर झारखंड–ओडिशा सीमा पर स्थापित क्रशर मशीनों के वैध–अवैध परिचालन की अवैध खनन में भूमिका पर भी आयोग ने विचार किया.

आयोग ने पाया कि लौह अयस्क खनन पट्टाधारियों और झारखंड सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से खनिज समुदान नियमावली– 1960 के नियम– 24, 28 एवं 37 के प्रासंगिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन और दुरूपयोग कर बड़े पैमाना पर अवैध खनन हुआ है. इसी तरह अवैध खनन करने के लिये खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली–1988 के नियम–10 और नियम– 12 का भी कदम–कदम पर दुरूपयोग और उल्लंघन किया गया है. मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुँचाने के लिये राज्य की जनता के अधिकारों पर तथा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों पर कुठाराघात किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पिछले 50 वर्षों मे जो नहीं हुआ वह 2000 से 2011 में खासकर 2005 से 2011 के 6 वर्षों में, अवैध खनन की कारगुजारियों ने कर दिखाया.

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यही स्थिति रही तो फिलहाल झारखंड में कार्यरत 23 लौह अयस्क खदानों में से 5 खदानें 10 साल के भीतर, 14 खदानें 11 से 30 साल के भीतर और 4 खदानें 31 से 44 साल के भीतर समाप्त हो जायेंगी. ऐसे ही चलता रहा तो झारखंड का मूल्यवान लौह अयस्क अगले 43 वर्षों में समाप्त हो जायेगा और इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध 'सारंडा सघन वन' का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा, वन्यजीव पलायन कर जायेंगे, जलस्रोत विनष्ट हो जायेंगे.

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में झारखंड में चल रही एक–एक खदानों की स्थिति और उनमें हुये और हो रहे अवैध खनन के बारे में विस्तार से जिक्र किया है और

कहा है कि यहाँ की 21 लौह अयस्क खदानों में तो बड़े पैमाने पर अनियमिततायें हुई हैं, अवैध क्रियाकलाप हुये हैं. यह सब राज्य सरकार, भारत सरकार, भारतीय खनन ब्यूरो आदि संस्थानों के अधिकारियों की जानकारी में और उनकी मिलीभगत से हुआ है. आयोग ने इस संबंध में समय–समय पर दिये गये इनके प्रतिवेदनों और इनके द्वारा लिये गये गैरकानूनी निर्णयों को अपनी अनुशंसाओं का आधार बनाया है. कुल मिलाकर जस्टिस एम.बी. शाह आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अवैध खनन की मात्रा, खनन की स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन, खनन पर नियंत्रण रखने के लिये राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, भारतीय खनन ब्यूरो के अधिकारियों की भूमिका को चिन्हित किया है और कहा है कि इन अधिकारियों ने ही स्वीकृत मात्रा से काफी अधिक मात्रा में खनन को नजरअंदाज किया है और अनियमितताओं पर मुहर लगाया है. ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा आयोग ने किया है.

आयोग ने बताया है कि झारखण्ड में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957, खनिज समुदान नियमावली–1966, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के नियम–1988 के विभिन्न नियमों–उपनियमों का खुला उल्लंघन कर खनन किया गया है. इसके अतिरिक्त वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर इस कदर बेतरतीब और विवेकहीन अवैध खनन हुआ है कि सारंडा सघन वन और वहाँ मौजूद वन्यजीवों, विशेषकर हाथियों एवं नदियों सहित अन्य जल स्रोतों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. अपने लाभ–लोभ और मुनाफाखोरी के निहित स्वार्थ में सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्यमों, परिवहनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और अनियमितता का जैसा खेल किया है और जिस बड़े पैमाना पर सुनियोजित तरीका से अवैध खनन किया है उसका रोंगटे खड़ा कर देने वाला जिक्र उदाहरणों और प्रमाणों के साथ न्यायमूर्ति शाह आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किया है.

आयोग ने सरकारी दस्तावेजों से लिये गये विश्वसनीय आँकड़ों के आधार पर साबित कर दिया है कि विभिन्न उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों एवं सरकार में शामिल राजनीतिज्ञों की सांठगांठ से वर्ष 2003 और 2011 के बीच झारखंड में करीब 29,54,529 (29 लाख 54 हजार 5 सौ उन्तीस) मीट्रिक टन लौह अयस्क का अवैध खनन और व्यापार हुआ है. इसके लिए मेसर्स शाह ब्रदर्स पर 1243.94 करोड़ रूपये और कुल मिलाकर अवैध खननकर्ताओं पर 22,000 करोड़ रूपये का

जुर्माना आयोग ने लगाया. आयोग ने अवैध खनन की मात्रा की कीमत का शत–प्रतिशत आईबीएम मूल्य और इस मूल्य पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के बराबर आर्थिक जुर्माना अवैध खनन करनेवाले पट्टाधारियों पर लगाया. आयोग ने अवैध खनन के कारण सारंडा वन के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा यहाँ के वन्य जीवों एवं जैव–विविधता पर होनेवाले दुष्प्रभाव का ब्यौरा भी अपने प्रतिवेदन में दिया और अवैध खननकर्ताओं पर लगे जुर्माना की वसूली करने तथा इससे संबंधित सरकारी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार को अधिकृत किया. आयोग के इस निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी ही राहत अवैध खनन करने वालों को दिया कि जुर्माना में जोड़े गये ब्याज की राशि को माफ कर दिया. परंतु सख्त निर्देश दिया कि अवैध खनन करने वाले उद्यमी जुर्माना की राशि का भुगतान एकमुश्त करेंगे. इन्हें किश्तों में जुर्माना भुगतान की छूट नहीं दी जायेगी.

शाह आयोग ने 14 अक्टूबर, 2013 को झारखंड संबंधी अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दिया, जिसकी प्रति झारखण्ड सरकार को भी दिया. शाह आयोग ने अपने जाँच प्रतिवेदन पर भारत सरकार और राज्य सरकार का मंतव्य माँगा था. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दिये गये मंतव्य के आधार पर आयोग ने एक 'कृत कार्य प्रतिवेदन' तैयार किया. कृत कार्य प्रतिवेदन में आयोग की अनुशंसा और उनपर केन्द्र सरकार और झारखंड सरकार का मंतव्य संकलित है. झारखंड में हुए लौह अयस्क के अवैध खनन के संबंध में आयोग के मंतव्य एवं सुझाव निम्नवत है :–

1. खनन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खनन संबंधी समस्त सूचनाएँ सरकार के वेबसाईट में दी जाएं. वन स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति का समावेश इसमें किया जाय.
2. अवैध खनन की सूचना देनेवालों को ईनाम देने की नीति बनाई जाए और इनकी पहचान गुप्त रखी जाए.
3. (क) एमएमडीआर एक्ट–1957 एवं संबद्ध नियमों की सुनियोजित तरीके से अवहेलना हो रही है। झारखण्ड में चल रहे 42 खनन पट्टों में से लौह अयस्क/मैंगनीज के 40 खनन पट्टे लम्बे समय से डीम्ड एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, जिनका पट्टा अबतक समाप्त हो जाना चाहिए था. इनमें से 24 पट्टे ऐसे हैं जो कानून के अनुसार अवैध हैं.

(ख) खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम 24ए का घोर दुरूपयोग हो रहा है, जिसमें डीम्ड एक्सटेंशन और डिम्ड रियूजल का प्रावधान दिनांक 27.09.1994 के पहले से है.

(ग) खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम 24ए(5) में डिम्ड रियूजल का प्रावधान होने के बावजूद 40 खदानें डीम्ड एक्सटेंशन पर चल रही हैं. 3 खनन पट्टे ऐसे हैं, जिनका नवीकरण आवेदन खारिज हो चुका है. यह तो झारखंड के अधिकारी ही बता सकते है कि डीम्ड एक्सटेंशन के आवेदन का कालबद्ध निष्पादन झारखण्ड में क्यों नहीं हो रहा है? इस कारण दिनांक 27.01.1994 के बाद बिना पर्यावरण स्वीकृति और बिना वन स्वीकृति के लौह अयस्क खदानें चल रही हैं.

(घ) चाईना बूम के समय ऊँचे दर पर लौह अयस्क का निर्यात करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. नि:संदेह 18 खननपट्टों को बिना वन स्वीकृति और पर्यावरण स्वीकृति के चलते रहने की अनुमति दी गई है.

4. झारखण्ड सरकार ने ऐसे 24 पट्टों की सूची दी है, जो अवैध रूप से चल रहे हैं और जिनका पट्टा 1993 में समाप्त हो गया है. इनके द्वारा किया गया उत्पादन अवैध है.

5. नियमों की अवहेलना करके अवैध खनन को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देनेवाले अधिकारियों के विरूद्ध झारखण्ड सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करे. इन 24 पट्टों का कुल क्षेत्रफल 8897.84 हेक्टेयर है, जिसमें से हेक्टेयर हे. वन भूमि है. सारंडा वन की इस भूमि पर नये खनन पट्टे लेने के बदले में इन पट्टों को समाप्त कर दिया जाए.

6. खनन पट्टों के नवीकरण के लिए पट्टा की समाप्ति के 24 महीना पहले 'फॉर्म–जे' जमा होना चाहिए. नवीकरण आवेदन का निष्पादन पट्टा समाप्त होने के एक वर्ष पहले प्रथम नवीकरण के लिये 2 वर्ष पहले तथा द्वितीय एवं तृतीय नवीकरण के लिए भी दो वर्ष पहले निष्पादन हो जाना चाहिए. यदि नवीकरण आवेदन निर्धारित समय के भीतर नहीं होता है तो उसे अस्वीकृत मान लिया जाना चाहिए.

7. खनन पट्टा देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाय. इसके लिए आवश्यकतानुसार नियम में परिवर्तन किया जाए. इसके लिए गठित समिति में

खान विभाग, राजस्व विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को रखा जाए. इससे खनन पट्टा देने में भ्रष्टाचार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. राज्य सरकार को यह अधिकार मिले कि खनन पट्टा की पहली अवधि पूरा होने के बाद वह उस पट्टा को वापस ले सके.

8. झारखण्ड में 5 खदानें दस वर्ष में, 14 खदानें 11 से 30 वर्ष के भीतर एवं 4 खदान 31 से 44 वर्ष के भीतर समाप्त हो जायेंगी. राज्य की 21 खदानें ऐसी है जिनके माईनिंग प्लान को आईबीएम ने बीच में ही बदल दिया है. इनमें से 6 लौह अयस्क खदानों का माईनिंग प्लान दो बार बदला गया है. 8 खदानों में मध्यवर्ती उत्पादन बढ़ाने के लिए माईनिंग प्लान में बदलाव किया गया है. यह सक्षम प्राधिकार से बिना सहमति लिये किया गया है. यह शक्ति, अधिकार और नियम का घोर दुरूपयोग है. इनके अतिरिक्त 8 लौह अयस्क खदानों के माईनिंग प्लान में भूतलक्षी प्रभाव से बदलाव किया गया है. यह खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम 24ए(6) का खुला उल्लंघन है. खनिज संरक्षण एवं विकास अधिनियम–1988 के नियम 10 और 12 का घोर दुरूपयोग हुआ है. इसके लिए उन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने ऐसा किया है.

9. इसके साथ ही 24 खनन पट्टों की उत्पादन सीमा 56.11 लाख टन से बढ़ा कर 608.76 लाख टन कर दी गई है. शाह आयोग ने इसकी जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराने का सुझाव दिया है. आयोग के अनुसार राज्य के 34 लौह अयस्क खदानों से करीब 73.26 लाख टन खनन करने की अनुमति आईबीएम ने माइनिंग प्लान के अनुसार दिया है, इनमें से 24 खनन पट्टों की उत्पादन सीमा 56.112 लाख टन से बढ़ा कर 608.7589 लाख टन कर दी गई है. ऐसी स्थिति में झारखंड में अधिकतम 42 वर्ष के भीतर अच्छे क्वालिटी का लौह अयस्क भंडार समाप्त हो जाएगा.

10. अविवेकपूर्ण तरीका से खनन सीमा में वृद्धि करते समय किसी ने भी ये ध्यान नहीं रखा है कि–

    (क) लौह अयस्क भंडार का सरंक्षण अगली पीढ़ी के उपयोग के लिए करना आवश्यक है. उत्पादन सीमा का वृद्धि का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा.

(ख) वैधानिक खनन की अवधारणा की घोर उपेक्षा हुई है. खनन प्लान में संशोधन केवल खान महानियंत्रक के स्तर से ही हो सकता है.

आयोग ने कहा है कि झारखंड के खान विभाग दिये गए आँकड़ों के अनुसार मैंगनीज का अवैध खनन झारखंड में लौट गया एवं यह खनन बिना पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये हुआ है अथवा स्वीकृति सीमा से अधिक खनन करके ये लौह अयस्क के अवैध खनन की कुल कीमत आयोग ने करीब 14,403 करोड़ रूपया और मैंगनीज अयस्क की कीमत करीब 138 करोड़ रुपया लगाया है.

चार खंडो में दिए गए अपने विस्तृत जाँच प्रतिवेदन में शाह आयोग ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957, खनिज समानुदान नियमावली–1960 और खनिज संरक्षण एवं विकास अधिनियम–1988 के विभिन्न नियमों का खुला उल्लंघन कर झारखंड में हुए अन्धाधुंध अवैध खनन को उजागार किया है साथ ही सारंडा सघन वन क्षेत्र पर तथा वहाँ के वन्य जीवों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख भी किया है. आयोग ने झारखंड सरकार और आईबीएम के उन अधिकारियों को पदेन चिन्हित किया है जिन्होंने विभिन्न नियमों का खुला उल्लंघन कर अवैध खनन को प्रोत्साहित किया है.

आयोग ने टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इलेक्ट्रोस्टील, सेसा गोवा एवं कतिपय अन्य उद्योगों को सरकार द्वारा सारंडा सघन वन क्षेत्र में खनन पट्टा देने की स्वीकृति के बारे में भी अपना ठोस अभिमत व्यक्त किया है और बताया है कि इन्हें खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा इस क्षेत्र को अक्षुण्ण वन क्षेत्र (Vergin Forest Area) रहने दिया जाना चाहिए.

भारत सरकार ने शाह आयोग की अनुशंसाओं की प्रत्येक कंडिका पर अपना विस्तृत विचार दिया है और यथासंभव कार्रवाई किया है. उदाहरण के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में जनवरी 2015 में अध्यादेश लाकर संशोधित किया और मार्च 2015 में इसे अधिनियमित किया. 2016 में खनिज समानुदान नियमावली–1960के कतिपय नियमों में संशोधन किया । सर्वोच्च न्यायालय ने भी इससे संबंधित विभिन्न रिट याचिकाओं पर 2014 से 2016 के बीच दूरगामी प्रभाव डालने वाले फैसले दिया. परंतु झारखंड सरकार ने शाह आयोग की प्राय: सभी अनुशंसाओं के बारे में यही कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी, विभिन्न नियमों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिला खनन पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा जाएगा और उसके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई

की जाएगी. झारखंड खनिज विकास नियमावली–2007 में ओडिसा के अनुरूप सशोधन किया जाएगा, अवैध खनन की कीमत वसूलने के लिए मांग पत्र जारी किया जाएगा एवं अन्य आवश्यक कार्रवाईयाँ की जाएगी.

जस्टिस एम.बी. शाह आयोग ने 14 अक्टूबर 2013 को झारखंड में हुए अवैध खनन की रिपोर्ट भारत सरकार और झारखंड सरकार को दिया था. झारखंड की तत्कालीन सरकार ने शाह आयोग की अनुशंसाओं पर दिए गए अपने कृत कार्य प्रतिवेदन में जाँच करने, कार्रवाई करने एवं वसूली के लिए माँग पत्र जारी करने आदि का जो आश्वासन दिया था, उसके अनुसार 5–2–2015 को अनियमित खनन करने वालों को वसूली का मांग पत्र भेजा जो बाद में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसने 20 सितंबर 2014 को अपनी जाँच रिपोर्ट दे दिया. इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने तथा झारखंड सरकार द्वारा गठित एक अन्य समिति ने भी निर्देशानुसार अपने प्रतिवेदन राज्य सरकार को 2015 में समर्पित किया. जिनके आलोक में तत्कालीन राज्य सरकार को अवैध खनन के दोषियों पर करवाई करनी थी और शाह आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना वसूलना था. इन समितियों के जाँच प्रतिवेदन क्रम अनुसार आगे के खंडों में दिए जा रहे हैं.

❖❖❖

खण्ड–4

पाँच सदस्यीय जाँच समिति का प्रतिवेदन

एम.बी. शाह आयोग की अनुशंसाओं पर तैयार कृत कार्रवाई प्रतिवेदन में सभी बिन्दुओं पर झारखण्ड सरकार ने यही कहा है कि– ''देखा जायेगा, नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी, समीक्षा की जायेगी, अवैध खनन की जुर्माना की वसूली के लिए मांग भेजी जायेगी, दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी, आदि–आदि.'' आयोग ने झारखण्ड में अवैध खनन के बारे में अपना जाँच प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2013 को सौंपा था.

इसके बाद झारखंड सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957, खनिज समानुदान नियमावली– 1960, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली–1988 के सुसंगत नियमों का उल्लंघन करने, इनके विपरीत कार्य करने वाले खनन पट्टाधारियों को चिन्हित करने एवं खनन पट्टास्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु विभागीय पदाधिकारियों की एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। जाँच समिति का गठन 09.06.2014 को हुआ. समिति की संरचना निम्नवत है :–

i.	श्री भी.एन. बैठा	– अपर निदेशक, खान, राँची	अध्यक्ष
ii.	श्री शंकर कुमार सिन्हा	– उप निदेशक, खान, हजारीबाग	सदस्य
iii.	श्री बद्री प्रसाद	– उप निदेशक, खान, कोल्हान	सदस्य
iv.	श्री अशोक कुमार मंडल	– उप निदेशक, खान, दुमका	सदस्य
v.	श्री कमलेश्वरी दास	– उप निदेशक, खान, धनबाद	सदस्य

जाँच समिति ने 20.09.2014 को अपना जाँच प्रतिवेदन झारखण्ड सरकार को सौंप दिया. इसके अनुसार समिति ने अपने प्रतिवेदन में 18 खनन पट्टाधारियों द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 तथा खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम–37, 28/28ए एवं अन्य नियमों के उल्लंघन की जाँच किया. जाँच में प्राय: सभी पट्टाधारियों द्वारा खनिज समानुदान नियमावली के नियम– 28/28ए के उल्लंघन का दोषी पाया. जाँच समिति ने कई पट्टाधारियों को नियम–37 के उल्लंघन का भी प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया. परंतु नियम–37 का उल्लंघन स्थापित करने के लिये इन्होंने इनके बैंक खाता, आयकर, बिक्री कर भुगतान की जाँच नहीं किया. जाँच प्रतिवेदन में केवल इतना ही कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वर्ष

1996 से अबतक 'खनन से संबंधित लेखा विवरणी एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच कंपनी सेक्रेटरी/चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराया जाना उचित प्रतीत होता है. विदित हो कि आगे यह जाँच न की गई, न कराई गई.

इस समिति का कार्यकाल एक माह का था. 20 सितम्बर 2014 को दिये समिति के प्रतिवेदन में विभिन्न खनन पट्टाधारियों द्वारा की गई अनियमितताओं का विस्तार से वर्णन है. समिति ने लौह अयस्क के खनन पट्टेधारियों से संबंधित सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र में सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया. सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा से प्राप्त सूचनाओं एवं उपस्थापित अभिलेखों के आधार पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–37 एवं 28/28ए के संबंध में पट्टेधारीवार प्रतिवेदन निम्नवत है :–

1. देवका बाई भेलजी :

पट्टेधारी देवका बाई भेलजी की मृत्यु दिनांक– 29.04.1996 में होने की सूचना है. तत्पश्चात इनके तथाकथित उत्तराधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों/समूहों को पी.ओ.ए. (पावर ऑफ अटॉर्नी) देने के लिये खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम– 37 के अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है. माईनिंग प्लान, वन भूमि की पूर्वानुमति, पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC), आई.बी.एम. आदि के कागजात मृत पट्टाधारी के नाम से निर्गत है. पट्टाधारी की मृत्यु के पश्चात Individual से मेसर्स होने की सूचना नहीं है. खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम 28/28ए के उल्लंघन के लिए सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया है, इसका उत्तर अप्राप्त है.

वर्ष 1996 के उपरांत पावर ऑफ अटॉर्नी की जाँच से नियम–37 का उल्लंघन प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है.

खनन से संबंधित लेखा विवरणी एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच वर्ष 1996 से अबतक कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

2. पदम कुमार जैन :

श्री पदम कुमार जैन द्वारा पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा–ठाकुरानी एवं

राजाबेरा में क्रमश: 84.68 हेक्टेयर तथा 41.639 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क के दो खनन पट्टा धारित किये गये हैं. जिसमें मौजा– राजाबेड़ा में धारित खनन पट्टा वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक एवं वर्ष 2011 से अबतक खनन कार्य बंद है, जिसके विरूद्ध सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने अपने ज्ञापांक– 1029/एम. दिनांक 02.07.2014 द्वारा खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम– 28/28ए के अंतर्गत वैधानिक नोटिस दिया है.

सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने अपने पत्रांक 1212/एम.दिनांक 02.08.2014 द्वारा श्री पदम कुमार जैन द्वारा ठकुरानी लौह अयस्क खनन पट्टे के संबंध में खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम 37 का उल्लंघन किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है. जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री पदम कुमार जैन द्वारा इनके खनन पट्टा क्षेत्र में उत्पादन, प्रेषण तथा खनिजों के परिवहन हेतु विभिन्न तिथियों में Raising Contractor के रूप में श्री कमलदेव शर्मा, सर्वश्री के.डी.एस. Contractor प्रा. लि., गुरूनानक रोड लाईन्स तथा ओरिएन्ट रिसोर्सेस को नियुक्त किया गया है. इन Contractors के द्वारा खनिजों के उत्पादन के पश्चात् उनके द्वारा समर्पित किये गये बिल/विपत्र का भुगतान पट्टेधारी श्री जैन के द्वारा किया गया है. सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1151/एम., दिनांक 01.06.2010 द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्त्ता एक Raising Contractor हैं.

इसी प्रकार उपायुक्त, चाईबासा को अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर द्वारा उनके पत्रांक 687, दिनांक 13.11.2013 द्वारा सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर द्वारा संयुक्त रूप से जाँच प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें श्री के.डी. शर्मा तथा रजत मिनरल प्रा. लि. द्वारा लगाये गये आरोप को खनिज समानुदान नियमावली, 1960 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन विचारणीय नहीं बतलाया गया है. जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा के पत्रांक 81/एम. दिनांक 15.01.2009 द्वारा उपायुक्त, चाईबासा को लिखे गये पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री जैन के द्वारा उनके खनन पट्टा क्षेत्र में माईन्स मैनेजर की नियुक्ति तथा अन्य केन्द्र सरकार के विभागों यथा डी.जी.एम.एस.,

आई.बी.एम., पी.एफ., एक्सप्लोसिव ऑथरिटी के समक्ष अनुज्ञप्ति/रिपोर्ट रिटर्न श्री जैन के द्वारा दाखिल की जाती है.

सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री जैन के द्वारा प्रथम द्रष्टया खनिज समानुदान नियमवाली, 1960 के नियम–37 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। फिर भी श्री जैन का खनन से संबंधित लेखा विवरणी एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच वर्ष 2000 से अबतक कंपनी सेक्रेटरी/चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना उचित प्रतीत होता है.

3. सर्वश्री रामेश्वर जूट लिमिटेड :

पट्टेधारी सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल्स लिमिटेड द्वारा इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स को दाखिल एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान में पट्टेधारी के पत्राचार का पता rjm.barbil@adityabirla.com अंकित है. माईनिंग प्लान में अंकित डायरेक्टर एवं नोमिनेटेड ऑनर श्री एच.सी. डागा, सर्वश्री एस्सेल माईनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. (आदित्य बिरला ग्रुप) के अधिकारी है.

जिला खनन कार्यालय, चाईबासा द्वारा निर्गत खनिज विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या–68/एस.बी.एम./2008–09 मेसर्स सनबीम ट्रेडिंग एण्ड इन्भेस्टमेंट प्राईवेट लि. (आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी–एस्सेल माईनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. की सहयोगी कंपनी) द्वारा सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल्स के खनन पट्टों से उत्पादित लौह अयस्क की बिक्री एवं व्यापार करती रही है. पट्टेधारी सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल्स के वार्षिक लेखा विवरणी 2012–13 के पृष्ठ संख्या–21 में सर्वश्री एस्सेल माईनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा निवेश की सूचना अंकित है।

जाँच से विदित होता है कि पट्टेधारी सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल्स का कार्यालय बड़बील स्थित सर्वश्री एस्सेल माईनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. के कार्यालय परिसर के भीतर अवस्थित है. उपरोक्त तथ्यों से मिनरल कॉनसेशन रूल्स, 1960 के नियम–37 का उल्लंघन प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है.

वर्णित परिस्थिति में पट्टेधारी सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल्स से उनके सर्वश्री एस्सेल माईनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. से संबंधी/एग्रीमेंट/पावर ऑफ अटॉर्नी इत्यादि की प्रति शपथपत्र के माध्यम से प्राप्त कर तथा खनन से संबंधित लेखा विवरणी एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच वर्ष 2000 से अब तक कम्पनी

सेक्रेटरी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना उचित प्रतीत होता है.

4. सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरलस प्रा. लि. :

इस पट्टा के वित्तीय वर्ष 1998–99 से सितम्बर, 2008 तक खनन कार्य बंद रहने की सूचना जिला खनन कार्यालय, चाईबासा द्वारा दी गई. अभिलेख के अनुसार बंद रहने के कारण खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन है.

ओ.एम.एम. मिनरल्स से संबंधित कागजात यथा–S.R. Batliboi & Company चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रतिवेदन दिनांक 20.05.2011 के अनुसार ओ.एम.एम. की होल्डिंग कंपनी आधुनिक मेटोलिक्स लि. बताया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि पट्टेधारी सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरल्स लि. कंपनी वर्तमान में आधुनिक मेटेलिक्स के अंतर्गत है.

वर्ष 2007 में सर्वश्री आधुनिक मेटालिक्स लि. द्वारा पट्टेधारी कंपनी सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. का क्रय 70.00 करोड़ रूपये में किये जाने की सूचना इन्टरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों में अंकित है. पुन: इंटरनेट पर उपलब्ध पट्टेधारी सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. की लेखा विवरणी 2010–11 में आधुनिक मेटालिक्स लि. को पट्टेधारी सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. का होल्डिंग कम्पनी अंकित किया गया है.

खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–37 (2) के तृतीय परन्तुक के अंतर्गत ऐसे किसी कंपनी क्रय–विक्रय में प्रिमियम का लेना खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–37 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन होगा, जिसकी दस्तावेजी जाँच हेतु पट्टेधारी सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. तथा क्रेता सर्वश्री आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड के वर्ष 2007 के लेखा विवरणी की जाँच इस आशय से की जा सकती है कि इस खरीद–बिक्री में खनन पट्टे पर किये गये व्यय के अतिरिक्त प्रिमियम का लेन–देन हुआ है अथवा नहीं ?

5. सर्वश्री सिंहभूम मिनरल कंपनी, करमपदा :

सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने अपने पत्रांक 1212/एम., दिनांक 02.08.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि इनके कार्यालय पत्रांक 1047/

एम. दिनांक 04.07.2014 द्वारा खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–37 के उल्लंघन के संबंध में पट्टेधारी को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका अनुपालन कंपनी द्वारा नहीं किया गया है.

सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उनके कार्यालय द्वारा खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–37 के उल्लंघन के संबंध में प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय स्तर से अपर मुख्य सचिव, खान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जाँच करायी गयी है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय स्तर पर संधारित संचिका में उपलब्ध है. सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने यह भी बतलाया है कि मुख्यालय स्तर की इस जाँच में सर्वश्री झारखण्ड खनिज विकास निगम लि., राँची के चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सहायता भी विभाग द्वारा ली गयी है.

खनन से संबंधित लेखा विवरणी एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच वर्ष 2000 से अब तक कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना उचित प्रतीत होता है.

6. सर्वश्री निर्मल कुमार प्रदीप कुमार, घाटकुरी :

सर्वश्री निर्मल कुमार, प्रदीप कुमार, चाईबासा जिलान्तर्गत मौजा– घाटकुरी, आर.एफ. एवं नोवामुण्डी में क्रमश: 149.74 हेक्टेयर तथा 66.78 हेक्टेयर पर लौह अयस्क के खनन पट्टा धारित है। सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने बतलाया कि घाटकुरी स्थित खनन पट्टा अगस्त, 2013 तथा नोवामुण्डी दिसम्बर, 2010 से बंद है. जिसके लिए खनिज समानुदान नियमावली 1960 के नियम–28/28ए के उल्लंघन हेतु कार्यालय से कारण पृच्छा निर्गत है.

जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा के पत्रांक 1166/एम., दिनांक 05.07.2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वश्री टोरियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के माध्यम से सर्वश्री निर्मल कुमार, प्रदीप कुमार द्वारा धारित खनन पट्टा संचालन किये जाने के कारण विभाग के सरकार के उप सचिव के पत्रांक 1541/एम., दिनांक 22.05.2006 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस निर्गत है.

खनन से संबंधित लेखा विवरणी एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच वर्ष 2000 से अबतक कंपनी सेक्रेटरी/चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना उचित प्रतीत होता है.

7. खुशहाल अर्जुन राठौर :

दिनांक 11.11.1999 से खनन कार्य बंद है. कार्यालय पत्रांक 1030/एम,

दिनांक 02.07.2014 के द्वारा 28/28ए के उल्लंघन का नोटिस निर्गत है.

इस पट्टा के संबंध में खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–37 एवं अन्य प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, चाईबासा से अबतक अप्राप्त है.

8. मिश्री लाल जैन :

इस पट्टा क्षेत्र में अगस्त 2004 से फरवरी, 2008 तक खनन कार्य बंद रहने की सूचना है। इस खनन पट्टा के बावत उक्त अवधि के लिए खनिज समुनदान नियमावली, 1960 के नियम–28/28ए का उल्लंघन का मामला बनता है। जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा समिति को इस संबंध में प्रतिवेदन/कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया.

9. मेसर्स खटाउ लिलाधर ठक्कर :

सहायक खनन पदाधिकारी ने बतलाया कि यह खनन पट्टा जून, 2012 से बंद है. खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम– 28/28ए का उल्लंघन के बावत नोटिस निर्गत है।

10. श्री अनिल खीरवाल :

इस पट्टा में फरवरी, 2006 से दिसम्बर, 2010 तक खनन कार्य बंद रहा, जिसके लिए खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–28/28ए के उल्लंघन का मामला बनता है. वर्तमान में यह पट्टा कार्यरत है.

11. मेसर्स आर. मैक्डिल एण्ड कंपनी :

इस पट्टा में दिनांक 10.05.1996 से खनन कार्य बंद है. खनिज समानुदान नियमावली 1960 के नियम–28/28ए के प्रावधानों के तहत नोटिस निर्गत है.

12. रूंगटा माईन्स लिमिटेड :

रूंगटा माईन्स के द्वारा दो खनन पट्टे मौजा– घाटकुड़ी एवं मौजा– मेरलगढ़ा में रकबा क्रमश: 138.85 हे. तथा 122.02 हे. धारित है.

रूंगटा माईन्स मौजा– घाटकुरी में मार्च, 1998 से दिसम्बर, 2001 तक खनन कार्य बंद रहा. पट्टा नवीकरण संविदा का निष्पादन दिनांक 09.07.2005 को हो चुका है.

रूंगटा माईन्स मौजा– मेरलगढ़ा में वित्तीय वर्ष 1994–95 से 1996–97 तक खनन कार्य बंद रहा. पुन: वित्तीय वर्ष 1999–2000 से वित्तीय वर्ष 2003–04 तक खनन कार्य बंद रहा.

विभागीय पत्रांक 1063/एम. दिनांक 03.09.2014 के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा खनन कार्य दिनांक 04.09.2014 से बंद करा दिया गया है.

वर्ष 1999–2000 से 2003–04 तक खनन कार्य बंद रहने के कारण खनिज समानुदान नियमावली 1950 के नियम 28/28ए का मामला बनता है.

13. जेनरल प्रोड्युस कंपनी लि. :

जेनरल प्रोड्युस कंपनी द्वारा मौजा– करमपदा एवं घाटकुरी में धारित खनन पट्टे प्रारंभ से ही बंद है. इन दोनों पट्टों के मामले खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम– 28/28ए का स्पष्ट उल्लंघन है.

14. कमलजीत सिंह आहुवालिया :

इनके द्वारा धारित दो खनन पट्टे के मौजा– बराईबुरू एवं बराईबरू/टाटीबा में वर्ष 2008 से बंद है. इन्हें खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–28/28ए के तहत नोटिस दिया गया है.

15. रेवती रमण प्रसाद/आनंद बर्द्धन प्रसाद :

मौजा– नोवामुंडी एवं मेरलगढ़ा में धारित खनन पट्टा वर्ष 1994 से खनन कार्य पार्टनरशिप विवादित होने के कारण बंद है.

मौजा–इतरबालजोरी में वर्ष 1996 से खनन कार्य बंद है. इन्हें खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–28/28ए के तहत नोटिस निर्गत है.

16. चन्द्र प्रकाश सारडा :

मौजा– इतरबालजोरी में धारित खनन पट्टा नवम्बर, 2011 से बंद है। खनिज समानुदान नियमावली 1960 के नियम 28/28ए के तहत नोटिस निर्गत है.

17. विजय कुमार ओझा :

मौजा– बड़ाबालजोरी में धारित पट्टा विभागीय पत्रांक 1030/एम., दिनांक 03.09.2014 के तहत बंद करा दिया गया है। इस खनन पट्टा के बावत

खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम–37 तथा 28/28ए के उल्लंघन की सूचना सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है.

18. टी.पी. शाह :

यह पट्टा वर्ष 1994 से बंद है. खनिज समानुदान नियमावली, 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन है, जिसके लिए नोटिस दिया गया है.

ह./–
अशोक कुमार मंडल
उप निदेशक, खान, दुमका
सदस्य.
20.09.2014

ह./–
बद्री प्रसाद
उप निदेशक, खान, कोल्हान अंचल
चाईबासा
सदस्य.
20.09.2014

ह./–
शंकर कुमार सिन्हा
उप निदेशक, खान, हजारीबाग
सदस्य.
20.09.2014

ह./–
भी. एन. बैठा
अपर निदेशक, खान, राँची
अध्यक्ष.
20.09.2014

❖❖❖

खण्ड–5

उपायुक्त की जाँच समिति का प्रतिवेदन

खान विभाग की उपर्युक्त पाँच सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2014 को सौंप दिया. इसमें 18 खनन पट्टाधारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करने की संपुष्टि की गई थी. इसके बाद झारखण्ड में विधान–सभा चुनाव की गतिविधियाँ शुरू हो गई. चुनाव के बाद दिसम्बर, 2014 में राज्य की नयी सरकार अस्तित्व में आई. इसके बाद 12 जनवरी, 2015 को भारत सरकार ने खान एवं खनिज अधिनियम (विकास एवं विनियमन) 1957 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया. यह अध्यादेश 27 मार्च 2015 को अधिनियम बन गया. इसके बाद झारखण्ड सरकार ने राज्य के अंतर्गत धारित लौह अयस्क खनन पट्टों की अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा भेजने का निर्देश सभी जिला उपायुक्तों को विभागीय पत्र संख्या– 444/एम., दिनांक 09.03.2015 द्वारा दिया और यह बताने के लिये कहा कि कौन–कौन पट्टाधारी खनन पट्टा के अवधि विस्तार की योग्यता रखते हैं.

पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त ने संशोधित खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश–2015 की धारा 8(ए)(6) के अतंर्गत राज्य सरकार के निदेशानुसार विभिन्न खनन पट्टाधारियों द्वारा की गई अनियमितताओं एवं नियमों, शर्तों एवं बंधजों के उल्लंघन की जाँच किया. जाँच में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के साथ ही जिला के अपर समाहर्ता और जिला खनन पदाधिकारी भी शामिल थे. इन्होंने सभी खनन पट्टों की जाँच किया और दिनांक 06.03.2015 को अपना जाँच प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया. इन्होंने जाँचोपरांत बताया कि सभी खनन पट्टेधारियों ने प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन किया है, फलस्वरूप कोई भी पट्टाधारी 31.03.2020 तक अवधि विस्तार दिये जाने के योग्य नहीं है.

इस समिति ने 22 खननपट्टाधारियों के खनन पट्टों का जाँच किया. इनमें से अधिकांश को लंबे समय से खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम 37, नियम 28,28(ए) के उल्लंघन का दोषी पाया. साथ ही इन्हें पट्टा संविदा के पार्ट–VII के विभिन्न कंडिकाओं एवं II सी. का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया. उपायुक्त ने पत्रांक– 350, दिनांक 6.4.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन झारखंड सरकार को सौंप दिया. प्रतिवेदन में स्पष्ट शब्दों में अनुशंसा की गई थी कि नियमों, शर्तों, बंधेजों का उल्लंघन करने के कारण इनमें से किसी भी खनन पट्टाधारी के खनन पट्टा का अवधि विस्तार 31 मार्च 2020 तक के लिये नहीं करना चाहिये. उपायुक्त की जाँच

प्रतिवेदन के अनुसार निम्नांकित खनन पट्टेधारियों द्वारा विभिन्न नियमों, शर्तों एवं बंधेजों का उल्लंघन कर खनन किया गया है. जिसके कारण इनके खनन पट्टों का अवधि विस्तार 31 मार्च, 2020 तक के लिए नहीं किया जाय :–

1. **श्री राम मिनरल कम्पनी, खासजामदा (265.88 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2 एवं 11C का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37 एवं 28/28ए का उल्लंघन (वर्ष 1994 से 1997 खनन कार्य बंद).

2 **सर्वश्री सिंहभूम मिनरल क., करमपदा आर.एफ. (141.64 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2 एवं 11C का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37 एवं 28/28ए का उल्लंघन (दिसम्बर–1996 से दिसम्बर–2013 तक).

3 **श्री पदम कुमार जैन, ठाकुरानी (84.68 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2 एवं 11C, 5 एवं 18 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37 उल्लंघन. उप निदेशक खान, कोल्हान अंचल, चाईबासा का पत्रांक 275/ डी.डी.एम. दिनांक 26.09.2014 द्वारा भी एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37(3) के अन्तर्गत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत.

4 **श्री पदम कुमार जैन, राजाबेड़ा (41.639 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2 एवं 11C, 18 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/ 28ए का उल्लंघन (2000–01 से 2003–04 तक एवं 2011 से अबतक).

5 **श्री रेवती रमण प्रसाद एवं श्री आनन्द वर्धन प्रसाद, नोवामुण्डी एवं मेरालगढ़ा (62.43 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3, 5 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (1994 से बंद)।

6 **श्री रेवती रमण प्रसाद एवं श्री आनन्द वर्धन प्रसाद, इतरबालजोरी (33.70 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3, 5 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (1996 से बंद).

7 **श्री एम.एल. जैन एण्ड सन्स, करमपदा आर.एफ. (202.35 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3, 5 एवं 11C का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (अगस्त– 2004 से फरवरी 2008 तक).

8 **श्रीमती मित्रा घोष/श्री समीर कुमार घोष, नोवामुण्डी (20.07 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3, 5, 11C का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स

1960 के नियम 37 एवं 28/28ए का उल्लंघन (2008 से बन्द).

9 **सर्वश्री निर्मल कुमार, प्रदीप कुमार, घाटकुरी आर.एफ. (149.74 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 11C का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37 एवं 28/28ए का उल्लंघन (अगस्त– 2013 से बंद). उप निदेशक खान, कोल्हान अंचल चाईबासा का पत्रांक 281/डी.डी.एम. दिनांक 30.09.2014 द्वारा भी पट्टेधारी को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत.

10 **सर्वश्री निर्मल कुमार, प्रदीप कुमार, नोवामुण्डी (66.781 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 5, 11C, 18 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37 एवं 28/28ए का उल्लंघन(वर्ष 1994–1995 के बीच बन्द रहा एवं दिसम्बर–2011 से).

11 **सर्वश्री आर. मैक्डिल एण्ड क., करमपदा आर.एफ. (110.08 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन. (10.05.1996 से बन्द).

12 **श्री अनिल कुमार खीरवाल, बांधबुरू (नोवामुण्डी पी.एफ.) (22.53 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2,3 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि के बीच एवं फरवरी–2006 से दिसम्बर 2010 तक खनन कार्य नहीं किया गया है).

13 **सर्वश्री शाह ब्रदर्स, करमपदा आर.एफ. (233.89 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2,5, 11C का उल्लंघन.

14 **सर्वश्री खटाउ लिलाधर ठक्कर, कुमिरता (30.84 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 5, 13 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (जून 2005 से बन्द).

15 **श्री खुशहाल अर्जुन राठौर, नोवामुण्डी पी.एफ. (31.97 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3, 5 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (11.11.1999 से बन्द).

16 **श्रीमती देवका बाई भेलजी, अजिताबुरू घाटकुरी आर.एफ. (46.62 हे.) :** पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 11C, 18 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37, 28/28ए का उल्लंघन (2005–06 से 2006–07 तक बन्द).

17 श्री कमलजीत सिंह अहलुवालिया, बराईबुरू (129.499 हे.) : पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 11C, 18 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37, 28/28ए का उल्लंघन (2005–06 से 2006–07 तक बन्द)।

18 श्री कमलजीत सिंह अहलुवालिया, बराईबुरू/टाटीबा (619.65 एकड़) : पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3, 5, 11C 18 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (2008 से बन्द).

19 सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल, बराईबुरू (640.00 एकड़) : पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 11C, 18 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37, 28/28ए का उल्लंघन (बन्द:– अगस्त–2011 से अप्रैल 2013). उप निदेशक खान, कोल्हान अंचल चाईबासा का पत्रांक 283/डी.डी.एम. दिनांक 04.10.2014 द्वारा पट्टेधारी को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत.

20 श्री चन्द्र प्रकाश शारदा, इतरबालजोरी (142.00 एकड़) : पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3, 5 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन(नवम्बर–2011 से बन्द).

21 सर्वश्री जेनरल प्रोड्युस कं.लि., करमपदा आर.एफ. (70.680 हे.) : पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन (पट्टा अवधि से बन्द).

22 सर्वश्री जेनरल प्रोड्युस क.लि., घाटकुरी आर.एफ. (163.90 हे.) : पट्टा संविदा के पार्ट–VII की पारा 2, 3 का उल्लंघन एवं एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 28/28ए का उल्लंघन(पट्टा अवधि से बन्द).

ह./–	ह./–	ह./–
जिला खनन पदाधिकारी	अपर समाहर्ता	उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम	पश्चिमी सिंहभूम	पश्चिम सिंहभूम
06.04.2015	06.04.2015	06.04.2015

खण्ड–6

चार सदस्यीय जाँच समिति का प्रतिवेदन

उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम का प्रतिवेदन झारखण्ड सरकार के खान विभाग में पहुँचा तो कारवाई करने की जगह इस पर पुन: विचार करने के लिए तत्कालीन झारखण्ड सरकार के खान विभाग ने फिर से एक चार सदस्यीय समिति गठित कर दिया. इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारी सदस्य बनाये गये :–

(i) श्री अजीत शंकर – अपर उपायुक्त, चाईबासा

(ii) श्री मदन मोहन सिंह – सहायक खनन पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम

(iii) श्री कमलेश्वरी दास – उप निदेशक खान, मुख्यालय

(iv) श्री एस.के. सिन्हा – उपनिदेशक, खान, कोल्हान अंचल

इस समिति ने 17.07.2015 से 23.07.2015 के बीच विभिन्न खनन पट्टों के बारे में अपना प्रतिवेदन दिया. इस समिति ने भी विभिन्न खनन पट्टाधारियों द्वारा खनिज समानुदान नियमावली के नियम–37 का उल्लंघन साबित किया. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम की समिति द्वारा इसके पूर्व दिये गये जाँच प्रतिवेदन की अनुशंसाओं को इस समिति ने भी संपुष्ट किया और पाया कि विभिन्न खनन पट्टाधारियों ने नियमों, शर्तों और बंधेजों का घोर उल्लंघन कर अवैध खनन किया है.

उपायुक्त, चाईबासा और जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने जाँचोपरांत दिनांक 06.04.2015 को जो प्रतिवेदन सरकार को भेजा था, उस पर विचार कर अनुशंसा देने के लिए सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति ने उपायुक्त की अनुशंसाओं पर गहन विचार किया और दिनांक 23.07.2015 को एक प्रतिवेदन दिया, जो स्वत: स्पष्ट है. प्रतिवेदन में विस्तार से जिक्र है कि किस–किस खननकर्ता ने किन–किन नियमों का उल्लंघन किया है. समिति ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर खनन करनेवाले पट्टेधारी, अवधि विस्तार की पात्रता नहीं रखते हैं। यह प्रतिवेदन निम्नवत है :–

1. देवका बाई भेलजी :

(क) Geo referencing कराये जाने की सूचना नहीं है।

(ख) (1) JSPCB के क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा Hr. CJM Court में वाद संख्या 01/2013 दायर.

(2) पत्रांक 471/एम. दिनांक 2.05.2015 के द्वारा मूल 72.12 लाख एवं सूद 152.52 लाख कुल– 224.64 लाख रूपये भुगतान के लिए मांग पत्र निर्गत किया गया है.

(3) पट्टेधारी द्वारा ओभर बर्डेन ठीक से जमा कर रखा नहीं गया है, जो बरसात में पानी का बहाव के कारण माईन्स के क्षेत्र के साथ–साथ आसपास एरिया एवं वाटर स्ट्रीम प्रदूषित हो रहा है. जिला खनन पदाधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2015

ग पट्टेधारी के उत्तराधिकारी द्वारा कार्य करने एवं नामांतरण नहीं होने के कारण उल्लंघन। जिला खनन पदाधिकारी का प्रतिवेदन 13.02.2015

घ नियम 28 का उल्लंघन (जून 2004 से अप्रैल 2007 तक खनन कार्य बंद)

ड़ नियम 28ए का उल्लंघन. (एम.एम.डी.आर. एक्ट की धारा 4(A)(4) प्रभावी

च (1) जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा के प्रतिवेदन दिनांक 26.03.2015 में प्रतिवेदित किया गया है कि पट्टेधारी द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान/फॉरेस्ट क्लीयरेन्स/इन्भारमेन्टल क्लीयरेंस मेसर्स देबका भाई भेलजी के नाम से प्राप्त किया गया है जो एम.सी. रूल्स 1960 के नियम 37 का उल्लंघन है. श्री धीरज लाल भेलजी द्वारा श्री संजय कुमार शारदा, बड़ाजामदा को पावर ऑफ एटॉर्नी दिनांक 23.08.1997 को प्रदत्त किया गया तथा राज्य सरकार के अनुमति के बिना पार्टनरशीप डीड दिनांक 01.04.2010 बनाई गई. भेलजी परिवार के बाहर के सदस्य को पार्टनरशीप में डीड शामिल किया गया जो नियम 37 का उल्लंघन है. इस खनन पट्टे का संचालन श्री संजय कुमार शारदा द्वारा की जा रही है. इस तरह इन्होंने नियम 37 का उल्लंघन किया गया है.

(2) सर्वश्री टोरियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा अवैध एग्रीमेन्ट की सूचना पर जिला खनन पदाधिकारी के ज्ञापांक 983/एम. दिनांक 06.09.2004 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी. तत्संबंधी

जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा का पत्रांक 1166/एम. दिनांक 05.07.2008 संलग्न.

(3) पट्टेधारी कम्पनी का आयकर रिटर्न अप्राप्त. पट्टेधारी का आयकर रिटर्न में आंकड़े अस्पष्ट. वार्षिक खनिज बिक्री के आंकड़े अस्पष्ट.

अन्य उल्लंघन

क	**मुख्य जाँच प्रतिवेदन**	**कंडिका 3, 4, 10, 11**
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	खनिज निक्षेप के अन्वेषण की सूचना नहीं है
ग	MCDR की धारा 13 (1) (C) एवं 45(7) का उल्लंघन (IBM का पत्र दिनांक 25.04.2014)	अनुपालन असंतोषजनक
घ	MMR का Regulation 108A, 106(2)(3) Sec. 2.2(F) of 10th National Conference of Safety in Mines. Rule 3 of the mine crèche rules 1960 (DGMS का पत्रांक 713 दिनांक 07.04.2014)	अनुपालन असंतोषजनक

2. श्री राम मिनरल :

(क) 120 पीलर लगाया गया है. DGPS प्राधिकृत संस्थाएं से नहीं कराया गया है.

(ख) कंडिका 10 में मांग पत्र निर्गत, कुल 57.82 + 50.71 = 108.53 करोड़ रू. का मांग पत्र निर्गत. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा परिवाद संख्या 166/2012 दायर किया गया है.

(ग) नियम 28 का उल्लंघन. 1994 से 1997 तक खनन कार्य बंद.

(घ) नियम 28ए का उल्लंघन. कोई आवेदन नहीं.

(ड़) हस्तांतरण आवेदन धारा 37 के उल्लंघन के बाबत उल्लेख– ''उक्त परिस्थिति में सम्यक् सुनवाई के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस खनन पट्टे के हस्तांतरण आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2003/

18.12.2003 को मिनरल कनेक्शन रूल्स, 1960 के नियम 37 एवं खनन पट्टा संविदा भाग VII/17/18 का स्पष्ट एवं खुला उल्लंघन कर इस खनन पट्टे का नियंत्रण एवं संचालन बिना राज्य सरकार की वैधानिक पूर्वानुमति प्राप्त किये सर्वश्री संजय पी. दाते, सर्वश्री खास जामदा माईनिंग कम्पनी, सर्वश्री मोनेट इस्पात लिमिटेड आदि को सौंप दिये जाने के कारण एतद् द्वारा हस्तांतरण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है.''

अन्य उल्लंघन

क	मुख्य जाँच प्रतिवेदन	मुख्य प्रतिवेदन का बिन्दु 4,5,10,11,12
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	खनिज अन्वेषण (Prospecting) की सूचना नहीं है।
ग	टास्क फोर्स द्वारा MCDR Rule (IBM का पत्र दिनांक 11.12.09)	अनुपालन असंतोषजनक
घ	MCDR की 23F(1), 27E(2) धाराओं का उल्लंघन (IBM का पत्र दिनांक 19.10.12)	बिन्दु 5 में उल्लंघन एवं निराकरण संबंधी पत्र का उल्लेख है।

3. पदम कुमार जैन :

(क) असंतोषजनक

(ख) To secure and keep in good condition pits & shafts - असंतोषजनक

(ग) (क) JSPCB द्वारा सक्षम न्यायालय (GJM Court) में केस संख्या 116/2012 दायर किया गया.

(ख) पर्यावरणीय अनापत्ति में अधिक मात्रा के बाबत पत्रांक 464 दिनांक 02.05.15 के द्वारा मूल रू. 363.05 करोड़ एवं सूद 516.37 करोड़ कुल 872.72 करोड़ का मांग पत्र निर्गत है.

(घ) श्री जैन द्वारा श्री कमलदेव शर्मा को जेनरल पावर ऑफ अटॉर्नी संख्या 44 दिनांक 29.06.2001 दिया गया है.

(ड़) (1) राज्य सरकार से प्राप्त परिवाद पत्र पर उपायुक्त, चाईबासा का

जांच प्रतिवेदन पत्रांक 810 दिनांक 17.03.2006, 1315 दिनांक 01.06.06, 2442 दिनांक 09.11.06 द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित. जिला खनन कार्यालय, चाईबासा का पत्रांक 1166/एम.दिनांक 05.07.08 संलग्न.

(2) सर्वश्री रजत मिनरल्स प्रा. लि. के परिवाद पत्र दिनांक 03.09.2013 के साथ संलग्न जेनरल पावर ऑफ अटॉर्नी संख्या 44 दिनांक 29.06.2001 जो कि श्री पद्म कुमार जैन द्वारा श्री कमलदेव शर्मा को दिया गया है. उस पावर ऑफ अटॉर्नी से नियम 37 का उल्लंघन प्रमाणित हो जाता है.

(3) पट्टेधारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित कागजात समर्पित नहीं किया गया है. वर्ष 2014–15 में Profit & Loss A/C में उल्लेखित Profit एवं आयकर रिटर्न में उल्लेखित सकल आय स्पष्ट नहीं है. आई.बी.एम. का वार्षिक रिटर्न समर्पित नहीं किया गया है.

(च) इस पत्र के द्वारा श्री पी.के. जैन द्वारा श्री कमलदेव शर्मा/सर्वश्री रजत मिनरल्स प्रा. लि./सर्वश्री कोर मिनरलस के बीच वर्ष 2001 से आंकड़ा मांगा गया है, परन्तु जवाब अप्राप्त है.

अन्य उल्लंघन

क	मुख्य जाँच प्रतिवेदन	कंडिका 8, 10, 11, 15
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	अनुपालन नहीं किया गया है.
ग	विधान सभा की विशेष समिति के स्थल निरीक्षण दिनांक 28.08.2014 को दिये गए निदेशानुसार खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर निष्कासित ओभर बर्डेन/डम्प मेटेरियल का मामला	माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र C-7-28/2015 Dated- 06.04.2015 दायर.

4. एनकेपीके :

(क) कुल 71 पीलर लगाया गया है. ISM के द्वारा DGPS कराये जाने की सूचना है, परन्तु समर्पित नहीं किया गया है.

(ख) (क) माईनिंग प्लान/पर्यावरणीय अनापत्ति से अधिक मात्रा के बाबत

मूल रूपया 195.62 करोड़ एवं सूद रूपया 304.00 करोड़ कुल 499.62 करोड़ रूपया का मांग पत्र निर्गत है.

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण विभाग द्वारा परिवाद संख्या 140/2012 दायर.

(ग) अगस्त 2013 से बंद है.

(घ) दिनांक 02.05.2015 को 200/– रू. जमा करने की सूचना है. परन्तु विभाग का कोई आदेश नहीं है.

(ड़) जिले से सूचना के पश्चात सरकार के उप सचिव के पत्रांक 1541/एम. दिनांक 22.05.2006 द्वारा सर्वश्री टोरियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के माध्यम से खनन कार्य कराये जाने विषयक कारण पृच्छा नोटिस निर्गत.

(ख) उपायुक्त, प. सिंहभूम के पत्रांक 929/एम दिनांक 23.05.2003 के द्वारा बिना सरकार से पूर्वानुरोध के खनन पट्टा से जो भीम शर्मा को खनन कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो एम.सी.आर. की धारा 37 का उल्लंघन है.

(ग) पट्टेधारी के निजी PAN एवं कम्पनी के PAN के अंतर्गत तथा आईबीएम में समर्पित वित्तीय आंकड़े अस्पष्ट है.

(घ) वर्तमान निरीक्षण का प्रतिवेदन पट्टेधारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है.

C.W.J.C. No. 2406/1993(R) में पारित न्यायादेश दिनांक 04-09-1993"The petitioner is not to carry on any mining operation unless a fresh lease is granted in its favour upon obtaining prior approval of the central Govt. not only in terms of the forest (conservation) Act. 1980 but also in terms of sub section (8) of section 8 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act 1957 एवं SLP No. 2874/1994 में दिनांक 16.09.94 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत Prior Approval प्राप्त किये बिना खनन कार्य किया गया है.

अन्य उल्लंघन

ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	पट्टेधारी द्वारा Prospecting करने की कोई सूचना नहीं है.
ग	टास्क फोर्स द्वारा MCDR Rule 23E(2) 45(5)(3) (IBM का पत्र दिनांक 23.12.11)	अनुपालन असंतोषजनक
घ	MCDR की धाराओं का उल्लंघन (IBM का पत्र दिनांक 26.12.11)	अनुपालन असंतोषजनक
ड़	टास्क फोर्स का निरीक्षण दिनांक 11.12.09 (IBM का पत्र दिनांक 19.10.12)	अनुपालन असंतोषजनक

5. खुशहाल अर्जुन राठौर :

(क) ISM Dhanbad द्वारा DGPS कराया गया है, परंतु अंतिम रूप से समर्पित नहीं किया गया है. 18 पीलर लगाने की सूचना है.

(ख) दिनांक 11.11.99 तक कार्यरत. Work in a workman like manner कार्य असंतोषजनक.

(ग) 3Pits है. Manual कार्य किया गया है. keep in good condition pits & shafts- खनन कार्य अत्यंत ही असंतोषजनक है.

(घ) खनन कार्य 11.11.99 से अब तक बंद. नियम 28A का उल्लंघन. पट्टेधारी के द्वारा बिना हस्ताक्षर प्रतिवेदन भेजा गया है.

(ड़) Revival के लिए 500/– रू. कोषागार चालान के माध्यम से दिनांक 25.06.05 को जमा. विभागीय आदेश अप्राप्त. एमएमडीआर एक्ट की धारा 4(ए)(4) प्रभावी. नियम 28A का उल्लंघन.

अन्य उल्लंघन

क	मुख्य जाँच प्रतिवेदन	कंडिका 1, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 18 में पूर्ण उल्लेख.
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	खनिज अन्वेषण (Prospecting) की सूचना नहीं है.

ग	MCDR Rule45(2),45(5)(A) का उल्लंघन (IBM का पत्र दिनांक 20.12.2011)	अनुपालन असंतोषजनक

6. सिंहभूम मिनेरल्स :

(क) ISM द्वारा अंतिम रूप से DGPS समर्पित नहीं किया गया है.

(ख)

(ग) नियम 28 का उल्लंघन. एमएमडीआर एक्ट की धारा 4(ए)(4) प्रभावी.

(घ) नियम 28 का उल्लंघन. दिसम्बर 1996 से दिसम्बर 2013 तक बंद है। खनन कार्य बंद है.

(ड़) नियम 37 के अंतर्गत जिला स्तर पर एवं विभागीय स्तर पर कई नोटिस निर्गत किया है एवं सुनवाई की गयी है. वर्तमान में सिंहभूम मिनरल कम्पनी एक पार्टनरशीप कम्पनी है. जिसके दो पार्टनर (श्री शिवलाल बी. राठौर एवं हरेलाल वी. राठौर है). मूल पार्टनरशीप कम्पनी एवं वर्तमान दोनों पार्टनरों के स्वयं का आयकर रिटर्न में दर्शाया सकल आय में काफी अंतर है.

आईबीएम के वार्षिक रिटर्न में संपूर्ण खनिज उत्पादन मेसर्स टोरियन कम्पनी को बेचने की सूचना है. जिला खनन कार्यालय का पत्रांक 1166/एम. दिनांक 05.07.2008 के आलोक में नियमावली की धारा 37 का उल्लंघन है.

अन्य उल्लंघन

क	मुख्य जाँच प्रतिवेदन	कंडिका 1, 4, 7, 11, 12, 15 में पूर्ण उल्लेख.
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	खनिज अन्वेषण (Prospecting) की सूचना नहीं है.
ग	MCDR Rule45(2),45(5)(A) का उल्लंघन (IBM का पत्र दिनांक 20.12.2011)	अनुपालन असंतोषजनक

घ	उप निदेशक खान, कोल्हान का पत्र (पत्रांक 283 दिनांक 04.10.2014)	अनुपालन असंतोषजनक
ड़	भारत सरकार की अधिसूचना 372 दिनांक 18.07.2014 के आलोक में की गई कार्रवाई (पत्रांक 306 दिनांक 25.03.2015)	जनवरी 2014 से जुलाई 2014 तक का उत्पादन/प्रेषण के बाबत 139.15 करोड़ रू. का मांग पत्र निर्गत.

7. श्री कमलजीत सिंह आहलूवालिया :

(क) DGPS नहीं कराया गया है. पीलर आदि की स्थिति असंतोषजनक.

(ख) खनन कार्य वर्षों से बन्द है. असंतोषजनक की स्थिति.

Work in a workman like manner अनुपालन असंतोषजनक.

(ग) खनन कार्य बंद है. keep in good condition of pits & shafts - की स्थिति असंतोषजनक.

(घ) पर्यावरणीय अनापत्ति अप्राप्त है.

(ड़) पट्टेधारी अनुपस्थित. प्रतिवेदन बिना हस्ताक्षर के प्राप्त. निरीक्षण के दौरान खान एवं खनिज विकास में अभिरूचि नहीं पाई गई.

(च) नियम 28 का उल्लंघन. प्रथम नवीकरण राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत, खान न्यायाधिकरण से पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर रिट संख्या WPC 2655/2011 माननीय न्यायालय द्वारा खारिज. मामला पुन: विभाग के समक्ष विचाराधीन.

(छ) खदान वर्ष 1998–99 से बंद है. एमएमडीआर एक्ट की धारा 4(A)(4) प्रभावी.

(ज) आपत्ति निराकरण अप्राप्त.

अन्य उल्लंघन

क	मुख्य जाँच प्रतिवेदन	कंडिका 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में पूर्ण उल्लेख.
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	खनिज अन्वेषण (Prospecting) की सूचना नहीं है.
ग	MCDR Rule 45	सूचना अनुपलब्ध.

8. श्री कमलजीत सिंह आहलूवालिया :

(क) निरीक्षण के दौरान मात्र 5 पीलर देखा गया, जिसकी स्थिति असंतोष जनक पायी गयी है.

(ख) पर्यावरणीय स्वीकृति अप्राप्त.

(ग) प्रतिवेदन बिना हस्ताक्षर के प्राप्त. पट्टेधारी अनुपस्थित. निरीक्षण के दौरान खान एवं खनिज विकास में अभिरूचि नहीं पाई गई.

(घ) अगस्त 2008 से खनन कार्य बंद होने की सूचना है – नियम 28 का उल्लंघन. एमएमडीआर एक्ट की धारा 4(ए)(4) प्रभावी.

(ड़) नियम 28A का उल्लंघन. राज्य सरकार द्वारा प्रथम नवीकरण आवेदन अस्वीकृत, खान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के पश्चात मामला विभागीय स्तर पर लंबित.

(च) यथोपरोक्त 'ग'

अन्य उल्लंघन

क	मुख्य जाँच प्रतिवेदन	कंडिका 10, 11, 13, 14, 17, 18 में पूर्ण उल्लेख.
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	खनिज अन्वेषण (Prospecting) की सूचना नहीं है.
ग	MCDR Rule45 सूचना	अनुपलब्ध.
घ	MCDR की धारा 23 F(1) 21.09.2012)	(आईबीएम का पत्र दिनांक आपत्ति निराकरण अप्राप्त.

9. रामेश्वरा जूट मिल्स :

(क) अधिकृत DGPS आंकड़े संधारित नहीं है.

(ख) पत्रांक 454 दिनांक 02.05.2015 के द्वारा मूल 70.79 करोड़ एवं सूद कुल 140.79 करोड़ रूपये का मांग पत्र निर्गत.

(ग) (1) वर्तमान में पट्टेधारी कम्पनी ने श्री कृष्ण कुमार दूबे को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित कागजात समर्पित किया गया है.

(2) कम्पनी के PAN निदेशक के PAN के अंतर्गत वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये है.

(3) पूर्व में सनबीम ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. द्वारा पट्टा क्षेत्र से सीधे लौह अयस्क ट्रेडिंग की सूचना है.

(घ) अगस्त 2011 से खनन कार्य बंद. 200/– रू. की राशि डिमांड ड्राफ्ट संख्या– 38377 दिनांक 29.10.2012 के द्वारा निदेशालय, राँची में जमा करने की सूचना.

(ड़) भारत सरकार के पत्रांक 5/47/86– दिनांक 10.03.1988 एवं बिहार सरकार द्वारा निर्गत वर्किंग परमिशन पत्र संख्या 4801/एम. दिनांक 20.06.1989 का अनुपालन असंतोषजनक.

(च) इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स को दाखिल एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान में पट्टेधारी के पत्राचार का पता rjm.barbil@aditybirla.com अंकित है. माईनिंग प्लान में अंकित डायरेक्टर एवं नोमिनेटेड ऑनर श्री एच. सी. डांगा, सर्वश्री एस्सेल माईनिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. (आदित्य बिरला ग्रुप) के अधिकारी है.

अन्य उल्लंघन

क	मुख्य जाँच प्रतिवेदन	कंडिका 3, 4, 6, 10 एवं 16
ख	MCR की धारा 27 (3) का अनुपालन	पट्टा क्षेत्र में Prospecting किये जाने की सूचना नहीं दी गई है.
ग	MCDR की धारा 13(1) एवं अन्य (स.ख.पदा. का ज्ञापांक 332/एम. दिनांक 22.02.2014)	अनुपालन असंतोषजनक

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(मदन मोहन सिंह)	(कमलेश्वरी दास)	(अजीत शंकर)	(एस.के. सिन्हा)
सहायक खनन पदाधिकारी,	उप निदेशक खान, (मु.)	अपर उपायुक्त,	उप निदेशक खान
प. सिंहभूम, चाईबासा	झारखण्ड, राँची।	प. सिंहभूम, चाईबासा	कोल्हान अंचल, चाईबासा

खण्ड–7

जिला खनन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन

शाह आयोग के गठन के पाँच–सात साल पहले से झारखण्ड में अवैध खनन की गति तेज होने लगी थी. सरकार के पास अवैध खननकर्ताओं के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त होती रहती थी. अवैध खनन की इन शिकायतों के जाँच प्रतिवेदन खान विभाग के प्रदेश मुख्यालय में भी भेजे जाते थे. परन्तु इन जाँच प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी. स्पष्ट है कि शाह आयोग के गठन के पूर्व से झारखण्ड में खनन नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन हो रहा था. इस संबंध में एक जाँच प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने तत्कालीन सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को 05.07.2008 को भेजा था. उन्हें प्राप्त अवैध खनन की शिकायतों के बारे में जाँच करने का निर्देश स्वयं विभागीय सचिव ने ही जिला खनन पदाधिकारी को दिया था.

इस जाँच प्रतिवेदन में अंकित था कि कतिपय लौह–अयस्क खनन पट्टाधारियों ने खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम–37 का उल्लंघन कर खनन किया है. उन खनन पट्टाधारियों को इस बारे में कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गई, परन्तु उन्होंने इसका जवाब तक नहीं दिया. जिला खनन पदाधिकारी ने विभागीय सचिव द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–61/03–99/एम.सी., दिनांक 27.05.2008 के प्रत्युत्तर में अपने पत्रांक– 1166/एम., दिनांक 05.07.2008 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत निम्नलिखित लौह अयस्क खनन पट्टों में मिनरल कंसेसन रूल्स–1960 के नियम–37 के उल्लंघन संबंधी परिवाद की जाँच एवं कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से सरकार को अवगत कराया है, जो निम्नवत है :–

क्र.	पट्टेधारी का नाम	कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति
1.	सर्वश्री इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि., गुवा, मनोहरपुर	सर्वश्री स्टील आथोरिटी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सभी 9 खनन पट्टों पर जबरन अवैध कब्जा. जिला खनन पदा., चाईबासा के पत्रांक 1600/एम. दिनांक 17.7.06 द्वारा सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित. महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा अवैध खनित खनिज का मूल्य वसूली हेतु आपत्ति. नवीकरण राज्य स्तर पर लंबित.

2.	सर्वश्री निर्मल कुमार, प्रदीप कुमार, चाईबासा	जिले से सूचना के पश्चात सरकार के उप सचिव के पत्रांक 1541/एम. दिनांक 22.5.06 द्वारा सर्वश्री टोरियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के माध्यम से खनन कार्य कराए जाने विषयक कारण पृच्छा नोटिस निर्गत. नवीकरण राज्य स्तर पर लंबित.
3.	सर्वश्री पदम कुमार जैन, चाईबासा	राज्य सरकार से प्राप्त परिवाद पत्र पर उपायुक्त, चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 810/ 17.3.06, 1315/1.6.06/ 2442/9.11.06 द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित.
4.	सर्वश्री सिंहभूम मिनरल कंपनी, चाईबासा	सर्वश्री खासजामदा माईनिंग कंपनी/ सर्वश्री मोनेट इस्पात को अवैध हस्तांतरण विषयक प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा के पत्रांक 422/एम. दिनांक 28.02.08 द्वारा सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित. नवीकरण राज्य स्तर पर लंबित.
5.	सर्वश्री सिंहभूम मिनरल कंपनी, चाईबासा	सर्वश्री टोरियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के साथ अवैध एग्रीमेंट/बिक्री विषय पर जिला खनन पदाधिकारी के ज्ञापांक 2204/एम. दिनांक 26.09.06 द्वारा पट्टेधारी को नोटिस जारी। सरकार के उप सचिव को जिला खनन पदाधिकारी के पत्रांक 2591/एम. दिनांक 5.12.06 द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित. नवीकरण राज्य स्तर पर लंबित।
6.	सर्वश्री समीर कुमार घोष मित्रा घोष	सर्वश्री खीरवाल बन्धु/सर्वश्री ए.आर. माईनिंग इन्टरप्राइजेज को अवैध हस्तांतरण विषयक प्रतिवेदन उपायुक्त के पत्रांक 186/एम., दिनांक 25.1.08 एवं अन्यान्य द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित. नवीकरण राज्य स्तर पर लंबित.

7.	सर्वश्री देबुका बाई भेलजी	सर्वश्री टोरियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा अवैध एग्रीमेंट की सूचना पर जिला खनन पदाधिकारी के ज्ञापांक 983/एम. दिनांक 6.9.04 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस पट्टेधारी को जारी/ उत्तर अप्राप्त. नवीकरण राज्य स्तर पर लंबित.

इसके अतिरिक्त उप निदेशक खान, कोल्हान अंचल ने 26.09.2014 को खनिज समानुदान नियमावली के नियम–37(1) का उल्लंघन कर खनन करने के बारे में अवैध खनन के आरोपी खननकर्ता पदम कुमार जैन को कारण पृच्छा पत्र भेजा और कहा कि–मिनरल कंसेसन रूल्स, 1960 के नियम 37(3) के अन्तर्गत सर्वश्री रजत मिनरल्स प्रा. लि. के परिवाद पत्र दिनांक 03.09.2013 के साथ संलग्न जेनरल पावर ऑफ अॅटार्नी संख्या–44, दिनांक 29.06.2001 जो कि श्री पदम कुमार जैन, ठाकुरानी लौह अयस्क खनन पट्टेधारी (209.25 एकड़) द्वारा एक श्री कमलदेव शर्मा वल्द स्व. पंडित मूलराज शर्मा, पो.+थाना– जोड़ा, जिला– क्योंझर, उड़ीसा के पक्ष में पट्टेधारी के हस्ताक्षर से प्रदान किये जाने की सूचना अंकित है। इसके संबंध में अपना स्पष्टीकरण मिनरल कंसेसन रूल, 1960 के नियम 37(3) के अन्तर्गत एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही पट्टेधारी श्री पदम कुमार जैन एवं श्री कमलदेव शर्मा/अथवा सर्वश्री रजत मिनरल प्रा. लि./सर्वश्री कोर मिनरल के बीच वर्ष 2001 से अद्यतन हुए व्यवसायिक लेन–देन का सार संक्षेप बैंक स्टेटमेंट/लेखा विवरणी आयकर रिटर्न के अनुरूप शपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल करें, अन्यथा उपलब्ध कागजातों के आधार पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई कर दी जायेगी।

पर यह कार्रवाई कभी नहीं हुई। इस प्रकार की अनेक कारण पृच्छाएँ अवैध खननकर्ताओं को भेजी जाती रही, परन्तु इस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि अवैध खनन के आरोपों की सुनवाई करने के लिये अधिकृत श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी की समिति के सामने इन्हीं अधिकारियों ने इन्हीं आरोपों को सिद्ध करनेवाले प्रमाणों को नहीं रखा।

❖❖❖

खण्ड–8

अंतर्विभागीय जाँच समिति का निष्कर्ष

शाह आयोग की अनुशंसा आने के बाद झारखण्ड सरकार ने उस तत्परता के साथ निर्णय नहीं लिया जैसा गोवा और ओडिसा की सरकारों ने लिया था. झारखण्ड सरकार शाह आयोग की अनुशंसाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए समितियों पर समितियाँ बैठाती गई। पहली समिति ने दिनांक 20.09.2014 को अपना प्रतिवेदन दे दिया। इसके तुरन्त बाद झारखण्ड विधान सभा का आम चुनाव हो गया. सरकार बदल गई, 28 दिसम्बर, 2014 को नई सरकार बनी. इसे 'पूर्ण बहुमत और डबल इंजन वाली सरकार' कहा गया. इस सरकार में खान विभाग मुख्यमंत्री के पास था. परन्तु खान विभाग ने पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा 20.09.2014 को दिये गये प्रतिवेदन में अंकित अवैध खनन के दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया। इस बीच जनवरी 2015 में भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 में संशोधन कर दिया. इस संशोधन के बाद झारखण्ड सरकार ने उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम से पुन: प्रतिवेदन माँगा कि कौन–कौन से लौह अयस्क पट्टाधारी 31.03.2020 तक पट्टा के अवधि विस्तार की पात्रता रखते है. सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को पुन: जाँच कर स्पष्ट अनुशंसा भेजने के लिए कहा.

जाँच में उपायुक्त ने अपने साथ पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता को भी रख लिया. इस समिति ने 06.04.2015 को अपनी रिपोर्ट दे दी. इस समिति की अनुशंसा भी वही थी, जो इसके पूर्व गठित पाँच सदस्यीय समिति ने की थी. इस समिति ने स्पष्ट कहा कि इनमें से कोई भी खनन पट्टाधारी 31.03.2020 तक अवधि विस्तार के योग्य नहीं है. परंतु खान विभाग ने इसके बाद भी दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किया. आश्चर्यजनक रूप से इस समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक तीसरी जाँच समिति बना दी. इस समिति में खान विभाग के चार तकनीकी अधिकारी रखे गये. इस समिति ने 23 जुलाई 2015 को अपनी जाँच रिपोर्ट दे दिया. इस समिति की अनुशंसायें भी पूर्ववर्ती समितियों के जैसी ही थी. यानी कोई भी पट्टाधारी ऐसा नहीं है जिसने विभिन्न नियमों का उल्लंघन नहीं किया हो. इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके खनन पट्टों का विस्तार 31.03.2020 तक किया जा सके.

झारखंड सरकार के खान विभाग ने इसके बाद भी इनके खिलाफ निर्णय नहीं

लिया। बल्कि निर्णय न लेने का बहाना खोजने लगा। एक समिति की रिपोर्ट आई नहीं कि दूसरी समिति गठित कर दी गई. इस बीच झारखण्ड सरकार ने 09.06.2015 को एक नई उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित कर दी, जिसे अंतर्विभागीय समिति कहा गया. यह अंतर्विभागीय समिति खान विभाग ने नहीं गठित किया, बल्कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने एक विशेष अधिसूचना (संख्या–1044) द्वारा गठित किया. इस समिति के अध्यक्ष बनाये गये राज्य के विकास आयुक्त. इस समिति में सदस्य बनाये गये प्रधान सचिव/सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विधि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्य प्राणी), और प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को इस सात सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का सदस्य सचिव बनाया गया.

विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली इस उच्चस्तरीय अंतर्विभागीय समिति को तकनीकी परामर्श देने के लिए खान विभाग ने एक तकनीकी समिति गठित किया. इसके अध्यक्ष बनाये गये कोल्हान प्रमंडल के उप निदेशक, खान और सदस्य बनाये गये अपर समाहर्त्ता, चाईबासा, उप निदेशक खान मुख्यालय तथा जिला खान पदाधिकारी, चाईबासा. इस समिति का काम था– '21 लौह–अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करना और अंतर्विभागीय समिति को इसके नतीजों से अवगत कराना.' इस तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया तो अंतर्विभागीय समिति ने इसके अवलोकन के उपरांत 29.07.2015 को एक निर्णय लिया. निर्णय था कि इस प्रतिवेदन के नतीजों के आधार पर 21 लौह–अयस्क खनन पट्टाधारियों को खनन पट्टा शर्तों, बंधेजो एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी की जाय और 15 दिनों के भीतर इस पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय.

दिनांक 24.08.2015 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति की बैठक हुई, खनन पट्टाधारी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस बैठक में उपस्थित हुये और अंतर्विभागीय समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया. तदुपरांत सचिव, खान विभाग ने 01.09.2015 को खान मंत्रालय, भारत सरकार को एक पत्र भेजा और खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम–2015 के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश की मांग किया :–

(i) उक्त संशोधन के आलोक में कैप्टिव माईन्स को 2020 तक तथा नन कैप्टिव

माईन्स को 2030 तक की अवधि विस्तार स्वचालित है या इसे अस्वीकृत भी किया जा सकता है.

(ii) किन विशेष परिस्थितियों में/किस आधार पर खनन पट्टे की अवधि विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है.

(iii) द्वितीय नवीकरण की अवधि से 12.01.2015 तक की अवधि में किये गये खनन कार्य को अवैध मानते हुए इसपर खनिज मूल्य की वसूली राज्य सरकार कर सकती है या नहीं ?

इस संदर्भ में विद्वान महाधिवक्ता से भी परामर्श लिया गया । महाधिवक्ता के परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत है :–

Considering the factual scenario and the notings appended to the subject file, it is opined that the State Government may take an appropriate decision on extension of subject mining lease, on satisfaction of compliance of all the terms and conditions of the lease, and also keeping in view the stipulations made under Rule 28 of the MC Rules alongwith the explanations provided therein, which pertains to the lapsing of the leases.

In case the Government takes a decision to extend the lease period of subject mining lease, it must ensure compliance of all the terms and conditions of the mining lease, including recovery of statutory dues, if and, however with strict adherence of appropriatelaws, rules and regulations, related thereto.

विद्वान महाधिवक्ता का अंग्रेजी में दिये गये परामर्श का आशय संक्षेप में यह है कि– ''सरकार इस संबंध में संचिका में संलग्न तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले. मेरा विचार है कि पट्टाधारियों द्वारा पट्टा शर्तों एवं प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के आलोक में और खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम–28 के प्रावधान के आलोक में खनन पट्टों के अवधि विस्तार का उपयुक्त निर्णय लिया जाय. यदि सरकार खनन पट्टों के अवधि विस्तार करने का निर्णय लेना चाहे तो ध्यान रखे कि संबंधित पट्टाधारियों ने पट्टा नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया हो. साथ ही यह भी होना चाहिए कि पट्टाधारियों से वैधानिक बकायों की वसूली हुई हो और उन्होंने संबंधित नियमों, कानूनों, अधिनियमों का अनुपालन किया हो.''

महाधिवक्ता के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में अंतर्विभागीय समिति ने विस्तृत प्रतिवेदन दिया. इस समिति की अनुशंसा पर खान विभाग ने 01.04.2016

को प्रथम नवीकरण वाले तीन खनन पट्टों का अवधि विस्तार अस्वीकृत कर दिया और इनका खनन पट्टा निरस्त कर दिया. खान विभाग का यह आदेश इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट–2 पर देखा जा सकता है. इस निर्णय के बाद इन तीनों खनन पट्टाधारियों ने सरकार के इस आदेश को झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दिया। अन्य 18 खनन पट्टाधारियों ने, जिनका खनन पट्टा सरकार ने निरस्त किया, सरकार के आदेश के विरूद्ध खान न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील किया.

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि प्रथम नवीकरण वाले सर्वश्री शाह ब्रदर्स, अनिल खीरवाल और पदम कुमार जैन के तीन खनन पट्टों का अवधि विस्तार अस्वीकृत करने और उनका खनन पट्टा रद्द करने का सरकार का निर्णय अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आलोक में किया गया। यह निर्णय विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श पर आधारित था और मुख्यमंत्री, जो खान मंत्री भी थे, का आदेश भी इसके लिए प्राप्त किया गया था. परन्तु इन तीन पट्टाधारियों द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर सुनवाई के समय झारखंड सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कैसा भूमिका निभाया और अपर महाधिवक्ता के ऐसे आचरण का विरोध करनेवाले खान विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रति मुख्यमंत्री का अपमानजनक व्यवहार किस प्रकार का था ? इस बारे में पुस्तक के अगले खंडमें विस्तार से प्रकाश डाला गया है.

❖❖❖

खण्ड–9

महाधिवक्ता संदेह के घेरे में

सत्ता के गलियारों में सक्रिय बिचौलियों को पूरा भरोसा था कि उन्होंने विभिन्न स्तरों पर जितना प्रयास किया है, उसके बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली अंर्तविभागीय समिति के द्वारा की जा रही सुनवाई में फैसला उनके ही पक्ष में होगा. परन्तु ऐसा हुआ नहीं. ऐसा नहीं होने पर उन्हें गहरा धक्का लगा. लौह अयस्क खनन पट्टों के रद्द होने के निर्णय को वे पचा नहीं पाये. उन्होंने इस निर्णय के विरूद्ध तिकड़म और साजिश आरम्भ कर दिया. तत्कालीन सत्ता को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया. इसमें वे सफल हो गये. साजिश होने लगी कि ठोस तथ्यों के आधार पर सरकार द्वारा रद्द किये जा चुके लौह अयस्क खनन पट्टों को पुनर्बहाल कराने के लिये कौन सी जुगत बैठाई जाय ?

काफी सोच–विचार के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रद्द किये गये खनन पट्टों की न्यायिक समीक्षा करायी जाय. इस प्रक्रिया में सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों की मदद प्राप्त की जाय. सरकार की मदद मिल जाय तो निलंबित खनन पट्टों को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से पुनर्बहाल कराया जा सकता है. यानी हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जाय और सरकार की ओर से न्यायालय में बहस करनेवालों को अपने अनुकुल किया जाय, यदि वे अनुकुल हो जाते है तो यह संभव हो सकता है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति का निर्णय पलट जाय. उन्होंने यही रास्ता अपनाया.

सबसे पहले एक खनन पट्टाधारी मेसर्स शाह ब्रदर्स ने झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर किया. याचिका की स्वीकृति के निर्णय पर 21 अप्रैल 2016 को सुनवाई हुई. माननीय न्यायाधीश ने मेसर्स शाह ब्रदर्स के खनन पट्टा को रद्द करने के सरकार के निर्णय पर अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया. इसके पीछे–पीछे एक अन्य खनन पट्टाधारी श्री अनिल खीरवाल भी हाईकोर्ट गये. उनके खनन पट्टा को रद्द करने के सरकार के निर्णय पर भी 28 अप्रैल 2016 को माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश मिल गया. इसी प्रकार एक अन्य खनन पट्टाधारी प्रदीप कुमार जैन को भी माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया. शेष खनन पट्टाधारियों ने विकास आयुक्त के निर्णय को केन्द्रीय खनन प्राधिकार में चुनौती दिया और स्थगन आदेश प्राप्त हो गया.

माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने का वाकया रोचक है, आश्चर्य चकित करने वाला है, शर्मशार करने वाला है. हुआ यह कि 21 अप्रैल 2016

को मेसर्स शाह ब्रदर्स की रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय में एकल पीठ के समक्ष सुनवाई आरम्भ हुई. सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता, श्री अजीत कुमार खड़ा हुये. वे बचाव पक्ष के वकील थे, खान विभाग के वकील थे, अपर महाधिवक्ता के तर्क से विभागीय अधिकारी हतप्रभ रह गये. खान विभाग के अधिकारियों को उनसे स्वाभाविक उम्मीद थी कि वे अनियमितता बरतने वाले खनन पट्टाधारियों का पट्टा रद्द करने के सरकार के निर्णय का बचाव करेंगे. इसके लिये बहस के पूर्व वे खान विभाग के पदाधिकारियों से विमर्श कर आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे. परंतु हुआ ठीक उल्टा.

अपर महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार ने अपने मुवक्किल झारखण्ड सरकार के खान विभाग से न कुछ पूछा, न जाना. इसका पता भी नहीं किया कि अवैध खनन की जाँच कर दोषियों को दंडित करने तथा भविष्य में अवैध खनन रोकने का सुझाव देने के लिये भारत सरकार द्वारा गठित जस्टिस एम.बी. शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? इस पर झारखण्ड सरकार के खान विभाग का मंतव्य क्या है ? उसके आलोक में झारखंड सरकार द्वारा गठित तीन जाँच समितियों ने अवैध खनन करने वालों की कौन सी अनियमिततायें चिन्हित की है ? खान विभाग ने किस–किस खननकर्ता को किन–किन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है ? विकास आयुक्त के सामने अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध क्या सबूत मिले कि उन्होंने अवैध खनन का दोषी पाकर खदानों का खनन पट्टा रद्द करने का निर्णय लिया ? आदि आदि. इस संदर्भ में भारत सरकार ने 12.01.2015 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)–1957 की कतिपय धाराओं में जो संशोधन किया है और तदुपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने 04.04.2016 को जो निर्णय दिया है, उसके पीछे का तर्क एवं भावना क्या हैं और जनहित में इसपर खान विभाग की सोच क्या है ? इसके बारे में भी उन्होंने सरकार के खान विभाग से परामर्श नहीं किया.

अपने मुवक्किल खान विभाग से परामर्श किये बिना अपर महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार कोर्ट में पहुँच गये और बहस करने के लिये खड़ा हो गये। उन्होंने ऐसी बहस की कि माननीय न्यायाधीश ने अवैध खननकर्ताओं का खनन पट्टा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया ! आखिर क्या बहस की अपर महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार ने ? माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिह ने दिनांक 24.04.2016 को इस बारे मे दिये गये अपने फैसला के पृष्ठ– 4 पर इस मुकदमा में विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा की गई की बहस को उधृत किया है जो निम्नवत है :–

"Learned A.A.G. Mr. Ajit Kumar, appearing on behalf of the

state, has with all fairness, submitted that after the pronouncement rendered by the Apex Court in Common Cause case (Supra) on 04.04.2016, rejection of application for first renewal of the petitioner was wholly out of place- ....."

''यानी अपर महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि कॉमन कॉज मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 अप्रैल 2016 को दिये गये फैसला के आलोक में सरकार द्वारा खननकर्ता मेसर्स शाह ब्रदर्स के प्रथम नवीकरण के आवेदन को रद्द किया जाना पूरी तरह गलत है.'' उल्लेखनीय है कि इस मामले में 04.04.2016 को दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वही है जिसका उल्लेख 12.01.2015 में संशोधित किये गये खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)–1957 में अंकित है. अर्थात इस प्रकार के खनन पट्टों का अवधि विस्तार 31.03.2020 तक स्वत: हुआ मान लिया जायेगा, बशर्ते कि संबंधित खननकर्ता ने किसी खनन नियम का उल्लंघन नहीं किया है.

कोर्ट के सामने अपनी बहस में अपर महाधिवक्ता ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 8ए(6) में 2015 में हुये संशोधन का एक हिस्सा तो पढ़ दिया और बता दिया कि राज्य सरकार के खान विभाग को खननकर्ता का पट्टा रद्द नहीं करना चाहिए था. परंतु संशोधन का दूसरा हिस्सा वे गोल कर गये. कोर्ट को उन्होंने यह नहीं बताया कि खननकर्ता ने किन–किन खनन नियमों का उल्लंघन किया है जिसके कारण वह अवधि विस्तार का पात्र नहीं है और इसे देखते हुये खान विभाग द्वारा इसका खनन पट्टा रद्द किया जाना सर्वथा उचित एवं नियमानुकुल है । इस पुस्तक के पूर्व के खंड 3, 4 और 5 में विस्तार से अंकित है कि लौह अयस्क के किस–किस खननकर्ता ने किन–किन खनन नियमों का उल्लंघन किया है.

खनन नियमों का यह उल्लंघन राज्य सरकार द्वारा गठित तीन समितियों ने अलग–अलग जाँच प्रतिवेदनों में साबित किया है. पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें से किसी पट्टाधारी की पट्टा अवधि का विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ने नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन किया है। यदि अपर महाधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में बहस में जाने से पहले अपने मुवक्किल खान विभाग से सलाह किया होता और संबंधित खननकर्ता द्वारा नियमों के उल्लंघन की फेहरिस्त न्यायालय के सामने तार्किक तरीका से रख दिया होता तो संभव था कि मेसर्स शाह ब्रदर्स के खनन पट्टा को निलंबित करने के सरकार के 01.04.2016 के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय कुछ और होता. इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के इस निर्णय पर न्यायालय से अंतरिम रोक नहीं लगी होती.

❖❖❖

खण्ड–10

अपर मुख्य सचिव, खान का अपमान

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के इस फैसले की प्रति खान विभाग में 27.04.2016 को प्राप्त हुई. इसे देख खान विभाग का पूरा महकमा हतप्रभ रह गया, सकते में आ गया। उन्हें लगा मानो घर के चिराग ने ही घर में आग लगा दिया. उन्होंने महसूस किया कि यह अपर महाधिवक्ता द्वारा उनके विश्वास पर चोट करने का मामला है. इससे एक विधिवेता के रूप में उनकी बुद्धिमता पर सवाल उठता है. इसकी एक झलक खान विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 10.05.2016 को संचिका पर अंकित टिप्पणी तथा खान विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा झारखंड सरकार के महाधिवक्ता को इस बारे में लिखे गये विरोध पत्र से मिलती है. यह पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट– 3 पर देखा जा सकता है. इस संबंध में खान विभाग के विशेष सचिव को संबोधित संयुक्त सचिव की संचिका पर टिप्पणी निम्नवत है :–

विशेष सचिव

पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा आर.एफ. के रकबा 233.89 हेक्टेयर क्षेत्र पर सर्वश्री शाह ब्रदर्स द्वारा धारित लौह अयस्क खनन पट्टा के अवधि विस्तार के आवेदन को विभागीय आदेश संख्या–882 दिनांक 01.04.2016 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था (पृष्ठ 260–259/प.).

अवधि विस्तार की अस्वीकृति संबंधी यह आदेश लीजकर्ता द्वारा खनन पट्टा में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों का उल्लंघन करने के आधार पर किया गया था, जिसकी विस्तृत विवरणी संलग्न संचिका के पृष्ठ 259/प. पर उल्लेखित है.

झारखण्ड गजट के आसाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या– 257 दिनांक 20.04.2016 द्वारा पट्टेधारी को सूचित कर उक्त खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार दिनांक 08.04.2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है (पृष्ठ 320–319/प.).

खनन पट्टा के अवधि विस्तार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध आवेदक कंपनी द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–2027/2016 मेसर्स शाह ब्रदर्स बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया.

उक्त याचिका में दिनांक 21.04.2016 को पारित न्यायादेश में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या–882, दिनांक 01.04.2016 तथा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्र संख्या–445/एम. दिनांक 05.04.2016 (पृष्ठ 7–4/प.) को Stay कर दिया गया (न्यायादेश की प्रति पृष्ठ 318–314/प. पर रक्षित है). लेकिन इस न्यायादेश में झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या– 257 दिनांक 20.04.2016 के संबंध में कोई आदेश अंकित नहीं है, जिसके द्वारा पट्टेधारी को सूचित कर उक्त खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार दिनांक 06.04.2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है इस अधिसूचना को याचिकाकर्ता द्वारा भी Challenge नहीं किया गया है.

दिनांक 21.04.2016 को पारित न्यायादेश के अध्ययन के पश्चात विभागीय पत्रांक 1107 दिनांक 29.04.2016 द्वारा विद्वान महाधिवक्ता को पत्र लिखकर इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु अधिकृत विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में रखे गए पक्ष के संबंध में विभाग की चिंताओं से अवगत कराते हुए दिनांक 05.05.2016 को इस मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि में राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने का अनुरोध किया गया, जिसकी प्रतिलिपि प्रधान सचिव, विधि विभाग को भी प्रेषित की गई थी (पृष्ठ 330–328/प.). विद्वान महाधिवक्ता को लिखे एक उक्त पत्र में मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्यों को अंकित किया गया है :–

1. न्यायादेश की कंडिका–5 में वर्णित है कि श्री अजीत कुमार, विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय को यह बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Common Cause Case (Supra) में दिनांक 04.04.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता के प्रथम नवीकरण के आवेदन को सरकार द्वारा रद्द किया जाना Wholly out of place था. **श्री अजीत कुमार, विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य बिना विभाग से संपर्क किये तथा सरकार के पक्ष के विपरीत रखा गया था.**
2. मेसर्स शाह ब्रदर्स का खनन पट्टा उनके द्वारा खनन पट्टा में अंकित शर्तों एवं बंधेजों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया गया था एवं पट्टाधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वच्छता में दिये गये Limit से अधिक खनन करने के विरूद्ध 1243.94 करोड़ रूपये का Demand Letter भी दिया गया था लेकिन

विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा इन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया.

3. विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष "Termination of Prospecting license or mining lease" तथा "Period of grant of lease/extension" के अंतर को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. झारखण्ड गजट की अधिसूचना संख्या–257, दिनांक 20.04.2016, जिसके द्वारा उक्त खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार सार्वजनिक घोषणा कर सरकार के पक्ष में ले लिया गया है, के संबंध में भी माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया.

उक्त पत्र के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता से विभाग को कोई परामर्श अद्यावधि अप्राप्त है.

इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 05.05.16 को सम्पन्न हुई, लेकिन उक्त तिथि को माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की कोई सूचना विभाग में प्राप्त नहीं हुई है, और न ही विद्वान महाधिवक्ता द्वारा भी इस संबंध में कोई सूचना/परामर्श विभाग को दिया गया है.

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश खान विभाग में 27.04.2016 को पहुँचा था. तदुपरांत खान विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के महाधिवक्ता को 29 अप्रैल 2016 के दिन एक कड़ा विरोध पत्र भेजा और इस मामले में अपर महाधिवक्ता द्वारा की गई 'भरोसा पर चोट और एक विधिवेता के रूप में उनकी अनुचित भूमिका से उन्हें अवगत कराया. उन्होंने लिखा कि अपर महाधिवक्ता ने खान विभाग के पक्ष को सही तरीका से न्यायालय में नहीं रखा. इस मामले में आपके द्वारा प्रतिनियुक्त अपर महाधिवक्ता ने विभाग से कोई परामर्श नहीं किया. खान विभाग द्वारा मेसर्स शाह ब्रदर्स का खनन पट्टा रद्द करने के 01.04.2016 के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि इन्होंने खनन नियमों का घोर उल्लंघन किया है, परन्तु अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह न्यायालय के सामने नहीं रखा। इसके अतिरिक्त खान विभाग ने साबित किया है कि मेसर्स शाह ब्रदर्स ने 1994–95 से 2011–12 के बीच पर्यावरण स्वीकृति की निर्धारित सीमा से 29,24,529 मीट्रिक टन अधिक उत्पादन किया है जो नियमानुसार अवैध खनन है. इस अवैध खनन के लिये शाह ब्रदर्स पर 1243.94 रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जिसका भुगतान उन्होंने विभाग द्वारा मांग पत्र भेजे जाने के बावजूद नहीं किया है. अपर महाधिवक्ता ने इस महत्वपूर्ण तथ्य से न्यायालय

को अवगत नहीं कराया. उन्होंने यह पत्र भी न्यायालय के सामने नहीं रखा. अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी नहीं बताया कि खनन पट्टा रद्द करने के बाद सरकार ने 08.04.2016 को इस खनन क्षेत्र का स्वामित्व अपने पास ले लिया है जिसकी अधिसूचना 20.04.2016 को राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित की जा चुकी है.

खान विभाग के अपर मुख्य सचिव ने महाधिवक्ता से आग्रह किया कि वे अपर महाधिवक्ता को निर्देश दें कि आगे वे सरकारी मुकदमों मे संबंधित विभाग से परामर्श करने के बाद ही न्यायालय के समक्ष बहस करें और इस मामले में अगली तिथि 5 मई 2016 को उपर्युक्त तथ्य न्यायालय के सामने रखें ताकि अवैध खनन करने वालों के पट्टे रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगी न्यायिक रोक हटायी जा सके. परंतु ऐसा हुआ नहीं। महाधिवक्ता ने अपने स्तर से इसपर कोई कार्रवाई नहीं किया.

अपर मुख्य सचिव, खान ने अपने पत्र की प्रति सरकार के मुख्य सचिव, विधि सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भी भेजा था. मगर राज्यहित के इस गंभीर विषय का संज्ञान उनलोगों ने नहीं लिया। अगली तिथि को न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश को वापस कराने की कोशिश नहीं हुई. मुख्यमंत्री की ओर से विधि सचिव की ओर से या महाधिवक्ता की ओर से अपने मुवक्किल के हित के विरोध में कोर्ट मे बहस कर उसके भरोसा पर चोट पहुँचाने वाले अपर महाधिवक्ता को इसके लिये कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं की गई. अगली तिथि को भी कोर्ट मे बहस करने के लिये उन्हें ही अधिकृत किया गया. इससे प्रमाणित हुआ कि अपर महाधिवक्ता ने ऐसी भूमिका सत्ता शीर्ष के निर्देश पर निभाया.

अपर मुख्य सचिव, खान द्वारा इस मामले में बहस के दौरान अपर महाधिवक्ता द्वारा की गई आपत्तिजनक बहस पर खान विभाग की नाराजगी व्यक्त करते हुए महाधिवक्ता को लिखे पत्र की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को हुई तो वे आग–बबूला हो गये. राज्यहित के पक्षधर अपर मुख्य सचिव,खान को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री निवास में बुलाया. आधा दर्जन से अधिक उनके समकक्ष एवं कनीय प्रशासनिक एवं गैर–प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रताड़ित और अपमानित किया. अपने लाड़ले अपर महाधिवक्ता के आचरण को इंगित करते हुये महाधिवक्ता को विरोध पत्र लिखने के लिये मुख्यमंत्री ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें अपशब्द कहा. कहा कि अच्छा हुआ मैंने तुझे राज्य का मुख्य सचिव नहीं बनाया. अपर मुख्य सचिव, खान उस समय झारखंड के

सर्वाधिक वरीय प्रशासनिक अधिकारी थे. नतीजा हुआ कि इस कर्मठ, ईमानदार, शालीन और स्वाभिमानी पदाधिकारी ने अपमान के प्रतिकार स्वरूप झारखंड राज्य की सेवा छोड़कर केन्द्र सरकार की सेवा में जाना पसंद किया.

इससे स्पष्ट हो गया कि झारखंड सरकार के खान विभाग में भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाला और अपर महाधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष राज्यहित एवं अपने मुवक्किल के हित के विरूद्ध बहस करने के लिये निर्देश देने वाला कोई अन्य नहीं बल्कि कानून और संविधान की रक्षा की शपथ लेकर राज्य की शीर्ष प्रशासनिक कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति ही हो सकता है. ''पूर्ण बहुमत और डबल इंजन'' वाली झारखंड सरकार के सत्ताशीर्ष पर बैठे व्यक्ति की शह पर खान विभाग में भ्रष्ट आचरण का यह शर्मनाक आरम्भ था. विदित हो कि झारखंड के स्वनामधन्य मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ही उस समय खान विभाग के भी मंत्री थे.

❖❖❖

खण्ड–11

चालान दे दिया जाय : मुख्यमंत्री

झारखंड सरकार के खान विभाग ने शाह आयोग की अनुशंसाओं और तदुपरांत झारखंड सरकार द्वारा गठित तीन समितियों की जाँच में अवैध पाये गये सभी खनन पट्टों को 01.04.2016 को रद्द कर दिया. तीन अवैध खननकर्ताओं ने सरकार के इस आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दिया. मुकदमा चला तो झारखंड सरकार के वकील, तत्कालीन अपर महाधिवक्ता, ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नहीं रखा. इसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने 24.06.2016 को एक अंतरिम आदेश देकर सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया. नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करने वालों ने और सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करने वाले उनके बिचौलियानुमा मददगारों ने इस स्थगन आदेश को अपनी बड़ी जीत माना. लौह अयस्क का अवैध खनन रोकने के लिये गठित जस्टिस एम.बी. शाह आयोग की अनुशंसाओं की राह में पलीता लगाने का उनका यह पहला सफल षडयंत्र था। उन्हें भरोसा हो गया कि जब खुद सरकार ही अपने निर्णय को पलटवाने की साजिश का हिस्सा हो सकती है तो शाह आयोग की अनुशंसाओं और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 यथा संशोधित–2015 के नियम 8ए(6) के प्रावधानों को धत्ता बताते हुये अवैध साबित हो चुके अपने खनन पट्टों को वे बंद नही होने देंगे और अवैध खनन पट्टों की मियाद 31 मार्च 2020 तक खींच ले जाना अब उनके लिये मुश्किल नहीं होगा.

चाईबासा के एक खनन पट्टाधारी मेसर्स शाह ब्रदर्स इस मुहिम के अगुआ बने. उनका खनन पट्टा रद्द करने के सरकार के आदेश पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने जैसे ही रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया वैसे ही इन्होंने सरकार के खान विभाग से आवश्यक अनुमति लिये बिना खनन करना आरम्भ कर दिया. उन्होंने इसकी परवाह नहीं किया कि उनका खनन पट्टा रद्द करने के बाद सरकार ने उनकी खदान को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है. इसकी अधिसूचना सरकार के सामान्य गजट में प्रकाशित हो चुकी है. अब वे इसके मालिक नहीं रहे. उनके द्वारा सरकार से अनुमति लिये बिना खनन करना अवैध है. उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, खनन जारी रखा. उनकी इस गैरकानूनी गतिविधि पर सरकार भी चुप्पी साधे रही. सरकार ने अवैध खनन चलते रहने दिया. इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अवैध

रूप से उत्खनित अपने लौह अयस्क भंडार के परिवहन के लिये चालान देने की माँग सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया. यह माँग उन्होंने 27.04.2016 को जिला खनन पदाधिकारी के साथ ही सरकार के खान विभाग के पास भी भेज दिया. उल्लेखनीय है कि इस दिन तक खनन पट्टों को रद्द करने के सरकार के निर्णय पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश खान विभाग के पास नहीं पहुँचा था. न्यायालय का आदेश सरकार के खान विभाग में पहुँचने के पहले ही माइनिंग/परिवहन चालान देने की शाह ब्रदर्स की माँग सरकार के पास पहुँच गई.

नियमानुसार उत्खनित खनिज का माईनिंग/परिवहन चालान देने का अधिकार जिला के खनन पदाधिकारी का है. जिला खनन पदाधिकारी ने परिवहन चालान देने की मेसर्स शाह ब्रदर्स की माँग पर उचित माध्यम से सरकार का मार्गदर्शन माँगा और विवेचना के साथ विषयवस्तु को खान निदेशक के पास भेज दिया. 13.05.2016 को खान निदेशक को भेजे पत्र में जिला खनन पदाधिकारी ने तर्क दिया कि 21.04.2016 को माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आने के पहले ही 08.04.2016 को राज्य सरकार ने इस खदान का क्षेत्राधिकार अपने पास ले लिया है और 20.04.2016 को क्षेत्र की रिक्ति के संबंध में गजट अधिसूचना भी विज्ञापित हो गई है. कारण कि सरकार द्वारा गठित तीनों जाँच समितियों ने इनके द्वारा खनन में अनियमितता बरतने का प्रतिवेदन दे दिया था. इसके बाद इस खनन पट्टा के अवधि विस्तार की पात्रता नहीं रह गई थी. अब इस खदान का मालिक राज्य सरकार है, शाह ब्रदर्स नहीं है. ऐसी स्थिति में शाह ब्रदर्स को माईनिंग/परिवहन चालान देने या नहीं देने के बारे में सरकार का मार्गदर्शन अपेक्षित है. परंतु सरकार द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला. उनके इस वाजिब अनुरोध पर राज्य सरकार के खान विभाग ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है.

दूसरी ओर माईनिंग/परिवहन चालान देने के लिये शाह ब्रदर्स ने जो आवेदन खान विभाग को भेजा था और उन्हें माईनिंग/परिवहन चालान देने का अलग से अनुरोध किया था, सरकार उसपर रेस हो गई. राज्य सरकार के खान विभाग के संयुक्त सचिव ने 10.05.2016 को इस मामले में एक सारगर्भित टिप्पणी संचिका मे अंकित किया. उन्होंने विभागीय सचिव से अनुरोध किया कि इस मामले में विधि विभाग के माध्यम से निम्नांकित बिन्दुओं पर महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त किया जाय. संचिका पर अंकित उनकी टिप्पणी निम्नवत है. इसमें उन्होंने लिखा है कि– ''आवेदक कंपनी सर्वश्री शाह ब्रदर्स ने एक आवेदन देकर उक्त खनन पट्टे से

उत्खनित खनिज का परिवहन चालान (Forwarding Note) निर्गत करने का अनुरोध पत्र दिया है (संलग्न संचिका का पृष्ठ 310–309/प.).

उपर्युक्त विवरण के आलोक में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से निम्नांकित बिन्दुओं पर मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है–

1. दिनांक 01.04.2016 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध पाये गये 23 लौह अयस्क खनन पट्टों को रद्द करने के सरकार के निर्णय के विरूद्ध जो अंतरिम आदेश पारित किया है और यह आदेश मिलने के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विद्वान महाधिवक्ता को जो विरोध पत्र लिखा है (पत्र संख्या 1107, दिनांक 29.4.2016) उसके आलोक में कौन सी कारवाई की जानी अपेक्षित है ?
2. दिनांक 01.04.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ करना वर्णित न्यायादेश के अनुकुल है अथवा नहीं?
3. प्रासंगिक न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता कम्पनी को उत्खनित खनिज के लिये माईनिंग/परिवहन चालन निर्गत किया जा सकता है या नहीं ?'

महाधिवक्ता ने इस पर 16.06.2016 को अपना मंतव्य दिया. महाधिवक्ता का मंतव्य विधि विभाग के माध्यम से खान विभाग में आया तो पता चला कि इसमें उपर्युक्त तीन बिन्दुओं में से केवल बिन्दु–3 पर ही उन्होंने अपना मंतव्य दिया है. बिन्दु–1 और बिन्दु–2 पर उन्होंने कोई मंतव्य/परामर्श दिया ही नहीं है. बिन्दु–3 पर दिये गये मंतव्य में भी विद्वान महाधिवक्ता ने विषयवस्तु के वैधानिक गुण–दोष की मीमांसा नही की है. निर्दोष निष्कर्ष के रूप में उन्होंने केवल इतना ही लिखा है कि **'सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिये जबतक कि उस न्यायिक आदेश मे परिवर्तन नहीं हो जाय या वह आदेश विलोपित नहीं हो जाय.' अत: चालान दिया जा सकता है. अंगरेजी में दिये गये उनके मंतव्य का प्रासंगिक अंश निम्नवत है –**

'The compliance of the interim order passed by any court of Law, here passed by Hon'ble Single Judge, is to be essentially/ substantially complied in and thus, mining challan etc. may be issued to petitioner.'

महाधिवक्ता ने अपने मंतव्य में इस बारे में चुप्पी साध लिया कि उच्च न्यायालय के एकल पीठ के इस आदेश के विरूद्ध सरकार को खंडपीठ में अपील करना चाहिये

या नहीं. यदि सरकार के किसी सुविचारित निर्णय पर न्यायालय के एकल पीठ द्वारा स्थगन आदेश दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार खंडपीठ के सामने अपील करती है. सरकारी कर्मचारियों या शिक्षकों के पक्ष में दो–चार लाख रुपये का भुगतान करने का न्यायालय का निर्णय हो जाता है तो सरकार इसके विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट तक अपील करती है. परंतु अरबों रूपये के अवैध खनन के इस मामले में सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील करना उचित नहीं समझा और न महाधिवक्ता ने ऐसा करने का परामर्श दिया. उन्होंने इतना ही कह कर पिंड छुड़ा लिया कि **'सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिये जबतक कि उस न्यायिक आदेश मे परिवर्तन नहीं हो जाय या वह आदेश विलोपित नहीं हो जाय.'** आखिर किसी न्यायिक आदेश मे परिवर्तन तो तभी होगा और/ या वह विलोपित तभी होगा जब सरकार इसके खिलाफ ऊपर के न्यायालय में अपील करेगी.

विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श पर खान विभाग के अपर सचिव सत्य प्रकाश नेगी ने विभागीय सचिव को अपना मंतव्य 22.06.2016 को भेजा. उनका मंतव्य हू–ब–हू निम्नवत है :–

सचिव,

1– कृपया पृष्ठ संख्या–20/टि. पर विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श का अवलोकन करना चाहेंगे.

2– प्रासंगिक मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2016 को WP(C) No. 2027/2016, मेसर्स शाह ब्रदर्स–बनाम–यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश (संलग्न संचिका का पृष्ठ संख्या–308–304/प.) में इस खनन पट्टे की अवधि विस्तार को अस्वीकृत करने संबंधी सरकार के आदेश पर दिनांक 01.04.2016 एवं 05.04.2016 को रोक लगा दी गयी है.

3– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री अनिल कुमार खिरवाल के मामले में दायर WP(C) No. 2207/2016 में दिनांक 28.04.2016 को पारित न्यायादेश में दिनांक 01.04.2016 एवं दिनांक 05.04.2016 के आदेश को सुनवाई की अगली तिथि तक के लिए रोक लगा दिया गया (पृष्ठ संख्या 531–526/प.).

4– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No. 2027/2016 एवं WP(C) No. 2207/2016 में दिनांक 05.05.2016 को पारित आदेश में मात्र श्री अनिल

कुमार खिरवाल के मामले में (WP(C) No. 2207/2016) में अगली सुनवाई की तिथि तक स्थगन आदेश दिया गया, **परन्तु श्री शाह ब्रदर्स के मामले में कोई निर्णय नहीं दिया गया (पृष्ठ संख्या–525/प.).**

5– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री पदम कुमार जैन के मामले यथा WP(C) No. 2515/2016 में दिनांक 20.05.2016 को पारित आदेश में दिनांक 01.04.2016 एवं दिनांक 05.04.2016 के आदेश पर सुनवाई की अगली तिथि तक रोक लगा दी गयी (पृष्ठ संख्या– 543–532/प.).

6– **दिनांक 16.06.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तीनों वादों पर सुनवाई की गयी, परन्तु मात्र दो मामले यथा श्री अनिल कुमार खिरवाल (WP(C) No. 2207/20165) एवं श्री पदम कुमार जैन (WP(C) No. 2515/2016) में सुनवाई की अगली तिथि तक स्थगन आदेश को बरकारार रखा गया, लेकिन श्री शाह ब्रदर्स के मामले में कोई आदेश नहीं दिया गया (पृष्ठ संख्या 545–544/प.).**

7– दिनांक 21.04.2016 को पारित न्यायादेश के उपरांत मेसर्स शाह ब्रदर्स द्वारा स्वत: खनन कार्य प्रारम्भ कर परिवहन चालान (Forwarding Note) निर्गत करने का अनुरोध किया गया है (संलग्न संचिका का पृष्ठ संख्या–310/प.), जिसमें विभाग द्वारा परिवहन चालान निर्गत नहीं करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में एक अवमाननावाद दाखिल किया गया है। उक्त अवमाननावाद पर विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में कारण पृच्छा दायर किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस तथ्य को रखा गया है कि प्रासंगिक खनन पट्टे का क्षेत्राधिकार सरकार के पक्ष में ले लिया गया है।

8– मेसर्स शाह ब्रदर्स के उक्त अनुरोध के आलोक में परिवहन चालान (Forwarding Note) निर्गत करने के संबंध में परामर्श हेतु विद्वान महाधिवक्ता से अनुरोध किया गया (पृष्ठ संख्या 9–8/टि.).

इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श पृष्ठ संख्या–20/टि. पर दृष्टव्य है. अंग्रेजी में दिये गये इस परामर्श के उल्लेखनीय तथ्य निम्नवत है :–

"The Hon'ble Single Judge heard the Contempt matter of M/s Shah Brothers on 16.06.2016 declined to give any clarification or modification in its order dated 21.04.2016 and with a direction to comply with the interim order passed by the Court, the matter has

been adjourned on 05.07.2016". **"Thus, the interim order must be complied and the mining challan etc. May be issued to the petitioner."**

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं मेसर्स शाह ब्रदर्स के मामले में समय–समय पर पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता द्वारा परिवहन चालान (Forwarding Note) निर्गत करने हेतु दिए गए परामर्श पर कृपया माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है.

ह./–
(सत्य प्रकाश नेगी)
22.06.2016

माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने विभाग के अपर सचिव के उपर्युक्त मंतव्य को स्वीकार नहीं किया, जो स्वत: स्पष्ट था. बल्कि उन्होंने महाधिवक्ता के अस्पष्ट मंतव्य को स्वीकार कर लिया. महाधिवक्ता के इस मंतव्य पर अपर सचिव की टिप्पणी वाली संचिका विभागीय सचिव के पास दिनांक 24.06.2016 को आई. सचिव ने 26.06.2016 को संचिका मुख्यमंत्री को भेज दिया जो खान मंत्री भी थे. मुख्यमंत्री ने बिना समय गँवाये उसी दिन उसपर दस्तखत कर दिया. यानी इसे स्वीकार कर लिया. मानो वे यह संचिका उनके पास आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही महाधिवक्ता का यह मंतव्य मुख्यमंत्री का आदेश हो गया कि **'परिवहन चालान दे दिया जाय.'** शाह ब्रदर्स को चालान देने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित संचिका का प्रासंगिक पृष्ठ हू–ब–हू इस खंड के आगे देखा जा सकता है.

संचिका पर माईनिंग चालान देने संबंधी मुख्यमंत्री का आदेश :–

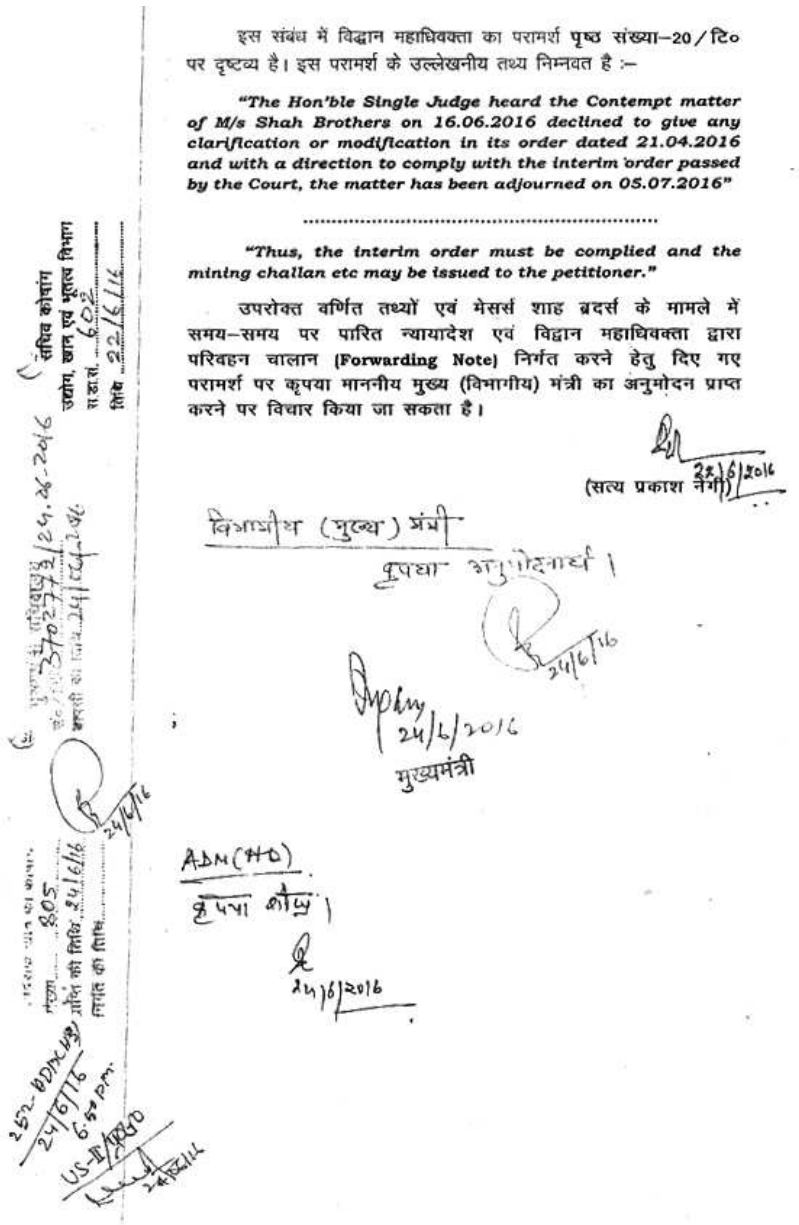

इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श पृष्ठ संख्या–20 / टि० पर दृष्टव्य है। इस परामर्श के उल्लेखनीय तथ्य निम्नवत है :–

"The Hon'ble Single Judge heard the Contempt matter of M/s Shah Brothers on 16.06.2016 declined to give any clarification or modification in its order dated 21.04.2016 and with a direction to comply with the interim order passed by the Court, the matter has been adjourned on 05.07.2016"

....

"Thus, the interim order must be complied and the mining challan etc may be issued to the petitioner."

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं मेसर्स शाह ब्रदर्स के मामले में समय–समय पर पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता द्वारा परिवहन चालान (Forwarding Note) निर्गत करने हेतु दिए गए परामर्श पर कृपया माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

23/6/2016
(सत्य प्रकाश नेगी)

विभागीय (मुख्य) मंत्री
कृपया अनुमोदनार्थ।
24/6/16

Approved
24/6/2016
मुख्यमंत्री

ADM(HD)
कृपया कार्यार्थ।
24/6/2016

सचिव कोषांग
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
स०प्रा०सं० 602
तिथि 22/6/16

मुख्यमंत्री सचिवालय 370277/24.06.2016
प्राप्ति की तिथि 24/06/2016

संख्या 805
प्राप्ति की तिथि 24/6/16
निर्गत की तिथि

24/6/16

252-ODAC/HD
24/6/16
6.50 P.M.

US-II/...
24/6/16

खण्ड–12

चालान नहीं दे सकता : खनन पदाधिकारी

शाह ब्रदर्स को परिवहन चालान देने का मुख्यमंत्री का आदेश संचिका पर हो जाने के बाद खान विभाग के उपसचिव श्री अरुण कुमार ने निदेशानुसार 29.06.2016 को पत्र संख्या ख.नि.(विधि) 1805 द्वारा पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी को आदेश दिया कि 'शाह ब्रदर्स को माइनिंग चालान निर्गत करने की कारवाई की जाय. 'यह आदेश जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा के पास पहुँचा तो **उन्होंने मुख्यमंत्री का यह आदेश मानने से इंकार कर दिया और कहा कि यह आदेश अनुचित है, अवैधानिक है.** जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि शाह ब्रदर्स के खनन पट्टा को पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस खदान को संचालित करने की अनुमति मेसर्स शाह ब्रदर्स को नहीं दिया है. ऐसी स्थिति में इस खदान से खनन करना अवैध खनन करना है. ऐसी स्थिति में अवैध खनन द्वारा उत्खनित खनिज का परिवहन करने के लिये माइनिंग चालान देना गलत होगा. इसलिये मैं शाह ब्रदर्स को चालान निर्गत नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री के गलत आदेश का पालन नहीं कर सकता. जिला खनन पदाधिकारी के इस मंतव्य से स्पष्ट है कि शाह ब्रदर्स को खनन परिवहन चालान देने का मुख्यमंत्री का आदेश अवैध है और अवैध खनन को प्रोत्साहित करनेवाला है. तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऐसा गलत आदेश क्यों किया? किस दबाव में किया? यह तो वह स्वयं जाने या कोई सक्षम प्राधिकार इसकी जाँच करे तो रहस्य का पर्दाफास हो सकता है ।

मुख्यमंत्री और खान सचिव के सामने जिला खनन पदाधिकारी एक अदना सा सरकारी मुलाजिम है. जिला खनन पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री का यह आदेश नियमानुकुल नहीं प्रतीत हुआ तो उसने उसका अनुपालन करने में असमर्थता जता दी. यदि मुख्यमंत्री स्तर का यह अवैधानिक आदेश अनजाने में हुआ होता, गफलत में हुआ होता और कनीय अधिकारी इसका अनुपालन नहीं कर उपयुक्त स्तर के पदाधिकारी के ध्यान में गलती ला देता तो हुक्मरान इसके लिये उस अदना अधिकारी की पीठ थपथपाते, प्रशंसा करते कि उसने एक घोटाला होने से बचा लिया. उनके स्तर पर गफलत में हुई अनियमितता पर लगाम लगा दिया, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने से बचा लिया, उन्हें भ्रष्ट आचरण के दलदल में धँसने से उबार लिया. पर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. विभाग के एक कनीय अधिकारी द्वारा

उनका आदेश नहीं मानना मुख्यमंत्री जी को नागवार लगा. उन्होंने सत्ता का पावर दिखाने की ठान ली. उसे कटघरे में खड़ा होने पर विवश कर दिया. जिसकी मदद में सरकार थी, उस अवैध खननकर्ता ने जिस खनन पदाधिकारी पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा ठोक दिया, पावर दिखा दिया.

पावर–पावर की बात वाली एक चर्चित कहावत है कि– रेल पथ के किसी मेन लाईन पर एक मानव रहित गुमटी थी. रेलगाड़ी आये तो गुमटी को बंद करने और चली गई तो यातायात के लिये गुमटी खोल देने के लिये वहाँ एक रेलकर्मी नियुक्त था. एक दिन ड्युटी के समय रेलकर्मी की धर्मपत्नी गुमटी पर पहुँच गई. कुछ देर तक पतिदेव को गुमटी खोलने–बंद करने का काम करते देखती रही. फिर पूछा कि तुम यूँ ही गुमटी खोलते–बंद करते रहते हो या कोई पावर भी है. पति ने कहा कि बहुत पावर है. मैं चाहूँ तो किसी भी ट्रेन को रोक दूँ, राजधानी को भी. पत्नी ने कहा कि मुझे भी तो अपना पावर दिखाओ, राजधानी एक्सप्रेस को रोक कर दिखा दो. पति ने कहा, ठीक है दिखाता हूँ.

जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस गुमटी के पास आती दिखी, पति ने लाल झंडा दिखा दिया, राजधानी रूक गई. पति ने ताव दिखाते हुये पत्नी से कहा, देख ली न मेरा पावर ! पत्नी प्रभावित हो गई. इसी बीच राजधानी का गार्ड गुमटी पर पहुँचा और रेलकर्मी से पूछा कि क्यों गाड़ी रोकवा दी? पति ने सारा वाकया सुना दिया. गार्ड ने उसे जोर का चाँटा रसीद किया और चलते बना. बगल में खड़ी पत्नी ने कहा, इसने तो तुम्हें धो दिया. पति ने कहा– पावर पावर की बात है. मेरा पावर राजधानी को रोकवा देने का था, उसका पावर मुझे पीट देने का था. पावर–पावर का ऐसा ही खेल झारखंड सरकार के खान विभाग में चल रहा है. जिसका जो पावर है वह उसका इस्तेमाल करते चल रहा है. इस संदर्भ में कहावत का एक और उदाहरण प्रस्तुत हो गया. मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के परिवहन के लिये चालान देने का गलत आदेश देकर अपने भ्रष्ट आचरण का पावर दिखा दिया. जिला खनन पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के गलत आदेश को रोक कर अपना पावर दिखा दिया और उन पर मानहानि का मुकदमा कर शाह ब्रदर्स ने अपना पावर दिखा दिसया और मुकदमा लड़ने के लिये जिस खनन पदाधिकारी को सरकारी वकील नहीं देने का पावर सत्ता शीर्ष ने दिखा दिया.

स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने शाह ब्रदर्स के अवैध खनन को वैध करने के लिये माईनिंग चालान देने का आदेश जानबूझ कर दिया था और इसके लिये महाधिवक्ता

को बलि का बकरा बनाया था, अनुचित दबाव डालकर महाभारत के ''अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुँजरो वा'' की तर्ज पर महाधिवक्ता से एक अस्पष्ट मंतव्य एक साजिश के तहत ले लिया गया. इससे उन्हें सदमा लगा जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सके. यह कसक उन्हें सालती रही. वे मेरे अच्छे मित्र थे. मेरी कतिपय जनहित याचिकाओं पर उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में निःशुल्क बहस की थी. इस विषय पर उन्होंने अपनी मानसिक पीड़ा का इजहार मुझसे किया था. कहा था गलती हो गई, पर क्या करूँ सत्ताशीर्ष के दबाव में यह करना पड़ा. इस पद पर बने रहना अब मुश्किल हो गया है. किसी मामले में सरकार अपील नहीं करना चाहे तो किया ही क्या जा सकता है ? वे ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रह पाये.

सवाल है और गम्भीर सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री ने इस मामले में चालान देने का आदेश किस आधार पर दिया ? चालान देने के बारे में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माँगे गये मार्गदर्शन के पत्र को खान विभाग ने ठंढे बस्ते में किसके आदेश से डाल दिया ? आखिर यह गैरकानूनी आदेश, वह भी एक लौह अयस्क खननकर्ता को परिवहन चालान निर्गत करने का, मुख्यमंत्री ने दिया क्यों ? किसके दबाव में दिया ? किस कारण से दिया ? किसे लाभ पहुँचाने के लिये दिया ? नियमानुसार माइनिंग चालान देने का अधिकार जिला खनन पदाधिकारी को ही होता है. मुख्यमंत्री ही खान विभाग के भी मंत्री थे. उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को मार्गदर्शन देना मुनासिब नहीं समझा, उसे विधिसम्मत मार्गदर्शन नहीं दिया, उसकी सही बात को नहीं माना और संचिका पर महाधिवक्ता के आयातित मंतव्य को ढाल बनाकर अपने स्तर से माइनिंग चालान देने का आदेश कर दिया. जिला खनन पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री का अनुचित और अवैध आदेश नहीं माना तो उसे प्रताड़ित किया गया.

इतना ही नहीं पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने न केवल मुख्यमंत्री का माईनिंग चालान देने का अनुचित आदेश मानने से इंकार कर दिया बल्कि 1 अगस्त 2016 को उन्होंने निदेशक खान को लिखा (पत्र संख्या 937 एम.) कि झारखंड उच्च न्यायालय की एकल (एक जज वाली) पीठ ने जिस आदेश से सरकार द्वारा अवैध खनन के दोषी 3 खनन पट्टों को रद्द करने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दिया है उसके खिलाफ सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ यानी डबल बेंच में अपील करे. पत्र के साथ उन्होंने अपील करने के बिन्दुओं का भी विस्तार से वर्णन करते हुए एक नोट संलग्न कर दिया. निदेशक, खान के नाम इस

बारे में जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा लिखित पत्र की हू–ब–हू प्रति इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट–4 पर देखा जा सकता है.

जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने शाह ब्रदर्स को माइनिंग चालान देने का आदेश दिया, उस दिन तक इनके खनन पट्टा को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खनन करने की सहमति नहीं दी थी. चाईबासा के सहायक खनन पदाधिकारी ने 02.02.2016 को ही शाह ब्रदर्स को खनन करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से खान संचालन की अद्यतन सहमति का पत्र (सीटीओ) उपलब्ध कराने के लिये कहा था जिसे उन्होंने नहीं किया. 01.07.2016 को उन्होंने खान निदेशक से निर्देश माँगा कि बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन की सहमति मिले खनन चालान देने के आदेश का पालन कैसे किया जा सकता है ? इसके बाद 04.07.2017 को भी लिखा कि बिना परिचालन की सहमति के किसी खनन पट्टाधारी को उत्खनित खनिज का परिवहन करने के लिये माइनिंग चालान कैसे निर्गत होगा ? इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया कि खनन करने की सहमति देने के लिये शाह ब्रदर्स द्वारा दिया गया अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिये उसे 11.07.2016 को खारिज कर दिया गया है और इसकी सूचना उन्हें 12.07.2016 को ई–मेल से और 13.07.2017 को विशेष दूत के माध्यम से उन्हें दे दी गई है.

इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर सत्ताशीर्ष से दबाव पड़ना शुरू हुआ. झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष पर शाह ब्रदर्स की खदान के परिचालन के लिये सहमति यानी अनापत्ति देने का दबाव बनाया गया. इसके लिये शाह ब्रदर्स से एक नया अभ्यावेदन लिया गया और यह तथ्य छुपाकर कि मेमो संख्या बी–3215 द्वारा 11.07.2016 को इनका खान परिचालन की सहमति देने वाला आवेदन खारिज कर दिया गया है, इन्हें 28.07.2016 को खदान परिचालन की सशर्त सहमति दे दी गई. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यह शर्त लगा दिया कि यह सहमति केवल मुकदमा संख्या 2027/2016 में अंतिम निर्णय देने तक के लिये ही दी जा रही है.

स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री सह खान मंत्री श्री रघुवर दास ने जिस दिन मेसर्स शाह ब्रदर्स को माईनिंग चालान देने का आदेश दिया उस दिन उसकी खदान को पर्यावरण सहमति नहीं थी. उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से खनन करने की अनुमति नहीं थी. सवाल है कि जिस खनन पट्टा को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सीटीओ प्राप्त नहीं है,

उसे चालान देने का आदेश देना, भ्रष्ट आचरण है या नहीं ? बाद में दबाव डालकर उसे खनन की सशर्त अनुमति दिलाई गई. सवाल उठता है कि क्या जिस दिन उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दबाव में खनन की सशर्त अनुमति दिया, उसके पहले बिना अनुमति के उसके द्वारा किया गया खनन अवैध खनन है या नहीं ? यदि है तो मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन द्वारा निकाले गये लौह अयस्क के परिवहन के लिये माईनिंग चालान देने का आदेश उनका भ्रष्ट आचरण है या नहीं? क्या अवैध खनन से उत्खनित लौह अयस्क को बाजार में खपाने के लिये जानबूझकर दिया गया मुख्यमंत्री का यह आदेश एक साजिश का हिस्सा नहीं है ? क्या यह मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन को प्रोत्साहित करने का प्रमाण नहीं है ? क्या यह संबंधित खनन पट्टाधारी को अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाने के लिये पद का दुरूपयोग करना है या नहीं ?

स्पष्ट है कि माइनिंग चालान देने के लिये अधिकृत जिला खनन पदाधिकारी द्वारा इंकार किये जाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मेसर्स शाह ब्रदर्स को परिवहन चालान देने का अनधिकृत आदेश दिया. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स शाह ब्रदर्स की खान परिचालन सहमति खारिज कर देने के 17 दिन बाद दबाव डालकर और तथ्य छुपाकर उसे सशर्त सहमति देने के लिये बाध्य किया. इससे भी गंभीर बात यह है कि मेसर्स शाह ब्रदर्स को माइनिंग चलान देने से इंकार करने वाले पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी को प्रताड़ित किया गया. चालान नहीं देने के लिये शाह ब्रदर्स द्वारा उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना की कार्रवाई चलाई गई. यह आदेश उन्होंने सरकारी दायित्व का निर्वहन करते हुये नियमानुसार दिया था. परंतु उन्हें हाईकोर्ट में सरकारी वकील नहीं दिया गया. अपने खर्च पर अपना प्राईवेट वकील खड़ाकर उन्होंने मुकदमा लड़ा और बरी हुये. राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने इस मामले में भी पूर्ववत भूमिका का प्रदर्शन किया. इस संबंध में विभागीय सचिव, निदेशक, खान और जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासाको उनके द्वारा लिखा गया पत्र परिशिष्ट – 5 पर देखा जा सकता है.

राज्यहित को दरकिनार कर एक सुनियोजित साजिश के तहत अवैध खनन पट्टाधारी को माइनिंग परिवहन चालान का लाभ देने के लिये अधीनस्थ अधिकारी को अनुचित एवं अवैधानिक निर्णय लेने से विवश करने और मुख्यमंत्री का अनुचित आदेश नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित करने के खेल के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र स्पष्ट है. इसका सबसे गंभीर और शर्मनाक पहलू यह है कि इस साजिश को सत्ताशीर्ष के

सक्रिय सहयोग से अंजाम दिया गया है. राज्य सरकार के सत्ताशीर्ष पर बैठे व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण का यह ज्वलंत उदाहरण है.

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के अभियुक्त श्री लालू प्रसाद ने तथ्यों की अनदेखी कर पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र के सिफारिशी पत्र पर डा. श्याम बिहारी सिन्हा सहित पशुपालन विभाग के तीन दागी अधिकारियों को सेवा अवधि का विस्तार दे दिया था. इसके लिये श्री लालू प्रसाद और डा. जगन्नाथ मिश्र दोनों पर सीबीआई ने चार्जशीट किया. दोनों को जेल जाने का कारण बनने में षड्यंत्र का यह आरोप प्रमुख था. क्या इस मामले में भी इतिहास अपने आप को दुहरायेगा ?

❖❖❖

खण्ड–13

मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अवैध खनन

दिनांक 1 फरवरी 2013 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 11–362/2012–एफसी द्वारा निर्देश जारी किया कि यदि किसी खनन पट्टाधारी ने खनन करने के लिये अपने पट्टा क्षेत्र के आंशिक भू–भाग पर वन भूमि के अपयोजन (डायवर्सन) के लिये वन विभाग की अनुमति ले रखा है तो अब इस आंशिक क्षेत्र पर आगे खनन जारी रखने की अनुमति उसे तभी मिलेगी जब वह इस निर्देश पत्र के जारी होने के 2 वर्ष के भीतर संपूर्ण पट्टा क्षेत्र के लिये फॉरेस्ट डायवर्सन की अनुमति प्राप्त कर ले अथवा शेष भूमि का प्रत्यर्पण कर दे, यानी शेष भूमि को वह वन विभाग को लौटा दे।

यह आदेश जारी हुआ तो केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास अनेक आवेदन आये, जिनमें कहा गया कि वन भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत हो जाने के उपरांत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिये 2 वर्ष का समय अपर्याप्त है. इसलिये इस आदेश में संशोधन किया जाय, अन्यथा चल रहे खदानों के परिचालन पर संकट खड़ा हो जायेगा. क्योंकि वन स्वीकृति प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के मद्देनजर इसके लिये 2 वर्ष की अवधि कम है.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस बारे में विधि एवं न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करने के उपरांत 01.04.2015 को संशोधित निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया कि संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–2015 के अनुसार खनन कार्य आरम्भ करने के पूर्व वन भूमि के पूरे भाग पर वन विभाग की सहमति एक वर्ष के भीतर यानी 01 अप्रैल 2016 तक लेनी होगी. यह सहमति मिलने के बाद ही खनन कार्य आरम्भ किया जा सकता है. खनन पट्टा के नवीकरण के मामले में भी यह लागू होगा. वन भूमि के उपयोग के लिये सहमति मिलने की एक पूर्व शर्त होगी कि खननकर्ता को पट्टा क्षेत्र के संपूर्ण वन भूमि पर एनपीवी (नेट प्रेजेंट वैल्यू) का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा, भले ही खननकर्ता पट्टा क्षेत्र के वन भूमि के आंशिक भू–भाग पर ही खनन क्यों नहीं कर रहा हो. एनपीवी का भुगतान यह निर्देश पत्र जारी होने के एक वर्ष के भीतर, यानी 01.04.2016 तक, कर देना होगा अन्यथा राज्य सरकार खनन पर तबतक के लिये

रोक लगा देगी जबतक एनपीवी का भुगतान नहीं कर दिया जाता.

बाद में 31.03.2016 को एक अन्य निर्देश पत्र जारी कर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एनपीवी भुगतान की अवधि 30.09.2016 तक बढ़ा दिया. इसके बाद एक बार फिर यह अवधि 31.03.2017 तक बढ़ा दी गई. इसके बाद इस अवधि का विस्तार नहीं हुआ. यानी 31.03.2017 तक जिस खननकर्ता ने एनपीवी का भुगतान नहीं किया, उसके खनन पट्टा क्षेत्र में खनन करने पर स्थायी रोक लगा दी गई. इस मामले में शाह ब्रदर्स ने चालाकी किया. उसे सारंडा वन क्षेत्र के करमपदा में 233.899 हेक्टेयर वनभूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत हुआ था, पर वह खनन केवल 24.856 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही कर रहा था. यह अनुमति उसे 1972 से मिली हुई थी. यह पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र था. जब 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो शाह ब्रदर्स के इस क्षेत्र को इसके पूर्व से अभग्न क्षेत्र मान लिया गया. इस क्षेत्र पर खनन करने हेतु वन स्वीकृति इसे 19 मई 2005 को मिली.

अचानक उसने स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर अपने खनन पट्टा का 43.769 हेक्टेयर क्षेत्र राज्य सरकार को गलत तरीका से लौटा दिया. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने पट्टा भूमि की वापसी स्वीकार भी कर लिया. वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह निर्णय अनुचित एवं गैरकानूनी था. कारण कि वन भूमि पर खनन के लिए पट्टा लेने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया पट्टा भूमि को लौटाने की भी है. न तो वन विभाग ने और न ही खान विभाग ने इसके प्रत्यर्पण को स्वीकार किया. इसके बाद शाह ब्रदर्स ने इस प्रत्यर्पित क्षेत्र को वापस ले लिया. बाद में पता चला कि जिस पट्टा क्षेत्र को शाह ब्रदर्स ने लौटाया था, उस क्षेत्र के एक भाग पर अवैध खनन हुआ है. सरकार ने, विभाग ने या किसी अन्य पदाधिकारी ने इस अवैध खनन के मामले पर संज्ञान नहीं लिया. हुआ यह कि झारखण्ड सरकार ने 2018 में करमपदा से सटे भनगांव लौह अयस्क क्षेत्र पर खनन हेतु नीलामी प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए निविदा प्रकाशित किया. इसमें शाह ब्रदर्स का वह क्षेत्र भी शामिल था, जहां पर अवैध खनन हुआ है. निविदादाताओं ने नक्शा देखकर बताया कि जिस क्षेत्र की नीलामी की निविदा निकाली गई है उसका एक भाग शाह ब्रदर्स का है और इस पर अवैध खनन हुआ है. यह जानकारी मिलने पर खान विभाग ने निविदा रद्द कर दिया, जो पुन: प्रकाशित नहीं हुई.

इस बीच 06 अक्टूबर 2016 को शाह ब्रदर्स द्वारा अपना खनन पट्टा रद्द करने के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका पर अंतिम

फैसला आ गया. उच्च न्यायालय ने 23 खनन पट्टों को निलंबित करने के राज्य सरकार के फैसला को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज मामले में आदेश दिया है कि 12 जनवरी 2015 तक जिन खनन पट्टों को सरकार ने रद्द नहीं किया या जिनके बारे कोई निर्णय नहीं किया या जो स्वत: व्ययगत नहीं हो गये तो संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–2015 के तहत इन्हें कार्यरत माना जायेगा. इस फैसला के अनुसार जिन पट्टेधारियों ने उच्च न्यायालय मे रिट दायर किया था उनके पट्टों को कार्यरत माना गया. पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक शर्त लगा दी गई कि जिन पट्टाधारियों ने याचिका दायर की है, उन्हें 2 माह के भीतर सरकार के समक्ष साबित करना होगा कि उन्होंने खनन के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, तभी उन्हें खनन करने की अनुमति मिलेगी. जिन पट्टेधारियों ने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था, उन्हें छ: माह का समय माननीय उच्च न्यायालय ने इस हेतु दिया.

इसके बाद झारखंड सरकार ने 28 दिसंबर 2016 को राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति लेकर मेसर्स शाह ब्रदर्स समेत सभी 23 पट्टाधारियों के खनन पट्टा का नवीकरण कर दिया और उनसे शपथ पत्र भर कर देने के लिये कहा कि उनके द्वारा किसी भी खनन नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है. यदि वे शपथ पत्र देते हैं तभी वे खनन कर सकेंगे अन्यथा नहीं. इस आधार पर झारखंड सरकार के खान विभाग ने 26 मार्च 2017 को मेसर्स शाह ब्रदर्स के खनन पट्टा का नवीकरण कर उसे खनन करने की अनुमति दे दिया, जबकि शाह ब्रदर्स ने इस दिन तक सरकार को एनपीवी का भुगतान नहीं किया था. यानी उसे वन स्वीकृति नहीं थी. खान विभाग, झारखण्ड सरकार ने 26 मार्च 2017 को शाह ब्रदर्स एवं कतिपय अन्य पट्टाधारियों से एक शपथ पत्र ले लिया कि यदि एनपीवी जमा करने की तिथि नहीं बढ़ी तो वे चार दिन के भीतर यानी 31 मार्च 2017 के पहले एनपीवी का भुगतान कर देंगे, तभी खनन करेंगे.

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एनपीवी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 निर्धारित थी, केन्द्र ने इसे आगे नहीं बढ़ाया. ऐसी स्थिति में कायदे से खान विभाग, झारखण्ड सरकार को चार दिनों तक इंतजार करना चाहिये था और 31 मार्च 2017 तक एनपीवी का भुगतान करने के बाद ही उसका पट्टा नवीकरण करना चाहिये था. पर खान विभाग ने ऐसा नहीं किया. चार दिन के लिये इनका खनन पट्टा नवीकरण कर दिया और खनन करने के लिये

हरी झंडी दे दिया. शाह ब्रदर्स का यह शपथ–पत्र पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट–6 पर देखा जा सकता है.

खनन पट्टा का नवीकरण होते ही शाह ब्रदर्स एनपीवी का भुगतान करना भूल गया. खान विभाग और वन विभाग ने भी शाह ब्रदर्स से एनपीवी लेना भुला दिया. **दोनों विभागों के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री रघुवर दास थे.** तीन माह पूर्व 28 दिसम्बर 2016 को सभी लौह अयस्क खदानों के नवीकरण का कैबिनेट निर्णय भी उन्हीं की पहल पर हुआ था. मैंने कैबिनेट में इसका विरोध किया था और कहा था कि मैं जेल जाने वाले काम का समर्थन नहीं करना चाहता. फिर भी कैबिनेट ने इन खदानों का खनन पट्टा नवीकृत करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया. जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इसका कोई फायदा भी नहीं था. वस्तुत: इसका एकमात्र उद्देश्य अवैध खनन करना था. **पर मुख्यमंत्री के दोनों विभागों– खान विभाग और वन पर्यावरण विभाग – ने शाह ब्रदर्स को बिना एनपीवी का भुगतान किये खनन करने से नहीं रोका.** चार दिन पहले दिये गये इसके शपथ पत्र को भी भुला दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि वह 31 मार्च 2017 तक एनपीवी का भुगतान कर देगा. जबकि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का स्पष्ट आदेश था कि 31 मार्च 2017 तक एनपीवी का भुगतान नहीं करने वाले खनन पट्टाधारी के खनन पर राज्य सरकार रोक लगा देगी. कारण कि इस दिन से इसकी वन स्वीकृति समाप्त हो रही थी.

बिना एनपीवी का भुगतान किये खनन करना, अवैध खनन करना था. शाह ब्रदर्स के अतिरिक्त जिन अन्य पट्टाधारियों ने 26.03.2017 को शपथ पत्र दिया था, उन्होंने खनन नहीं किया. परन्तु शाह ब्रदर्स ने खनन आरम्भ कर दिया और उसका यह अवैध खनन 31 दिसंबर 2017 तक चलता रहा. राज्य सरकार ने अवैध खनन रोकने का कोई प्रयास नहीं किया. शाह आयोग की अनुशंसा के मुताबिक शाह ब्रदर्स की वन स्वीकृति समाप्त हो जाने के कारण तथा कॉमन कॉज मामले में 02.10.2017 को दिये गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक अवैध खनन करने वाले को उत्खनित खनिज के मूल्य के बराबर जुर्माना देना होगा. पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में हुये इस अवैध खनन पर सरकार मौन साधे रही. जुर्माना भुगतान के लिये नोटिस तक जारी नहीं किया. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अवैध खनन करने वालों से उत्खनित खनिज की कीमत के बराबर जुर्माना वसूलने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 के दिन तक यानी 9 माह तक यह अवैध

खनन बेरोकटोक चलता रहा. क्या 9 माह तक अवैध खनन चलते रहने के लिये तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जिम्मेदार नहीं है ? उनकी जानकारी और सहमति के बगैर इस अवैध खनन का चलना मुश्किल था । वस्तुतः उन्होंने ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार किया था ।

शाह ब्रदर्स द्वारा किया जा रहा अवैध खनन 31 दिसंबर 2017 को रूका । इसके बाद इनके द्वारा उत्खनित खनिजों के बाजार तक परिवहन के लिये माईनिंग चालान देना भी रूक गया. परंतु शाह ब्रदर्स इस मामले में भी अपवाद निकला. खान विभाग ने 31 दिसंबर 2017 को थोक भाव से शाह ब्रदर्स को माईनिंग चालान दे दिया. इन चालानों के आधार पर मई 2018 तक शाह ब्रदर्स, उत्खनित लौह अयस्क की अवैध ढुलाई करता रहा जो गैरकानूनी था. सत्ताशीर्ष की पूरी जानकारी में उसकी नाक के नीचे अवैध खनन करना और अवैध माईनिंग चालान से परिवहन करते रहना भष्टाचार और अनियमितता का एक धृष्ट उदाहरण है. बाद में काफी दबाव पड़ने पर और उच्च न्यायालय में चल रहे एक मुकदमा में नोटिस जारी होने पर झारखण्ड सरकार ने मे. शाह ब्रदर्स को 31 मार्च 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक अवैध खनन करने के लिए 43 करोड़ रूपया जुर्माना भुगतान करने का मांग पत्र भेजा, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है. अवैध खनन की इजाजत देना, इसे चलाते रहना, इसे संरक्षण देना और पकड़ में आ जाय तो जुर्माना ठोक देने भर से दोषी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते. यह एक लोकसेवक के भ्रष्ट आचरण का पुख्ता प्रमाण है.

❖❖❖

खण्ड–14

चतुर्वेदी समिति के सामने चुप्पी

झारखंड में लौह अयस्क के अवैध खनन के बारे में शाह आयोग की अनुशंसा आ जाने के उपरांत झारखंड सरकार द्वारा गठित तीन आधिकारिक समितियों ने और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय समिति ने अपने प्रतिवेदनों में संपुष्ट किया कि विभिन्न पट्टाधारियों ने झारखंड में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 तथा खनिज समानुदान नियमावली–1960 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर लम्बे समय तक लौह अयस्क का अवैध खनन किया है. झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका संख्या–5871/2012 पर सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के खान विभाग ने बताया कि अवैध खनन के आरोपी पट्टाधारकों के विरूद्ध कारवाई के लिये एमएमआरडी एक्ट–1957 और एम.सी. रूल्स–1960 के प्रासंगिक नियमों के अनुरूप अनियमितताओं के बारे में सुनवाई की जा रही है.

हुआ यह था कि झारखंड सरकार ने अवैध खनन के आरोपियों को 60 दिनों के भीतर जवाब देने का नोटिस दिया था. 60 दिन की नोटिस अवधि बीत जाने के बाद आरोपी खननकर्ताओं ने खान विभाग के सचिव को बताया कि आपने जिस नियम के अधीन हमें जवाब देने का नोटिस दिया है उस नियम के अधीन सुनवाई करने का अधिकार आपको नही है. इसके बाद मामला ठंढे बस्ते में पड़ गया. गलत नियम के तहत नोटिस दिये जाने के कारण अवैध खनन के आरोपी पट्टाधारकों के विरूद्ध सुनवाई की कार्रवाई रूक गई. वस्तुत: ऐसे मामलों में आरोपियों पर कारवाई हेतु सुनवाई के लिये 60 दिनों की नोटिस देने का प्रावधान 2016 में यथा संशोधित खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम– 12(10) में है. परंतु खान विभाग ने इस नियम के तहत नोटिस देने की जगह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा 4(ए) के अधीन नोटिस दे दिया था. जिस कारण आरोपियों ने जवाब देने से इंकार कर दिया. ऐसी सुनवाई करना खान विभाग के लिए आम बात है. इसलिये यह निष्कर्ष निकालना मुनासिब नहीं होगा कि खान विभाग के सचिव ने गलत नियम के तहत नोटिस देने की गलती अनजाने में की. वस्तुत: यह गलती दबाव में की गई थी ताकि आरोपियों को दंडित होने से बचाया जा सके और उन्हें अवैध खनन करने के लिये समय मिल सके.

उपर्युक्त जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा याचिकाकर्ता के

विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष फिर उठाया तो खान विभाग ने बताया कि अब अवैध खनन के आरोपियों को अनियमितताओं पर सुनवाई के लिए नये सिरे से नोटिस भेजी जायेगी. खनिज समानुदान नियमावली–1960 (यथा संशोधित 2016) के अंतर्गत इस प्रकार की सुनवाई खान मंत्री द्वारा किये जाने का प्रावधान है. परंतु नियम और परम्परा के अनुसार यह सुनवाई करने का अधिकार सरकार द्वारा खान सचिव को दे दिया जाता है. इस बीच खान सचिव का स्थानांतरण हो गया. इनके स्थान पर पदस्थापित खान विभाग के नव–पदस्थापित सचिव ने इस मामले में सुनवाई करने से इंकार कर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि खान विभाग का सचिव बनने के पहले वे पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त पद पर पदस्थापित थे. इसलिये उनके द्वारा उसी जिले के अवैध खनन के इन मामलों की सुनवाई करना उपयुक्त नहीं होगा. इसके बाद सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र पर बताया कि अब नये सिरे से सुनवाई करने के लिये सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, श्री इंदु भूषण चतुर्वेदी को अधिकृत किया गया है.

श्री चतुर्वेदी ने सुनवाई आरम्भ किया तो उम्मीद की गई कि शाह आयोग की अनुशंसाओं के बाद झारखंड सरकार द्वारा गठित जिन तीन उच्चस्तरीय जाँच समितियों ने दिनांक 06.04.2014, 09.06.2014 और 23.07.2015 को समर्पित अपने जाँच प्रतिवेदन में अवैध खनन के आरोपी लौह अयस्क पट्टाधारियों द्वारा की गई जिन अनियमितताओं को सही पाया था और जिन्हें अपने प्रतिवेदनों में संपुष्ट किया था, उन अनियमितताओं को खान विभाग के संबंधित अधिकारी श्री चतुर्वेदी द्वारा की जा रही सुनवाई के समय भी संपुष्ट करेंगे और अनियमितताओं के जिन दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर उन्होंने संबंधित पट्टाधारियों के विरूद्ध अवैध खनन के आरोपों को सही ठहराया था उन दस्तावेजों को वे सुनवाई के समय श्री चतुर्वेदी के समक्ष रखेंगे और संपुष्ट करेंगे. परंतु ऐसा हुआ नहीं.

जैसे पुलिस के सामने किसी अपराधी के अपराध की गवाही देने वाले गवाह भय, दबाव या प्रलोभन के कारण मुकदमा कचहरी में जाने पर इजलास के सामने पलट जाते हैं, वैसे ही अपने प्रतिवेदनों में अवैध खनन के दोषी पट्टाधारियों पर पूर्व में आरोप साबित करने वाले खान विभाग के वे अधिकारी भी श्री चतुर्वेदी के सामने सुनवाई के समय पलट गये. खान विभाग की फाइलों में सबूत के तौर पर सुरक्षित रखे गये अवैध खनन के आरोपों वाले दस्तावेजों को उन्होंने सुनवाई के समय श्री चतुर्वेदी के सामने नहीं रखा. ऐसा करने की हिम्मत वे स्वयं के बिना पर नहीं कर सकते. ऐसा उन्होंने अवश्य ही उपर के दबाव पर किया होगा. इस बारे में स्पष्टीकरण

पूछकर इनके उपर कार्रवाई होनी चाहिए. श्री चतुर्वेदी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि खान विभाग के अधिकारियों ने अपने आरोपों को सिद्ध करने में रूचि नहीं दिखाया.

श्री चतुर्वेदी ने सुनवाई के उपरांत शाह ब्रदर्स के खिलाफ अवैध खनन के आरोप को सही पाया और उनके खनन पट्टा को रद्द करने की अनुशंसा की. खान विभाग के अधिकारियों के लिये शाह ब्रदर्स के विरूद्ध उनके द्वारा संपुष्ट अनियमितताओं या अवैध खनन के उन आरोपों को सुनवाई के समय श्री चतुर्वेदी के समक्ष रखने एवं सिद्ध करने की मजबूरी थी, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने प्रतिवेदनों में किया था. कारण कि इनमें से कई शिकायतों को वे झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर स्वीकार कर चुके थे. यह साबित हो चुका था कि शाह ब्रदर्स ने बिना वन अनुमति के खनन किया है और उनकी वन अनुमति 31.03.2017 को समाप्त हो चुकी है. परंतु अन्य आरोपियों के विरूद्ध उनके प्रतिवेदनों में उधृत एवं संपुष्ट आरोपों को सिद्ध करने के लिये उन्होंने प्रमाणिक कागजातों को श्री चतुर्वेदी के समक्ष संभवत: इसलिये नहीं रखा कि ये आरोप उनके द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों में तो अवश्य रक्षित थे परंतु किसी न्यायालय के समक्ष या अभिकरण के समक्ष शपथ–पत्र पर रखने के लिये उन्हें बाध्य नहीं होना पड़ा था. इसलिये उन्होंने ऐसे संपुष्ट एवं सिद्ध आरोपों को संचिकाओं के लाल फीता में ही कैद रहने दिया, बाहर नहीं निकाला, चतुर्वेदी स्मृति के सामने नहीं रखा.

उल्लेखनीय है कि शाह आयोग द्वारा झारखंड मे हुये अवैध खनन के संबंध में दिये गये प्रतिवेदनों की अनुशंसाओं के आलोक में खान विभाग ने तीन समितियाँ गठित की. एक समिति ने अपना प्रतिवेदन 06.04.2014 को, एक ने 09.06.2014 को और एक ने 23.07.2015 को सौंपा. दो समितियों में चार–चार सदस्य और एक में तीन सदस्य थे. सदस्यों में खान विभाग के वरीय अधिकारी भी थे और पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त एवं अपर उपायुक्त भी थे. इनमें से दो अधिकारी तो एक से अधिक समितियों के सदस्य थे. तीनों समितियों ने अपने प्रासंगिक प्रतिवेदनों में विभिन्न खनन पट्टाधारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया है और अंकित किया है कि इन्होंने खनिज समुदान नियमावली के नियम– 37 तथा नियम– 28 एवं 28ए का उल्लंघन किया है जो प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होता है. उन्होंने जाँच प्रतिवेदन में यह भी लिखा है कि इन्हें विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन के बारे में खान विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है, परंतु इनका उत्तर / प्रत्युत्तर अप्राप्त है.

उप निदेशक, खान, कोल्हान अंचल ने 26 सितम्बर 2014 को खनन पट्टाधारी श्री पदम कुमार जैन को खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम 37(3) के अंतर्गत कारण पृच्छा नोटिस भेजा. नोटिस में उप निदेशक ने कहा था कि आपने जिस 'पावर ऑफ अटॉर्नी' के माध्यम से ठकुरानी लौह अयस्क क्षेत्र पर 209.25 एकड़ में मिले खनन पट्टा को श्री कमलदेव शर्मा के पक्ष में हस्तांतरित किया है. उसके बारे में 03 सितम्बर 2013 को परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके साथ पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकृत दस्तावेज संलग्न है. पावर ऑफ अटॉर्नी पर आपका और श्री कमलदेव शर्मा का हस्ताक्षर है.

उप निदेशक, खान ने कारण पृच्छा नोटिस में कहा कि खनिज समानुदान नियमावली–1960 के नियम 37(3) का खुला उल्लंघन करने के लिए पट्टाधारी श्री पदम कुमार जैन एवं श्री कमलदेव शर्मा/अथवा सर्वश्री रजत मिनरल प्रा. लि./ सर्वश्री कोर मिनरल के बीच वर्ष 2001 से अभीतक हुए व्यवसायिक लेनदेन का सार संक्षेप, बैंक स्टेटमेंट/लेखा विवरणी, आयकर रिर्टन के अनुरूप शपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल करें अन्यथा उपलब्ध कागजातों के आधार पर आपके उपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसके पूर्व पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिला खनन पदाधिकारी ने 05 जुलाई 2008 को झारखण्ड सरकार के सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को एक पत्र भेजा था, जिसमें खनन समानुदान नियमावली–1960 के नियम 37 का उल्लंघन कर लौह अयस्क खनन पट्टा का संचालन करने के संबंध में सात पट्टाधारियों के विरूद्ध एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन संलग्न था. यह प्रतिवेदन हू–ब–हू इस पुस्तक के खंड–6 पृष्ठ–41 पर देखा जा सकता है.

स्पष्ट है कि शाह आयोग के गठन के पूर्व से झारखंड में खनन नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन हो रहा था. जिसका प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी ने तथा उप निदेशक, खान, कोल्हान अंचल ने समय–समय पर तैयार कर विभाग को प्रेषित किया था. संबंधित खनन पट्टाधारी को भी नोटिस भेजा था. परन्तु विडम्बना है कि ऐसे प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने में झारखण्ड का खान एवं भूतत्व विभाग ने कोई रूचि नहीं दिखाया और ऐसे प्रतिवेदन खान विभाग की संचिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे. शाह आयोग के गठन के पूर्व भी और पश्चात भी प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करनेवाले पट्टाधारियों के विरूद्ध प्रमाण सहित आरोप खान विभाग में प्राप्त होते रहे हैं. परन्तु उन्होंने उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। 2018 में ऐसी अनियमितताओं की जाँच करने और 60 दिन का नोटिस देकर अवैध

खननकर्ताओं को बुलाकर उनका पक्ष जानने के लिए श्री इन्दुशेखर चतुर्वेदी, सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जाँच के समय भी खान विभाग के अधिकारियों ने अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध आरोपों के संबंध में उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों को श्री चतुर्वेदी के सामने नहीं रखा और अपने ही आरोपों को संपुष्ट नहीं किया.

पूर्व की समितियों के जाँच प्रतिवेदन में इन्होंने स्पष्ट अनुशंसा किया है कि खनन से संबंधित इनके लेखा विवरणियों और बैंक स्टेटमेंट की जाँच कंपनी सेक्रेटरी/चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से करायी जाय. उनके बैंक खातों की यह जाँच 1996 से बाद के विभिन्न वर्षों का किया जाय. परंतु न तो यह जाँच की गई और न ही खान विभाग के उन अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदनों में सिद्ध किये गये इन आरोपों को श्री चतुर्वेदी के समक्ष सुनवाई के दौरान रखने एवं संपुष्ट करने का प्रयास किया. वे चाहते तो संबंधित दस्तावेजों को खान विभाग की संचिकाओं से निकालकर श्री चतुर्वेदी के समक्ष रख सकते थे, मगर उन्होंने नहीं रखा. नतीजा हुआ कि जिस प्रकार श्री चतुर्वेदी ने शाह ब्रदर्स एवं कतिपय अन्य के खनन पट्टा को रद्द करने का निर्णय लिया उसी प्रकार शेष करीब आधा दर्जन आरोपी खनन पट्टाधारियों के खनन पट्टों के विरूद्ध वे कारवाई नहीं कर सके। उन्होंने यह कह कर संतोष कर लिया कि विभाग के अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान अपने आरोपों को साबित करने में रूचि नहीं दिखाया.

सवाल उठता है कि जिन लौह अयस्क खनन पट्टाधारियों के विरूद्ध अवैध खनन के आरोपों को झारखंड सरकार के खान विभाग और पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी जाँच समितियों के प्रतिवेदनों में सिद्ध कर दिया और इनके बैंक खातों और लेखा विवरणियों की जाँच कंपनी सेक्रेटरी/चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से कराने की अनुशंसा किया वे ही अधिकारीगण इन खनन पट्टों का भविष्य तय करने के लिये श्री चतुर्वेदी के समक्ष सुनवाई के समय इन आरोपों को क्यों नहीं साबित किया ? क्या इन्होंने उपर के किसी दबाव के कारण ऐसा किया ? यदि नहीं तो खान विभाग के मंत्री, सचिव आदि ने इनपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? कार्रवाई करना तो दूर इनसे कोई स्पष्टीकरण तक नहीं पूछा गया. कारण कि यह अवैध खनन करने वालों को संरक्षण देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उच्चस्तरीय षडयंत्र का हिस्सा था.

❖❖❖

खण्ड–15

महाधिवक्ता की नैतिकता !

लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच के उपरांत जस्टिस शाह आयोग का प्रतिवेदन आने, संसद में रखे जाने, इसकी अनुशंसायें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस पर कृत–कार्य प्रतिवेदन सौंप दिये जाने के बाद स्पष्ट हो गया कि अवैध खनन करनेवाले पट्टाधारियों को अवैध खनन के मूल्य के साथ ही इस पर शत–प्रतिशत ब्याज सहित जुर्माना चुकाना होगा. कतिपय अवैध खननकर्ताओं ने शाह आयोग द्वारा उनपर लगाये गये इस जुर्माना के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सर्वोच्च न्यायालय ने शाह आयोग द्वारा लगाये गये अवैध खनन के मूल्य के बराबर जुर्माना का प्रावधान स्थगित करने से तो इंकार कर दिया, परंतु उनके लिये एक राहत प्रदान किया कि जुर्माना पर देय ब्याज की राशि को माफ कर दिया.

इसके बाद अवैध खनन के लिये जिम्मेदार पट्टाधारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पुन: अर्जी लगाया कि जुर्माना की देय राशि बड़ी है, इसलिये इसका भुगतान किश्तों में करने की सुविधा उन्हें दी जाय. सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी यह अपील मानने से इंकार कर दिया और 01.08.2017 को कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मुकदमे में आदेश दिया कि जुर्माना की मूल राशि का ब्याज रहित भुगतान उन्हें एकमुश्त करना होगा और यह भुगतान उन्हें 31.12.2017 तक कर देना होगा. विलंब होने पर उन्हें जुर्माना के मूलधन की राशि पर सालाना 24 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा. इसके बाद शाह आयोग ने अवैध खननकर्ताओं पर जितना जुर्माना लगाया था, उसमें से ब्याज की राशि घटाकर झारखण्ड सरकार के खान विभाग ने नये सिरे से जुर्माना की गणना किया और वसूली की मांग खननकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर दिया.

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय आने के पहले भी झारखंड सरकार ने अवैध खनन करने के दोषी पट्टाधारियों को ब्याज सहित जुर्माना का भुगतान करने के लिये एक बार 05–02–2013 को और फिर दिनांक 02.05.2015 को माँग पत्र भेज दिया था. इस माँग पत्र के अनुसार झारखंड के अवैध खननकर्ताओं को कुल ₹ 7599.306 करोड़ रूपया का जुर्माना भुगतान करना था जिसमें मूलधन की राशि ₹ 2645.836 करोड़ रूपया थी और इसपर ब्याज की राशि ₹4953.469 करोड़ थी. इसमें शाह

ब्रदर्स पर मूलधन का ₹ 605.560 करोड़ और सूद का ₹ 759.493 करोड़ यानी कुल ₹ 1365.053 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. परंतु उस समय की सरकार ने जुर्माना की राशि की वसूली करने में रुचि नहीं दिखाया, कड़ाई के साथ वसूली करने का प्रयत्न नहीं किया. इतना ही नहीं पूर्ण बहुमत वाली और तथाकथित 'डबल इंजन' वाली सरकार ने तो इनके अवैध खनन पर रोक भी नहीं लगाया, अवैध खनन बदस्तूर जारी रहा.

सर्वोच्च न्यायालय ने 01.10.2017 को निर्णय दिया कि अवैध खननकर्ताओं से जुर्माना पर ब्याज नहीं लिया जायेगा. सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज मुक्त जुर्माना राशि के एकमुश्त भुगतान की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की. परन्तु इसके बाद भी झारखंड सरकार ने ब्याज रहित संशोधित जुर्माना राशि की वसूली करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया. वे भ्रम फैलाते रहे कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ओड़िसा के मामले में है और झारखंड में कैसे लागू होगा. नतीजतन जुर्माना भुगतान नहीं करने वाले अवैध खननकर्ताओं का मनोबल बढ़ा. इनमें से दो (शाह ब्रदर्स और एन.के.पी.के.) ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि उन्हें भी किश्तों में जुर्माना का भुगतान करने की सुविधा दी जाय और सरकार को उन्हें भी चालान देने का निर्देश दिया जाय. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इनकी दलील ठुकरा दिया, इनकी रिट याचिका खारिज कर दिया और सरकार को इन्हें चालान देने का आदेश देने से इंकार कर दिया. न्यायालय के इस निर्णय के बाद कोई दुविधा नहीं रह गयी कि शाह ब्रदर्स और एन.के.पी.के. को जुर्माना राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा.

इसके बाद इन्होंने माननीय एकल पीठ उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील किया. अपील करने वालों में दो अवैध खननकर्ता शामिल थे. एक, मेसर्स शाह ब्रदर्स और दूसरा, मेसर्स एनकेपीके (निर्मल कुमार प्रदीप कुमार). सर्वोच्च न्यायालय का एतद संबंधी निर्णय और झारखण्ड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के बावजूद सरकार के साथ मिलकर इन्होंने पुनः साजिश शुरू की. कोशिश आरम्भ हुई कि जिस तरह 2016 में तत्कालीन अपर महाधिवक्ता ने मेसर्स शाह ब्रदर्स के मुकदमें में खान विभाग से परामर्श किये बिना उनके हित के विरूद्ध बहस किया था, उसी तरह की जुगत इस मामले में भी लगाई जाय ताकि जुर्माना का भुगतान एकमुश्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद मेसर्स शाह ब्रदर्स और मेसर्स एनकेपीके पर लगे जुर्माना का भुगतान

किश्तों में करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ से हो जाय.

साजिश हुई और साजिश सफल भी हो गई. क्योंकि 2016 में जो महानुभाव झारखंड सरकार के अपर महाधिवक्ता थे, 2018 में सरकार ने उन्हें महाधिवक्ता बना दिया था. जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो महाधिवक्ता महोदय ने सुनवाई की तिथि पर पुनः खान विभाग से परामर्श किये बिना माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष स्वप्रेरणा से खननकर्ताओं और खान विभाग के बीच हुए एक तथाकथित काल्पनिक समझौता का लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि दोनों पक्ष यानी– खान विभाग और याचिकाकर्ता– इस पर सहमत हैं कि जुर्माना का भुगतान 20 किश्तों में किया जाय. अवैध खननकर्ता और सरकार का खान विभाग, दोनों की तरफ से महाधिवक्ता ने जुर्माना का भुगतान 20 किश्तों में करने का राजीनामा तैयार कर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया । कहावत है–'मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी.' महाधिवक्ता पर भरोसा कर माननीय खंडपीठ ने भी उस सहमति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष खननकर्ताओं द्वारा किश्तवार जुर्माना भुगतान करने के प्रस्ताव के रुप में महाधिवक्ता ने रख दिया.

महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है, ये राज्य के शीर्ष विधायी अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार को, विशेषकर मंत्रिपरिषद एवं मुख्य मंत्री को कानूनी मामलों में सलाह देने, राज्य के विरूद्ध न्यायालयों में दायर मुकदमों में राज्य का पक्ष रखने का दायित्व महाधिवक्ता पर होता है. यह सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है कि महाधिवक्ता सदृश संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जिसपर राज्यहित के वैधानिक संरक्षण का दायित्व है वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन करेगा, राज्यहित को नुकसान पहुँचायेगा, अपने मुवक्किल के हित के विपरीत कार्य करेगा और अपने आचरण से राज्यहित की कीमत पर निहित स्वार्थ को लाभ पहुँचायेगा.

पर इस मामले में ऐसा ही हुआ. महाधिवक्ता की वैधानिक नैतिकता तार–तार हो गई. जब अवैध खनन के लिये लगाये गये जुर्माना का भुगतान एकमुश्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत जुर्माना भुगतान 20 किश्तों में करने की अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय का फैसला खान विभाग में पहुंचा तो हड़कम्प मच गया. कारण कि खान विभाग ने जुर्माने का भुगतान 20 किश्तों में करने पर सहमति नहीं दी थी, जबकि महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने प्रस्ताव रखा था कि जुर्माना का भुगतान 20 किश्तों में करने के लिये दोनों पक्ष सहमत हैं. यानी

जुर्माना का भुगतान करने वालों के साथ ही खान विभाग की सहमति भी इसपर है. महाधिवक्ता द्वारा अपने क्लाईंट खान विभाग से विमर्श किये बिना उसकी सहमति का गलत उद्धरण देकर माननीय उच्च न्यायालय के सामने 20 किश्तों में भुगतान के लिये तिथिवार जो तालिका उपस्थापित किया था, उसे इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट – 7 पर देखा जा सकता है।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का यह निर्णय खान विभाग में आश्चर्य एवं आक्रोश मिश्रित चर्चा का विषय बन गया. सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर राज्यहित के विधायी संरक्षक महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला से अवगत क्यों नहीं कराया ? आखिर किस दबाव या लोभ में महाधिवक्ता ने अवैध खनन का जुर्माना 20 किश्तों में भुगतान करने का सहमतिनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया ? वह भी खान विभाग से पूछे बिना या खान विभाग को सूचित किये बिना अपनी ओर से ही खान विभाग की सहमति का मिथ्या प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष परोस दिया.

आश्चर्य तो इसपर हो रहा था कि महाधिवक्ता ने न केवल 20 किश्तों में जुर्माना भुगतान करने पर दोनों पक्षों के सहमत होने की जानकारी दिया था बल्कि पहली किश्त से 20वीं किश्त तक की कितनी राशि का भुगतान अवैध खननकर्ता किस तारीख को करेगा इसका विस्तृत विवरण भी महाधिवक्ता ने तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय के सामने रख दिया था. एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि दो अवैध खननकर्ताओं में से एक शाह ब्रदर्स के खनन पट्टे की वैधता पर सवाल उठ रहे थे और दूसरा कि एन.के.पी.के. का खनन पट्टा 31.03.2020 को परिसमाप्त हो रहा था. फिर भी 20 किश्तों में भुगतान के लिए महाधिवक्ता द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रखने के लिए किश्तवार भुगतान की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें 6 किश्तों का भुगतान करने की तिथि 31 मार्च 2020 के बाद की है. अंतिम भुगतान 15.09.2020 को की जानी थी.

खान सचिव ने इस पर आपत्ति किया और कहा कि खान विभाग ने ऐसी सहमति नहीं दिया है कि जुर्माना का भुगतान 20 किश्तों में लिया जाएगा. खान विभाग के अपर सचिव ने महाधिवक्ता को पत्र लिखा कि 'विभाग का मानना है कि राजस्व हित में पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान ब्याज सहित करने का आदेश देने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध की आवश्यकता है. अपर सचिव का प्रासंगिक पत्र संख्या–654, दिनांक 02.11.2018 इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट–8 पर

देखा जा सकता है.

खान विभाग ने महाधिवक्ता के निर्णय के विरूद्ध वस्तुस्थिति का उल्लेख कर मार्गदर्शन के लिये संचिका विधि सचिव को भेज दिया. विधि विभाग ने राय जानने के लिये इसे उसी महाधिवक्ता के पास भेज दिया, जिन्होंने खान विभाग की राय जाने बिना अपनी ओर से किश्तों में भुगतान का प्रस्ताव न्यायालय में दे दिया था. इस मामले को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया. मामला टांय–टांय फिस्स हो गया. न तो गुनाहगारों को दंड मिला और न ही अवैध खननकर्ताओं से जुर्माना वसूला गया.

इसके कुछ ही दिन बाद साबित हो गया कि शाह ब्रदर्स ने 9 महीना तक 01.04.17 से 31.12.2017 तक, अवैध खनन किया है. इस कारण तत्कालीन वन एवं पर्यावरण सचिव–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद ने सुनवाई के उपरांत शाह ब्रदर्स का खनन पट्टा रद्द करने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर सरकार ने दिनांक 04.01.2019 को शाह ब्रदर्स का खनन पट्टा रद्द कर दिया. इसके बाद शाह ब्रदर्स ने जुर्माना भुगतान का किश्त देना बंद कर दिया. एनकेपीके ने भी बकाया किश्तों का भुगतान नहीं किया.

प्रश्न है कि अब यह बकाया कौन चुकायेगा ? क्या तत्कालीन महाधिवक्ता इसके लिये उत्तरदायी होंगे ? महाधिवक्ता ने किसके आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में गलतबयानी किया था. महाधिवक्ता के अनैतिक आचरण का मामला मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने और मंत्रिपरिषद की बैठक में उठाया. इसके कारण महाधिवक्ता ने मेरे विरूद्ध झारखंड राज्य बार काउंसिल, जिसके अध्यक्ष महाधिवक्ता स्वयं थे, की आपात बैठक बुलाकर निन्दा का प्रस्ताव पारित किया. इस विषय को सरकार और मंत्रिपरिषद के सामने उठाने के बावजूद महाधिवक्ता के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं किया. अनैतिक आचरण साबित हो जाने के बावजूद महाधिवक्ता को हटाना तो दूर उनसे कारण पृच्छा तक नहीं की गई, जबकि मैं सरकार में मंत्री था, उस मंत्रिपरिषद का सदस्य था जो महाधिवक्ता को नियुक्त करती है.

❖❖❖

खण्ड–16

बाबूलाल जी ने किया विरोध

मुकदमा संख्या– एल.पी.ए. नं.–351/2018 में माननीय झारखण्ड न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता ने एक मिथ्या प्रस्ताव दे दिया कि दोनों ही पक्ष यानी झारखण्ड सरकार का खान विभाग और खनन पट्टाधारी इस पर सहमत हुए है कि अवैध खनन के लिए उनपर लगाये गये जुर्माने को 20 किश्तों में भुगतान किया जाय. जबकि झारखण्ड सरकार का खान विभाग इससे सहमत नहीं था. फिर भी महाधिवक्ता द्वारा परस्पर सहमति का प्रस्ताव रखे जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उन्हें 20 किश्तों में भुगतान की सहमति दे दी. उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का 'कॉमन कॉज' मामले में यह फैसला है कि अवैध खनन करनेवाले पट्टाधारियों को जुर्माने की राशि का भुगतान एकमुश्त करना होगा. महाधिवक्ता के इस वक्तव्य पर खान विभाग ने अपना विरोध दर्ज किया, परन्तु सरकार इस पर मौन साधे रही और महाधिवक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं किया.

भ्रामक वक्तव्य देकर महाधिवक्ता द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खंडपीठ को गुमराह करने के इस मामले को झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं झारखण्ड विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के वर्तमान नेता श्री बाबूलाल मराण्डी ने काफी गम्भीरता से लिया और कहा कि–''**अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि क्या राज्य सरकार इस तरह का एकतरफा निर्णय किसी खास कम्पनी के पक्ष में ले सकती है ?** क्या राज्य के महाधिवक्ता माननीय न्यायालय में किसी खास **कम्पनी के पक्ष में झूठ बोलकर माननीय न्यायालय को दिग्भ्रमित कर आदेश पारित करा सकते हैं ? क्या इससे महाधिवक्ता पद की गरिमा एवं विश्वसनीयता को ठेस नहीं पहुँचा है ?** माननीय महाधिवक्ता ने खंडपीठ के सामने किसी खास कम्पनी को फायदे पहुँचाने के लिए झूठ बोला है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है एवं misconduct of court का मामला भी बनता है. श्री मराण्डी ने इस संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास को एक तर्क संगत पत्र लिखा और कहा कि– ''आपसे आग्रह होगा कि राज्य के इस महत्वपूर्ण आर्थिक अपराध से संबंधित मामले पर अपने स्तर से संज्ञान लेकर राज्य के महाधिवक्ता को तुरंत पदमुक्त करते हुए इस गंभीर मामले की उच्चस्तरीय जांच सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने के लिए कमिटी गठित करायें एवं दोषियों पर यथोचित कार्रवाई करेंगे.''

उन्होंने इस बारे में झारखण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास को कड़ा पत्र लिखने के साथ ही इस विषय पर प्रेस कान्फ्रेंस भी किया और प्रेस, मिडिया को भी इस बारे में अवगत कराया. परन्तु श्री मरांडी की बात को मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने अनसुना कर दिया। श्री मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री रघुवर दास को लिखे गये पत्र और उनका लिखित प्रेस वक्तव्य हू–ब–हू निम्नवत है :–

श्री बाबूलाल मरांडी का पत्र

प्रिय श्री रघुवर दास जी,

आपका ध्यान उपर्युक्त गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराते हुए सूचित करना है कि सर्वश्री शाह ब्रदर्स के करमपदा माईन्स खनन पट्टे का अवधि विस्तार वर्ष 2017 में इस शर्त के साथ किया गया था कि पट्टेधारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्षतिपूर्ति राशि का एकमुश्त भुगतान समय–सीमा के तहत किया जायेगा।

कालांतर में खनन पट्टेधारी सर्वश्री शाह ब्रदर्स के विरूद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा का लौह अयस्क खनन अवैध से रूप से करने के कारण उपायुक्त, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश से ₹ 250.63 करोड़ की राशि का भुगतान 24 प्रतिशत वार्षिक सूद सहित करने का आदेश दिनांक 25.07.2018 को दिया गया. सरकार के इस आदेश के विरूद्ध खनन पट्टेधारी सर्वश्री शाह ब्रदर्स ने इस मांग के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जिसे माननीय उच्च न्यायालय की एकल बेंच ने खारिज कर दिया फलस्वरूप पट्टेधारी ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच ने इस फैसला को चुनौती दी. इस पर खान एवं भूतत्व विभाग ने एल.पी.ए. में समुचित प्रतिशपथ पत्र दायर कर अपने ₹ 250.63 करोड़ की क्षतिपूर्ति मांग पत्र को सही ठहराया.

इस एल.पी.ए. पर दिनांक 01.10.2018 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ के समक्ष उक्त मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि पट्टेधारी और राज्य सरकार के बीच एक समझौता हुआ एवं दोनों पक्षों की संयुक्त सहमति से 250.63 करोड़ रूपये की राशि एकमुश्त न लेकर किश्तों में प्राप्त करने की सहमति के आधार पर प्रथम किस्त मात्र 40 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 11.10.2018 तक दिए जाने की स्थिति राज्य सरकार खनन परिवहन चालान निर्गत कर देगी जो कि अभी पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के कारण बन्द है.

माननीय न्यायालय में महाधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार का पक्ष रखने के आधार पर मा. न्यायालय ने सर्वश्री शाह ब्रदर्स को 11.10.2018 तक 40 करोड़ रूपये एवं शेष बकाया पेनॉल्टी राशि को सितम्बर 2020 तक जमा करने का आदेश दे दिया एवं साथ ही प्रथम किश्त जमा होने के तुरन्त बाद Transit Permit/ Challans निर्गत करने का निर्देश दिया.

माननीय न्यायालय के इस आदेश की जानकारी जैसे ही खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों को मिली सब के सब पदाधिकारी आश्चर्यचकित रह गये, क्योंकि पट्टेधारी सर्वश्री शाह ब्रदर्स एवं खान एवं भूतत्व विभाग के बीच किसी भी संचिका में इस प्रकार की कोई भी सहमति और परिवहन चालान निर्गत करने का आदेश नहीं है । सभी विभागीय अधिकारियों यथा निदेशक, उपनिदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, सहायक खान पदाधिकारी, चाईबासा ने विभागीय संचिका में कथित सहमति पत्र नहीं होने का उल्लेख करते हुए संचिका दिनांक 09.10.2018 को मार्गदर्शन के लिए सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को भेज दी. दिनांक 11.10.2018 को खान एवं भूतत्व सचिव ने संचिका को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए विधि विभाग को भेज दिया जो अभी लंबित है.

इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता का सर्वश्री शाह ब्रदर्स से मिलीभगत प्रमाणित होती है. कहीं न कहीं सरकार सर्वश्री शाह ब्रदर्स को अनुचित आर्थिक लाभ पहुँचाकर उपकृत करना चाहती है. जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में झारखण्ड के कई बड़ी कम्पनियों यथा: टाटा स्टील, रूंगटा माईन्स, अनिल खिरवाल, रामेश्वर जूट, देबुका भाई भेलजी एवं कई अन्य कम्पनियों ने तय समय–सीमा के अंदर एकमुश्त राशि का भुगतान किया था.

अब यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या राज्य सरकार इस तरह का एकतरफा निर्णय किसी खास कम्पनी के पक्ष में ले सकती है ? क्या राज्य के महाधिवक्ता माननीय न्यायालय में किसी खास कम्पनी के पक्ष में झूठ बोलकर माननीय न्यायालय को दिग्भ्रमित कर आदेश पारित करा सकते हैं ? क्या इससे महाधिवक्ता पद की गरिमा एवं विश्वसनीयता को ठेस नहीं पहुँचा है ?

माननीय महाधिवक्ता ने खंडपीठ के सामने किसी खास कम्पनी को फायदे पहुँचाने के लिए झूठ बोला है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है एवं misconduct of court का भी मामला बनता है.

अतएव आपसे आग्रह होगा कि राज्य के इस महत्वपूर्ण आर्थिक अपराध से

संबंधित मामले पर अपने स्तर से संज्ञान लेकर राज्य के महाधिवक्ता को तुरंत पदमुक्त करते हुए इस गंभीर मामले की उच्चस्तरीय जांच सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमिटी गठित करायें एवं दोशियों पर यथोचित कार्रवाई करेंगे।

(ह./– बाबूलाल मरांडी, 13.10.2018)

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास को यह पत्र लिखने के बाद श्री मरांडी ने सर्व साधारण के लिये इस पत्र को एक प्रेस वक्तव्य के साथ प्रेस कान्फ्रेंस में भी जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया श्री बाबूलाल मरांडी का यह वक्तव्य निम्नवत है :–

1. सर्वश्री शाह ब्रदर्स, पार्टनर श्री राजकुमार शाह के पक्ष में पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा में लौह अयस्क का खनन पट्टा धारित है.
2. झारखण्ड मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.12.2016 मद संख्या 28 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय वाद रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 114/2014 कॉमन कॉज बनाम भारत संघ द्वारा पारित आदेश के आलोक में सर्वश्री शाह ब्रदर्स के इस लौह अयस्क खनन पट्टे का अवधि विस्तार वर्ष 2017 में इस शर्त के साथ किया गया कि पट्टेधारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा.
3. कालांतर में खनन पट्टेधारी सर्वश्री शाह ब्रदर्स के विरूद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा का लौह अयस्क खनन अवैध रूप से करने के कारण उपायुक्त, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश से 250.63 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान 24 वार्षिक दर से सूद सहित करने का आदेश दिनांक 25.07.2018 को दिया गया.
4. खनन पट्टेधारी सर्वश्री शाह ब्रदर्स द्वारा इस मांग पत्र को भारत सरकार के पुनरीक्षण न्यायालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी रिट याचिका खारिज कर दिए जाने के फलस्वरूप पट्टेधारी ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में इसे पुन: चुनौती दी. खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इस एल.पी.ए. में समुचित प्रतिशपथ पत्र दायर कर अपने 250.63 करोड़ के क्षतिपुर्ति मांग पत्र को सही ठहराया.
5. दिनांक 01.10.2018 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य

न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई निश्चित हुई, जिसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा किया गया.

6. उक्त तिथि दिनांक 01.10.2018 को विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खण्डपीठ को बताया कि पट्टेधारी और राज्य सरकार के बीच एक समझौता हो चुका है एवं दोनों पक्षों की संयुक्त सहमति से 250 करोड़ की राशि एकमुश्त न प्राप्त कर इसे किश्तों में प्राप्त करने की सहमति के आधार पर प्रथम किश्त मात्र 40 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 11.10.2018 तक दिए जाने पर राज्य सरकार खनन परिवहन चालान निर्गत कर देगी जो कि अभी पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के कारण बन्द है.

7. जब माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का यह आदेश लिखित रूप से विभाग को प्राप्त हुआ, तो सभी विभागीय अधिकारी भौंचके रह गये क्योंकि खान एवं भूतत्व विभाग की किसी भी संचिका में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र पट्टेधारी के किश्त भुगतान के बावत एवं परिवहन चालान निर्गत करने के बाबत था ही नहीं.

8. सभी विभागीय अधिकारियों यथा–सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा, उपनिदेशक खान, चाईबासा, उपनिदेशक खान, मुख्यालय, अपर निदेशक खान, मुख्यालय, निदेशक खान, झारखण्ड सभी ने एक स्वर से संचिका में कथित सहमति पत्र नहीं होने का उल्लेख करते हुए सचिव खान से मार्गदर्शन की अपेक्षा की संचिका दिनांक 09.10.2018 को भेज दी.

9. दिनांक 11.10.2018 को खान एवं भूतत्व सचिव ने संचिका को विधि विभाग को भेज दिया.

10. इस परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड, श्री रघुवर दास से मैं निम्न सवाल प्रेस एवं जनता के माध्यम से पूछता हूँ :–

    (i) क्या मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय ने शाह ब्रदर्स पार्टनर राजकुमार शाह के साथ कोई गोपनीय समझौता किया है, जिसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को नहीं है ?

    (ii) क्या मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभाग को दरकिनार कर

सीधे महाधिवक्ता को शाह ब्रदर्स के मामले में निदेश दिए ?

(iii) क्या मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से इस गोपनीय समझौते पर स्वीकृति प्राप्त की है क्योंकि कैबिनेट ने तो दिनांक 28.12.2016 को कॉमन कॉज राशि के एकमुश्त पूर्व भुगतान का नीतिगत निर्णय लिया था ?

(iv) यदि मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय इस गोपनीय समझौते को स्वीकार करता है, तो राज्य राजस्व हित में इस समझौते को सार्वजनिक किया जाय एवं यदि मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय इस गोपनीय समझौते से इन्कार करता है तो कार्रवाई स्वरूप महाधिवक्ता का त्याग–पत्र प्राप्त कर उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करें.

(v) उक्त निर्णय/कार्रवाई 11.10.2018 को राज्य सरकार/विभाग से अपेक्षित है.

(vi) खान विभाग द्वारा विधि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु संचिका भेजने पर यह पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है कि डील उपर स्तर से ही हुआ है और विभागीय पदाधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है.

श्री बाबुलाल मरांडी द्वारा झारखण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास को लिखे पत्र और उनके द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस में जारी प्रेस वक्तव्य महाधिवक्ता के आचरण पर निन्दात्मक टिप्पणी हैं. साथ ही इसमें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के उपर भी भ्रष्ट आचरण का आक्षेप है. इससे स्पष्ट है कि महाधिवक्ता ने अपने मुवक्किल खान विभाग से परामर्श किये बिना 20 किश्तों में भुगतान करने का असत्य प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया. महाधिवक्ता का यह आचरण एक विधिवेत्ता की नैतिकता के विरूद्ध है. यह कॉमन कॉज मामले में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रतिकुल है और इससे राज्य के खजाने पर करोड़ों रूपये की चपत लगी है। मेसर्स शाह ब्रदर्स ने और मेसर्स एन.के.पी.के. ने इस प्रस्ताव के अनुरूप बकाया जुर्माना का भुगतान नहीं किया. तो क्या इसकी जिम्मेवारी तत्कालीन महाधिवक्ता लेंगे ? मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने श्री बाबूलाल मरांडी के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने महाधिवक्ता पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया. इसका अर्थ है कि महाधिवक्ता द्वारा इस मामले में किया गया अनुचित कार्य उनकी सहमति से अथवा मिलीभगत से किया गया था.

❖❖❖

खण्ड–17

अवैध खनन का जुर्माना

झारखंड में लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच का प्रतिवेदन न्यायमूर्ति एम.बी. शाह ने दिनांक 16 जुलाई 2013 को सौंपा. प्रतिवेदन में झारखंड में अवैध खनन के तरीकों का विस्तृत विवरण है. किन–किन नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन हुआ? इसके लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेदार हैं? अवैध खनन की मात्रा कितनी है, इसकी कीमत क्या है? इससे राज्य को कितना नुकसान हुआ है? और सारंडा सघन वन के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? आदि आदि का प्रामाणिक विवरण शाह आयोग के प्रतिवेदन में मौजूद है. इसके साथ ही शाह आयोग के निष्कर्षों पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मंतव्य एवं झारखंड सरकार के खान विभाग का मंतव्य को भी आयोग ने जाँच प्रतिवेदन का अंग बनाया है.

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शाह आयोग के सभी निष्कर्षों/अनुसंशाओं पर अपनी बेबाक टिप्पणी दी है, कुछ से असहमत हुआ है और कुछ में सुधार करने की बात कही है. किसी को स्वीकार योग्य माना है तो किसी को स्वीकार योग्य नहीं माना है. परन्तु झारखंड सरकार के खनन विभाग ने प्रायः सभी अनुसंशाओं पर एक ही मंतव्य दिया है कि इनका परीक्षण किया जाएगा, इनकी जाँच की जाएगी, तदनुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी.

संक्षेप में कहा जाए तो शाह आयोग ने झारखंड में अवैध खनन करनेवालों को चिन्हित किया है, अवैध खनन की मात्रा और इसके मूल्य की गणना की है, अवैध खनन के जुर्माना के रूप में 1993–94 से 2011–12 तक किये गए लौह अयस्क के अवैध खनन की कुल मात्रा का शत–प्रतिशत कीमत के बराबर जुर्माना लगाया है और इस जुर्माना पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़कर कुल जुर्माना वसूलने की अनुशंसा की है. चुकि झारखंड में अवैध खनन की जाँच करने के बीच में ही शाह आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए आयोग ने जिस तरह गोवा और ओड़िसा के बारे में काफी गहन जांच किया एवं तदुपरांत अपना मंतव्य दिया, उस तरह की गहन जांच करने का अवसर आयोग को झारखंड में नहीं मिला. इसलिए आयोग ने अनुशंसा के प्रासंगिक बिंदुओं पर झारखंड सरकार द्वारा परीक्षण/जाँच करने के कृत कार्य प्रतिवेदन पर भरोसा कर जाँच प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया.

अब ये जिम्मेदारी झारखंड सरकार पर थी कि–

1. वह प्रतिवेदन में शाह आयोग द्वारा चिन्हित बिन्दुओं की विस्तृत जाँच करे.
2. शाह आयोग द्वारा चिन्हित अवैध खननकर्ताओं पर कार्रवाई करे और
3. शाह आयोग द्वारा दिये गए फॉर्मूला के अनुरूप अवैध खननकर्ताओं पर जुर्माना की राशि तय करे और जुर्माना राशि की वसूली करें.

जिस समय शाह आयोग का प्रतिवेदन आया, उस समय श्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे. 2.5.2013 को तत्कालीन सरकार ने अवैध खनन के दोषी खननकर्त्ताओं पर शाह आयोग की अनुशंसाओं के अनुरुप ब्याज सहित जुर्माना का निर्धारण किया और जुर्माना राशि की वसुली के लिए उन्हें मांग पत्र भेजा परन्तु इन्होंने केन्द्रीय न्यायाधिकरण स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । तदुपरांत तत्कालीन सरकार ने शाह आयोग द्वारा चिन्हित अनियमितताओं के परीक्षण के लिये 09 जून 2014 को एक 5 सदस्यीय जाँच समिति बनाया. इस समिति में खान निदेशालय के वरीय अधिकारी सदस्य रखे गये. इस समिति को अवैध खननकर्ताओं के पट्टास्थलों की जाँच करनी थी और अनियमितताओं की रिपोर्ट करनी थी. इस जाँच समिति का प्रतिवेदन 20 सितंबर 2014 को आ गया. तब तक झारखंड विधानसभा का चुनाव घोषित हो गया. चुनाव के उपरांत 2014 के दिसम्बर में एक नई सरकार बनी, जिसे पूर्ण बहुमत की और डबल इंजन की सरकार कहा गया. अब शाह आयोग की अनुशंसाओं और 5 सदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर कार्रवाई का जिम्मा इस नवगठित सरकार पर था.

इस बीच 12.01.2015 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश लाकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 तथा खनिज समानुदान नियमावली–1960 की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन कर दिया. तदनुसार भारत सरकार ने 05.02.2015 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के संशोधित नियम–8A(5) एवं 8A(6) के प्रावधानों के तहत खदानों के अवधि विस्तार पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया. इसके आलोक में झारखंड राज्य के अंतर्गत धारित खनन पट्टों की अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा भेजने का निर्देश राज्य सरकार ने उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम को दिनांक 09.03.2015 को दिया. पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने 06.04.2015 को अपना प्रतिवेदन दे दिया कि झारखंड का कोई भी लौह अयस्क खनन पट्टाधारी अवधि विस्तार (31.02.2020 तक) की पात्रता नहीं रखता है. उपायुक्त ने 22 खनन पट्टाधारियों के विरूद्ध विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करने का

प्रतिवेदन भेजा. परन्तु राज्य सरकार ने उपायुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया बदले इसके उपायुक्त के प्रतिवेदन को करने के लिए समीक्षा राज्य सरकार ने एक चार सदस्यीय समिति गठित कर दिया. इस समिति ने भी खनन के दौरान पट्टाधारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को संपुष्ट करते हुए एक अलग विस्तृत प्रतिवेदन दिया.

इस बीच खान विभाग के अधिकारियों ने शाह आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप अवैध खननकर्ता पट्टेधारियों पर जुर्माना एवं ब्याज की राशि निर्धारित कर दिया. पश्चिमी सिंहभूम के जिला खान पदाधिकारी ने इस आधार पर जुर्माना की एक समेकित सूची तैयार किया और 02.05.2015 को अलग–अलग पत्रों के माध्यम से सभी अवैध खननकर्ताओं को जुर्माना अदायगी हेतु माँग–पत्र भेजा. जुर्माना के विरूद्ध कुल मांग ₹ 75,99,30,63,095 (7599 करोड़, 30 लाख, 63 हजार, 95 रूपये) की थी, जिसमें जुर्माना की मूल राशि ₹ 26,45,83,66,345 (2645 करोड़, 83 लाख, 66 हजार, 3 सौ 45 रूपये) और ब्याज रू. 4953,46,86,750 (4953 करोड़, 46 लाख, 86 हजार 7 सौ 50 रूपये) थी. समेकित जुर्माना राशि की तालिका इस पुस्तक के परिशिष्ट–9 पर देखी जा सकती है.

इस बीच ओडिसा के अवैध खननकर्ता शाह आयोग द्वारा लगाये गए जुर्माना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय गए. सर्वोच्च न्यायालय ने इनके दावा के परीक्षण के लिए एक उच्च अधिकार समिति (सी.इ.सी.) गठित कर दिया. शाह आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अवैध खनन की मात्रा का आईबीएम द्वारा निर्धारित मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज जोड़कर अवैध खननकर्ताओं से जुर्माना वसूलने की अनुशंसा की थी. अवैध खनन कर्ताओं द्वारा इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर खननकर्ताओं की रिट याचिका पर भारत सरकार, उच्च अधिकार प्राप्त समिति, कॉमन कॉज एवं अन्य याचिकाकर्ताओं का अभिमत सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया कि अवैध खननकर्ताओं से जुर्माना तो उनके द्वारा किये गए अवैध खनन के आईबीएम मूल्य के बराबर ही वसूला जाएगा. परंतु जुर्माना पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा.

इसके बाद अवैध खननकर्ताओं का समूह पुन: सर्वोच्च न्यायालय के पास गया कि वे जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, परन्तु जुर्माना की वसूली उनसे किश्तों में की जाए. सर्वोच्च न्यायालय इस पर सहमत नहीं हुआ और रिट याचिका संख्या–114/ 2014, कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार एवं अन्य, में 02.08.2017 को फैसला दिया कि अवैध खननकर्ताओं से लौह अयस्क के अवैध खनन के जुर्माना की वसूली

एकमुश्त की जाएगी और जुर्माना का भुगतान उन्हें 31 दिसंबर 2017 तक कर देना होगा. इस तिथि तक जुर्माना का भुगतान नहीं करनेवालों से 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की वसूली की जाएगी.

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसला के उपरांत झारखंड सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अवैध खननकर्ताओं को भेजी गई वसूली की मांग को संशोधित किया और ब्याज की राशि घटा कर 02.05.2015 को जुर्माना की समेकित मांग संबंधित खानकर्त्ताओं को प्रेषित किया, जो ₹ 26,45,83,66,345 (2645 करोड, 83 लाख, 66 हजार, 3 सौ 45 रूपया) थी. ब्याज रहित जुर्माना राशि की विवरणी की तालिका पुस्तक के अंत में परिशिष्ट–10 पर देखी जा सकती है.

उपर्युक्त दोनों तालिकाओं में अवैध खनन के लिए मेसर्स शाह ब्रदर्स पर लगाये गये जुर्माना की राशि ₹ 605,56,07,137.00 (605 करोड़, 56 लाख, 7 हजार, 137 रूपये) थी. इस पर ब्याज की राशि रू. 638,38,09,394.00 (638 करोड़, 38 लाख, 9 हजार, 394 रूपये मात्र) थी. यानी शाह ब्रदर्स पर वसूली मांग की कुल रकम ₹ 1243,94,16,531.00 (1243 करोड़, 94 लाख, 16 हजार, 531 रूपये मात्र) थी. इस मांग पत्र में ब्याज की राशि अप्रैल 2015 तक ही जोड़ा गया था. बाद में इसमें फरवरी 2016 तक ब्याज की राशि जोड़ी गई तो शाह ब्रदर्स पर जुर्माना की कुल राशि ₹ 1365,05,37,958.40 (1365 करोड़, 5 लाख, 37 हजार, 958 रूपये और चालीस पैसे) हो गया. जिसकी वसूली के लिये जिला खान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा मांग पत्र भेजा गया. 5.2.2013 को इन्हें भेजी गयी । जुर्माना की राशि भी इतना ही के करीब थी ।

विडंबना है कि ब्याज सहित जुर्माना की राशि की मुकम्मल गणना हो जाने के बाद भी पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार ने अवैध खनन का दोषी ठहराये गये खननकर्ता से जुर्माना राशि वसूली करने का ठोस प्रयास नहीं किया. शाह आयोग ने जैसी तत्परता का भरोसा झारखण्ड सरकार पर किया था उस पर यह सरकार खरा नहीं उतरी. एक ओर ओडिसा और गोवा की सरकारों ने तत्परतापूर्वक जुर्माना का पाई–पाई अवैध खननकर्ताओं से वसूल लिया तो दूसरी ओर तत्कालीन झारखण्ड सरकार एक समिति के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी समितियाँ बनाते गयी और जुर्माना निर्धारण हो जाने के बाद भी इसकी वसूली में तीन तेरह करती रही ।

❖❖❖

खण्ड–18

जुर्माना गणना में हेराफेरी

जस्टिस एम.बी. शाह आयोग ने झारखंड में अवैध खनन की गणना वर्ष 1993–94 से किया था. कारण कि 1993–94 खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की अवधारणा लागू होने का आरंभिक वर्ष था. इसके अतिरिक्त शाह आयोग ने जुर्माना के मूलधन पर सालाना 12 प्रतिशत का ब्याज लगा दिया. शाह आयोग ने उत्खनित लौह अयस्क की आई.बी.एम. कीमत के समतुल्य राशि का जुर्माना लगाया था और इसे जुर्माना का मूलधन करार दिया था. इस मूलधन पर 12 प्रतिशत के बराबर सूद की जुर्माना के रूप में लगाया था । शाह आयोग के साथ झारखण्ड के मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों की एक बैठक 12.04.2012 को हुई थी. बैठक में हुई चर्चा के आलोक में तत्कालीन सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति से अधिक उत्पादन करनेवाले खननकर्ताओं पर अवैध खनन के लिये जुर्माना राशि की गणना की गई, इस पर 12 प्रतिशत वार्षिक सूद जोड़ा गया और इसका भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया.

इस गणना से पता चला कि शाह ब्रदर्स ने वर्ष 2000–01 से 2011–12 के बीच पर्यावरण स्वीकृति से करीब 39,24,329 मिट्रिक टन अधिक उत्पादन किया है. आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित मासिक मूल्य विवरणी के आधार पर इसका मूल्य ₹605.56 करोड़ निकलता है. तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी,चाईबासा ने इसका भुगतान 15 दिन में करने का निर्देश पत्रांक 219/एम., दिनांक 05.02.2013 द्वारा शाह ब्रदर्स को दिया. यह निर्देश पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट–11 पर देखा जा सकता है.

इसके बाद सरकार बदली, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनी, श्री रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन की गणना नये सिरे से किया और 02.05.2015 को अवैध खनन के दोषी पाये गये संबंधित पट्टेधारियों को जुर्माना भुगतान करने के लिये नया माँग पत्र भेजा. इस मांग पत्र में भी शाह आयोग पर लगाये गये ब्याज रहित जुर्माना की राशि भी 605.56 करोड़ ही थी. जुर्माना भुगतान के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कतिपय अवैध खननकर्ताओं ने उसी न्यायालय में पुर्नविचार का अनुरोध किया. कॉमन कॉज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माना के मूलधन की राशि की गणना में तो कोई परिवर्तन

नहीं किया. परंतु जुर्माना के मूलधन पर ब्याज समाप्त कर दिया. एक संशोधन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी किया कि अवैध खनन की मात्रा और जुर्माना तय करने के आधार वर्ष में परिवर्तन कर दिया. अवैध खनन की गणना का आधार वर्ष 1993–94 से बदलकर 2000–01 कर दिया और तदनुसार जुर्माना की गणना करने का निर्देश दिया.

जब ब्याज रहित जुर्माना भुगतान करने और जुर्माना की गणना 2000–01 के बाद से करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आया तो खान विभाग के अधिकारियों ने इसके अनुसार ब्याज रहित जुर्माना का भुगतान करने का माँग पत्र संबंधित खनन पट्टाधारियों को भेज दिया. 02.05.2015 को प्रेषित इस मांग पत्र में शाह ब्रदर्स से 605.56 करोड़ रूपये का जुर्माना वसूलने का आदेश था. इस बीच पश्चिम सिंहभूम जिला के खनन पदाधिकारी श्री अजीत कुमार बदल दिये गये. उनकी जगह श्री कमलेश्वरी दास पदस्थापित हुये. श्री दास ने पूर्व में भेजे गये माँग पत्र के आधार पर जुर्माना की वसूली करने पर जोर देने की जगह नये सिरे से जुर्माना का निर्धारण किया. कतिपय खनन पट्टाधारियों की जुर्माना राशि को उन्होंने काफी घटा दिया. इनमें से एक मेसर्स शाह ब्रदर्स भी थे. इन पर लगाये गये ब्याज रहित जुर्माना राशि को 605.56 करोड़ रूपया से घटाकर उन्होंने 250.63 करोड़ रूपया कर दिया. मैंने इसपर आपत्ति जताया तो उन्होंने इसपर अपना स्पष्टीकरण दिनांक 10.01.2018 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को दिया और बताया कि किस कारण से उन्होंने शाह ब्रदर्स का जुर्माना 605.56 करोड़ रूपया से घटाकर 250.63 करोड़ रूपया किया है.

मैंने गणना में विसंगति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया. सरकार ने इस बारे में उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम से जानकारी चाहा. उपायुक्त ने पत्रांक 43 गो., दिनांक 06.01.2018 को जिला खनन पदाधिकारी श्री कमलेश्वरी दास से स्पष्टीकरण पूछा. श्री दास ने इस संदर्भ में उपायुक्त को पत्रांक 91 दिनांक 10.1.2018 द्वारा स्पष्टीकरण भेजा. श्री कमलेश्वरी दास, उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को दिया गया स्पष्टीकरण निम्नवत है.

''उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि पूर्व के जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण–पत्र के बिना/अधिक मात्रा में खनिज उत्पादन विषयक निर्गत खनिज मूल्य माँग–पत्र का मूल आधार माननीय शाह आयोग का झारखण्ड प्रतिवेदन था, जिसमें गणना वर्ष का प्रारम्भ वर्ष 1993–94 से किया गया था एवं विलम्ब सूद की राशि की गणना भी की गयी थी.

अधोहस्ताक्षरी के कार्यकाल में निदेशक, खान, झारखण्ड का पत्रांक–ख.नि.(विधि)–98/2017–1896/एम., दिनांक–16.08.2017 प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP(C) No. 114/2014, कॉमन काउज बनाम–भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के आलोक में सभी संबंधित पट्टेधारियों को माँग–पत्र निर्गत करने का आदेश है.

विभागीय आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संशोधित माँग–पत्र निर्गत किया गया है, जिसका मूल आधार माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2017 है न कि शाह आयोग की अनुशंसा.

माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2017 में क्षतिपूर्ति राशि की गणना वर्ष 2000–01 से प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान है एवं वर्ष 1993–94 के उत्पादन की छूट 14.09.2006 तक दिये जाने का भी अतिरिक्त प्रावधान है. पुन: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2017 में सूद की गणना नहीं किये जाने का स्पष्ट आदेश है.

अतएव इस परिस्थिति में पूर्वाधिकारी द्वारा निर्गत माँग–पत्र का आधार शाह आयोग की झारखण्ड अनुशंसा थी, जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत माँग–पत्र का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2017 रहा है। फलत: गणना प्रक्रिया एवं फलाफल में अंतर होना स्वाभाविक है।

प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री, श्री सरयू राय को गणना प्रक्रिया की अद्यतन सूचना नहीं है. अतएव अनुरोध है कि भवदीय स्तर से यदि आवश्यक समझे तो उन्हें अवगत कराना चाहेंगे.

श्री कमलेश्वरी दास द्वारा उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को लिखा गया यह स्पष्टीकरण पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट–12 पर देखा जा सकता है.

जिला खनन पदाधिकारी, श्री कमलेश्वरी दास ने उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम को प्रेषित पत्र में निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख किया है :–

1. पूर्ववर्ती जिला खनन पदाधिकारी (श्री अजीत कुमार) ने शाह आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर गणना किया है जिसमें जुर्माना की गणना वर्ष 1993–94 से की गई है और जुर्माना पर सूद भी जोड़ा गया है, इसलिये राशि बहुत अधिक हो गई है.
2. जबकि इन्होंने जुर्माना की गणना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक

02.08.2017 को दिये गये जजमेंट के आधार पर की है, जिसमें जुर्माना की गणना वर्ष 2000–01 से करने का निर्देश है और जुर्माना पर ब्याज नहीं जोड़ने का निर्देश है. इस कारण से उनके द्वारा की गई गणना कम हो गयी है.

3. आश्चर्य है कि जिला खनन पदाधिकारी ने राज्य के एक मंत्री द्वारा की गई पृच्छा पर उपायुक्त को सतही एवं बेबुनियाद जानकारी दी और उपायुक्त ने इसे मान भी लिया. सच्चाई यह है कि 1993–94 से 2000–01 के बीच पर्यावरण स्वीकृति की सीमा से अधिक खनन हुआ ही नहीं, जिस कारण इस अवधि में अवैध खनन भी नहीं हुआ. इसलिये इस अवधि के लिये जुर्माना की गणना शून्य है और ब्याज भी शून्य है. फलत: पूर्ववर्ती जिला खनन पदाधिकारी और तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी की गणना से जुर्माना की राशि पर कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है. इसलिये इससे जुर्माना राशि की गणना कम या अधिक होने का सवाल ही नहीं उठता.

पूर्ववर्ती जिला खनन पदाधिकारी, श्री अजीत कुमार ने अपनी गणना में वर्ष 2000–01 से 2011–12 के बीच की अवधि को ही शामिल किया, जबकि श्री कमलेश्वरी दास ने वर्ष 2000–01 से 2015–16 तक के अवैध खनन की गणना की है. फिर भी श्री अजीत कुमार द्वारा की गई गणना में अवैध खनन का जुर्माना ₹ 605.56 करोड़ रूपया है और श्री कमलेश्वरी दास की गणना में यह मात्र ₹ 250.63 करोड़ रूपया ही आया है. आखिर क्यों और कैसे ? कौन सा तिलिस्म है इसमें ? नीचे आँकड़ों की तुलनात्मक तालिकायें दी जा रही हैं जो आँखें खोलने वाली हैं जिनमें अजीत कुमार और कमलेश्वरी दास की गणना के आँकड़े हैं.

श्री अजीत कुमार (अ.कु.) द्वारा 02.05.2015 को और श्री कमलेश्वरी दास, (क.दा.) द्वारा 12.09.2017 को की गई गणना के तुलनात्मक आँकड़े

वर्ष	अधिकाई उत्पादन (मेट्रिक टन)		आईबीएम मूल्य (₹ प्रति टन)		कुल मूल्य (करोड ₹ में)	
	(अ.कु.)	(क.दा.)	(अ.कु.)	(क.दा.)	(अ.कु.)	(क.दा.)
2004.05	161715	231679	286	286	5	06.63
2005.06	669164	1286624	298	298	20	38.35
2006.07		16506		296		0.49
2007.08	451490	451490	514	489	23	22.08
2008.09	619576	619576	434	434	27	26.86

2009.10	621199	621199	935	499	58	30.97
2010.11	886672	886673	2274	759	202	67.26
2011.12	514713	514713	5270	1089	271	56.04
टोटल	**3924529**	**4705128**	**10011**	**8386**	**605.56**	**250.63**

उपर्युक्त तालिकाओ के आँकड़ों से स्पष्ट है कि 2013 में तत्कालीन सरकार द्वारा की गयी गणना में और 2015 में श्री अजीत कुमार द्वारा की गई गणना में 2004–05 से 2011–12 के बीच के 7 वर्षों में हुए अवैध खनन के आधार पर शाह ब्रदर्स पर ₹ 605.56 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जबकि श्री कमलेश्वरी दास ने 2000–01 से 2016–17 के बीच के 16 वर्षों के अवैध खनन के आँकड़ों के आधार पर ₹ 250.63 करोड़ का जुर्माना शाह ब्रदर्स पर लगाया है.

अगर दोनों की गणना की तुलना 2004–05 से 2011–12 के अधिकतम उत्पादन, तय सीमा से अधिक उत्पादन और लौह अयस्क के आईबीएम निर्धारित मूल्य के आधार पर की जाय तो एकाध वर्षों को छोड़कर अधिकतम उत्पादन और पर्यावरण स्वीकृति की सीमा से अधिक उत्पादन के आंकड़े तथा आईबीएम मूल्य के आँकड़ों में भी विशेष भिन्नता नहीं है. केवल दो–एक वर्षों के इन आँकड़ों की भिन्नता ने ही जुर्माना राशि में बहुत बड़ा अंतर कर दिया है. 2010–11 के लिये श्री कमलेश्वरी दास ने आईबीएम मूल्य ₹ 759/– प्रति टन लिया है, जबकि श्री अजीत कुमार ने इसी अवधि का आईबीएम मूल्य ₹ 2274/– प्रति टन लिया है. इस तरह वर्ष 2011–12 के लिए श्री कमलेश्वरी दास द्वारा लिया गया आईबीएम मूल्य ₹ 1089/– प्रति टन है, जबकि श्री अजीत कुमार द्वारा लिया गया आईबीएम मूल्य ₹ 5270/– प्रति टन है. केवल इन दो वर्षों में आईबीएम मूल्य में अंतर के आधार पर दोनों द्वारा की गई गणना के अनुसार जुर्माना के आँकड़ों में करीब 380 करोड़ रूपये का अंतर आ जाता है. इन दो वर्षों के लिए श्री कमलेश्वरी दास ने अवैध खनन का जुर्माना मूल्य 123.30 करोड़ लगाया है, जबकि श्री अजीत कुमार ने 473 करोड़ रूपये लगाया है. दोनों में कौन सही है और कौन गलत है, इसके बारे में सही जानकारी इन वर्षों के आईबीएम मूल्य की आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर की जा सकती थी.

परन्तु मेरी शिकायत के बाद भी झारखण्ड सरकार ने इन वर्षों के आईबीएम मूल्य के इस अंतर के तिलिस्म का पता नहीं लगाया. यदि सरकार ने इन वर्षों में लौह अयस्क के आई.बी.एम. मूल्य का पता कर लिया होता तो जुर्माना की अधिकतम

राशि (₹ 605.56 करोड़) और कम की गई न्यूनतम राशि (₹ 250.63 करोड़) तिलिस्म का पता चल गया होता. इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन अधिकारी के कार्यालय में खननकर्ता द्वारा दिये गये रिटर्न की जाँचकर ली जाती, तब भी पता चल जाता कि रिटर्न में हेराफेरी की गई है या नहीं ? परन्तु सरकार ने यह भी जाँचने की जहमत नहीं उठाया और जिला खनन पदाधिकारी श्री कमलेश्वरी दास ने यह कहकर पिंड छुड़ा लिया कि मंत्री, श्री सरयू राय को सर्वोच्च न्यायालय के 02.08.2019 के आदेश के बाद की गणना प्रक्रिया की सूचना नहीं है.

इस मामले में श्री अजीत कुमार और श्री कमलेश्वरी दास में से कोई एक ही व्यक्ति सही हो सकता है. इसके लिये दोनों को बुलाकर और सामने बैठाकर कागजातों की समीक्षा की जा सकती थी और यह पता लगाया जा सकता था कि दोनों में कौन सही है और कौन गलत है. पर झारखण्ड सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने भी अपना मंतव्य देने के समय ऐसे करना उचित नहीं समझा. नतीजतन श्री अजीत कुमार द्वारा शाह ब्रदर्स पर लगाये गये ₹ 605.56 करोड़ का जुर्माना और श्री कमलेश्वरी दास द्वारा इसे घटाकर ₹ 250.63 करोड़ करने के रहस्य पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है. जुर्माना गणना में की गयी इस हेरा–फेरी के जाँच करने और दोनों जिला खनन पदाधिकारियों में कौन सही है और कौन गलत है उसका पता लगाने की कोशिश सरकार ने नहीं किया और श्री कमलेश्वरी दास द्वारा की गयी पुनरक्षित जुर्माना राशि को स्वीकार कर लिया. जो पहले से करीब ₹ 380 करोड़ कम थी. सवाल उठता है कि गणना में हेरा–फेरी कर अवैध खनन का जुर्माना पूर्व की गणना में ₹ 380 करोड़ की कमी करने का निर्णय जिला खनन पदाधिकारी श्री कमलेश्वरी दास का अपना था या यह उनपर अनुचित दबाव के कारण था? यदि श्री कमलेश्वरी दास द्वारा की गयी गणना गलत साबित होती है तो इतनी बड़ी राजस्व क्षति की जिम्मेदारी किसकी होगी ।

❖❖❖

खण्ड–19

उपायुक्त का गड़बड़ झाला

जस्टिस शाह आयोग द्वारा अवैध खनन करनेवाले पट्टाधारियों पर लगाये गये जुर्माना की राशि को झारखंड सरकार के खान विभाग द्वारा कम करने की कोशिशों से राज्य को जितना नुकसान हुआ है, उससे अधिक नुकसान अवैध खनन की घटनाओं को छुपाने से हुआ है. शाह आयोग को लौह अयस्क के अवैध खनन की जानकारी से अवगत कराने के लिये पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को नोडल अफसर बनाया गया था. उनका नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व था कि वे अवैध खनन के अधिक से अधिक मामलों को शाह आयोग के समक्ष उजागर करें. परंतु उन्होंने अवैध खनन की कतिपय गंभीर घटनाओं को शाह आयोग से छुपाया. इन पर पर्दा डालने का प्रयास किया. उपायुक्त को प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग किया. जिसके कारण सरकार को करोड़ो रूपये का नुकसान हुआ.

इस तरह का एक मामला ओड़िसा माइंस एंड मिनरल्स प्रा. लि. (ओएमएम) का है. ओएमएम को सारंडा क्षेत्र के घाटकुरी के 463 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क का खनन पट्टा मिला हुआ था. शाह आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप ओएमएम पर पहले ₹ 442.456 करोड़ का जुर्माना लगा. बाद की गणना में इसे घटाकर ₹ 232.887 करोड़ कर दिया गया. परंतु ओएमएम ने वास्तव में इससे काफी अधिक मात्रा में अवैध खनन किया है. ओएमएम को वर्ष 2009–10 और 2010–11 के लिये 60 लाख टन लौह अयस्क खनन की पर्यावरण स्वीकृति मिली थी. पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त ने इसके अवैध खनन को जानबूझकर शाह आयोग से छुपाया. शाह आयोग के नोडल अफसर के नाते उपायुक्त ने ओएमएम के अवैध खनन से शाह आयोग को अवगत करने के बदले इसे आगे के दो वर्षों 2012–13 और 2013–14 के खनन के साथ अग्रिम समायोजन कर दिया. जबकि ऐसे अवैध खनन को समायोजित करने का अधिकार उपायुक्त को नहीं है. वह भी तब जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवैध खनन करने के लिये चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में ओएमएम कि विरूद्ध मुकदमा संख्या 117/12 दर्ज किया है जिसपर सुनवाई चल रही है.

उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को लिखित निर्देश दिया कि वर्ष 2009–10 और 2010–11 में ओएमएम द्वारा पर्यावरण स्वीकृति से किये गये अधिक खनन

को 2012–13 और 2013–14 में पर्यावरण स्वीकृति के अधीन किये जानेवाले खनन के साथ समायोजित कर दें. अर्थात् ओएमएम ने पूर्व के दो वर्षों में पर्यावरण स्वीकृति से जितना अधिक अवैध खनन किया है उतना कम खनन वह 2012–13 और 2013–14 के लिये स्वीकृत मात्रा से करेगा. ज्ञातव्य है कि ओएमएम को वर्ष 2009–10 और 2010–11 में प्रति वर्ष अधिकतम 60 लाख टन लौह अयस्क उत्पादन करने की पर्यावरणीय अनुमति थी. परंतु उसने 2009–10 में अनुमति से 6.15 लाख टन अधिक और 2010–11 में 6.65 लाख टन अधिक यानी कुल 12.80 लाख टन अधिक उत्पादन कर लिया जो कि अवैध खनन है. उस समय की आईबीएम द्वारा निर्धारित लौह अयस्क की दर करीब ₹ 4000/– प्रति टन की दर से जोड़ने पर इस अवैध खनन के लौह अयस्क की कीमत करीब 512 करोड़ रूपये होती है, जिसे शाह आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ओएमएम से एकमुश्त वसूला जाना चाहिये था. परंतु उपायुक्त ने अगले दो वर्षों 2012–13 और 2013–14 के ओएमएम के उत्पादन में से घटा कर समायोजित कर देने का निर्देश पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी को दिनांक 18.05.2012 को दे दिया और ओएमएम को करीब 500 करोड़ रूपये का फायदा पहुँचा दिया. इस संबंध में पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा वहाँ के जिला खनन पदाधिकारी को दिया गया लिखित निर्देश इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट 13 पर देखा जा सकता है.

यही समय था जब शाह आयोग ने अवैध खनन का जायजा लेने के लिये 2012 में तीन दिन तक पश्चिम सिंहभूम जिला के खनन क्षेत्र का भ्रमण किया था. सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों से वार्ता किया था. खननकर्ताओं से भी विमर्श किया था. अवैध खनन की जानकारियाँ एकत्र किया था. परंतु इस दरम्यान यह सूचना दबी रही कि ओएमएम ने करीब 500 करोड़ रूपये का अवैध खनन किया है. ऐसा संभवत: इसलिये हुआ कि इस जिला के उपायुक्त शाह आयोग के लिये नोडल पदाधिकारी थे और उन्होंने ही 2009–10 और 2010–11 में ओएमएम के अवैध खनन को 2012–13 और 2013–14 के वैध खनन से समायोजित करने का अनुचित एवं अनियमित निर्देश जिला के खनन पदाधिकारी को दिया था.

परंतु आश्चर्य है कि 2014 से 2019 के बीच पूर्ण बहुमत की जिस झारखंड सरकार पर जस्टिस शाह आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने तथा अवैध खनन का जुर्माना निर्धारित करने का जिम्मा था, उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया. अवैध खनन को रोकने और अवैध खननकर्ताओं से दंड स्वरूप जुर्माना वसूलने की

कारवाई नहीं की. ओएमएम जैसे अवैध खननकर्ताओं की निर्लज्ज मदद किया और सरकारी खजाना को 500 करोड़ रूपये की चपत लगानेवाले अधिकारियों को दंडित नहीं किया.

ओएमएम फिलहाल एनसीएलटी में चला गया है कि उसकी वित्तीय स्थिति खराब है, वह दिवालिया हो चुका है. वह किसी का भी बकाया भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. इसपर ओड़िसा की सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई है. झारखंड की पिछली सरकार नहीं गई तो वर्तमान सरकार को राज्यहित की रक्षा के लिये ओएमएम के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिये.

उपर्युक्त विवरण के आलोक में स्पष्ट है कि झारखंड के खनन क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन और इसे संरक्षण देने का सुनियोजित षड्यंत्र चलते रहा है. यह षड्यंत्र विगत पाच–छ: वर्षों में घनीभूत हुआ है. इसके लिये जो दोषी हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी है. भूत काल में जो हुआ उसके कारण राज्य को अरबों का नुकसान हुआ है. भविष्य में ऐसा न हो, ऐसा करने वाले चिन्हित हों, उन्हें दंडित किया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में ऐसी राज्य विरोधी और जन विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगे. इस विषय में तो पश्चिम सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को लिखित आदेश देते हुये उपर्युक्त अवैध खनन में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया हैं. इस आधार पर यदि वे सरकारी सेवा में है तो, उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुये उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए.

घाटकुड़ी आयरन ओर माईनिंग प्रोजेक्ट ऑफ मसर्स उड़िसा मैंगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. के द्वारा Environmental Clearance से अधिक उत्पादन करने के संबंध में पत्रांक–1496/गो., दिनांक 18.05.2012 को जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को दिये गये निर्देश में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने कहा कि–''घाटकुड़ी आयरन ओर माईनिंग प्रोजेक्ट ऑफ मेसर्स उड़िसा मैंगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. के द्वारा समर्पित किये गये आई.बी.एम. रिटर्न यथा 2009–10 एवं 2010–11 में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के निदेश के अनुसार निर्धारित वैध वार्षिक उत्पादन से अधिक उत्पादन किया गया. इस उल्लंघन के लिए पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए घाटकुड़ी माईन्स को बंद किया गया था. माईन्स का वार्षिक उत्पादन उनके द्वारा आई.बी.एम. के जमा किये गये रिटर्न के अनुसार, वर्ष 2008–09 में 0.180 मिलियन

टन, वर्ष 2009–10 में 1.214 मिलियन टन, वर्ष 2010–11 में 1.265 मिलियन टन हैं. वर्ष 2011–12 में इनके द्वारा 30 जून तक रिटर्न जमा करने की संभावना है. 14, 15, 16 अप्रैल 2012 में क्षेत्र भ्रमण के दौरान माननीय शाह आयोग के द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा निदेश दिया गया था कि जिसका वार्षिक उत्पादन वन एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार नहीं है उनके विरूद्ध कार्रवाई की जानी है.

परन्तु उपायुक्त ने शाह आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं किया. सीमा से अधिक उत्पादन करने के लिये जुर्माना नहीं लगाया. आगे उन्होंने स्वीकार किया कि वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दिये गये सहमति पत्रांक No. J-11015/488/2007-IA.II (M) दिनांक 20.02.2009 के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक में 0.6 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन निर्धारित था. भारत सरकार वन एवं पर्यावारण विभाग के द्वारा दिये गये नये सहमति पत्र के अनुसार इनका वार्षिक उत्पादन पत्रांक No. J-11015/12/2009-IA.II (M) दिनांक 02.03.2012 के द्वारा इसके बाद इनका उत्पादन 2.00 मिलियन टन निर्धारित किया गया था. वर्ष 2009–10 में 0.615 मिलियन टन एवं 2010–11 में 0.665 मिलियन टन वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दिये गये सहमति से अधिक उत्पादन किया गया है.

इनके द्वारा दिनांक 09.05.2012 को समर्पित किये गये आवेदन के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिनियम के उल्लंघन के लिए सेक्शन 15 Environmental Protection Act 1986 एवं सेक्शन 37 तथा 44 Air and Water Pollution & Control Act के अनुसार केस नं.–117/12 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा के न्यायालय में शिकायतवाद दायर किया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है.

इसके बाद उपायुक्त ने निर्देश की दिशा बदल दिया और कहा कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्रांक No. J-11015/12/2009-IA.II(M) दिनांक 02.03.20152 के द्वारा इनका 2012–13 से वार्षिक उत्पादन 0.6 मिलियन टन से 2.00 मिलियन टन अधिक बढ़ाने के लिए सहमति दिया गया था. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के निदेशानुसार 2.00 मिलियन टन के लिए Consent to Operate पत्रांक PC/JSR/Air/T-57/11-913 दिनांक 19.03.2012 द्वारा दिया गया है.

उपायुक्त का यह कथन सरासर गलत और आपराधिक है कि उपर वर्णित सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि 2009–10 में

इनके द्वारा किया गया अधिक उत्पादन 0.615 मिलियन टन, वर्ष 2012–13 में वार्षिक उत्पादन 2.00 मिलियन टन में से Compensate करने के लिए कम किया जाता है. इस प्रकार 2010–11 में इनके द्वारा किया गया 0.665 मिलियन टन, 2013–14 में वार्षिक उत्पादन 2 मिलियन टन से कम करने के लिए निदेश दिया जाता है.

उपायुक्त का उपर्युक्त निर्देश पूर्णत: अवैधानिक है. वे इस निर्देश तक ही नहीं रूके, बल्कि आगे उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिला खनन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2012–13 में इनका वार्षिक उत्पादन केवल 13.85 लाख टन, 2013–14 में 13.35 लाख टन तक ही रहे, इससे अधिक नहीं हो.

यह निर्देश उपायुक्त के भ्रष्ट आचरण का द्योतक है. किसी लोक सेवक से कर्तव्य पालन के दौरान ऐसा निर्देश देने की कल्पना भी नहीं की जा सकती. उनका यह निर्देश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1989 की प्रासंगिक धाराओं को आकर्षित करता है, जिनके तहत उनके उपर मुकदमा किया जाना चाहिए.

❖❖❖

खण्ड–20

लौह अयस्क की चोरी

जिस समय शाह आयोग झारखंड में अवैध खनन की जाँच कर रहा था, उसी समय पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने नोवामुंडी के बोकारो साइडिंग से 7,000 मट्रिक टन लौह अयस्क की चोरी का एफआइआर नोवामुंडी थाना में दर्ज कराया था. यह मामला वहीं था. और 50,750 मेट्रिक टन लौह अयस्क जब्त करने, उसमें से 34,732 मेट्रिक टन अयस्क विमुक्त करने 7000 मेट्रिक टन की चोरी होने और बहुसदस्यीय समिति से जाँच कराने पर वहाँ कारपेट स्टॉक गठित कर 94,750 मेट्रिक टन लौह अयस्क पाये जाने का है.

इसकी तह में जाने पर पता चलता है कि लौह अयस्क की चोरी की आड़ में खान विभाग, झारखंड सरकार के पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं खान विभाग के पदाधिकारियों ने अवैध खनन के एक गंभीर मामले पर लीपापोती करने और माजरा को शाह आयोग की नजर से ओझल करने का सुनियोजित षडयंत्र किया है. यह षड्यंत्र विधान सभा एवं राज्य सरकार के संज्ञान में आया. इस पर विधान सभा में सवाल उठा पर सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था. फलतः माननीय सभाध्यक्ष ने विषय जाँच के लिये सभा अध्यक्ष को समर्पित किया.

सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने मामले का जाँच किया, जांचोपरांत प्रतिवेदन अवैध खनन को संपुष्ट करते हुये समिति ने इसकी जाँच बाह्य संस्था से कराने का तथा जिला खनन पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. ये निर्देश आज तक क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं. 2014 में सरकार की ओर से एक कृत कार्य प्रतिवेदन आया जिसमें मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की गई. शाह आयोग की नजरों से इसे ओझल कर दिया गया.

मामला यह है कि पश्चिम सिंहभूम जिला के खनन पदाधिकारी ने नोवामुण्डी थाना में एक एफआइआर संख्या– 9/11, दिनांक– 4 फरवरी 2011 दर्ज कराया. एफआइआर का सारांश था कि नोवामुण्डी के बोकारो रेल साईडिंग से 7,000 मेट्रिक टन लौह अयस्क की चोरी कतिपय अज्ञात व्यक्तियों ने कर ली है. अत: इन अनधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ जाँचोंपरांत कारवाई करें. एफआइआर दर्ज करने के लिये जिला खनन पदाधिकारी द्वारा थाना प्रभारी को लिखे गये पत्र संख्या 219/एम., दिनांक–04.02.2011 में अंकित है कि अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर ने

अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि बोकारो रेलवे साईडिंग एवं 5 नंबर साईडिंग पर लगभग 50,750 मेट्रिक टन लौह अयस्क दिनांक 07.04.2010 को नोवामुण्डी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित जाँच दल ने जब्त किया है. उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम ने 31.01.2011 को इस बारे में एक प्रतिवेदन दिया है, जिसके अनुसार चोरों या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसमें से7,000 मे. टन लौह अयस्क का उठाव कर लिया गया है. उपायुक्त के प्रतिवेदन के आलोक में इनके विरूद्ध कारवाई करें.

विचित्र है कि 50,750 मे. टन लौह अयस्क जब्त हुआ, 7 अप्रैल 2010 को और उपायुक्त ने लौह अयस्क जब्त होने के करीब 10 माह बाद 30.01.2011 को इसमें से 7,000 टन अयस्क चोरी हो जाने का प्रतिवेदन दिया. इसके एक माह बाद 04 फरवरी 2011 को 7,000 मे. टन लौह अयस्क चोरी हो जाने का एफआईआर दर्ज हुआ. इस बीच इसमें से 34,732 मे. टन लौह अयस्क को जिला खनन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न दावेदारों के पक्ष में विमुक्त कर दिया गया. यानी जिन लोगों ने जब्त माल के जितने हिस्से पर अपना दावा किया, उनका कागज–पत्तर देखकर उतना माल उन्हें लौटा दिया गया.

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि लौह अयस्क जब्त हुआ 50,750 मे. टन, इसमें से विमुक्त हो गया 34,732 मे. टन, बचा 16,018 मे. टन. इसमें से 7,000 टन की चोरी हो गई. इसे भी मान लिया जाय तो भी अवशेष लौह अयस्क बच गया 9,018 मे. टन. इस अवशेष लौह अयस्क के बारे में विभागीय सचिव, जिला के उपायुक्त, जिला के खनन पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, सीओ, बीडीओ सब चुप हैं. सवाल है क्या हुआ इस 9,000 मे. टन लौह अयस्क का? इसे धरती लील गई या आसमान उड़ा ले गया ? 7,000 टन अयस्क की चोरी के मामले में तो प्रतिवेदन बने, एफआइआर दर्ज हुये. पर अवशेष रह गये 9,000 टन लौह अयस्क का क्या हुआ ? इसकी चिंता किसी ने नहीं की.

इस बीच बोकारो साईडिंग पर कितना लौह अयस्क लोडिंग के दौरान सतह पर है और सतह के नीचे दबा हुआ है तो (तकनीकी भाषा में कहें कितना कार्पेट स्टॉक है) इसकी जाँच के लिये एक बहुसदस्यीय समिति बनी. समिति ने दिनांक 16.10.2012 को प्रतिवेदन दिया. प्रतिवेदन में अंकित विवरण चौंकाने वाला है. इसके अनुसार बोकारो साईडिंग पर लौह अयस्क की कुल मात्रा 87,906.04 मे. टन है. इसके समीप 5 न. लाईन पर 11793.15 मे. टन अयस्क है. इसके अतिरिक्त समीप के दो

रैयती प्लॉटों पर 5,051.51 मे. टन लौह अयस्क पड़ा हुआ है जिसके दो दावेदार हैं. एक, मिलन मिनरल्स (3239.64 एम.टी) और दूसरा, मैप माईंस एवं मिनरल्स (1811.87 एम.टी.). यानी प्रसंगाधीन समिति ने बोकारो रेलवे साईडिंग के पास कुल मिलाकर 94,750.70 मे. टन लौह अयस्क कार्पेट स्टॉक के रूप में रखा हुआ और दबा हुआ है, ऐसा समिति ने बताया.

इस जाँच समिति में निम्नांकित सदस्य थे :–

1. श्री राकेश कुमार, सर्वे ऑफिसर, सेल, गुवा.
2. श्री तनवीर जाफर, भूगर्भवेता
3. श्री चिंतामणि गोप, अमीन
4. अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर
5. सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा
6. अंचल पदाधिकारी, नोवामुंडी
7. सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा
8. पुलिस अवर निरीक्षक, नोवामुंडी थाना
9. खान निरीक्षक, चाईबासा.

इस नौ सदस्यीय समिति ने 16.2.2012 को हस्ताक्षरित प्रतिवेदन दिया, जिसमें उपर्युक्त विवरण है. परंतु इस स्टॉक का क्या हुआ ? यह स्टॉक कहाँ है ? इसका व्यापार हुआ या नहीं? यदि हुआ तो किसने बेचा, किसने खरीदा ? और यदि व्यवसाय नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ तो स्टॉक कहाँ गया? इसपर सब मौन हैं. क्योंकि अब यह कार्पेट स्टॉक वहाँ नहीं दिखता है. या तो जमीन्दोज हो गया है या किसी अधिकृत/अनधिकृत व्यक्ति ने इसका वारा–न्यारा कर दिया है. कोई सरकारी–गैर–सरकारी स्टेक होल्डर उस पर जुबान खोलने के लिये तैयार नहीं है. नोवामुंडी की बोकारो साईडिंग तब से बंद है.

नोवामुंडी के बोकारो साईडिंग से 7,000 मेट्रिक टन लौह अयस्क चोरी होने का मामला झारखंड विधान सभा में उठा. सदन में सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी तो माननीय सभा अध्यक्ष ने विषय को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के पास गहन जाँच के लिये भेज दिया. समिति ने अपना जाँच प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2013 को सौंप दिया. समिति के प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य और अनुशंसायें निम्नवत हैं :–

समिति का मंतव्य

1. खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक 478, दिनांक 17.03.2012 द्वारा 50,750 मीट्रिक टन लौह अयस्क की जब्ती की जानकारी दी गयी। जब्ती के पश्चात लौह अयस्क की निगरानी का जिम्मा नोवामुण्डी थाना को सौंपा गया. अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के जाँच प्रतिवेदन में नोवामुण्डी थाना की निगरानी हेतु सौंपे गये लौह अयस्क में से लगभग 7,000 एम.टी. अवैध रूप से उठाव का मामला प्रकाश में आया था.

2. सदन में वाद–विवाद के क्रम में सदन को लगभग 61,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क जब्त होने तथा लगभग 28,000 टन लौह अयस्क शेष रहने की जानकारी दी गयी. विभागीय बैठक के समय समिति को 99,699.19 मीट्रिक टन यानी लगभग एक लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क रहने की जानकारी दी गयी. उक्त तथ्यों के आलोक में समिति महसूस करती है कि अवैध खनन के उपरान्त कतिपय मामले के जब्ती की प्रक्रिया उसके रख–रखाव, उसकी सही मापी, उसका मूल्य निर्धारण, दोषी के खिलाफ कार्रवाई सभी स्तर पर विभाग पूर्णत: असफल रहा है.

3. विभाग द्वारा साइज और लेप्स की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है. इस पर समिति स्थल निरीक्षण के क्रम में फाईन्स के अतिरिक्त अन्य माल रहने की जानकारी समिति को हुई. समिति महसूस करती है कि विभाग द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की अपूरणीय क्षति हो रही है.

4. जब्त लौह अयस्क मामले की जाँच चल रही थी तब किस परिस्थिति में लौह अयस्क उठाव की अनुमति दी गयी तथा दोषी पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गयी इसकी जानकारी समिति को नहीं दी गयी, बल्कि समिति को तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा से जवाब मांगे जाने की जानकारी दी गयी.

5. जब्त माल थाना में जमा था और उसकी निगरानी के लिए थाना प्रभारी और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दोनों को जिम्मेवारी दी गई थी तथा जब उसका उठाव किया जा रहा था तो कम से कम उसकी मापी करनी चाहिए थी. जो कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं की गयी. फलत: समिति महसूस करती

है कि इसमें विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के साथ–साथ मिलीभगत भी रही है.

6. समिति महसूस करती है कि विभागीय पदाधिकारियों ने समिति द्वारा माँगे गये अभिलेख विलम्ब से उपलब्ध कराया तथा कुछ अभिलेख नहीं दिये. फलत: समिति को जाँच में एवं निष्कर्ष पर पहुँचने में काफी परेशानी हुई.

7. समिति यह महसूस करती है कि प्रासंगिक मामले में लौह अयस्क के खनन, उसकी जब्ती, जब्त माल की मापी, उसके उठाव की अनुमति, उसका मूल्य निर्धारण प्रत्येक स्तर पर अनियमितता बरती गयी है. समिति ने केवल नमूने के रूप में कुछ स्थलों का निरीक्षण किया और बरती जा रही अनियमितता, पदाधिकारियों की मनमाने कार्यप्रणाली और हो रही राजस्व की हानि से समिति आहत है.

8. समिति यह महसूस करती है कि इस विषय की पूरी जाँच निष्पक्ष तरीके से हो तथा दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के साथ–साथ राजस्व प्राप्ति की सुनिश्चितता भी हो.

समिति की अनुशंसा

1. लौह अयस्क की चोरी से सरकारी राजस्व की हानि हुई है. इसलिए समिति संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करती है, ताकि भविष्य में इस घटना की पुनरावृति न हो सके.

2. समिति ने संबंधित विभाग से सहयोग की अपेक्षा की, लेकिन कुछ कागजात समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया. इसको समिति गंभीरता से लेती है.

3. समिति ने स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में पाया कि ध्यानाकर्षण सूचना में वर्णित 50,750 मीट्रिक टन से कहीं ज्यादा लौह अयस्क की चोरी हुई है. राज्य सरकार को लौह अयस्कों की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए.

4. टास्क फोर्स के डी.आई.जी. ने लौह अयस्क को जब्त करने का निदेश दिया था, लेकिन वहाँ के डी.एम.ओ. द्वारा इसका पालन नहीं किया गया. इसलिए समिति डी.एम.ओ. के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करती है.

5. लौह अयस्क के सभी साईडों पर अवैध रूप से लौह अयस्क पाया गया. इसको सरकार अपने नियंत्रण में लेते हुए राजस्व प्राप्ति हेतु कारगर कदम उठायें.

6. समिति ने स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में लौह अयस्क के सभी साईडों पर चोरी की घटना को पाया. इसलिए सभी साईडों की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच करवायें, ताकि व्यापक रूप से लौह अयस्क की चोरी को रोका जा सके.

समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया. दिसंबर 2014 में पूर्ण बहुमत और डबल इंजन वाली सरकार बनी. उसके ऊपर शाह आयोग की अनुशंसाओं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने और अवैध खनन करनेवालों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी थी. पर नोवामुण्डी के बोकारो साईडिंग पर रखे हुये अवैध खनन के बारे में तो शाह आयोग को भनक तक नहीं लगने दी गई. फिर जुर्माना वसूलना तो दूर की बात है.

सवाल उठता है कि–

1. बोकारो साईडिंग पर पड़ा तथाकथित 50,750 मेट्रिक टन लौह अयस्क स्टॉक के अवैध होने की सूचना उपायुक्त को किसने दी ?
2. डीएमओ से इसका सत्यापन कराये बिना उन्होंने इसे जब्त कर पुलिस की अभिरक्षा में क्यों दे दिया ?
3. डीएमओ ने इसमें से 34,732 मे. टन को विमुक्त करने का सौदा करते समय इसके दावेदारों के दावा की विस्तृत जाँच क्यों नहीं किया?
4. एफआइआर दर्ज होने के बाद नोवामुण्डी थाना ने आजतक अनुसंधान क्यों नहीं किया और दोषियों की शिनाख्त क्यों नहीं किया ?
5. बहुसदस्यीय समिति की जाँच में पाये गये 94,750 मेट्रिक टन के दबे लौह अयस्क भंडार का स्रोत उपायुक्त/जिला खनन पदाधिकारी ने क्यों नहीं पता किया और इससे शाह आयोग को अवगत क्यों नहीं कराया? जबकि सरकार द्वारा उपायुक्त ही शाह आयोग के नोडल अफसर बनाये गये थे.
6. विधान सभा में सवाल उठने पर सरकार ने समुचित कारवाई क्यों नहीं किया?
7. विधान सभा की जाँच समिति का प्रतिवेदन मिलने पर इसकी अनुशंसाओं एवं निष्कर्षों को सरकार ने क्यों लागू नहीं किया ?
8. यह सूचना सरकार की संचिकाओं में रहने के बावजूद 2014 से 2019 के बीच पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार इस पर क्यों चुप बैठी रही ?

अब भी इन सवालों का जवाब ढूंढ़ा जा रहा है. जवाब मिल गया तो मंत्री–मुख्यमंत्री सहित शासन–प्रशासन के कई किरदार नपेंगे. इनकी राज्य विरोधी–जन विरोधी भूमिका उजागर होगी.

विगत 01.03.2021 को झारखंड विधान सभा में पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न का जो उत्तर सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया. उससे पता चलता है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी 7,000 टन लौह अयस्क की चोरी की जाँच के लिये नोवामुण्डी थाना में दायर एफआईआर के अनुसंधान की दिशा में पुलिस ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है. पुलिस का कहना है कि खान विभाग द्वारा जाँच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया. विधान सभा में किये गये मेरे प्रश्न और सरकार द्वारा दिये गये इसका उत्तर की प्रति हू–ब–हू इस पुस्तक के परिशिष्ट–14 पर देखा जा सकता है.

❖❖❖

खण्ड–21

सारंडा पर संकट

सात सौ पहाड़ियों वाले सारंडा के सुरम्य सघन वन का अस्तित्व खतरे में है. प्रकृति की इस अनुपम धरोहर पर खनन एवं संबद्ध गतिविधियों का भारी संकट मंडरा रहा है. यह संकट केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सूत्रण, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन करनेवाले मेधावी मस्तिष्कों और देश के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के पूंजी प्रधान उपक्रमों ने खड़ा किया है. खनन माफिया गिरोह ने इसमें योगदान दिया है. अक्षय विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अवधारणा में विश्वास रखनेवाले सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों के संवेदनशील विशेषज्ञों ने इस खतरे को काफी पहले पहचान लिया था. वर्तमान शताब्दी के आंरभ से ही इस खतरा के समाधान का प्रयास आंरभ कर दिया गया था. परन्तु विवेकशून्य विकास की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के पोषक योजनाकार एवं नीति–निर्माताओं इनकी एक नहीं चलने दिया, इनपर हावी होते रहे. दुर्भाग्य है कि झारखण्ड राज्य के गठन के बाद यहाँ की सरकारें भी इनके मोहपाश में फंसी रही. नतीजतन ''मर्ज बढ़ता गया, ज्यों–ज्यों दवा की'' वाली कहावत चरितार्थ होती रही.

सारंडा सघन वन पर मंडरा रहे विनाश के खतरे को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने 2003 में ही पहचान लिया था और उस पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी. भारत सरकार के वन महानिदेशक ने 16 जून, 2003 को झारखण्ड के तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री जी. कृष्णन को इस बारे में एक पत्र भेजा था. पत्र का आशय था कि सिंहभूम क्षेत्र के सघन एवं आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाय। ताकि राष्ट्रीय उद्यानों, वन प्राणियों, आश्रणियों तथा आरक्षित वनों में गैर वानिकी गतिविधियों के लिए वन भूमि का उपयोग नहीं हो सके. यह पत्र पुस्तक के परिशिष्ट – 15 पर रक्षित है.

वर्ष 2007 की गज गणना के अनुसार सारंडा में 121, कोल्हान में 44 एवं पूरे सिंहभूम गज आरक्ष्य के अंतर्गत कुल 317 हाथी होने का आकलन है. हाथियों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्राणियों की सुरक्षा एवं अस्तित्व को बचाये रखने हेतु विषयगत वन प्रमण्डलों में अखंडित (Virgin) वन भूमि को अभग्न (inviolate) घोषित करना नितान्त आवश्यक है. सारण्डा प्रमण्डल एवं कोल्हान प्रमण्डल के कुछ

वास–स्थलों में पौधों, झाड़ीदार पौधों, लतर एवं वृक्षों की अनेकों ऐसी प्रजातियां है जो दुर्लभ है. सारंडा के सघन वन में बेशकीमती जैव–विविधता उपलब्ध है.

परन्तु अविवेकपूर्ण वैध/अवैध खनन के कारण खनन पट्टा क्षेत्रों के 5 से 8 किलोमीटर त्रिज्या वाले वन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित हो गया है. वन्य प्राणियों को पीने का पानी सुलभ नहीं रह गया है. वास–स्थलों पर खाने योग्य वनस्पतियों एवं जलस्रोतों में कमी के कारण हाथी एवं अन्य वन्य जीव पलायन कर रहे है. यहाँ की जैव–विविधता नष्ट हो रही है. इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, एक कोयना और दूसरा कारो. अधिकाधिक खनन गतिविधि से वायुमंडल एवं नदी जल का प्रदूषित होना स्वाभाविक है. इस कारण से भी इन क्षेत्रों से हाथियों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है. उचित वास–स्थल एवं खाने–पीने की कमी के कारण जंगली हाथी राज्य के बाहर छत्तीसगढ़ तक एवं राज्य के अन्दर बोकारो, दुमका, गुमला, राँची, लोहरदगा एवं सिमडेगा आदि जिलों में, जहाँ 1990 के पूर्व के दशक में हाथी नहीं थे, दर–दर भटक रहे हैं. इस कारण हाथी–मनुष्य टकराव की घटनायें बेतहाशा बढ़ी है, जान–माल की भी भारी क्षति हो रही है.

केन्द्र सरकार के निर्देश पर 2005 से 2008 तक झारखण्ड सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव एवं वन अधिकारियों ने इसके रोकथाम की दिशा में गंभीर प्रयास आरंभ किया था। वन विभाग के अधिकारियों के समूह ने एक शोधपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि ''जिन खदान मालिकों का अपना उद्योग नहीं है और वे अपने खनन पट्टों से उत्खनित खनिज अयस्क का व्यापार एवं खरीद बिक्री करते है, उन पर निम्नांकित बन्दिशें लगाई जाय :–

1. उनके खनन पट्टों की अधिकतम अवधि 20 वर्ष तक सीमित की जाय. यानी यदि किसी खनन पट्टा का नवीकरण 5 वर्ष से लंबित है तो उसका नवीकरण केवल 15 वर्ष के लिए ही किया जाय.
2. जिन पट्टाधारियों का अपना कोई कारखाना नहीं है, उन्हें 20 वर्ष के भीतर अपनी खनन गतिविधियाँ बंद करने का निर्देश दिया जाय और उनसे अपने खनन क्षेत्रों का रिक्लेम (पुनर्स्थापित) करने, यानी खनन बन्द कर पूर्व की स्थिति में लाने के लिए कहा जाय.

सारंडा के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा राज्य सरकार को दिये गये विवरण के अनुसार सारंडा वन प्रमंडल में 28 लीजधारियों को 9351.07 हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन पट्टा पहले से स्वीकृत है. जो सारंडा वन प्रमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग

12 प्रतिशत है. हाल के वर्षों में लौह अयस्क की मांग मुख्य रूप से विदेशों में बढ़ जाने के कारण इन क्षेत्रों में खनन गतिविधि में काफी वृद्धि हो गयी है. सारंडा वन प्रमंडल के अंतर्गत नये खनन पट्टों के लिये कुल 85 आवेदन डाले गये हैं. इन आवेदनों के तहत लगभग 82,500 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन करने के लिए प्रार्थियों ने आवेदन किया है, जिसका कुल क्षेत्रफल सारंडा के कुल क्षेत्रफल से अधिक है. आवेदकों के खनन पट्टों को स्वीकार करने का अर्थ है कि पूरा सारंडा विनष्ट हो जायेगा, वन्य प्राणी विहीन हो जाएगा. वन अधिकारियों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि सारंडा के एक बड़े भू–भाग को अभग्न क्षेत्र घोषित किया जाय. यानी इन क्षेत्रों में खनन पर रोक लगा दी जाय. उनके द्वारा अभग्न घोषित करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र निम्नवत हैं :–

क्रमांक	प्रचलित नाम	कुल क्षेत्र (हे.)	प्रस्तावित अभग्न क्षेत्र (हे.)
1	अंकुआ	16231.17	10983.21
2	घाटकुड़ी	12466.80	6025.81
3	कुदलीबाद	4752.22	4752.22
4	करमपदा	11695.54	5245.26
5	समता	13224.93	13224.93
6	थोलकोबाद	10658.29	10332.84
7	तिरिलपोसी	12635.62	12635.62
	योग :–	**81901.57**	**63199.89**

तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री सुधीर प्रसाद ने इस बारे में दिनांक 11 फरवरी, 2007 को सरकार को संबोधित एक स्वभारित टिप्पणी संचिका में अंकित किया था, जो निम्नवत है :–

1. झारखण्ड बनने से पहले सारंडा वन प्रमंडल में 28 खनन पट्टा दिये हुये है, जिनका कुल क्षेत्रफल 9351 हेक्टेयर है, जो पूरे सारंडा क्षेत्रफल का 12 प्रतिशत है.
2. इस खनन पट्टा क्षेत्रों में लौह अयस्क की मात्रा 30,000 लाख टन है, जिसमें से 20,000 लाख टन लौह अयस्क चिड़िया में है, जो भारत सरकार के उपक्रम स्टील ऑथिरिटी ऑफ इण्डिया (सेल) के पास हैं.

3. यदि प्रतिवर्ष 25 से 30 मिलियन टन उत्पादन भी झारखण्ड में किया जाय तो 3,000 मिलियन टन क्षमता वाले इन खनन पट्टों से अगले सौ साल तक उत्पादन हो सकता है.

4. ज्ञातव्य है कि झारखण्ड में वर्तमान में केवल 7 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन होता है.

5. 28 माईन्स, जिनका लीज पहले से ही दिया हुआ है, उसके कुल 9,351 हे. में से अबतक केवल 500 हे. में ही खनन किया जा रहा है. पूर्व के लीज एरिया में अभी भी कितना अयस्क बचा है, इसकी विवरणी खनन विभाग से मांगा गया है, जो अप्राप्त है.

6. सारण्डा वन प्रमंडल क्षेत्र में लौह अयस्क खनन पट्टा के लिए 85 नये आवेदन पड़े है, जिनका कुल क्षेत्रफल 82,404 हेक्टेयर है, जो सारंडा के शेष बचे वन क्षेत्र से 20 प्रतिशत अधिक है.

7. 85 आवेदकों द्वारा खान विभाग में लीज के लिए आवेदन दिया गया है. इन आवेदकों में जो गंभीर प्रकार की इकाईयाँ हैं, उनका चयन कर ही आयरन–ओर का लीज देना उचित होगा.

8. इन्हें लीज देने में भी मुख्य समस्या निम्न प्रकार है :–

   (1) पर्यावरण के सुरक्षा के हिसाब से भारत सरकार द्वारा यह निदेश निर्गत किया है कि आरक्षित वनों में किसी प्रकार के भी माईनिंग के लिए वनों को अपयोजित नहीं किया जाय.

   (2) ज्ञातव्य है कि पूरे सारण्डा वन में हाथियों के वास–स्थल हैं. जिसके हिसाब से इसकी रक्षा आवश्यक हैं.

9. एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करनी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में लौह उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में एम.ओ.यू. किये गये है, जिसमें टाटा स्टील, मित्तल स्टील, एस्सार स्टील, जिन्दल स्टील एवं इलेक्ट्रो स्टील आदि मुख्य हैं.

10. ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लीज के नाम पर वन भूमि प्राप्त करना भी 85 आवेदकों में से कई आवेदकों की मंशा है. वर्तमान में जो लीजधारी हैं, उनमें से कई लीजधारी आयरन ओर का व्यापार करते हैं. वे इनका वैल्यू एडीशन नहीं करते हैं. यदि वे इसका वैल्यू एडीशन करें, तो राज्य को ज्यादा लाभ होगा.

11. तथ्यों के आलोक में इस बिन्दु पर उच्चस्तरीय निर्णय हेतु खान विभाग, उद्योग विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग की बैठक आयोजित करने की कृपा की जाय।

बैठक की कार्यावली निम्न है :–

(1) अयस्क का लीज केवल Value addition के लिए दिया जाय.

(2) केवल गम्भीर आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जाय.

(3) पुराने लीजधारी, जिनके पास पर्याप्त अयस्क हैं, को निदेश दिया जाय कि वे नये आवेदकों के साथ अयस्क का बटवारा करें.

(4) पूर्व से दिये गये लीज एरिया के अयस्क की समाप्ति के बाद ही नये क्षेत्र में लीज देने की कार्रवाई की जाय.

इसके पूर्व सारंडा वन प्रमंडल के 63,199 हेक्टेयर क्षेत्र को अभग्न घोषित करने का नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव पर तत्कालीन विभागीय मंत्री, सुधीर महतो ने सहमति दे दिया था. चुंकि यह नीतिगत विषय था, इसलिए मुख्य सचिव के माध्यम से संचिका मुख्यमंत्री के पास जानी थी. मुख्यमंत्री के पास संचिका जाने के पहले मुख्य सचिव ने इस पर उद्योग विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग का मंतव्य मांगा. पहले तो संचिका खान एवं उद्योग विभाग जाने के रास्ते में वन एवं पर्यावरण विभाग में ही कई महीनों तक गुम रही. यह नीतिगत निर्णय लागू नहीं हो सका.

मैंने संचिका गुम होने पर सवाल उठाया तो इसे ढूंढ़ने में 5 महीने का समय लग गया. बताया गया कि संचिका पथभ्रष्ट हो गई थी, कहीं और चली गयी थी. संचिका को यदि ढूंढ़ा नहीं जाता तो वह पथभ्रष्ट होकर हमेशा–हमेशा के लिए गुम हो जाती. सवाल है कि संचिका पथभ्रष्ट हो गयी थी या विभाग पथभ्रष्ट हो गया था?

इसके बाद संचिका खान विभाग में मंतव्य के लिए गई तो गई ही रह गई. कई महीनों के बाद सामने आई तो खान विभाग और उद्योग विभाग ने वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव का विरोध कर दिया. कहा कि औद्योगिक विकास के लिए सारंडा के अवशेष क्षेत्र को अभग्न रखने की वन एवं पर्यावरण विभाग की नीति लागू नहीं की जा सकती. एक बार फिर सारंडा का संकट गहरा गया और अवैध खननकर्ताओं की साजिश ने इसके समाधान पर पानी फेर दिया.

इस बीच 2010 में अवैध खनन की जाँच के लिए केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति एम.बी. शाह आयोग गठित कर दिया. शाह आयोग ने अपने जाँच में अवैध खनन

साबित कर दिया, अवैध खननकर्ताओं को चिन्हित किया और उनके लिए दण्ड निर्धारित किया. साथ ही सारंडा के सघन वन के वन्य जीवों, यहाँ के पर्यावरण, नदियाँ एवं अन्य जलस्रोतों, वन्य जीवों के पर्यावास, जैव–विविधता के संरक्षण के लिए ठोस उपाय बताया. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसे स्वीकार कर लिया. परन्तु एक बार फिर झारखण्ड की सरकार इसके आड़े आ गई. राज्य सरकार खननकर्ताओं के पक्ष में खड़ा हो गई.

हुआ यह कि जैसे ही शाह आयोग का प्रतिवेदन भारत सरकार को मिला वैसे ही केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने इस पर विचार किया, जाँच प्रतिवेदन को संसद में रखा गया. तदुपरांत 23 सितम्बर 2014 को भारत सरकार के 'Saranda Carrying Capacity' यानी खनन, परिवहन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को सहन करने की सारंडा वन क्षेत्र की क्षमता निर्धारित करने के लिए आईसीएफआरई (इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन) को अधिकृत कर दिया। इसकी सूचना भारत सरकार ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष सारंडा संरक्षण अभियान के तहत मेरे रिट याचिका संख्या– 5871/2012 में सुनवाई के दौरान न्यायालय को भी दे दिया। इसके उपरांत 26.08.2014 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में एक बहुआयामी विशेषज्ञ समिति का गठन, श्री एस.एस. विष्ट की अध्यक्षता में किया. 05.10.2015 को इस समिति का सुझाव आ गया. इसके बाद आईसीएफआरई ने भी 28.07.2016 को अपना प्रतिवेदन दे दिया, लगा कि अब सारंडा पर मंडरा रहे संकट का समाधान निकल जाएगा. परन्तु तत्कालीन झारखण्ड सरकार ने जो 'पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार' होने का दावा करती थी, दगा दे दिया.

आईसीएफआरई ने वाईल्ड लाईफ इंस्टिच्यूट ऑफ इंडिया तथा सीएसआईआर की धनबाद इकाई सेंटर इंस्टिच्यूट ऑफ माईन्स एंड फ्युल रिसर्च आदि के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाकर रिपोर्ट तैयार किया था. इस रिपोर्ट में खनन, पर्यावरण, वन्य जीव, जलस्रोत, जंगल, जमीन आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार कर बहुआयामी विशेषज्ञों के समूह ने सारगर्भित प्रतिवेदन दिया था. इसमें अनुशंसा की गई थी कि फिलहाल सारंडा में खनन एवं संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए जैसी अधोसंरचना उपलब्ध है, उसे देखते हुए प्रत्येक वर्ष 60 लाख टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन एवं परिवहन की अनुमति नहीं दी जा सकती. अधोसरंचना में सुधार हो जाने पर उत्पादन क्षमता अधिकतम 90 लाख टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाई जा सकती है.

सारंडा सघन वन क्षेत्र में इससे अधिक उत्पादन क्षमता की अनुमति देना व्यवाहारिक नहीं होगा.

फिलहाल झारखण्ड में लौह अयस्क का उत्पादन 16 लाख टन प्रतिवर्ष के आसपास है। इस हिसाब से इसे 60 लाख टन से 90 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव व्यवाहारिक है. परन्तु 'पूर्ण बहुमत और डबल इंजन' वाली तत्कालीन झारखण्ड सरकार इसके विरोध में खड़ा हो गई, इसे स्वीकार नहीं किया. इस सरकार ने सारंडा वासियों के हितों की परवाह नहीं किया, निहित स्वार्थी तत्वों के प्रभाव में आ गई. झारखण्ड सरकार के विरोध की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका विरोध करने के लिये आधा दर्जन से अधिक बार ''दिल्ली दरबार'' का दरवाजा खटखटाया. नीति आयोग के सामने भी माथा टेका. इसका लिखित विरोध किया और सारंडा सघन वन में खनन की अनुमति देने की सीमा 90 लाख टन प्रतिवर्ष से भी अधिक करने के लिए दिन–रात एक कर दिया. दर्जन भर से अधिक बैठकें दिल्ली में आयोजित की गई.

एक बाद फिर ''सारंडा छला गया, झारखण्ड छला गया, जनहित छला गया.'' प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की हार हो गई. मुख्यमंत्री का विरोध और झारखण्ड में विधान–सभा के आसन्न चुनाव को देखते हुए भारत सरकार ने बीच का रास्ता निकाला. शाह आयोग की अनुशंसा के आलोक में गठित समितियों के अनुशंसा पर विचार के लिए एक नई समिति गठित कर दिया। यह समिति आईआईटी/आईआईएम, खड़गपुर और आईसीएफआरई के संयुक्त तत्वाधान में गठित की गई. इसने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है. सारंडा पर संकट खड़ा करनेवालों की उम्मीदें एक बार फिर बंध गई है कि वे कामयाब हो सकते हैं. परन्तु पर्यावरणविद्, वन्यजीव विशेषज्ञ भी तत्पर हैं. वस्तुत: यह सारंडा पर संकट के खिलाफ युद्ध है, सारंडा का संरक्षण करनेवालों और सारंडा का विनाश करनेवालों के बीच युद्ध है. यह एक धर्मयुद्ध है, जन युद्ध है, युद्ध अभी जारी है.

❖❖❖

उपसंहार

मुझे जब भी खान विभाग या अन्य विभागों में अनियमितता की सूचनायें मिलती थी, सरकार में एक मंत्री के नाते मैं इनसे मुख्यमंत्री को अवगत कराता था. उनसे मिलकर या मंत्रिपरिषद की बैठकों में या उनके सचिव/प्रधान सचिव को पत्र लिखकर मैं इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करता था. आरम्भ में मेरे कतिपय सुझावों को माना भी गया. इस कारण राज्य को करोड़ों रूपये की बचत हुई और सरकार अनियमितता करने से बच गई. मुझे स्मरण है कि दिनांक 23 फरवरी 2016 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पतरातू–रामगढ़ सड़क निर्माण में एक नामी–गिरामी परामर्शी द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन को आधार बनाकर प्राक्कलन से करीब ₹100 करोड़ अधिक भुगतान करने का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग ने रखा था. मैंने इसपर तर्कयुक्त आपत्ति किया. भुगतान रूक गया. आजतक रूका हुआ है. सरकार को ₹ 100 करोड़ से अधिक का नुकसान होने से बच गया. ऐसे कई वाकये हैं. पलामू टाईगर रिजर्व के लिए परामर्शी बहाल करने, दिल्ली में चल रहे खान विभाग के मुकदमों की पैरवी के लिये अपर महाधिवक्ता को अधिकृत करने आदि सहित कई विषयों का मैंने राज्यहित में विरोध किया. अंतत: मेरे ये सुझाव माने गये और कैबिनेट प्रस्ताव स्थगित हुये.

परंतु पता नहीं क्यों, खान और उद्योग विभाग की अनियमितताओं पर की गई मेरी तथ्य आधारित आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाती थीं. यह सिलसिला सरकार बनने के आरम्भ से अंत तक बदस्तूर चलते रहा. मुख्यमंत्री को और विभागीय सचिव को मैंने दर्जनों पत्र लिखकर खान विभाग के क्रिया–कलापों पर आपत्ति दर्ज कराया. मंत्रिपरिषद में भी विरोध/सुझाव का स्वर उठाया. पर हर बार मेरे ठोस सुझाव नजरअंदाज किये गये. यह सिलसिला सरकार बनने के आरम्भ से शुरू हुआ और अंत तक चलता रहा. बाद में तो मुझे नुकसान पहुँचाने और अपमानित करने के प्रयास होने लगे.

एक मामला 2016 का है. झारखंड सरकार राज्य की 23 लौह अयस्क खदानों के पट्टाधारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करने के आरोपों की जांच शाह आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में कर रही थी. अधिकांश खदाने बंद थी. इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री एक दिन चाईबासा गये, वहाँ खननकर्ताओं से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा पूछे जाने पर कहा कि सारंडा वन क्षेत्र

में बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों को सरकार शीघ्र खुलवायेगी. यह खबर अखबारों में प्रमुखता से छपी. संयोगवश इसके दो–तीन दिन बाद सारंडा संरक्षण अभियान को एक दो दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेने मैं भी चाईबासा गया. यह कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित था, जिसके बाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे मनोहरपुर जाना था. पत्रकारों ने यही सवाल मुझसे भी पूछा. मेरा जवाब था कि पश्चिमी सिंहभूम जिला की बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों का खुल पाना असंभव है. कारण कि खनन के दौरान इन पट्टाधारियों ने खनन के विभिन्न नियमों का घोर उल्लंघन किया है. मेरा बयान भी अखबारों में प्रमुखता से छपा और भारत सरकार द्वारा गठित जस्टिस एस.बी.शाह आयोग ने इस बारे में प्रतिवेदन दिया है और अवैध खनन को संपुष्ट किया है.

मैं राँची आया तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया. उन्होंने कहा कि लौह अयस्क खदानों को खुलवाने के बारे में मेरे वक्तव्य के बाद आपको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये था. मैंने उनसे कहा कि नीतिगत विषय पर, खासकर वैसे मामलों मे जहां भारत सरकार का अधिनियम स्पष्ट है शाह आयोग का प्रतिवेदन स्पष्ट है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी स्पष्ट है, बोलने के पहले आवश्यक विमर्श के उपरांत सरकार का स्थिर मत बनने के बाद ही आपको ऐसे मामलों में सार्वजनिक वक्तव्य देना चाहिये. अन्यथा निहित स्वार्थी समूह आपको माध्यम बनाकर अपना हित साधेंगे. सहमति बनी कि आगे ऐसे विषयों पर पर्याप्त विचार–विमर्श किया जायेगा.

इसके कुछ समय बाद मुझे जानकारी मिली कि महाधिवक्ता के मंतव्य की आड़ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खान विभाग की एक संचिका पर मेसर्स शाह ब्रदर्स को माइनिंग चालान देने का आदेश अपने स्तर से दे दिया है. परंतु जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा ने मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करने से इंकार कर दिया है. कारण कि संबंधित फर्म को खनन करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की परिचालन सहमति नहीं है. इस मुद्दे पर बात करने के लिये मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिये समय माँगा. तिथि तो स्मरण नहीं है परंतु उस दिन केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी की सुपुत्री का विवाहोपरांत दिल्ली के होटल अशोक में स्वागत समारोह था. मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि मिलने का समय मुझे सुबह में दे दिया जाय ताकि मैं दिल्ली समय से जा सकूँ. उन्होंने समय दिया और 9 बजे पूर्वाह्न मुख्यमंत्री आवास पर हमारी भेंट हुई पर भेंट वार्ता में मैंने उनसे कहा कि शाह ब्रदर्स से संबंधित

संचिका में महाधिवक्ता के परामर्श की आड़ में चालान देने का निर्देश देकर आपने सही नहीं किया है. यह अवैधानिक है. आपका यह आदेश अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है. महाधिवक्ता का परामर्श सशर्त है. उसमें उच्च न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय को उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती देने का विकल्प अपनाने की ध्वनि भी है.

एक तो मुख्यमंत्री के नाते चालान देने के आपके लिखित आदेश का अनुपालन करने से जिला खान पदाधिकारी ने इंकार कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानने का कारण भी लिखित में बता दिया और यह परामर्श भी दे दिया कि चालान देने के बदले उच्च न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय को खंडपीठ के समक्ष चुनौती देना चाहिये. इससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है. मुख्यमंत्री का आदेश जिला खान पदाधिकारी न माने और वह भी ठोस तर्क और तथ्य के आधार पर इस आदेश को गलत बताये तो यह काफी गंभीर है. दूसरा कि इस संबंध में समस्त वांछित सूचनायें खान विभाग की संचिका में रक्षित हैं. महाधिवक्ता के परामर्श वाली संचिका अधीनस्थ अधिकारियों की टिप्पणी के बाद सीधे विभागीय सचिव के पास आई, विभागीय सचिव ने इसके गुण–दोष पर टिप्पणी नहीं कर संचिका सीधे आपके पास भेज दिया. जैसे ही संचिका आपके पास पहुँची, आपने उसी दिन इस पर हस्ताक्षर कर सहमति दे दिया कि चालान दे दिया जाय. इसके साथ ही महाधिवक्ता का अधूरा परामर्श आपके आदेश में बदल गया. यदि यह संचिका जिला खनन पदाधिकारी के मंतव्य पर विभागीय संचिका की टिप्पणी के साथ आपके पास आई होती और विभाग ने इसपर स्पष्ट मंतव्य दिया होता और तब आप इस पर निर्णय लेते तो सरकार के सामने यह शर्मनाक स्थिति नहीं उत्पन्न होती कि मुख्यमंत्री का आदेश जिला खनन पदाधिकारी इस आधार पर नहीं माने कि संचिका पर मुख्यमंत्री ने गलत आदेश दिया है. मैंने उनसे कहा कि आप इसे मेरी सलाह समझिये या चेतावनी, मगर ऐसे ही निर्णय मुख्यमंत्री/मंत्री के लिये जेल जाने का रास्ता प्रशस्त करते हैं. मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात ध्यान से सुना और कहा कि दिल्ली से लौटकर आइये तो मैं मुख्य सचिव, खान सचिव, वित्त सचिव आदि वरीय अधिकारियों की एकबैठक बुलाकर इस बारे मे चर्चा करूँगा. पर वह दिन कभी नहीं आया.

एक अन्य वाकया मंत्रिपरिषद की बैठक का है. 28 दिसम्बर 2016 को खान विभाग की ओर से एक संकल्प का प्रस्ताव कैबिनेट में आया. प्रस्ताव में अंकित था कि राज्य सरकार सभी खनन पट्टों का अवधि विस्तार कर देगी. इसके लिये

पट्टाधारियों को यह शपथ देना होगी कि उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की है और वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, यानी 31 दिसंबर 2016 तक बकाया का एकमुश्त भुगतान कर देंगे. मैंने इस प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया कि एक, यह प्रस्ताव गैर जरूरी है. राज्य सरकार को उच्च न्यायालय का रिट याचिका संख्या– 2207/2016 में दिनांक 06.10.2016 का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक फैसले और भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2015 को एमएमडीआर एक्ट–1957 में किये गये संशोधन के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में खान विभाग को स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिये. अब इसपर मंत्रिपरिषद के सहमति की कोई जरूरत नहीं है. वह समय कब का बीत चुका है. जब ओड़िसा सरकार ने पहल किया था, एक्सप्रेस आदेश जारी किया था पर उस समय झारखंड सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रही. अब इसमें बहुत देर हो चुकी है. मैंने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा था कि मैं किसी ऐसे काम का सहभागी नहीं बनूँगा जिससे जेल जाने की नौबत आये. मेरे विरोध के बावजूद प्रस्ताव पारित हुआ. नतीजा हुआ कि इसके आलोक में 26.03.2017 को शाह ब्रदर्स ने एक शपथ–पत्र दिया, इसके आधार पर खनन आरम्भ किया और 31.12.2017 तक अवैध खनन करते रहा. प्रश्न उठता है कि कैबिनेट द्वारा वह निर्णय लिया जाना क्यों जरूरी था, जिससे राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ, पर जो 9 महीने तक अवैध खनन करने का माध्यम बना रहा.

एक दिन मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद मैंने मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव से अनुरोध किया कि आप सभी मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री के कक्ष में चलें, एक आवश्यक विषय पर बात करनी है. सभी वहाँ पहुँचे तो माननीय मंत्री श्री सी.पी. सिंह वहाँ पहले से मौजूद थे. मैंने खान विभाग में हो रही अनियमितताओं पर बात छेड़ा तो मुख्यमंत्री जी ने वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिये विभागीय सचिव श्री सुनील बर्णवाल को बुला लिया. श्री बर्णवाल जिस प्रकार सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के बचाव में और कॉमन कॉज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव केवल ओडिसा तक ही सीमित रहने का तर्क देने लगे. उससे मुझे घोर आश्चर्य और निराशा हुई. उनका ध्यान मैंने एक संदर्भ में कॉमन कॉज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय की ओर आकृष्ट किया तो उन्होंने कहा कि यह निर्णय तो ओड़िसा के बारे में है. एक वरीय एवं मेधावी प्रशासनिक अधिकारी के मुँह से ऐसी बात सुनना स्तब्ध करने वाला था. क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश के लिये कानून होता है, भले ही यह निर्णय

किसी राज्य विशेष में दायर किसी मुकदमा के सिलसिले में क्यों न दिया गया हो. बातचीत के क्रम में विभागीय सचिव द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये जा रहे थे, उससे सभी हतप्रभ थे. यह कहकर मुझे वार्तालाप स्थगित करना पड़ा कि ऐसे तर्कों से आप सामने बैठे मुख्यमंत्री महोदय को प्रभावित कर सकते हैं, मेरी सोच को नहीं. कारण कि खनन संबंधी राज्य और केन्द्र के अधिनियमों एवं नियमों से मैं भलीभाँति अवगत हूँ. मैंने साफगोई से मुख्यमंत्री से कहा कि मैंने एक बार पहले भी आपसे अकेले में मिलकर कहा था और आज सबके सामने कह रहा हूँ कि आप इसे मेरा सुझाव समझिये या चेतावनी खान विभाग में चल रही अनियमिततायें जेल जाने का रास्ता तैयार कर रही हैं. तल्खी के साथ उस दिन का वार्तालाप समाप्त हुआ.

आनेवाले दिनों में यह तल्खी बढ़ते गई. मुझे परेशान करने और अपमानित करने की साजिश शुरू हुई. एक सोची समझी रणनीति के तहत राज्य के महाधिवक्ता को इसका मुहरा बनाया गया. मुकदमा संख्या 2207/2016 दिनांक 06.10.2016 और मुकदमा संख्या 351/2018 दिनांक 01.10.2018 में मैंने पूर्व अपर महाधिवक्ता और तत्कालीन महाधिवक्ता की भूमिका एवं एक विधिवेता के तौर पर उनकी नैतिकता पर सवाल उठाया था. मैंने प्रमाण सहित साबित किया था कि किस प्रकार राज्य के शीर्ष पदों पर आसीन निहित स्वार्थी गिरोहों द्वारा रचे षड्यंत्र के कारण हुए अवैध खनन से राज्य हित को भारी नुकसान हुआ है और किस प्रकार सरकार के शीर्षस्थ न्यायिक अधिकारियों ने सत्ताधारियों एवं अवैध खननकर्ताओं की मिलीभगत से इन मामलों ने न्यायपालिका को गुमराह किया गया है, इनके द्वारा न्यायपालिका से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाये गये हैं, न्यायपालिका के समक्ष मिथ्या दलीलें रखी गयी हैं, न्यायपालिका को दिग्भ्रमित किया गया है. यह सब राज्य हित और जनहित की कीमत पर हुआ है, इसमें राज्य के महाधिवक्ता की भी मुख्य भूमिका रही है.

मैंने सवाल उठाया था कि क्या महाधिवक्ता अकेले ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं ? क्या यह उन्होंने अपने से किया है ? यदि हाँ तो सूचना मिलने पर सरकार के सत्ता शीर्ष पर बैठे अधिकारियों को उन्हें रोकना, टोकना और दंडित करना चाहिये था. यदि नहीं तो उन्हें इसके लिये कौन शह दे रहा था ? कौन उनका दुरूपयोग कर रहा था ? कौन उनका संरक्षण कर रहा था ? कौन उन्हें ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित कर रहा था ? साजिश का असली सूत्रधार कौन था ? कौन महाधिवक्ता को उनके संवैधानिक दायित्व से च्युत कर रहा था? वह कौन है जिसने महाधिवक्ता को अपने सुस्पष्ट न्यायिक आचरण से समझौता करने के लिये प्रेरित,

प्रोत्साहित अथवा मजबूर किया और राज्यहित के स्थान पर अवैध खननकर्ताओं का हित साधने की दिशा में ले गया ? उपर्युक्त सवालों का सही जवाब तलाशना मुश्किल नहीं है. इसका स्पष्ट संकेत इस पुस्तक के विभिन्न खंडों में है.

इसके बाद जमशेदपुर से संबंधित एक मुकदमा संख्या 4311/2017 में महाधिवक्ता की विधिसम्मत नैतिकता में ऐसी गिरावट सामने आई जिसकी कल्पना भी देश के न्यायिक इतिहास में नहीं की जा सकती. संक्षेप में माजरा यह है कि जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया के आर्मी कैम्प से सटे सोनारी खूंटाडीह एरिया में 5 एकड़ कीमती भूखंड पर मालिकाना का दावा का मुकदमा टाटा स्टील और भाजपा के एक प्रदेश स्तरीय नेता के बड़े भाई सरदार दलजीत सिंह के बीच झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में चल रहा था. सिंगल बेंच में टाटा का दावा खारिज हो जाने के बाद टाटा स्टील ने डबल बेंच में अपील किया था. भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले के बड़े भाई और सत्ताशीर्ष पर काबिज षड्यंत्र के सूत्रधार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास बीच जमशेदपुर की राजनीति में छत्तीस का रिश्ता था. जमीन पर भाजपा नेता के बड़े भाई का कब्जा और टाटा स्टील के खिलाफ मुकदमा में उनकी जीत इनकी नजरों में खटक रहा था. फिर महाधिवक्ता अग्रणी भूमिका में सामने आये. जबरन राज्य सरकार मुकदमा में एक पक्षकार बनी. सरकार की ओर से एक गुमनाम व्यक्ति, जिसका अता–पता आज तक नहीं है और जो कभी सामने नहीं आया है, की शिकायत को आधार बनाकर राज्य सरकार की ओर से एक अनावश्यक हस्तक्षेप याचिका उच्च न्यायालय में दायर हुई. बहस के दौरान महाधिवक्ता ने गंगा पी लिया. अनैतिकता की इंतहा कर दिया. सत्ता के नशा में मगरूर लोगों की शह पर महाधिवक्ता ने सरकार के राजस्व सचिव को एक पत्र लिखा और कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज इस मुकदमा की सुनवाई के समय मौखिक निर्देश दिया कि भाजपा नेता के बड़े भाई के पक्ष में यथास्थिति बरकरार रहने के न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार चाहे तो नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई कर सकती है.

महाधिवक्ता का पत्र राजस्व सचिव के यहाँ पहुँचते ही राँची से जमशेदपुर के बीच सरकारी महकमा सक्रिय हो गया. दबाव में आकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने जबरन भूखंड पर भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले के भाई सरदार दलजीत सिंह की जमाबंदी रद्द कर दी. उपायुक्त जमाबंदी रद्द करने की कारवाई हड़बड़ी में और दबाव में भी भाजपा नेता के बड़े भाई के वकील ने झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ को

महाधिवक्ता के पत्र की सूचना दी तो खंडपीठ ने महाधिवक्ता को फटकार लगाया और कहा कि ''आप अपने मन की बात हमारे मुँह में क्यों रख रहे हैं ?'' खंडपीठ ने महाधिवक्ता को इस बारे में शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया तो फजीहत के डर से महाधिवक्ता ने पलटी मार ली. उन्होंने तत्काल राजस्व सचिव को एक दूसरा पत्र भेजा कि इस मामले में पूर्व में भेजे गये मेरे पत्र को निरस्त कर दिया जाय. सरदार दलजीत सिंह को तत्काल राहत तो मिली, पर महाधिवक्ता के कारनामे की वजह से उन्हें जो नुकसान पहुँचा उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई. महाधिवक्ता के पलटी मारने के बावजूद उपायुक्त ने जमाबंदी करवाने के निर्णय पर रोक नहीं लगाया. भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसे अनैतिक आचरण का उदाहरण बिरले ही मिलेगा.

तत्कालीन उपायुक्त, जमशेदपुर ने जमाबंदी को पुनर्बहाल नहीं किया तो सरदार दलजीत सिंह ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या – 4311/ 2017 दायर किया. पुन: एक हस्तक्षेप याचिका 5212/2020 दायर किया. इस याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 25. 3. 2021 को आया. यह निर्णय सत्ता मद में चूर किसी व्यक्ति के अहंकार की तुष्टि के लिये संविधान एवं क़ानून के प्रावधानों का गला घोंटने का निर्लज्ज प्रयास करने वाले कर्तव्य च्युत पदधारियों के लिये करारा सबक़ है. यह निर्णय शासन व्यवस्था में नौकरशाही या संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों को सीमा – मर्यादा का आईना दिखाने वाला है, उन्हें लज्जित करने वाला है, व्यवस्था के शर्मनाक व्यतिक्रम के शिकार सामान्य जन को राहत पहुँचाने वाला है, यह बताने वाला है कि संविधान और क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते समय अधिकार सम्पन्न पद–धारकों को व्यक्तिनिष्ठ नहीं अपितु वस्तुनिष्ठ रहना चाहिये.

माननीय न्यायाधीश ने निर्णय की कंडिका 17 में साफ़ शब्दों में अपना मनोभाव व्यक्त किया है जिसे हू–ब–हू उद्धृत करना उचित होगा. उन्होंने कहा है कि – "The record of the case clearly suggests that proceeding under 4(h) of the Act, 1950 was initiated on the basis of wrong communication made by the then learned Additional Advocate General, which was subsequently withdrawn. It would be appropriate to observe that the state Government Counsel especially Advocate General and Additional Advocate General(s) hold office of great importance. They are not only the officers of the court but also representatives of the state and the court repose a great deal of

confidence in them. They are supposed to render their solemn duty in fairness and communicate true facts of the court's proceeding to the state authorities

अंग्रेज़ी में व्यक्त माननीय न्यायाधीश के उपर्युक्त उद्धरण का सारांश है कि इस मामले के अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रासंगिक अधिनियम के 4 (एच) की कार्यवाही, यानी जमशेदपुर के उपायुक्त द्वारा सरदार दलजीत सिंह की जमाबंदी रद्द करने की कार्यवाही, उस समय के अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गई ग़लत जानकारी के कारण आरम्भ हुई जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया. यहाँ यह अभिव्यक्त करना उचित होगा कि महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता अत्यंत महत्वपूर्ण पद धारण करते हैं. वे केवल न्यायालय के अधिकारी नहीं है बल्कि राज्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और न्यायालय का उनपर बहुत भरोसा रहता है. उनसे अपेक्षा रहती है कि वे अपने पवित्र दायित्व का निर्वाह उचित तरीक़ा से करेंगे और न्यायालय की कार्यवाही के तथ्यों को सरकारी अधिकारियों के समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे.

वर्तमान संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय की उपर्युक्त शालीन अवधारणा अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर देने वाली है. इसकी सप्रसंग व्याख्या आवश्यक नहीं है.

उल्लेखनीय है कि जिस समय यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था उस समय मेरे पूर्ववर्ती विधान सभा क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिम का नागरिक होने के अधिकार से सरदार दलजीत सिंह ने मुझसे लिखित अनुरोध किया था कि मैं उनके विरूद्ध बदले की भावना से की जा रही अनुचित एवं ग़ैरक़ानूनी कारवाई करने से सरकार को रोकें. तब मैं सरकार में एक मंत्री था. उन्होंने बताया कि हमलोग इस विषय में राँची से दिल्ली तक सरकार और संगठन के सभी उचित स्थानों पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं. सभी सहानुभूति जताते हैं, हमारी पीड़ा से द्रवित होते हैं पर हमपे हो रहे अन्याय का निराकरण करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये तैयार नहीं होते.

सरदार दलजीत सिंह की भावना को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिये मैंने विषय की एक स्वभारित समीक्षा विवरण तैयार किया और इसे एक पत्र के रूप में उन तक पहुँचाया. पर इसका कोई प्रभाव उनपर नहीं पड़ा. अब इस मामले के एक पक्के बारे में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का फ़ैसला आया तो मुझे हार्दिक संतोष हो रहा है कि जब सत्ता और संगठन के सभी पुरोधा किसी न किसी कारण से मौन थे तो मैंने मुखर होकर अन्याय का प्रतिकार करने का साहस जुटाया. न्यायिक

निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि उस समय सरकार ग़लत कर रही थी, राजस्व विभाग के अधिकारी ग़लत कर रहे थे, उपायुक्त, जमशेदपुर ने ग़लत किया था और सबसे बड़ी गलती तो तत्कालीन अपर महाधिवक्ता ने किया था जब उन्होंने कोर्ट के एक ऐसे मौखिक आदेश को, जो कभी हुआ ही नहीं था, ग़लत रूप देकर राज्य के राजस्व सचिव को पत्र के माध्यम से सूचित किया जिसका ख़ामियाज़ा सरदार दलजीत सिंह और उनका परिवार अभी तक भुगत रहा है. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इन्हें ग़लतियों का पुलिंदा बताया है और ग़लतियाँ करने वालों को नसीहत देकर छोड़ दिया है. यह नसीहत इन्हें आजीवन सालती रहेगी और उन क्षणों का एहसास दिलाती रहेगी जब इन्होंने लोभ–लाभ–भय–आशंका के वशीभूत होकर वह किया जिसे करने की इजाज़त उन्हें संविधान–नियम–क़ानून और पद की मर्यादा नहीं दे रही थी. इनके लिये यह किसी भी दंड से कड़ा है. देखना है कि संबंधित पक्ष न्यायालय की इस टिप्पणी को विलुप्त कराने के लिये कोई विधि सम्मत कारवाई करता है या इसे चुपचाप शिरोधार्य कर लेता है.

तमाम तथ्यों को इस पुस्तक का अंग बनाने का निर्णय करते समय मुझे उचित लगा कि इस बारे में प्रभावित पक्षों की टिप्पणी से भी अवगत हो लिया जाय ताकि उनकी टिप्पणियों के आलोक में पुस्तक प्रारूप को यथासंभव संशोधित कर लिया जाय. इसलिये मैंने पुस्तक का प्रारूप अपने वेबसाईट saryuroy.in पर डाल दिया.

मैंने उच्च न्यायालय के समक्ष तीन मामलों में महाधिवक्ता के प्रतिष्ठित पद के अनैतिक आचरण का उल्लेख करते हुये उनके न्यायिक आचरण की जाँच कराने और उन्हें पदमुक्त करने के लिये मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मंत्रिपरिषद की बैठक में भी अन्यान्य मद में यह विषय मैंने उठाया. परन्तु मुख्यमंत्री ने मेरे अनुरोध का संज्ञान नहीं लिया, मेरे स्मार पत्रों पर भी वे मौन रहे. मगर महाधिवक्ता सक्रिय हो गये. महाधिवक्ता ने मेरे और श्री बाबूलाल मरांडी के विरूद्ध सार्वजनिक बयान दिया. इसके बाद उन्होंने झारखंड बार काउंसिल की आपात बैठक बुलाकर मेरे विरूद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास कराया. झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, श्री बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री को महाधिवक्ता के ऐसे आचरण के बारे में पत्र लिखा. संवाददाता सम्मेलन बुलाकर महाधिवक्ता के आचरण के विरूद्ध आवाज उठाया और मुख्यमंत्री से इन्हें पदच्युत करने की माँग की, पर इसका भी कोई असर तत्कालीन मुख्यमंत्री पर नहीं हुआ.

मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का मंत्रिपरिषद

करता है. मगर झारखंड का महाधिवक्ता सच कहने के लिये मंत्रिपरिषद के सदस्य के विरूद्ध उस बार काउंसिल से निंदा का प्रस्ताव पारित कराता है, जिसका वह स्वयं अध्यक्ष हैं और मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के बाद भी आप चुप हैं. यह कैसी बिडम्बना है ? इतना होने के बाद भी मुख्यमंत्री मौन रहे. तो मैंने झारखंड राज्य बार काउंसिल के सभी सदस्यों को पत्र लिखा और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया. मैंने उनसे अनुरोध किया कि राज्य बार काउंसिल की एक अत्यावश्यक बैठक शीघ्र बुलाईये और उसमें मुझे स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दीजिये। यदि आप सभी इस विषय में मेरे तर्क से सहमत हो जाए तो मेरे विरूद्ध पारित प्रस्ताव को निरस्त करिये. झारखंड राज्य बार काउंसिल की बैठक तो नहीं बुलायी गयी मगर झारखंड राज्य बार काउंसिल के कार्यालय से एक पत्र मुझे भेजा गया. पत्र में कहा गया कि आपके विरूद्ध पारित किया गया प्रस्ताव निष्क्रिय है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. राज्य बार काउंसिल की अगली बैठक में विचारोपरांत आपके विरूद्ध पारित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जायेगा. राज्य बार काउंसिल के सचिव द्वारा मुझे प्रेषित यह पत्र पुस्तक के अंत में परिशिष्ट –16 पर रक्षित है.

इतना होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ा तो मैंने मंत्रिपरिषद की बैठक में जाना बंद कर दिया. झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समक्ष गुहार लगाया. पर हुआ कुछ भी नहीं. मेरी परेशानी और मेरे अपमान का संज्ञान किसी ने नहीं लिया. उल्टा चुनाव में मेरा ही टिकट काट दिया. यह वाकया लंबा है. इतना ही कहना प्रर्याप्त होगा कि –

'दुश्मनों की चोट खाकर, दोस्तों के शहर में,
मैंने किस–किस को पुकारा, यह कहानी फिर सही ।

कहा गया है कि''मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है.'' श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने भी कहा है कि''होइहें सोई जो राम रचि राखा.'' ऐसा ही हुआ. मेरा टिकट कटने के पन्द्रह–बीस दिनों के भीतर पासा पलट गया. अपनी पुरानी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी को छोड़कर मैंने मुख्यमंत्री की सीट जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़ने का एलान किया. जो मेरे साथ हुआ, वह अपमान लोगों ने पसंद नहीं किया. अद्भुत जन–ज्वार पैदा हुआ. लोग खुद–ब–खुद मेरे पक्ष में खड़ा हो गये. मानो जमशेदपुर पूर्व की सीट से किसी ऐसे व्यक्ति के खड़ा होने की उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी, जो अंहकार, भ्रष्टाचार, उन्माद के प्रतीक को पटखनी दे सके. लोगों ने इस काम के लिये मुझपर भरोसा

किया. जनता ने एकजुट होकर एतिहासिक और रोमांचक विधान सभा चुनाव में मुझे विजयी बना दिया. चुनाव में मैंने जो वादा किया था. उन्हें पूरा करने की भरसक कोशिश में लगा हुआ हूँ. इस पुस्तक की रचना इस क्रम में एक लघु प्रयास है.

देशभक्त, ईमानदार, अग्रगामी समूह बड़ी उम्मीद के साथ अपने बीच से एक रहबर, रहनुमा, एक अगुआ, एक राह दिखाने वाला तय करता है. जब वह तथाकथित रहबर भ्रष्ट आचरण के उन्माद में आनन्द लेने लगता है, उस पर उम्मीद लगाये समूह के बाहर का कोई अलग गिरोह खड़ा कर लेता है, उस गिरोह के निहित स्वार्थ का पृष्ठपोषक बन जाता है तो जनता के उस समूह का भरोसा टूट जाता है, जनसमूह का अपना ही कारवां लूट जाता है, वह किंकर्तव्यविमुढ़ हो जाता है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के दनकौर गाँव के एक श्रेष्ठ कवि श्री भुवनेश्वर प्रसाद दीक्षित उर्फ दीक्षित दनकौरी ने उसकी अभिव्यक्ति को निम्नांकित पंक्तियों में भलीभांति उकेरा है :–

अगर रहबर ही कर ले दोस्ती चुपचाप रहजन से,
किधर ले जाए फिर वो कारवां भगवान ही जाने.

झारखंड के लोगों ने विगत दिनों इन पंक्तियों के भाव और भावना को शिद्दत के साथ महसूस किया है. देखा है कि आस्ते–आस्ते कैसे एक समूह गिरोह बन गया. एक देहाती कहावत है :– बंडा अपने तो गया ही, नौ हाथ का पगहा भी लेते गया. ऐसा ही हुआ. खुद तो गये ही, झारखंड में फिर से बहुमत की सरकार बनाने की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया. 65 प्लस का ख्वाब दिखाने वाले 25 पर अटक गये. इसके पीछे का कारण जानने वाले जानते हैं. राँची और दिल्ली भले कम जाने, गफलत में रहे, भरोसा कर ले और करती रहे, पर जमशेदपुर का कोना–कोना इससे वाकिफ है. 25 वर्षो तक अपमान, अंहकार और परिवार का दंश झेलने वालों ने मौका मिलते ही हिसाब पूरा कर लिया.

मैंने चुनाव में अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों से जो कहा था, उसके बारे में चुनाव के पहले अपने तत्कालीन आलाकमान को भी सूचित करते रहता था, वह केवल मेरा चुनावी प्रचार नहीं था, कोरा वादा नहीं था, वह मेरे आत्मक्लेश की अभिव्यक्ति थी. केवल नारा नहीं था, बल्कि वर्षों की संचित निष्ठा थी. जो उस समय समझ गये, वे समझ गये, जो तब नहीं समझे, वे अब भी समझ लें. इसकी परत दर परत उजागर करना मेरा वादा था. इस पुस्तक में कतिपय वास्तविक वाकयों को सबूतों के साथ संक्षेप में संकलित कर फिलहाल उस वादा का एक अंश पूरा कर रहा

हूँ. कई बातें अभी बाकी हैं. मौका आया, समय मिला तो ऐसी अन्य कई परतें भी उजागर होंगी. शहाब जाफरी की मशहूर नज्म है :–

'तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा ?
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है.'

विगत एक वर्ष के कालखंड में यह मेरी दूसरी पुस्तक है जो शत–प्रतिशत तथ्य आधारित है. इसके कुछ माह पूर्व प्रकाशित मेरी एक पुस्तक **'लम्हों की खता'** को आप लोगों ने हाथों–हाथ ले लिया. मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक **'रहबर की राहजनी'** भी आपकी उम्मीद पर खरा उतरेगी. आभार ! धन्यवाद !

❖❖❖

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को प्रेषित पत्र

पत्रांक आ.को.(खा.)/20/69 दिनांक 12.08.2020

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

विषय :– लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच के लिये न्यायमूर्ति एम.बी. शाह आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में विगत 5 वर्षों में जानबूझकर की गई अनियमितताओं की जाँच करने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने के संबंध में.

महाशय,

आपको मालूम होगा कि झारखंड सहित देश के अन्य लौह अयस्कधारी राज्यों में अवैध खनन की शिकायतों की जाँच करने के लिये भारत सरकार ने 22 नवम्बर, 2010 को शाह आयोग का गठन किया. आयोग ने अक्टूबर, 2013 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दिया. शाह आयोग को झारखंड में जाँच करने का पूरा समय नहीं मिला, फिर भी आयोग ने झारखंड में लौह अयस्क खननपट्टाधारियों द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को उजागर किया और दोषी खननपट्टाधारियों पर करीब 14,541 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया.

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में चिंता व्यक्त किया कि **''यदि खनन पट्टों की स्वीकृति और खनन की रफ्तार ऐसे ही चलते रही तो झारखंड का लौह अयस्क भंडार अगले 43 वर्ष में समाप्त हो जायेगा. अगली पीढ़ी के लिये कुछ भी नहीं बचेगा और सारंडा का प्रसिद्ध साल वन उजड़ जायेगा.''**

शाह आयोग ने अग्रेतर जाँच करने की कतिपय जिम्मेदारियाँ झारखंड सरकार के उपर छोड़ दिया. 2014–19 के बीच झारखंड सरकार को यह जिम्मेदारी निभानी

थी. परन्तु इस अवधि में सरकार ने अवैध खनन को प्रोत्साहित किया. इस सरकार के लिये शाह आयोग की अनुशंसायें बेमानी हो गई. इस संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :–

1. शाह आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में झारखंड सरकार ने अग्रेतर कार्रवाई की. जून, 2014 में अपर निदेशक, खान की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया. इस समिति ने सितंबर 2014 में प्रतिवेदन दिया. इसके बाद उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन हुआ, जिसका प्रतिवेदन अप्रैल, 2015 में आया. फिर चार सदस्यों वाली तीसरी समिति बनी, जिसने जुलाई, 2015 में प्रतिवेदन दिया. तीनों समितियों ने खनन में अनियमितताओं को चिन्हित किया और स्पष्ट मंतव्य दिया कि 23 खननपट्टाधारी अवधि विस्तार की पात्रता नहीं रखते हैं. विकास आयुक्त के स्तर से निर्णय के उपरांत इन 23 खननपट्टाधारियों का पट्टा रद्द कर दिया. इस आशय का आदेश सरकार ने 01 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित कर दिया. इस आदेश पर महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया था.
2. सरकार के आदेश के विरूद्ध तीन खननपट्टाधारियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया. एकल पीठ के समक्ष 21.04.2016 को याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने कहा कि खनन पट्टा का पहला नवीकरण का आवेदन रद्द करने का सरकार का आदेश सही नहीं था. न्यायालय के समक्ष अपर महाधिवक्ता का आचरण पेशागत नैतिकता के विरूद्ध था. नतीजा हुआ कि अंतरिम आदेश में न्यायालय ने खनन पट्टा रद्द करने का सरकार का आदेश खारिज कर दिया.

   खान विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने अपर महाधिवक्ता के इस कृत्य का विरोध किया और पत्र लिखकर महाधिवक्ता और सरकार को इससे अवगत कराया. सरकार के हित, यानी अपने मुवक्किल के हित, के विपरीत आचरण करने वाले अपर महाधिवक्ता के विरूद्ध तो कुछ नहीं हुआ, उल्टे तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो खान मंत्री भी थे, ने इसके लिये अपर मुख्य सचिव, खान को अपमानित किया। इस संबंध में अपर महाधिवक्ता के अनैतिक आचरण और मुख्यमंत्री की मिलीभगत की जाँच होनी चाहिए.
3. माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय के बाद सरकार से अनुमति लिये

बिना उक्त खननपट्टाधारी ने खनन आरम्भ कर दिया और खान विभाग को लिखा कि उसे परिवहन चालान दिया जाय. खान विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया. उन्होंने इस पर महाधिवक्ता का परामर्श माँगा. महाधिवक्ता (अब स्वर्गीय) ने परामर्श दिया कि सरकार यदि न्यायालय के अंतरिम फैसला के विरूद्ध अपील नहीं करना चाहती तो उसे निर्णय मानकर चालान दे देना चाहिये. इस आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 24.06.2016 को चालान देने का आदेश कर दिया. इसके पहले पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने उच्च न्यायालय के एकल पीठ के अंतरिम आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय के खंडपीठ में अपील करने के लिये सरकार से आदेश माँगा था. मगर सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं माना और मुख्यमंत्री ने चालान देने का आदेश दे दिया. पश्चिमी सिंहभूम जिला के खनन पदाधिकारी ने चालान देने के मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से इंकार कर दिया. उन्होंने विभाग को बताया कि नियमत: उक्त खनन पट्टाधारी को चालान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसे पर्यावरण विभाग से कंसेन्ट टू ऑपरेट (सीओटी) यानी खनन करने की अनुमति ही नहीं मिली है. स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का चालान देने का आदेश गलत था. उन्होंने अवैध खनन का संरक्षण किया. इसकी जाँच होनी चाहिए.

4. जिला खनन पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के नियम विरूद्ध आदेश का पालन नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ा. खनन पट्टाधारी ने उनके विरूद्ध न्यायालय की मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया. इसमें सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया. यह मुकदमा उन्हें अपने पैसे से वकील खड़ाकर लड़ना पड़ा. सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनका तबादला कर दिया.

5. सीओटी नहीं होने के बावजूद अवैध खनन करने वाले उक्त पट्टाधारी पर कार्रवाई करने के बदले, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पर सीओटी देने का दबाव पड़ा. दबाव में उन्होंने सशर्त सीओटी जारी किया कि यह तभी प्रभावी होगा जब उक्त पट्टाधारी ने कोई अनियमितता नहीं किया हो. परन्तु इस पट्टाधारी द्वारा खनन में अनियमितता सिद्ध हो चुकी थी. इसलिए चालान रोकने वाले जिला खनन पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया. नये आये जिला खनन पदाधिकारी ने अनियमितायें रहने के बावजूद चालान दे दिया.

6. शाह आयोग ने अवैध खनन करने वाले झारखंड के पट्टाधारियों पर 14,541 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया था. 14,403 करोड़ रूपया लौह अयस्क के अवैध खनन के लिये और 138 करोड़ रूपया मैंगनीज अयस्क के अवैध खनन के लिये. इसमें ब्याज की राशि भी शामिल थी. बाद में झारखंड सरकार ने जुर्माना की पुनर्गणना किया और जुर्माना की राशि को घटाकर करीब 7133 करोड़ रूपया कर दिया. इसमें 2667.58 करोड़ रूपया मूल जुर्माना की राशि और करीब 4465.46 करोड़ रूपया ब्याज की राशि थी. पुनर्गणना में इतना अंतर कैसे आया, यह जाँच का विषय है.

7. चुंकि अवैध खनन के जुर्माना पर ब्याज की राशि तो सर्वोच्च न्यायालय ने माफ कर दिया । इसलिए किसी चतुर अधिकारी ने मूल जुर्माना राशि की पुन: गणना कर इसे पहले से भी कम कर दिया. पूर्व में जुर्माना की सरकारी गणना 2667.58 करोड़ रूपये थी. दुबारा गणना में घटाकर इसे करीब 2404.26 करोड़ रूपया कर दिया. गणना की इस रहस्य की पड़ताल होना आवश्यक है.

8. जुर्माना अदा करने के बदले खनन पट्टाधारियों ने केन्द्रीय ट्रिब्युनल में अपील कर दिया और वहाँ से स्थगन आदेश ले लिया. परन्तु स्थगन आदेश हटवाने का सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हुआ. ऐसा क्यों हुआ, यह जाँच का विषय है.

9. शाह आयोग द्वारा लगाये गये जुर्माना पर ब्याज सर्वोच्च न्यायालय ने माफ कर दिया था और अवैध खनन के दोषियों को जुर्माना की पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त करने का आदेश दिया था. परंतु जुर्माना की माँग करने और जुर्माना अदायगी करने में होनेवाले विलम्ब की अवधि का ब्याज माफ करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा था. जुर्माना अदा करने में हुये विलम्ब पर ब्याज की गणना हुई या नहीं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए.

10. शाह आयोग ने 2011 तक हुये अवैध खनन पर जुर्माना लगाया था. जिन पट्टाधारियों पर शाह आयोग ने अवैध खनन के लिये जुर्माना लगाया था, उन खनन पट्टाधारियों ने 2011 से मार्च, 2020 के बीच अवैध खनन किया या नहीं और यदि किया तो सरकार ने शाह आयोग की तर्ज पर उनसे जुर्माना वसूला या नहीं, इसकी भी जाँच होनी चाहिये.

11. जुर्माना वसूल करने में भी कतिपय पट्टाधारियों पर सरकार और महाधिवक्ता ने मेहरबानी की है, जो अवैधानिक है. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पट्टाधारियों द्वारा जुर्माने का एकमुश्त भुगतान करने के लिये था. परंतु कई पट्टाधारियों से जुर्माना एकमुश्त नहीं, बल्कि किश्तवार वसूला गया. यदि किसी न्यायालय ने किश्तों में भुगतान करने का आदेश दिया तो सरकार ने इसकी अपील ऊपर के न्यायालय में किया या नहीं ? यदि नहीं किया तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं करने के बारे में निर्णय किसके द्वारा लिया गया, इसकी जाँच होनी चाहिए.

12. ऐसा उदाहरण भी है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एकमुश्त जुर्माना अदा करने का आदेश दिया. प्रभावित पक्ष ने इसके विरूद्ध खंडपीठ में अपील किया तो सरकार के महाधिवक्ता ने खान विभाग से नहीं पूछा और स्वयं अपने मन से न्यायालय को बता दिया कि दोनों पक्ष जुर्माना का भुगतान 20 किश्तों में करने और लेने पर सहमत हैं. महाधिवक्ता ने 20 किश्तों में भुगतान का विवरण भी खुद तैयार कर न्यायालय की खंडपीठ के सामने रख दिया और कहा कि इसपर दोनों पक्ष सहमत हैं. परन्तु खान विभाग ने इसपर सहमत होने से इंकार किया. तब आखिर किसके निर्देश पर महाधिवक्ता ने ऐसा अवैधानिक काम किया. क्या महाधिवक्ता की ऐसे पट्टाधारियों के साथ साँठ–गाँठ थी ? यदि नहीं तो किसके इशारे पर उन्होंने पेशागत नैतिकता के विरूद्ध आचरण किया ? इसकी जाँच होनी चाहिये.

13. उच्च न्यायालय का 06.12.2016 का निर्णय था कि जिन आवेदकों ने न्यायालय में मुकदमा किया है वे तभी खनन कर सकेंगे, जब वे 2 माह के भीतर सरकार के सामने प्रमाणित करें कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन दुरुस्त कर लिया है. शेष पट्टाधारियों को न्यायालय ने इसके लिये 6 माह का समय दिया। यानी नियमों का उल्लंघन करने वाले पट्टाधारी खनन नहीं कर सकेंगे. परन्तु न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद अवैध खनन चलता रहा. नियमों के उल्लंघन की जाँच के बारे में सरकार ने टालू रवैया अपनाया. खान सचिव ने 60 दिनों का नोटिस पट्टाधारियों को दिया,पर यह नोटिस गलत नियम के तहत दिया. 60 दिन का नोटिस अवधि बीत जाने के बाद पट्टाधारियों ने सचिव को टका सा जवाब दे दिया कि आपने जिस धारा के तहत उन्हें नोटिस दिया है, उसके

तहत प्रासंगिक मामले में सुनवाई का अधिकार आपको नहीं है. फलत: सुनवाई स्थगित हो गई. इसके बाद सरकार ने चुप्पी साध ली. पुन: माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया. पर विभागीय सचिव ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया. इसके बाद सरकार ने मामले की सुनवाई के लिये सदस्य, राजस्व पर्षद को जिम्मा दिया. सदस्य राजस्व पर्षद ने सुनवाई किया और एक खनन पट्टाधारी का पट्टा रद्द करने की अनुशंसा सरकार से किया. ये वही पट्टाधारी हैं, जिन्हें परिवहन चालान देने के लिये तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नियम के विपरीत आदेश किया था. इससे स्पष्ट है कि यह आदेश मुख्यमंत्री ने जान–बूझकर साजिश के तहत दिया था. सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान खान विभाग ने सहयोग नहीं किया. विभाग ने पट्टाधारियों द्वारा नियम उल्लंघन के उन प्रमाणों को नहीं रखा जो प्रमाण विभाग की संचिकाओं में मौजूद थे. इसकी जाँच होनी चाहिये.

14. इस बीच तीन महत्वपूर्ण निर्णय हुये। एक, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज मामले में दिनांक 02.10.2017 को निर्णय दिया कि 31 दिसंबर, 2017 के पूर्व पट्टाधारियों को जुर्माना की राशि दे देनी होगी नहीं तो वे खनन नहीं कर सकेंगे. जुर्माना नहीं देने वाले एक पट्टाधारी को 31 दिसंबर, 2017 को खान विभाग ने थोक भाव से परिवहन चालान दे दिया, जिसके आधार पर वह मई, 2018 तक लौह अयस्क का परिवहन करते रहा. इसके दोषियों पर कारवाई होने से साजिश का असली चेहरा उजागर हो जायेगा.

दूसरा, झारखंड सरकार की कैबिनेट ने दिनांक 28.12.2016 को सभी खनन पट्टाधारियों की पट्टा अवधि सशर्त बढ़ा दिया. जाँच इसकी भी होनी चाहिये कि 2015 में संशोधित एम.एम.डी.आर. एक्ट में स्पष्ट प्रावधान होने और खनन पट्टा रद्द करने संबंधी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश आ जाने के बाद झारखंड सरकार को कैबिनेट में मामला ले जाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले पट्टाधारियों के पट्टों का सशर्त अवधि विस्तार देने का क्या औचित्य था?

तीसरा, भारत सरकार ने खनन पट्टाधारियों द्वारा वन भूमि पर एनपीवी देने की अवधि का विस्तार 31 मार्च 2017 से आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया। वन भूमि पर एनपीवी जमा कर देने की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो जाने

के बाद भी एक खनन पट्टाधारी ने एनपीवी दिये बिना 31 दिसंबर 2017 तक खनन किया. यह अवैध खनन का मामला है. सरकार ने पूरी जानकारी रहते हुये अवैध खनन होते रहने दिया. यह सरकार और पट्टाधारी के बीच साँठ–गाँठ का पक्का प्रमाण है. यह अवैध खनन, सरकार में उच्चस्तर की इजाजत के बिना संभव नहीं था. इसकी जाँच होनी चाहिए और कारवाई होनी चाहिये.

15. महोदय, अवैध खनन की जिन शिकायतों की जाँच करने के लिये शाह आयोग का गठन हुआ, उनके किरदारों को तो सजा मिल गई, उन्हें अपनी करनी का फल मिल गया। परन्तु शाह आयोग का प्रतिवेदन आ जाने के बाद जिन लोगों ने अवैध खनन के दोषियों को बचाने की साजिश रची, उनका जुर्माना कम कराया, न्यायालय के समक्ष सही बात नहीं रखकर अपनी ही सरकार के निर्णय का विरोध किया. नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करनेवालों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया, महाधिवक्ता के साथ सांठ–गांठ कर न्यायालय को दिग्भ्रमित करने की साजिश की और अपने नियम विरूद्ध आचरण से विगत पाँच वर्षों तक राज्यहित और जनहित को नुकसान पहुँचाया. पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाकर राज्य में अवैध खनन को प्रोत्साहित किया, वैसे व्यक्ति और व्यक्ति समूह को उनकी करनी का फल कब और कैसे मिलेगी इसकी ओर सबकी निगाह है.

मुख्यमंत्री जी, राज्य के खनिज संसाधन अनन्त काल तक नहीं चलने वाले हैं. विवेकहीन खनन करनेवालों पर लगाम नहीं लगी तो राज्य का लौह अयस्क भंडार वर्तमान पीढ़ी में ही शेष हो जायेगा। यह भावी पीढ़ी के साथ अन्याय होगा. निहित स्वार्थ और भ्रष्ट आचरण के वशीभूत होकर ऐसा अन्याय करने वालों को चिन्हित और दंडित करने की जिम्मेदारी नियति ने आपको सौंपा है. विरासत में मिली खनन क्षेत्र की मनमानी और भ्रष्ट कार्य–संस्कृति को सुधारने और इसे बिगाड़ने वालों को विधिसम्मत कार्रवाई के माध्यम से समुचित दंड दिलाने का दोहरा दायित्व आप पर है। उम्मीद है कि आप इस कसौटी पर खरा उतरेंगे।

महोदय, विगत पाँच वर्षों में राज्य की सरकार ने शाह आयोग की सिफारिशों की भावना के विपरीत कार्य किया है. शाह आयोग ने अवैध खनन को चिन्हित किया था, इसकी जाँच की थी, ऐसा करनेवालों पर जुर्माना लगाया था. अग्रेतर कार्रवाई के लिये राज्य सरकार पर भरोसा किया था. परन्तु पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने यह भरोसा

तोड़ दिया। अवैध खननकर्ताओं के साथ साँठ–गाँठ कर ली. अवैध खनन करनेवालों को संरक्षण दिया. शाह आयोग द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि को काफी कम कर दिया और जुर्माना की इस राशि को भी वसूल नहीं सकी. कुल मिलाकर झारखण्ड को शाह आयोग का गठन होने के पूर्व की अनियमित एवं अवैध लौह अयस्क खनन वाली स्थिति में पहुँचा दिया. जिस उद्देश्य के लिये भारत सरकार ने शाह आयोग का गठन किया था, उस पर पानी फेर दिया. राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन महाधिवक्ता मुख्य रूप से इसके लिये दोषी हैं. विशेषज्ञतापूर्ण और अधिकार सम्पन्न विशेष जाँच दल को इसकी जाँच सौंपी जायेगी तभी अवैध खनन के साजिशकर्ताओं, निहित स्वार्थियों और अन्य दोषियों के विरूद्ध विधि–सम्मत दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी.

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में गहन जाँच के लिये आप एक उच्चस्तरीय विशेष जाँच दल (एस.आई.टी.) गठित करेंगे, जो अधिकार सम्पन्न भी हो और विशेषज्ञता युक्त भी हो, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के साथ नाइंसाफी करने वाले और राज्य एवं राज्य की जनता का हक मारने वाले दोषियों को विधि के प्रावधान के अनुरूप दंडित किया जा सके.

सधन्यवाद,

भवदीय

(सरयू राय)

खनन पट्टा रद्द करने संबंधी आदेश

GOVERNMENT OF JHARKHAND
DEPARTMENT OF INSUSTRIES, MINES & GEOLOGY

Letter No.- 882/M. Ranchi, dated : 01.04.2016

ORDER

Whereas M/s Shah Brothers held a mining lease over and area of 233.89 Ha. (578.189 Acres) in Mauza Karampada of Singhbhum (West) District for mineral Iron ore and Manganese. First Renewal application was filed on 09.07.2001. Renewal application remained pending for want of Statutory Clearances;

And whereas the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 was amended by the Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015 with effect from 12.01.2015;

And whereas Section 8A(6) inserted into the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 by the Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015 reads as follows:

"8A(6) Notwithstanding anything contained in subsection (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Mineral (Development and Regulation) amendment Ordinance, 2015, where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended upto a period ending on 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with."

And whereas Section 8A(9) inserted into the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 by the Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 20415 reads as follows:

"8A(9) The provisions of this section, notwithstanding anything contained therein, shall not apply to a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development

and Regulation) Amendment Act, 2015, for which renewal has been rejected, or which has been determined, or lapsed."

And whereas for granting extension of leased by virtue of the provisions of the aforesaid newly introduced Section 8A(6), it was to be examined whether the lessee M/s Shah Brothers had complied with the terms and conditions of the lease and lessee made applications on 29.06.2015 and 20.08.2015 for grant of extension of the lease;

And whereas the State Government constituted a High Power Committee under the Chairmanship of Development Commissioner-cum-Additional Chief Secretary to examine whether the lessee had complied with the terms and conditions of the lease:

And whereas it was reported that the lessee had violated the terms & conditions of the lease in the following manner:

(a) the lessee has not submitted/delayed following valid statutory Clearances :-

  i. Forest Clearance (only over an area 24.856 Ha. out of total lease area) by Ministry of Environment, Forest & Climate Chang.

  ii. Up to date royalty clearance certificate.

  iii. Environmental Clearance By MoEF & CC

  iv. Approved Mining Plan/Scheme.

  v. consent to Operate issued by JSPCB

(b) the lessee has violated Ministry of Mines Letter No. F.No.l 10/75/2008-MV issued under Rule 27(3) of MCR, 1960 regarding mineral exploration, and

(c) the lessee has violated Rule-13(1) and 42(1)(c)(i) of MCDR, 1988 and Rule- 22A of MCR,1960;

(d) the lessee has violated the terms and condition of the lease deed as mentioned in Paragraphs 1, 2, 5 and 11C of part VII of form K (Lease Dee);

(e) Violation observed by the Justice M.B. Shah Commission on the aforementioned lease is as follows:-

  i. The lessee has delayed in obtaining Environmental Clearance Certificate.

  ii. The lessee has extracted mineral in excess of permissible EC limit.

iii. Mining in safety zone and beyond leasehold area (1.90 Ha.)

iv. Difference in monthly return filed by lessee in IBM & DMG was found.

And whereas the aforesaid violations of the terms & condition of the lease were conveyed to the lessee by the aforesaid Committee;

And whereas the Committee gave the lessee a reasonable opportunity to show cause and of being personally heard, which the lessee availed;

And whereas the Committee after going through the reported violations committed by the lessee, examining the papers submitted by the lessee and giving the lessee a personal hearing, has found that the lessee has not complied with the terms & conditions of the lease and therefore the lease in question cannot be extended;

Now, therefore, the State Government, after being fully satisfied, decides that the lease in question is not a fit case for extension under section-8A(6) of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 as amended by the Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015 and consequently the application dated 29.06.2015 as well as dated 20.08.2015 made by the lessee for extension of the lease in question is hereby rejected.

By the order of the Governor,

Sd/-

(Anand Mohan Thakur)

Joint Secretary to the Government.

अपर मुख्य सचिव, खान का पत्र

GOVERNMENT OF JHARKHAND
DEPARTMENT OF INSUSTRIES, MINES & GEOLOGY
(Mines & Geology Division)

Letter No.- 1107/M. Ranchi, dated: 29.04.2016

From,

Udai Pratap Singh,
Additional Chief Secretary.

To,

Learned Advocate General,
High Court of Jharkhand,
Ranchi.

Subject : Order of the Hon'ble High Court of Jharkhand Dated 21.04.2016 in the matter of M/s. Shah Brothers Vs UOI and Ors. in W.P.C. No. 2027 of 2016- reg.

Sir,

In reference to the above cited subject, this is to bring certain points before you in the aforesaid mentioned order passed by the Hon'ble High Court of Jharkhand dated 21.04.2016 which has been received on 27.04.2016.

2. The issues about which the department is deeply concerned are as follows:-

Para-5 "Learned A.A.G. Mr. Ajit Kumar appearing on behalf of the state has with all fairness submitted that after the pronouncement rendered by the Apex Court in ***Common Cause case (Supra)*** *on 04.04.2016, rejection of application for first renewal of the petitioner was wholly out of place."*

This stand is contrary to the stand of the department. The Learned Advocate has neither consulted the department for proper brief about the facts not sought any time from the Hon'ble Court to seek instruction from the department before making such averments.

3. That the order issued by the department in the matter of

M/s. Shah Brothers vide letter No. 882 Dated 01.04.2016 was on denial of extension of the lease **'subject to the condition that all the terms and condition of the lease have been complied with'.** A copy of the letter no. 882 dated 01.04.2016 regarding denial of extension is attached herewith for your kind perusal. Over and above there is a recovery of Rs. 1243.94 Crores on account of excess production of mineral beyond the prescribed Environmental clearance Limit of 39,24,529 Tonnes between the period 1994-95 to 2011-12, on account of non-compliance of terms and conditions of the lease. (Copies of the demand letters 825 dated 30.05.2014 and 467 dated 02.05.2015 are attached). It is desirable that both the orders should have been placed before the Hon,ble court.

4. It also appears that the Learned Advocate has not brought to the notice of Hon'ble court the difference between "Termination of prospecting license or Mining Leased" as mentioned in section 4-A over section 8-A period of grant of lease/extension as mentioned in section 8(A)(6) of MM(DR) Act.

Section 4-A(1) states the **"Where the Central Government, after consultation of the State Government is of opinion that it is expedient in the interest of regulation of mines and mineral development, preservation of natural environment, control of floods, prevention of pollution, or to avoid danger to public health or communications or to ensure safety of buildings, monuments or other structures or for conservation of mineral resources or for maintaining safety in the mines or for such other purposes, as the Central government may deem fit, it may request the State Government to make a pre mature termination of a prospecting license or mining lease in respect of any mineral other than a minor mineral in any area or part thereof, and, on receipt of such request, the State Government shall make an order making a premature termination of such prospecting license or mining lease with respect to the area or any part thereof."**

Section 8-A(6) states the **"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2). (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended upto a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of**

renewal period, if any, or a period of fifty years from the dated of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with".

In other words the case of the petitioner relates to the provision of section 8(A)(6) and not of Section 4-A.

5. More over on behalf of the State Sri Ajit Kumar Sinha, Senior Standing Counsel, Supreme Court of India, is appearing in matter of Khushal Arjun Rathore Vs Union of India. The nature of cased related to mining lease are more or less similar, therefore, Learned Advocate being deputed by you, may like to consult each other to take a common stand before the Hon'ble court to avoid any embarrassment for the Government where different stands are taken by the learned advocate.

6. My humble request is that since all the cases related to Iron Ore lease extension and mining are very sensitive and huge state revenue is involved, **the Learned Advocated appearing before the Hon'ble Court on behalf of the State, may kindly be advised to take proper briefing from the department so that the stand of the department is properly placed before the Hon'ble Court and possibilities of any incorrect presentation before the court may be avoided.**

7. Further the department feels the one important fact was not placed before the Hon'ble Court. The government has taken possession of the land covered by the lease on 08.04.2016 and the same has been published in Jharkhand Gazette vide Gazette Notification No. 257 dated 20.04.2016 (Copy attached). This Gazette has neither been challenged nor impugned or stayed by the Hon'ble court. Therefore, the department is under impression that the lease or possession of the land is still with the government.

8. Now the above mentioned case is to be heard on 05.05.2016. My request is all these facts may kindly be placed before Hon'ble Court and efforts should be made to get the stay vacated.

Yours faithfully,

Sd/-

(Udai Pratap Singh)

जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा का पत्र

पत्रांक 937/एम. दिनांक 01.08.2016

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
चाईबासा.

सेवा में,

निदेशक खान,
खान निदेशालय,
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची.

विषय : W.P.(C) No. 2027/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 के विरूद्ध L.P.A/Stay vacation petition/ clarification of order दायर करने पर विचार करने के संबंध में.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, सर्वश्री शाह ब्रदर्स द्वारा दायर याचिका W.P.(C) No. 2027/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 21-04-2016 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा उनके खनन पट्टा के अवधि विस्तार की अस्वीकृति आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में Stay कर दिया गया है। उक्त अन्तरिम आदेश में स्पष्ट आदेश न होने के कारण विभिन्न वैधानिक समस्या उत्पन्न होने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित होने के पूर्व ही लिया जा चुका था.

उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए सादर अनुरोध है कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2016 में पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध L.P.A/Stay vacation petition/clarification of order माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करने पर विचार करने की कृपा की जाय. सुलभ संकेत हेतु L.P.A/Stay vacation petition/

clarification of order हेतु एक संक्षिप्त विवरणी (Grounds) सआदर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है.

अनु.– यथोक्त.

विश्वासभाजन
ह./–
जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा.

ज्ञापांक 937/एम., दिनांक 01.08.2016

प्रतिलिपि : खान आयुक्त, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सरकार के संयुक्त सचिव, खान निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सआदर सूचनार्थ प्रेषित.

ह./–
जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा.

अपर महाधिवक्ता का पत्र खान विभाग को

GOVERNMENT OF JHARKHAND
DEPARTMENT OF INSUSTRIES, MINES & GEOLOGY
(Mines & Geology Division)

Letter No. 7945, Ranchi Dated 05.07.2016

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
JHARKHAND HIGH COURT, RANCHI

From,

Ajit Kumar
Additional Advocate General
Jharkhand High Court, Ranchi

To,

1. The Secretary, Department of Mines and Geology, Jharkhand, Ranchi.
2. The Director, Mines, Jharkhand, Ranchi
3. The District Mining Officer, Chaibasa.

Sir,

I may mention that the matter of M/s Shah brothers WPC No.2027/16 alongwith cont (C) No. 361/16 was taken up today before the Hon'ble High Court and on behalf of the petitioner it was seriously complained that the Hon'ble High Court order dated 21.04.2016 has not been complied and rather being flouted irrespective of the fact that the said order was ordered not to be otherwise modified or clarified by the Hon'ble High Court even after the I.A. petition and earlier show cause filed on behalf of the State Govt.

It was stated that the Mining Challan and forward note has not been issued to the petitioner deliberately and thereby the Hon'ble High Court's order has been violated.

A copy of the letter dated 29.06.2016 issued by you, Secretary, Department of Mines and Geology, Jharkhand, Ranchi had been

supplied to me by your department and on that basis I stated before the Court that instruction have already been issued to the District Mining Officer and therefore I need to take further instruction(s) in the matter.

At my request the Hon'ble High Court has been pleased to grant further adjournment in the contempt matter on 15.07.2016, however, a serious order has been passed today directing the State Govt. to file show cause about the updates and compliance of the Court's order.

The Hon'ble High court has also been pleased to issue notices upon the earlier District Mining Officer, Chaibasa and the present District Mining Officer, Chaibasa asking them to file their show cause before the next date of hearing and ensure compliance of the Hon'ble High Court's order.

The Hon'ble High Court has further observed and ordered that if the order of the Hon'ble Court is not complied and the show cause is not filed of compliance, those officers will have to appear in person.

Kindly take note that the matters shall be coming up on 15.07.2016, therefore, needful instruction may be supplied to me and instruction may be issued from your office to the concerned officer i.e. erstwhile District Mining Officer, Chaibasa and present District Mining Officer, chaibasa to file their show cause before the Hon'ble Court before the next date of hearing of the case.

Thanking you

Yours sincerely
Sd/-
(Ajit Kumar)
A.A.G.
05.07.16

शाह ब्रदर्स का वचन पत्र

UNDERTAKING

I, Raj Kumar Shah, S/o Late D.D. Shah, Partner of M/S SHAH BROS. a partnership firm lessee of Mining Lease over an area of 233.99 Hectares at Karampada R.F. of Saranda Forest Division of West Singhbhum, do hereby state and undertake as below as asked for under letter no. 359/M, dated 22.03.2017 of the District Mining Officer, Chaibasa :-

I, undertake to deposit NPV (Net Present Value) of the Leased area as latest by 31.03.2017 as per Guideline of the MoEF letter dated. 30.11.2016.

ह./–
जिला खनन पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Sd/-
(Raj Kumar Shah)
Partner, M/s Shah Bros.

20 किश्तों में प्रस्तावित भुगतान विवरण

महाधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
किश्तवार भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जमा की जाने वाली राशि	तिथि
1.	40 करोड़	11.10.2018
2.	40 (चालिस करोड़)	उक्त राशि जमा करने के 36 घंटा के भीतर
3.	₹ 40 करोड़	14.11.2018
4.	₹ 10 करोड़	15.05.2019
5.	₹ 10 करोड़	15.06.2019
6.	₹ 10 करोड़	15.07.2019
7.	₹ 10 करोड़	15.08.2019
8.	₹ 10 करोड़	15.09.2019
9.	₹ 10 करोड़	15.10.2019
10.	₹ 10 करोड़	15.11.2019
11.	₹ 10 करोड़	15.12.2019
12.	₹ 10 करोड़	15.01.2020
13.	₹ 10 करोड़	15.02.2020
14.	₹ 10 करोड़	15.03.2020
15.	₹ 10 करोड़	15.04.2020
16.	₹ 10 करोड़	15.05.2020
17.	₹ 10 करोड़	15.06.2020
18.	₹ 10 करोड़	15.07.2020
19.	₹ 10 करोड़	15.08.2020
20.	₹ 10 करोड़	15.09.2020
कुल	**₹ 250 करोड़**	

अपर सचिव, खान विभाग का पत्र

पत्रांक–654/एम. राँची, दिनांक 02.11.2018

प्रेषक,

अजीत शंकर
सरकार के अपर सचिव.

सेवा में,

महाधिवक्ता
झारखण्ड.

विषय : L.P.A. No. 385/2018 तथा L.P.A. No. 386/2018 निर्मल कुमार प्रदीप कुमार बनाम युनियन बैंक ऑफ इण्डिया में पारित आदेश के संबंध में.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद में निर्मल कुमार प्रदीप कुमार को देय राशि का भुगतान किश्तों में करने का आदेश दिया गया है. जबकि राशि पर ब्याज भी देय है. किश्त निर्धारण में अंतिम किश्त का भुगतान क्रमश: 25.06.2020 तथा 25.10.2020 तक करने का आदेश है. जबकि MMDR Act के धारा 8(ए) के अनुसार शर्तों के अनुपालन की स्थिति में नन कैप्टिव लीज की विस्तारित अवधि 31.03.2020 तक ही है. मेसर्स निर्मल कुमार प्रदीप कुमार का लीज भी इस अवधि तक के लिए ही है.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में W.P(Civil) No. 114/2014 में पारित आदेश में राशि एकमुश्त 31.12.2017 तक जमा करने का आदेश था तथा इसके अनुपालन में कई कंपनियों द्वारा एकमुश्त राशि जमा भी की जा चुकी है. विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लंबे अंतराल के लिए किश्त का निर्धारण किया गया है. **विभाग का मानना है कि राजस्व हित में पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान ब्याज सहित करने का आदेश हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अनुरोध की आवश्यकता है.**

इस संदर्भ में L.P.A. No. 385/2018 तथा L.P.A. No. 386/2018 में पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई के दिशा निर्देश हेतु संचिका पर विधि विभाग से परामर्श अपेक्षित है.

सादर सूचनार्थ.

विश्वासभाजन
ह./–
सरकार के अपर सचिव

जुर्माना का ब्याज सहित माँग पत्र

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम मूल राशि	जुर्माना की 4/2015 तक	ब्याज से 2/2016 तक	ब्याज 5/2015 कुल राशि	ब्याज की (फरवरी 2016 तक)	कुल भुगतान
1	मे. देबका बाई भेलजी	7212089.00	15262155.00	1442417.80	16694572.80	23906661.80
2	मे. पी.के. जैन	3630510365.00	5163753586.00	726102073.00	5889855659.00	9520366024.00
3	मे. पी.के. जैन	87655454.00	120383866.00	17531090Ê80	137914956.80	225570410.80
4	मे. रामेश्वर जूट मिल्स	707920689.00	699999250.00	141584137.80	841583387.80	1549504076.80
5	मे. एनकेपीके	56847035.00	75632277.00	11369407.00	87001684.00	143848719.00
6	मे. एनकेपीके	1956203881.00	3040020820.00	391240776.20	3431261596.20	5387465477.20
7	श्री राम मिनेरल्स कं.,	578286872.00	507174406.00	115657374.40	622831780.40	1201118652.40
8	मे. शाह ब्रदर्स	6055607137.00	6383809394.00	1211121427.40	7594930821.40	13650537958.40
9	रूंगटा माईन्स	194481083.00	312637919.00	38896216.80	351534136.60	546015218.60
10	रूंगटा माईन्स लि.	870865050.00	1473456167.00	174173010.00	1647629177.00	2518494227.00
11	रूंगटा माईन्स	5680380.00	2150852.00	1136076.00	3286928.00	8967308.00
12	मे. मिश्रीलाल–सन्स	663789524.00	715557447.00	132757904.80	848315361.80	1512104875.80
13	ओएमएम प्रा. लि.	2328879486.00	1629908119.00	465775897.20	2095684016.20	4424563502.20
14	सेल, किरीबुरू	3915320068.00	12795954983.00	783064013.60	13579018998.60	17494339064.60
15	सेल, सुकरी लुटुबुरू	644575124.00	1416220217.00	128915024.80	1545135241.80	2189710365.80
16	सेल, धोबिल, मनोहरपुर	3195040755.00	4690065520.00	639008151.00	5329073651.00	8524114426.00
17	सेल, किरीबुरू माईन्स	1365489419.00	4842782316.00	273097883.80	5115880199.80	6481369618.80
18	उषा मार्टिन	194001934.00	358264187.00	38800386.80	397064578.80	591066507.80
	कुल	26,458,366,345.00	44,243,023,481.00	5,291,673,269.00	49E534,696,750.00	75,993,063,095.00

जुर्माना का ब्याज रहित मांग पत्र

क्र.सं.	पट्टाधारी का नाम	क्षेत्रफल (हे.)	अधिक खनन (मि.टन)	जुर्माना की राशि
1	मेसर्स देबका बाई भेलजी	46.82	5321761(I) 7225.259(M)	7212089.00
2	मेसर्स पी.के. जैन	84.68	7844241.67	3630510365.00
3	मेसर्स पी.के. जैन	41.639	112748.938	87655454.00
4	मे. रामेश्वरा जूट मिल्स	259.003	852765.75	707920689.00
5	निर्मल कुमार प्रदीप कुमार	149.7343	35036502	56847035.00
6	निर्मल कुमार प्रदीप कुमार	66.781	121674	1956203881.00
7	श्री राम मिनेरल्स कं.	265.878	891405919	578286872.00
8	मेसर्स शाह ब्रदर्स	233.99	3924529	6055607137.00
9	रूंगटा माईन्स	115.72-27.51	549177.61	194481083.00
10	रूंगटा माईन्स लिमिटेड	138.848	6362922.415	870865050.00
11	रूंगटा माईन्स	27.518	30840	5680380.00
12	मेसर्स मिश्रीलाल एण्ड सन्स	202.30	583880.4	663789524.00
13	उड़िसा मैंगनीज एण्ड मिनेरल्स प्रा. लि.	275.519	1816763.8	2328879486.00
14	सेल, किरीबुरू आयरन ओर माईन्स	1936.06	17795979	3915320068.00
15	सेल, सुकरी लुटुबुरू	609.554	1955656.32	644575124.00
16	सेल, धोबिल, मनोहरपुर ओर माईन्स	513.036	3924320	3195040755.00
17	सेल, किरीबुरू आयरन ओर माईन्स	879.439	5960107.3	1365489419.00
18	उषा मार्टिन	155.078		194001934.00
	कुल जोड़			**26.458.366.345.00**

जुर्माना भुगतान संबंधी निर्देश पत्र

पत्रांक– 219/एम., दिनांक : 05.02.2013

सेवा में,

सर्वश्री शाह ब्रदर्स
करमपदा आयरन ओर एण्ड मैंगनीज माईन्स
पो. किरूबुरू, जिला– प. सिंहभूम, चाईबासा

विषय : पर्यावरणीय सहमति प्राप्त किये बगैर एवं पर्यावरणीय सहमति में उल्लेखित मात्रा से अधिक उत्पादन तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान/स्कीम में उल्लेखित मात्रा से अधिक खनिजों का उत्पादन करने के संबंध में माँग–पत्र.

उपर्युक्त विषयक माननीय न्यायमूर्ति एम.बी. शाह आयोग के साथ मुख्य सचिव एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की दिनांक 12.04.2012 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही से संबंधित विभागीय पत्रांक 861/एम. दिनांक 11.05.2012 एवं अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2012 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही से संबंधित पत्र ज्ञापांक 2578/एम. राँची, दिनांक 15.12.2012 के आलोक में सूचित करना है कि आपके द्वारा वर्ष 1994 के पूर्व वर्ष 1989–90 में उत्पादन 70346.000 एम.टी. किया गया है. EIA Notification के आलोक में 70346.000 एम.टी. के सापेक्ष में वर्ष 1994 के बाद के वर्षों 2004–05 एवं 2005–06 में अधिक उत्पादन किया गया है. इसी प्रकार आपको 0.1 मिलियन टन के लिए पर्यावरणीय सहमति दिनांक 23 जनवरी 2007 को प्राप्त हुई है, लेकिन आपके द्वारा पर्यावरणीय सहमति से अधिक उत्पादन अवैध रूप से क्रमश: 2007–08 से 2011–12 तक पर्यावरणीय सहमति में अंकित मात्रा से अधिक उत्पादन किया गया है. ऊपर वर्णित वर्षों में कुल अधिक उत्पादन 39,24,329.000 एम.टी. किया गया है. जिसके विरूद्ध कुल माँग प्रति टन IBM Monthly Statistics Data / IBM द्वारा प्रकाशित खनिज मूल्य के आधार पर 605,55,20,432.61 रूपया निकलता है. गणना विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न है.

अत: पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर 6055520432.61 रूपया का भुगतान निश्चित रूप से कर दें अन्यथा वसूली हेतु नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई की जायेगी.

ह./–
सहायक खनन पदाधिकारी
चाईबासा (प. सिंहभूम)।

श्री कमलेश्वरी दास का पत्र

पत्रांक– 91/एम., दिनांक : 10.01.2018

प्रेषक,

कमलेश्वरी दास
जिला खनन पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा.

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा.

विषय : पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित कार्यरत खनन कम्पनियों पर आधारित दण्ड की राशि को कम करके राज्य सरकार के राजस्व को घटाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक–43/गो., दिनांक 06.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि पूर्व के जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण–पत्र के बिना/अधिक मात्रा में खनिज उत्पादन विषयक निर्गत खनिज मूल्य माँग–पत्र का मूल आधार माननीय शाह आयोग का झारखण्ड प्रतिवेदन था, जिसमें गणना वर्ष का प्रारम्भ वर्ष 1993–94 से किया गया था एवं विलम्ब सूद की राशि की गणना भी की गयी थी। सुलभ संकेत हेतु पूर्वाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक समेकित गणना चार्ट अनुलग्नक– 1 पर संलग्न है, जिसमें सूद की बड़ी राशि स्वत: स्पष्ट है।

2. अधोहस्ताक्षरी के कार्यकाल में निदेशक, खान, झारखण्ड का पत्रांक–ख.नि.(विधि)–98/2017–1896/एम., दिनांक–16.08.2017 प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP(C) No. 114/2014

कॉमन काउज बनाम–भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के आलोक में सभी संबंधित पट्टेधारियों को माँग–पत्र निर्गत करने का आदेश है (अनुलग्नक–2).

3. विभागीय आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संशोधित माँग–पत्र निर्गत किया गया है, जिसका मूल आधार माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2017 है न कि शाह आयोग की अनुशंसा।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2017 में क्षतिपूर्ति राशि की गणना वर्ष 2000–01 से प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान है एवं वर्ष 1993–94 के उत्पादन की छूट 14.09.2006 तक दिये जाने का भी अतिरिक्त प्रावधान है। पुन: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2017 में सूद की गणना नहीं किये जाने का स्पष्ट आदेश है. सुलभ संकेत हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2017 की प्रति अनुलग्नक–3 पर संलग्न है, जिसका पारा–26, 155, 156 द्रष्टव्य है.

5. अतएव इस परिस्थिति में पूर्वाधिकारी द्वारा निर्गत माँग–पत्र का आधार शाह आयोग की झारखण्ड अनुशंसा थी, जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत माँग–पत्र का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2017 रहा है। फलत: गणना प्रक्रिया एवं फलाफल में अंतर होना स्वाभाविक है।

6. प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री, श्री सरयू राय को गणना प्रक्रिया की अद्यतन सूचना नहीं है। अतएव अनुरोध है कि भवदीय स्तर से यदि आवश्यक समझे तो उन्हें अवगत कराना चाहेंगे.

विश्वासभाजन
ह./–
जिला खनन पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा.

विधानसभा में तारांकित प्रश्न का उत्तर

श्री सरयू राय, स.वि.स. द्वारा दिनांक – 01.03.2021 को पूछे तारांकित प्रश्न संख्या–ग–11 का गृह विभाग द्वारा दिया गया उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न 1. क्या बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने पत्रांक–2192/एम, दिनांक–04.02.2011 द्वारा नोवामुण्डी थाना प्रभारी को सूचित किया था कि बोकारो साईडिंग से 7,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क की चोरी हो गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है?

उत्तर : स्वीकारात्मक.

पश्चिमी सिंहभूम के तत्कालीन जिला सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने पदाधिकारी ने अपने कार्यालय ज्ञापांक–219/ए. दिनांक 04.02.2011 के द्वारा तत्कालीन नोवामुण्डी थाना प्रभारी को रेलवे साईडिंग (बोकारो रेलवे साईडिंग) एवं पाँच नम्बर साईडिंग पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नोवामुण्डी श्री अरविन्द कुमार के नेतृत्व में गठित जाँच दल द्वारा दिनांक – 07.04.2010 को जप्त किये गये लगभग 50.750 एम.टी. लौह अयस्क में से 7,000 एम.टी. लौह अयस्क चोरों या अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा उठाव किये जाने की सूचना देते हुए इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था. जिसके आलोक में अज्ञात के विरूद्ध नोवामुण्डी थाना काण्ड सं.–09/11, दिनांक – 10.02.2011, धारा–379 भा.द.वि. के अन्तर्गत दर्ज किया गया है.

प्रश्न 2. क्या यह बात सही है कि इस प्राथमिकी के विरुद्ध अनुसंधान की कोई भी कार्रवाई 10 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं हुई है.

उत्तर : यह काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है कि :–

1. काण्ड में लौह अयस्क भंडार को नजरिये अंदाज पर जप्त कर जाँच होने तक तत्कालीन थाना प्रभारी, नोवामुण्डी थाना के निगरानी में रखा गया था. जिसका वास्तविक जाँच कर खनन विभाग द्वारा

प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया है, जिसे खनन विभाग से प्राप्त करने हेतु अनुसंधानकर्ता को निर्देशित किया गया है ।

2. काण्ड में जप्त लौह अयस्क को खनन विभाग द्वारा विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के कागजातों की जाँच कर कुछ लौह अयस्क पर जुर्माना कर तथा कुछ सही पाकर मुक्त करने का आदेश दिया गया तो उस समय भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कितना लौह अयस्क का वास्तव में उठाव किया जा रहा है । इस पर किसी सरकारी पदाधिकारी का कोई नियन्त्रण नहीं था । अनुज्ञप्तिधारी अपने से जप्त माल उठा रहे थे, उक्त के संबंध में खनन विभाग से प्रतिवेन प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

3. घटनास्थल का विडियोग्राफी एवं मानचित्र खनन विभाग के द्वारा तैयार नहीं किया गया जिस कारण घटनास्थल पर कितना लौह अयस्क की मात्रा थी एवं उसमें से कितने लौह अयस्क की चोरी अथवा उठाव का मूल्यांकन नहीं हो पाया है । उक्त के संबंध में खनन विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गयाा है ।

4. अनुसंधानकर्ता द्वारा काण्ड में संग्रह किये गये नमूने की जाँच राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग से जप्त लौह अयस्क एवं पीट के लौह अयस्क से मेल खाने के बिन्दु पर मंतव्य की मांग की गई थी, जो राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग से काफी विलम्ब से दिनांक – 12.04.2019 को प्राप्त हुआ । जिसके अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जप् त लौह अयस्क एवं पीट के लौह अयस्क एक जैसा है । उक्त के आलोक अनुसंधानकर्ता को संबंधित विभाग से पुनः स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित करने का निर्देश दिया गया है ।

5. इस काण्ड में झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति द्वारा मामले की जाँच घटनास्थल पर जाकर किया गया है । इसका जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर जाँच प्रतिवेदन में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. उक्त के संबंध में अनुसंधानकर्ता द्वारा कई बार खनन विभाग के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर एवं पत्राचार कर

झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, परन्तु खनन विभाग द्वारा अब तक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

प्रश्न 3. क्या यह बात सही है कि विभिन्न जाँच समितियों के प्रतिवेदनों के अनुसार बोकारो साईडिंग से चोरी हुए लौह अयस्क की मात्रा इससे काफी अधिक है :–

उत्तर : गठित समिति द्वारा आयरन ओर के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर मापी की गई है । उक्त समितियों के प्रतिवेदन के अनुसार स्टॉक का विवरणी निम्नवत् है :–

1. प्राथमिकी दर्ज होने के पूर्व तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नोवामुण्डी के नेतृत्व में जाँच की गई थी, जिनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार घटनास्थल के कुल 15 जगहों से कुल–50,750 एम.टी. लौह अयस्क जप्त किया गया था ।
2. पुनः तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के नेतृत्व में सेल गुवा के सर्वे पदाधिकारी, ज्योलोजिस्ट श्री तनवीर जाफर, जिला अमीन चिन्तामणी गोप के साथ दिनांक–13.10.2012 एवं 16.10.2012 को नोवामुण्डी स्टेशन के बोकारो साईडिंग एवं लाईन नम्बर 05 के आसपास जप्त लौह अयस्क एवं पूर्व से लोडिंग के दौरान दबे आयरन ओर की मापी की गई, जिसमें कुल आयरन ओर की मात्रा 99,899.19 एम.टी. पाया गया (जिसमें कारपेट स्टॉक 68796.00 एम.टी. शामिल है)

प्रश्न 4. : **यदि उपर्युक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में अभी तक अनुसंधान नहीं होने का कारण बताएगी और इसका अनुसंधान कब तक पूरा करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?**

उत्तर : वर्तमान में यह काण्ड क्रम संख्या 02 में उद्धृत विषयों एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान्तर्गत है । शीघ्र ही लंबित बिन्दुओं पर कार्रवाईयों को पूर्ण करते हुए काण्ड का निष्पादन किया जाना संभावित है ।

वन महानिदेशक, भारत सरकार का पत्र

M.K. SHARMA

DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT &FORESTS

D.O. No. 11-28/2002-FC/ June 16, 2003

Dear Shri Krishnan,

As your will appreciate that mining in the 'reserved forest' area is totally against the principles of forest conservation and that too for a longer period. In most of the cases, these commercial liabilities have been created prior to the enactment of the Forest (Conservation) Act, 1980. It has been observed in some cases that mining activities have continued for more than 70-80 years. The continued mining in the forest area is detrimental in the forest, existing wildlife, habitat and the surrounding environment this must be brought to a halt as early as possible.

To begin with, the Central Government is not allowing such commercial activities in National Parks, Sanctuaries etc., unless the projects are of national importance having multidimensional socio-economic benefits. Now, there is an urgent need to extend this principle to all the Reserved Forests and the dense forests as well. For longevity of our precious forests and for environmental consideration we should not allow mining in the Reserved Forest and dense forest areas for an indefinite period.

It is desired and it is also need of the time that we should initiate steps to phase out such commercial activities from the reserved forest and dense forest areas in a time bound manner. But considering the principle of natural justice, we should give ample opportunity and sufficient time to various user agencies involved in the continued mining operations in the forests areas, a liability created over a period of time, to wind up their nativities in a phased manner. While doing so, if necessary, we may explore the possibilities of gradually shifting to under-ground mining for which the incentives may be provided to the mining sector.

May I request you to consider the matter in respect of your State and bring a radical change for the betterment of our forests and the environment for future generations, Further, you may like to call a meeting of the Department of Mines of your State and various mining lease holders to discuss these matters and gradually shift to total closure of mining in Reserved Forest and dense forest areas.

Yours sincerely
Sd/-
(M. K. Sharma)

उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम का पत्र

पत्रांक : 1496/गो. चाईबासा, दिनांक 18.05.2012

प्रेषक,

उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम
चाईबासा.

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा.

विषय : घाटकुड़ी आयरन ओर माईनिंग प्रोजेक्ट ऑफ मेसर्स उड़िसा मैंगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. के द्वारा Environmental Clearance से अधिक उत्पादन करने के संबंध में.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि घाटकुड़ी आयरन ओर माईनिंग प्रोजेक्ट ऑफ मेसर्स उड़िसा मैंगनीज एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. के द्वारा समर्पित किये गये आई.बी.एम. रिटर्न यथा 2009–10 एवं 2010–11 में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के निदेश के अनुसार निर्धारित वैध वार्षिक उत्पादन से अधिक किया गया था. इसउल्लंघन के लिए पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए घाटकुड़ी माईन्स को बंद किया गया था । माईन्स का वार्षिक उत्पादन उनके द्वारा आई.बी.एम. के जमा किये गये रिटर्न के अनुसार वर्ष 2008–09 में 0.180 मिलियन टन, वर्ष 2009–10 में 1.214 मिलियन टन, वर्ष 2010–11 में 1.265 मिलियन टन एवं वर्ष 2011–12 में इनके द्वारा जून 30 तक रिटर्न जमा करने की संभावना है । अप्रैल 14, 15, 16 में क्षेत्र भ्रमण के दौरान माननीय शाह कमीशन के द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा निदेश दिया गया था कि जिसका वार्षिक उत्पादन वन एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार नहीं है उनके विरूद्ध कार्रवाई की जानी है.

वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दिये गये सहमति पत्रांक No. J-11015/

488/2007-IA.II (M) दिनांक 20.02.2009 के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक में 0.6 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन निर्धारित था. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दिये गये नये सहमति पत्र के अनुसार इनका वार्षिक उत्पादन पत्रांक J-11015/12/2009-IA.II (M) दिनांक 02.03.2012 के द्वारा 2.00 मिलियन टन निर्धारित किया गया था. वर्ष 2009–10 में 0.615 मिलियन टन एवं 2010–11 में 0.665 मिलियन टन वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दिये गये सहमति से अधिक उत्पादन किया गया है.

इनके द्वारा दिनांक 09.05.2012 को समर्पित किये गये आवेदन के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिनियम के उल्लंघन के लिए सेक्शन Environmental Protection Act 1986 एवं सेक्शन 37 तथा 44 Air and Water Pollution & Control Act के अनुसार केस नं.–117/12 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा के न्यायालय में शिकायत वाद दायर किया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्रांक No. J-11015/12/2009-IA.II(M) दिनांक 02.03.20152 के द्वारा इनका 2012–13 से वार्षिक उत्पादन 0.6 मिलियन टन से 2.00 मिलियन टन अधिक बढ़ाने के लिए सहमति दिया गया था. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के निदेशानुसार 2.00 मिलियन टन के लिए Consent to Operate पत्रांक PC/JSR/Air/T-57/11-913 दिनांक 19.03.2012 द्वारा दिया गया है.

उपर वर्णित सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि 2009–10 में इनके द्वारा किया गया अधिक उत्पादन 0.615 मिलियन टन, वर्ष 2012–13 में वार्षिक उत्पादन 2.00 मिलियन टन में से Compensate करने के लिए कम किया जाता है । इस प्रकार 2010–11 में इनके द्वारा किया गया 0.665 मिलियन टन, 2013–14 में वार्षिक उत्पादन 2 मिलियन टन से कम करने के लिए निदेश दिया जाता है. जिला खनन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2012–13 में इनका वार्षिक उत्पादन 13.85 लाख टन, 2013–14 में 13.35 लाख टन केवल उत्पादन करने के लिए सुनिश्चित करायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह./–

उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा.

सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित पत्र

गै.प्रे.सं.1637/मंत्री को., दिनांक 05.03.2018

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड सरकार.

मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी श्री दलजीत सिंह, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता श्री अमरप्रीत सिंह काले के बड़े भाई हैं, का मुझे संबोधित पत्र संलग्न है. पत्र स्वत: स्पष्ट है. अपने पत्र में श्री दलजीत सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त किया है और कहा है कि मेरे छोटे भाई भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं, इस कारण सरकार द्वारा मुझे परेशान किया जाना समझ से परे है. पत्र में कुल 28 कंडिकाएं हैं, जिनमें कंडिका–4, कंडिका–7, कंडिका–13, कंडिका–15, कंडिका–17, कंडिका–20, कंडिका–22, कंडिका–25, कंडिका–27 एवं 28 आदि की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ. वर्तमान राज्य सरकार की भूमिका इसमें स्पष्ट की गई है.

प्रतीत हो रहा है कि सरकार द्वारा जमशेदपुर में भूमि विवाद में केवल इस एक मामले में जितनी तत्परता बरती जा रही है वह सामान्य नहीं है. टाटास्टील (टाटा लीज) बनाम रैयतों का हक आदि के बारे में ऐसे कई मामले जमशेदपुर में चल रहे हैं. इनमें से केवल एक मामले कोलेकर पूर्व की सरकार द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र के उलट वर्तमान सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पुन: नये सिरे से शपथ पत्र दायर करना नियम और कानून की दृष्टि में कितना उपयुक्त है, इस बारे में त्वरित टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा. फिर भी सरकार की इस कार्रवाई से संदेश निकल रहा है कि टाटा स्टील कंपनी और एक रैयत की लड़ाई में सरकार टाटा स्टील के पक्ष में खड़ा हो रही है.

एक रैयत और टाटा स्टील के बीच चल रहे इस मुकदमे में सरकार को माननीय उच्चन्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और माननीय न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोई कोशिश सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसी मेरी समझ है. श्रीदलजीत सिंह के पत्र और इसकेसाथ लगे अनुलग्नकों में अंकित वस्तुस्थिति के आलोक में विचारो परान्त सही और तार्किक भूमिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निभायी जानी चाहिए यह मेरा अभिमत है.

ह.

(सरयू राय)

तत्कालीन मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र

पत्रांक आ.का./219/18, दिनांक 28.10.2018

आपको स्मरण होगा कि विगत 24.10.2018 को एक पत्र लिखकर मैंने राज्य के महाधिवक्ता को पदमुक्त करने का आग्रह आपसे किया था. इसका कारण था कि उन्होंने महाधिवक्ता पद की गरिमा के विपरीत झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमा संख्या L.P.A. No. 351 of 2018 में न्यायालय की खंडपीठ को गलत सूचना दिया था. फलस्वरूप इस मुकदमा में न्यायालय का निर्णय राज्यहित और ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत आया.

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे एक अन्य मुकदमा संख्या L.P.A. No. 236/2012 (टाटा स्टील लि. बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य) में भी महाधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के निर्णय के संबंध में गलत सूचना राज्य सरकार को दी है। अपने पत्रांक 6777 दिनांक 04.07.2017 द्वारा महाधिवक्ता ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव तथा पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में एक मौखिक आदेश दिये जाने की सूचना दी है, जो कि गलत पाया गया. महाधिवक्ता ने अपने पत्र में जो गलत सूचना दी है वो निम्नवत है :–

"The matter was listed on 03.07.2017 upon request made by the undersigned to the Hon'ble Court and the undersigned also pressed the said I.A., however adjournment was prayed by the other side on one plea or the other. The Hon'ble Court has upon the undersigned pressing for leave in the light of the status quo order, however made oral observations that the State Govt. is free to take corrective measures, pass necessary orders and take necessary actions withrespect to the matters and the status quo order passed by the Hon'ble Court may not stand in the way of the State Govt. in taking corrective decisions or actions, if the same is in accordance with law."

महाधिवक्ता का यह पत्र अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। वस्तुत: माननीय उच्च न्यायालय की संबंधित खंडपीठ ने दिनांक 03.07.2017 को ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया था। दिनांक 03.07.2017 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ

द्वारा दिये गये आदेश की प्रति अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है.

महाधिवक्ता के इस पत्र के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को कार्रवाई करने के लिये निदेशित किया और उन्होंने इस आधार पर जमशेदपुर के श्री दलजीत सिंह, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता श्री अमरप्रीत सिंह काले के बड़े भाई हैं, की जमीन की जमाबंदी रद्द कर दिया. इस संदर्भ में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को दिये गये आदेश की प्रति अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है.

प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने जब माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान राज्य के महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय के आदेश के बारे में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को गलत सूचना देने की ओर आकृष्ट कराया तो खंडपीठ ने इस पर नाराजगी व्यक्त की तथा शपथ पत्र देने का आदेश दिया. फलस्वरूप महाधिवक्ता ने अपने पत्रांक 3931 दिनांक 26.04.2018 द्वारा उनके पूर्व के पत्र संख्या 6777 दिनांक 04.07.2017 के उद्धरण को विलोपित करने के लिये राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को लिखा. तदनुसार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस उद्धरण को विलोपित करने का शपथपत्र दिया और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को निदेशित किया कि महाधिवक्ता की सूचना पर आधारित विभाग द्वारा पूर्व में भेजे गये पत्र को इसके आलोक में संशोधित समझा जाय. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को प्रेशित पत्र संख्या–4/स.भू. पूर्वी सिंह.–115/15 1819(4)/रा. दिनांक 26.04.2018 अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न है.

परंतु महाधिवक्ता द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को न्यायालय के आदेष की गलत सूचना देने के कारण 04.07.2017 से 26.04.2018 तक के बीच की अवधि में परेषानी प्रतिवादी को काफी परेशानी झेलनी पड़ी वह अवर्णनीय है जो संक्षेप में निम्नवत है:–

1. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने प्रतिवादी के प्रासंगिक भूमि की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ कर दिया.
2. इस प्रक्रिया के विरूद्ध प्रतिवादी झारखंड उच्च न्यायालय गये। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया.

3. जिस तिथि में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेष दिया उसी तिथि में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने प्रतिवादी की प्रासंगिक भूमि की जमाबंदी रद्द कर दिया.

4. इसपर प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के विरूद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया. यह मुकदमा माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन है.

प्रतिवादी ने इस अन्याय के विरूद्ध अनेक दरवाजा खटखटाया. चुंकि मैं जमशेदपुर पश्चिम से विधान सभा का सदस्य हूँ और वे वहां के निवासी हैं इस नाते उन्होंने मुझे भी एक लिखित अभ्यावेदन दिया जिसे मैंने अपने कार्यालय के गै.प्रे.सं. 1637/मंत्री कोषांग, दिनांक 05.02.2018 द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया. इस बारे में विभाग की ओर से अभी तक मुझे इस पत्र की प्राप्ति स्वीकृति भी नहीं प्राप्त हुई है.

संक्षेप में यह पूरा प्रकरण निम्नवत है :–

1. प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह ने जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया में करीब 5 एकड़ भूमि वर्ष 90 के दशक में क्रय किया था.

2. इस भूमि पर टाटा स्टील लि. के साथ विवाद था कि यह भूमि टाटा लीज की है या रैयती है.

3. इस संबंध में पूर्ववर्ती बिहार सरकार तथा 2012 तक झारखंड सरकार का यही अभिमत रहा है कि यह जमीन रैयती है. इस मुकदमे में पूर्ववर्ती बिहार सरकार और बाद में झारखंड सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में इस आषय के शपथ पत्र दायर किये हैं.

4. 2012 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला टाटा स्टील लि. के विरोध में हुआ. इसके बाद टाटा स्टील ने झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने इसकी अपील किया. अपील में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश हुआ.

5. उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में झारखंड सरकार ने इस जमीन की जमाबंदी श्री दलजीत सिंह के पक्ष में करने

का निर्देष दिया. जिसके अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमीन की जमाबंदी श्री दलजीत सिंह के पक्ष में कर दिया.

6. इस बीच किसी मुंशी रजक के नाम से एक बेनामी आवेदन सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि यह जमीन सरकारी है इसलिये जमाबंदी रद्द कर इसे सरकारी खाता में शामिल किया जाय.

7. मुंशी रजक नाम का व्यक्ति कौन है? कहां रहता है? उसका कोई अता–पता नहीं चला. यानी यह आवेदन एक तरह से बेनामी था. फिर भी राज्य सरकार ने इस पर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम का मंतव्य मांगा. पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त ने इसपर अपना मंतव्य भेज दिया.

8. इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त बदल जाने के बाद राज्य सरकार ने पुन: पूर्वी सिंहभूम के वर्तमान उपायुक्त से सुस्पष्ट मंतव्य मांगा.

9. उपायुक्त ने अपने मंतव्य में जमाबंदी के संबंध में 6 त्रुटियों का उल्लेख किया. प्रतिवादी के अनुसार ये त्रुटियां वही थीं जिनका जिक्र टाटा स्टील लि. ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमा में किया था और वह मुकदमा खारिज हो गया था.

10. इस बीच उपायुक्त के तथाकथित सुस्पष्ट मंतव्य के आलोक में राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि वे इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश को बदलवाने के लिये एक हस्तक्षेप याचिका न्यायालय के समक्ष दायर करने की कार्रवाई करें तथा जमाबंदी सृजित करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रपत्र–'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध करायें.

11. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने के संबंध में सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य मांगा. झारखंड उच्च न्यायालय में सरकार के स्टैडिंग काउंसिल (लैंड सिलिंग) श्री विकास किशोर प्रसाद ने 12.01.2017 को अपना मंतव्य दे दिया और कहा कि इस मामले में

हस्तक्षेप याचिका दाखिल करना न केवल कानून के विरूद्ध होगा बल्कि घोर अनियमित भी होगा. इस मंतव्य के प्रासंगिक पृश्ठ की छायाप्रति अनुलग्नक–5 के रूप में संलग्न है.

12. इसके बाद भी पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने सरकार के आदेशानुसार इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर कर दिया जो विचाराधीन है.

13. माननीय उच्च न्यायालय ने इस हस्तक्षेप याचिका को अभी तक स्वीकार नहीं किया है. इसके बावजूद महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से इस मुकदमा में लगातार बहस कर रहे हैं और इसी बहस के दौरान उन्होंने 04.07.2017 को न्यायालय के उस मौखिक आदेश के बारे में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को गलत सूचना दे दिया, जो आदेष न्यायालय ने दिये ही नहीं थे.

महोदय, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाधिवक्ता का आचरण उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और वे सरकार के मंतव्य के बारे में माननीय उच्च न्यायालय को गलत सूचना देने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में सरकार को गलत सूचना देने के दोषी हैं. पता नहीं अन्य कितने मामलों में उन्होंने राज्य सरकार को ऐसा ही मंतव्य दिया होगा। अत: आवश्यक है कि महाधिवक्ता पद की गरिमा तथा राज्यहित एवं जनहित को ध्यान में रखते हुये इन्हें महाधिवक्ता पद से शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाय.

सेवा में,
श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

भवदीय
ह./–
(सरयू राय)

सचिव, झारखंड राज्य बार काउंसिल का पत्र

RAJESH PANDEY
Secretary

Phone : 9430742490, 8210435619
E-mail : rajesh.tapasya@gmail.com
: secretary@jharkhandstatebarcouncil.org

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद्
JHARKHAND STATE BAR COUNCIL
(Statutory Body Constituted under The Advocates' Act, 1961)
Justice Colony, North Office Para, Doranda, Ranchi-2
Phone : 0651-2410008, 0651-2482769, 9431936083
E-mail : info@jharkhandstatebarcouncil.org | Website : www.jharkhandstatebarcouncil.org

Ref. No. : 405-7/2019 Date : 29/8/19

To,

Sri Saryu Rai
Hon'ble Minister
Food and Civil Supplies
Govt of Jharkhand, Ranchi

Sub: Action upon the letters communicated by your goodself to the Jharkhand State Bar Council in the matter of resolution taken by the Jharkhand State Bar Council in its meeting of general body dated 23.11.2018

Sir,

As directed, I am to inform you that the above referred resolution as taken by the Jharkhand State Bar Council in its general body meeting dated 23.11.2018 concerning your goodself has not been acted upon in any manner and no further action have been taken. In other words the said portion of the resolution has not been executed at all.

I have also been directed to inform your goodself that the Jharkhand State Bar Council is very much in notice of the concern shown by your goodself in that matter .

I have further been directed to inform your goodself that the matter shall be essentially taken up in the next meeting of the general body to expunge those observations and resolution.

Thanking you,

Yours sincerely

(Rajesh Pandey)
Secretary

- 1991 से 1993 तक बिहार राज्य द्वितीय सिंचाई आयोग का सदस्य और जल नीति निर्धारण उपसमिति का अध्यक्ष.
- 1989 से 1993 तक मासिक पत्रिका 'कृषि बिहार' का सम्पादन.
- 1993 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता. प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता एवं वनांचल प्रभारी का दायित्व.
- 1998 से 2004 के बीच बिहार विधान परिषद् का सदस्य, संसद में स्थापित जे.पी. की आदमकद प्रतिमा निर्माण समिति का संयोजक, खनन में स्थानीय लोगों की सहभागिता के लिए गठित भारत सरकार की तीन सदस्यीय समिति का सदस्य.
- 2004 से दामोदर बचाओ आंदोलन, जल जागरूकता अभियान, स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान, सेव सारंडा कैम्पेन, नेचर फाउण्डेशन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सक्रियता.
- 2005 से 2009 तक जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से झारखण्ड विधानसभा का भाजपा सदस्य, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष.
- 2011–13 राष्ट्र व्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सक्रियता. अभियान की 13 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का सदस्य.
- 2013–15 उषा मार्टिन मजदूर यूनियन का अध्यक्ष.
- 2014 – जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक निर्वाचित.
- 2015–2019 झारखण्ड सरकार में संसदीय कार्य विभाग एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री.
- 2019 दिसम्बर – जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित.

इस पुस्तक से

- यह पुस्तक राज्य की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की संविधान सम्मत कार्यप्रणाली का मनोनुकूल उपयोग करने की जुगत में सत्ता के गलियारों में चहलक़दमी करते रहने वाले निहित स्वार्थी समूहों की साजिश का जाने–अनजाने हिस्सा बन जाने वाले सत्ता के किरदारों और राज्य के विधिक मार्गदर्शकों की भूमिका पर प्रकाश डालने का एक लघु प्रयास है.

- माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन पट्टाधारियों ने उनके समक्ष रिट याचिका दायर किया है वे दो माह के भीतर यह साबित करें कि उन्होंने किसी भी खनन नियम का उलंघन नहीं किया है, तभी वे खनन कर सकेंगे. जिन पट्टाधारियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं किया था उन्हें यह सिद्ध करने के लिये न्यायालय ने 6 माह का समय दिया.

- उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिये नियुक्त तत्कालीन अपर महाधिवक्ता ने अपने क्लाईंट खान विभाग से परामर्श नहीं किया. इनकी बहस उनके क्लाइंट खान विभाग के हितों के अनुकूल नहीं थी.

श्री बाबूलाल मरांडी उवाच

- क्या राज्य सरकार इस तरह का एकतरफा निर्णय किसी खास कम्पनी के पक्ष में ले सकती है? क्या राज्य के महाधिवक्ता माननीय न्यायालय में किसी खास कम्पनी के पक्ष में झूठ बोलकर माननीय न्यायालय को दिग्भ्रमित कर आदेश पारित करा सकते हैं? क्या इससे महाधिवक्ता पद की गरिमा एवं विश्वसनीयता को ठेस नहीं पहुँचा है?

- माननीय महाधिवक्ता ने खंडपीठ के सामने किसी खास कम्पनी को फायदे पहुँचाने के लिए झूठ बोला है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है एवं misconduct of court का भी मामला बनता है.

- क्या मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय ने शाह ब्रदर्स पार्टनर राजकुमार शाह के साथ कोई गोपनीय समझौता किया है, जिसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को नहीं है? क्या मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभाग को दरकिनार कर सीधे महाधिवक्ता को शाह ब्रदर्स के मामले में निदेश दिए?

- इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता का सर्वश्री शाह ब्रदर्स से मिलीभगत प्रमाणित होती है. कहीं न कहीं सरकार सर्वश्री शाह ब्रदर्स को अनुचित आर्थिक लाभ पहुँचाकर उपकृत करना चाहती है.